



Drishti IAS

कर्तृता अपडेट्स

(संग्रह)

अक्तूबर भाग-2

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

अंतर्राष्ट्रीय संबंध	4	➤ बायोगैस के लाभ	31
➤ दिल्ली में इंटरपोल महासभा की बैठक	4	➤ ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण	32
➤ हिंद-प्रशांत क्षेत्र	5	➤ बच्चों पर हीटवेव का प्रभाव: UNICEF	33
➤ भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता	6	➤ उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021: UNEP	34
➤ भारत-रूस व्यापार	7	➤ वन धोषणा आकलन 2022	35
➤ संयुक्त राष्ट्र की 77वीं वर्षगांठ	9	भारतीय अर्थव्यवस्था	38
➤ इथियोपिया	11	➤ भारत में 75 नई डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ	38
➤ 7वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक	13	➤ बैंकों को आरटीआई से छूट	38
➤ भारत-ब्रिटेन संबंध	14	➤ PM किसान सम्मान सम्मेलन	41
➤ FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ पाकिस्तान	16	➤ बिग टेक पर आरबीआई की रिपोर्ट	42
आंतरिक सुरक्षा	18	➤ बेहतर पहुँच और सेवा उत्कृष्टता	43
➤ 2024 तक राज्यों में एनआईए कार्यालय होगा	18	➤ भारतीय मुद्रा डिजाइन तंत्र	44
एथिक्स	20	➤ रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण	45
➤ जन अधिकार बनाम पशु कल्याण	20	➤ चलनिधि समायोजन सुविधा	47
कृषि	22	भारतीय इतिहास	48
➤ जैविक उत्वरक	22	➤ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	48
➤ GM सरसों की व्यावसायिक खेती	22	➤ भारत में सिवका प्रणाली का विकास	49
जैव विविधता और पर्यावरण	25	भारतीय राजनीति	52
➤ ई-अपशिष्ट दिवस	25	➤ कानून प्रणाली में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग	52
➤ सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़	26	➤ समान नागरिक संहिता	53
➤ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	27	➤ हिंदी भाषा विवाद	55
➤ हरित पटाखे	28	➤ निजता का अधिकार	57
➤ स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन	29	➤ लोक अदालतें	58
		➤ धन शोधन निवारण अधिनियम	60
		➤ लाभ का पद	61

नोट :

➤ राज्यपाल की भूमिका और शक्तियाँ	62	➤ संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व	95
➤ भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन	64	➤ विश्व क्षयरोग रिपोर्ट 2022: WHO	96
भारतीय विरासत और संस्कृति	66	➤ क्रिकेट में वेतन समानता	98
➤ लोथल: दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बन्दरगाह	66	प्रिलिम्स्ट फैक्ट्स	101
भूगोल	67	➤ विश्व खाद्य दिवस	101
➤ दक्षिण चीन सागर	67	➤ भारतीय बाइसन (गौर)	102
➤ पूर्वी चीन सागर	67	➤ चुनाव चिन्ह	102
➤ कुरील द्वीप	68	➤ डी.वाई. चंद्रचूड़: भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश	103
➤ लाल सागर	68	➤ नीलकुरिजी फूलों की नई किस्म	104
➤ एजियन सागर	69	➤ भारत का पहला एल्युमीनियम फ्रेट रेक	105
➤ सितरंग चक्रवात	72	➤ डॉ. दिलीप महालनोबिस	105
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	74	➤ निहोन्यू	106
➤ मंगलयान मिशन की समाप्ति	74	➤ कामिकेज़ ड्रोन	106
➤ पिलर्स ऑफ क्रिएशन : जेम्स वेब टेलीस्कोप	74	➤ कार्बन डेटिंग	107
➤ नाविक	76	➤ जिराफ़	108
➤ डेटा स्थानीयकरण	77	➤ बुकर पुरस्कार 2022	109
➤ कवकीय संक्रमण की पहली सूची	80	➤ एक भारत श्रेष्ठ भारत	109
शासन व्यवस्था	81	➤ UNSC 1267 समिति	109
➤ छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन	81	➤ अग्नि प्राइम	110
➤ बन हेल्थ दृष्टिकोण	82	➤ सुकापईका नदी	111
➤ डेफेक्सपो-2022	83	➤ ऑलमैनिया जीनस की दूसरी प्रजाति	111
➤ मिशन डेफस्पेस	84	➤ प्रक्षेपण यान मार्क 3	112
➤ स्वदेश दर्शन योजना 2.0	85	➤ डर्टी ब्रम	113
➤ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा	86	➤ आल्प्स में तेज़ी से पिघल रहे ग्लेशियर	114
➤ केवल प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारण	87	➤ गरुड़-VII	115
➤ राष्ट्रीय क्रेडिट ढाँचा	88	➤ इजरायल-लेबनान: समुद्री सीमा समझौता	116
➤ आईटी नियम, 2021 में संशोधन	89	➤ विश्व दृष्टि दिवस	117
सामाजिक न्याय	91	➤ कालानमक चावल	118
➤ पोलियो उन्मूलन	93	➤ राष्ट्रीय एकता दिवस	119
		➤ सरस फूड फेस्टिवल-2022	120
		ऐपिड फायर	121

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

दिल्ली में इंटरपोल महासभा की बैठक

चर्चा में क्यों ?

भारत, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। यह महासभा 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

- वर्ष 1997 के बाद से यह दूसरी बार है जब 195 सदस्यीय निकाय भारत में इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहा है।

इंटरपोल

- यह वर्ष 1923 में सुरक्षित सूचना-साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया था, जो विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा प्रदान करता है।
 - इसका मुख्यालय फ्रांस के लियॉन में है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में अपराधियों और पुलिस के रडार के तहत आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखता है और उन पुलिस बलों को सुझाव देता है जिन्होंने या तो इंटरपोल की सहायता मांगी थी या जो उसकी राय में उसके पास उपलब्ध विवरणों से लाभान्वित होंगे।
- इसका उद्देश्य आपराधिक पुलिस बलों के बीच व्यापक संभव पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है।

इंटरपोल की संरचना

- इंटरपोल का प्रमुख अध्यक्ष होता है जिसे महासभा द्वारा चुना जाता है। वह सदस्य देशों में से होता है और चार साल के लिये पद धारण करता है।
- दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख महासभा द्वारा चुने गए पूर्णकालिक महासचिव द्वारा की जाती है, जो पाँच साल के लिये पद धारण करता है।
- महासभा अपने सचिवालय द्वारा निष्पादन के लिये नीति निर्धारित करती है जिसमें साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी आदि के लिये कई विशेष निदेशालय हैं।
- प्रत्येक सदस्य देश उस देश में इंटरपोल का प्रतिनिधित्व करता है।
- इंटरपोल के साथ किसी देश की कानून प्रवर्तन एंजेंसी के सभी संपर्क देश के सर्वोच्च जाँच निकाय के माध्यम से होते हैं।
 - केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)** भारत में इस भूमिका को अपने वरिष्ठ अधिकारियों में से एक के साथ ग्रहण करता है, जो विश्व

निकाय के साथ सूचना और संपर्क के संयोजन के लिये अपने विशेष इंटरविंग (राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो) का नेतृत्व करता है।

इंटरपोल नोटिस:

- विषय: इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।
 - सदस्य देश के इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर प्रधान सचिवालय द्वारा नोटिस जारी किये जाते हैं और ये नोटिस सभी सदस्य देशों को नोटिस डेटाबेस में परामर्श करने के लिये उपलब्ध कराए जाते हैं।



विभिन्न नोटिस:

- नोटिस का उपयोग संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा उन व्यक्तियों की तलाश के लिये भी किया जा सकता है जो अपने अधिकार क्षेत्र में अपराध करते हैं, विशेष रूप से नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध।

इंटरपोल की भविष्य की चुनौतियाँ:

- अंतर्राष्ट्रीय, साइबर और संगठित अपराध के बढ़ते खतरे के लिये विश्व स्तर पर समन्वित कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- इंटरपोल की विश्वसनीयता का अपना एक इतिहास है। इसे उस देश के विरुद्ध मंजूरी की शक्तियाँ हासिल करने की आवश्यकता है जो रेड नोटिस को लागू करने में सहयोग करने से इनकार करता है। हालाँकि, इसकी बहुत कम संभावना है कि सदस्य राष्ट्र कभी भी अपनी कुछ संप्रभुता को सौंपने और इंटरपोल को ऐसी शक्ति देने के लिए सहमत होंगे।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

नई दिल्ली में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों (HACGAM) की 18वीं बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास के लिये समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खुली और नियम आधारित समुद्री सीमाओं हेतु तैयार है।

एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक (HACGAM):

- यह एक शीर्ष स्तर का मंच है जो एशियाई क्षेत्र की सभी प्रमुख तटरक्षक एजेंसियों को सुविधा प्रदान करता है, इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी।
- यह ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, फ्राँस, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किये, वियतनाम और हॉन्काकॉन (चीन) सहित 23 देशों का एक बहुपक्षीय मंच है।
- **भारतीय तटरक्षक बल (ICG)** HACGAM सचिवालय के समन्वय से 18वें HACGAM की मेजबानी कर रहा है।
- 18 देशों एवं दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों [एशिया में जहाजों पर होने वाली समुद्री डॉकेटी और सशस्त्र डॉकेटी का सामना करने हेतु क्षेत्रीय सहयोग समझौता (ReCAAP ISC) तथा ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय- वैश्विक समुद्री अपराध कार्यक्रम (UNODC-GMCP)] के कुल 55 प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र

परिचय:

- ◆ हिंद-प्रशांत एक हालिया अवधारणा है। लगभग एक दशक पहले दुनिया ने हिंद-प्रशांत के बारे में बात करना शुरू किया; इसका उदय काफी महत्वपूर्ण रहा है।
- ◆ इस शब्द की लोकप्रियता के पीछे के कारणों में से एक यह है कि हिंद एवं प्रशांत महासागर एक-दूसरे से रणनीतिक रूप से निकटा से जुड़े हैं।
- ◆ साथ ही एशिया आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसका कारण यह है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर समुद्री मार्ग प्रदान करते हैं। दुनिया का अधिकांश व्यापार इन्हीं महासागरों के माध्यम से होता है।

● महत्व:

- ◆ भारत-प्रशांत क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है जिसमें चार महाद्वीप शामिल हैं: एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका।
- ◆ क्षेत्र की गतिशीलता और जीवन शक्ति स्वयं स्पष्ट है, दुनिया की 60% आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 2/3 भाग इस क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाता है।
- ◆ यह क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत और गंतव्य भी है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया की कई महत्वपूर्ण एवं बड़ी आपूर्ति शृंखलाओं संबंधित है।
- ◆ भारतीय और प्रशांत महासागरों में संयुक्त रूप से समुद्री संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसमें अपतटीय हाइड्रोकार्बन, मीथेन हाइड्रेट्स, समुद्री खनिज और पृथकी की दुर्लभ धातु शामिल हैं।
 - बड़े समुद्र तट और **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** इन संसाधनों के दोहन के लिये तटीय देशों को प्रतिस्पर्द्धी क्षमता प्रदान करते हैं।
 - दुनिया की कई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें भारत, यू.एस.ए., चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत का परिप्रेक्ष्य:

- **सुरक्षा ढाँचा** हेतु दूसरों के साथ सहयोग: भारत के कई महत्वपूर्ण साझेदार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया का मानना है कि **दक्षिण चीन सागर**, पूर्वी चीन सागर में भारत की उपस्थिति मूल रूप से चीन का मुकाबला करने के लिये हो।
- ◆ हालाँकि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिये सहयोग करना चाहता है। साझा समृद्धि एवं सुरक्षा हेतु देशों को बातचीत के माध्यम से क्षेत्र के लिये एक सामान्य नियम-आधारित व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र अफ्रीका से अमेरिका तक विस्तृत:** भारत के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी क्षेत्र के रूप में है। इसमें इस क्षेत्र से संबंधित सभी देश और भागीदारी रखने वाले देश शामिल हैं। भारत अपने भौगोलिक आयाम में अफ्रीका के तटों से लेकर अमेरिका के तटों तक के क्षेत्र को मानता है।
- **व्यापार और निवेश में समान हिस्सेदारी:** भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित, खुले, संतुलित और स्थिर व्यापार वातावरण का समर्थन करता है, जो व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में सभी देशों के उन्नयन को सुनिश्चित करता है। ये देश **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)** से अपेक्षा रखते हैं।
- **एकीकृत आसियान:** चीन के विपरीत भारत एक एकीकृत आसियान चाहता है, न कि विभाजित। चीन कुछ आसियान सदस्यों को दूसरों

- के खिलाफ करने की कोशिश के साथ एक तरह से 'फूट डालो और राज करों' की रणनीति को क्रियान्वित करता है।
- चीन के साथ सहयोग: भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अमेरिकी विचारधारा का पालन नहीं करता है, जो चीनी प्रभुत्व को नियंत्रित करना चाहता है। इसके बजाय भारत उन तरीकों की तलाश कर रहा है जिससे वह चीन के साथ मिलकर काम कर सके।
- एकल अभिकर्ता के प्रभुत्व के विरुद्ध: भारत इस क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण करना चाहता है औहले यह क्षेत्र अमेरिका के प्रभुत्व में हुआ करता था। हालाँकि इस बात का भय बना हुआ है कि यह क्षेत्र अब चीनी प्रभुत्व में न आ जाए। लेकिन भारत इस क्षेत्र में किसी भी अभिकर्ता का आधिपत्य नहीं चाहता है।

वर्तमान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र संबंधी चुनौतियाँ:

- भू-रणनीतिक स्पर्द्धा का मंच: हिंद-प्रशांत क्षेत्र **क्वाड** और **शंघाई सहयोग संगठन** जैसे विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों के बीच भू-रणनीतिक स्पर्द्धा का प्रमुख मंच है।
- चीन का सैन्यीकरण का कदम: चीन हिंद महासागर में भारत के हितों और स्थिरता के लिये एक चुनौती रहा है। भारत के पड़ोसियों को चीन से सैन्य और ढाँचागत सहायता मिल रही है, जिसके अंतर्गत म्यामार के लिये पनडुब्बियाँ, श्रीलंका के लिये युद्धपोत तथा **जिबूती (हॉर्न ऑफ अफ्रीका)** में इसका विदेशी सैन्य अड्डा शामिल है।
 - इसके अलावा चीन का **हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका)** पर कब्जा है, जो भारत के तट से कुछ सौ मील की दूरी पर है।
- गैर-पारंपरिक मुद्दों के लिये हॉटस्पॉट: इस क्षेत्र की विशालता के कारण जोखिमों का आकलन करना और उनका समाधान करना मुश्किल हो जाता है, जिसके अंतर्गत समुद्री डकैती, **तस्करी** और **आतंकवाद** की घटनाएँ शामिल हैं।
 - जलवायु परिवर्तन और लगातार तीन **ला नीना** की घटनाएँ जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **चक्रवात** एवं **सूनामी** पैदा कर रही हैं, इसकी परिस्थितिक तथा भौगोलिक स्थिरता के लिये प्रमुख खतरे हैं।
 - इसके अलावा अवैध, अनियमित और असूचित (IUU) मछली पकड़ने के कार्य तथा **समुद्री प्रदूषण** इस क्षेत्र के जलीय जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
- भारत की सीमित नौसेना क्षमता: भारतीय सैन्य बजट के सीमित आवंटन के कारण **भारतीय नौसेना** के पास अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिये संसाधन और क्षमता सीमित है। इसके अलावा विदेशी सैन्य ठिकानों की कमी भारत के लिये हिंद-प्रशांत में अपनी उपस्थिति बनाए रखने हेतु एक बुनियादी चुनौती पैदा करती है।

आगे की राह

- इस क्षेत्र के देशों की अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्र और हवाई क्षेत्र में सामान्य स्थानों के उपयोग के अधिकार के रूप में समान

पहुँच होनी चाहिये, जिसके लिये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नेविगेशन की स्वतंत्रता, अबाधित वाणिज्य तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता होगी।

- संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, परामर्श, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहार्यता तथा स्थिरता के आधार पर क्षेत्र में कनेक्टिविटी स्थापित करना महत्वपूर्ण है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिये समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) आवश्यक है। MDA का तात्पर्य समुद्री पर्यावरण से जुड़ी किसी भी गतिविधि की प्रभावी समझ से है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है।
- बहुध्रुवीयता: सुरक्षा, शांति और कानून का पालन करने की प्रकृति इस क्षेत्र के आसपास के देशों के लिये महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में बहुध्रुवीयता भी आएगी। इस क्षेत्र के छोटे राज्य भारत से अपेक्षा करते हैं कि वह किसी अवसर या संकट के जवाब में कार्रवाई करे और आर्थिक एवं सैन्य दोनों तरह से अपने विकल्पों को व्यापक बनाने में उनकी मदद करे। भारत को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये।

भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता

चर्चा में क्यों ?

दूसरा भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद (IADD) गुजरात के गांधीनगर में डेफेंसपो 2022 के मौके पर आयोजित किया गया था।

भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता:


- थीम:
 - रक्षा और सुरक्षा सहयोग में तालमेल और सुदृढ़ीकरण के लिये रणनीति अपनाना।
- परिणाम दस्तावेज़:
 - गांधीनगर घोषणा को IADD 2022 के परिणाम दस्तावेज़ के रूप में अपनाया गया था।
 - यह आपसी हित के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव करता है:
 - प्रशिक्षण स्लॉट और प्रशिक्षण टीमों की प्रतिनियुक्ति बढ़ाना।
 - अफ्रीका के रक्षा बलों का सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण।
 - अभ्यास में भागीदारी।
 - प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करना।
 - भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग पर एक खंड भी जारी किया गया।

- भारत-अफ्रीका सुरक्षा फैलोशिप कार्यक्रम:
 - ◆ IADD ने अफ्रीकी देशों के विशेषज्ञों को फैलोशिप की पेशकश के माध्यम से सुरक्षा मुद्दों संबंधे अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया।
 - ◆ यह भारत-अफ्रीका सुरक्षा फैलोशिप कार्यक्रम के तहत किया जाएगा।
- अफ्रीका के साथ भारत के संबंध:
 - ऋण और सहायता:
 - ◆ भारत ने अफ्रीका को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण दिया है।
 - ◆ इसके अलावा भारत ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की है।
 - परियोजनाएँ:
 - ◆ भारत ने अब तक 197 परियोजनाएँ पूरी कर ली हैं, वर्तमान में 65 निष्पादन के अधीन हैं और 81 पूर्व-निष्पादन चरण में हैं।।
 - ◆ गाम्बिया में भारत ने नेशनल असेंबली भवन का निर्माण किया है और जल आपूर्ति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में परियोजनाएँ शुरू की हैं।
 - ◆ जाम्बिया में भारत की महत्वपूर्ण जल-विद्युत परियोजना, पूर्व-निर्मित स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और वाहनों की आपूर्ति शामिल है।
 - ◆ मॉरीशस में हाल की उल्लेखनीय परियोजनाओं में मेट्रो एक्सप्रेस, नया सर्वोच्च न्यायालय भवन और सामाजिक आवास शामिल हैं।
 - ◆ नामीबिया में IT हेतु एक नया उत्कृष्टता केंद्र अभी चालू हुआ है।
 - ◆ जबकि दक्षिण सूडान में भारत प्रशिक्षण और शिक्षा पर ध्यान दे रहा है।
 - कोविड- 19 सहायता:
 - ◆ 32 अफ्रीकी देशों को भारत से 150 टन की चिकित्सा सहायता मिली।
 - उनमें से कई देशों ने भारत से सीधे या अन्यथा प्राप्त 'मेक इन इंडिया' टीकों का भी उपयोग किया।
 - अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने TRIPS छूट के माध्यम से टीकों के लिये न्यायसंगत और सस्ती पहुँच हेतु दबाव बनाने के लिये मिलकर काम किया है।
 - मानव संसाधन:
 - ◆ भारत ने वर्ष 2015 में भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस)-III के दौरान 50,000 छात्रवृत्तियों की घोषणा की थी, जिसमें से 32,000 से अधिक छात्रवृत्ति स्लॉट का पहले ही उपयोग किया जा चुका है।
- भागीदारों को उच्च गुणवत्ता वाली **आभासी शिक्षा** और चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिये **ई-विद्या भारती** तथा **ई-आरोग्य भारती** नेटवर्क को क्रमशः टेली-एजुकेशन एवं **टेली-मेडिसिन** के लिये वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था।
- राहत एवं सहायता:
 - ◆ वर्ष 2019 में **चक्रवात** इदाई से प्रभावित मोजाम्बिक की सहायता के लिये ॲपरेशन सहायता, जनवरी 2020 में मेडागास्कर में बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिये ॲपरेशन बनीला, वाकाशियों जहाज की ग्राउंडिंग के कारण **तेल रिसाव** को रोकने में मॉरीशस को सहायता।
- ऊर्जा:
 - ◆ **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** एक उल्लेखनीय मंच है जिसने **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी** के तीव्र विकास को बढ़ावा दिया है।
 - ◆ इसके बाद सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को और बढ़ावा देने के लिये **वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड** पहल की शुरुआत की गई है।
 - ◆ हाल के वर्षों में भारत, अफ्रीका में विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ तीसरे विश्व के देशों के सहयोग कार्यक्रमों में भी प्रमुख भागीदार रहा है।
- व्यापार एवं अर्थव्यवस्था:
 - ◆ वर्ष 2021-22 में अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष के 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 89.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
 - ◆ वर्ष 1996-2021 तक 73.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ भारत अफ्रीका में निवेश करने वाले शीर्ष पाँच निवेशकों में शामिल हैं।
 - ◆ शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP) योजना, जो भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 98.2% तक शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान करती है, के माध्यम से भारत ने अफ्रीकी देशों के लिये अपना बाजार खोल दिया है।
 - ◆ अब तक 33 LDC अफ्रीकी देश इस योजना के तहत लाभ पाने के हकदार हैं।

भारत-रूस व्यापार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने डेटा जारी किया है जिसमें दर्शाया गया है कि रूस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2022-23 के केवल पाँच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में 18,229.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।



जाँच-परिणाम:

● अवलोकन:

- ◆ दोनों देशों के बीच कुल वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 13,124.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2020-21 में 8,141.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- कोविड से पहले यह वर्ष 2019-20 में 10,110.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 2018-19 में 8,229.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2017-18 में 10,686.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- ◆ रूस पिछले वर्ष अपने 25वें स्थान से बढ़कर अब भारत का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
- अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया ऐसे छह देश थे जिन्होंने वर्ष 2022-23 के पहले पाँच महीनों के दौरान भारत के साथ व्यापार की उच्च मात्रा दर्ज की।
- ◆ कुल 18,229.03 अमेरिकी डॉलर में से रूस से भारत का आयात 17,236.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि मॉस्को को भारत का निर्यात केवल 992.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिससे 16,243.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नकारात्मक व्यापार संतुलन बना रहा।
- ◆ ऑक्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के कुल व्यापार में रूस की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 के 1.27% से बढ़कर 3.54% हो गई है। जबकि वर्ष 1997-98 में भारत के कुल व्यापार में रूस की हिस्सेदारी 2.1% थी, यह पिछले 25 वर्षों से 2% से नीचे है।

● ड्राइव:

- ◆ यह मुख्य रूप से रूस से तेल और उर्वरक के आयात में अचानक उछाल के कारण हुआ, यह वर्ष 2022 के पहले से ही बढ़ना शुरू हुआ था।
- पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में तीन महीनों (जून में 561.1%, जुलाई में 577.63% और अगस्त में 642.68%) में 500% की वृद्धि हुई थी।
- ◆ पेट्रोलियम तेल और अन्य ईंधन वस्तुओं (खनिज ईंधन, खनिज तेल एवं उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ, खनिज मोम) में रूस से भारत के कुल आयात का 84% हिस्सा है।
- ◆ इस वर्ष रूस से कुल आयात में उर्वरक और ईंधन की हिस्सेदारी 91% से अधिक है।

भारत-रूस संबंधों के विभिन्न पहलू:

● ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- ◆ **शीत युद्ध** के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच मजबूत रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनयिक संबंध थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को भारत के साथ घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष सामरिक संबंध साझा किये।
- ◆ हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में खासकर पोस्ट-कोविड परिदृश्य में संबंधों में भारी गिरावट आई है। इसका सबसे बड़ा कारण **रूस** के **चीन** और **पाकिस्तान** के साथ घनिष्ठ संबंध होना है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिये कई भू-राजनीतिक मुद्दों को उत्पन्न कर दिया है।

● राजनीतिक संबंध:

- ◆ वर्ष 2019 में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान - “ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल” प्रदान किया। रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के विकास एवं रूसी तथा भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के
- ◆ में उनके विशिष्ट योगदान के लिये प्रधानमंत्री को यह समान प्रदान किया गया था।
- ◆ दो अंतर-सरकारी आयोग स्तर की वार्षिक बैठकें होती हैं - पहली व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (IRIGC-TEC) पर तथा दूसरी सैन्य-तकनीकी सहयोग (IRIGC-MTC) पर।

● व्यापारिक संबंध:

- ◆ दोनों देश वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।

- रक्षा और सुरक्षा संबंधः
 - ◆ दोनों देश नियमित रूप से त्रि-सेवा अभ्यास इंद्र आयोजित करते हैं।
 - ◆ भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं:
 - ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम
 - 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट कार्यक्रम
 - सुखोई एसयू-30एमकेआई कार्यक्रम
 - इल्यूशिन/एचाएल सामरिक परिवहन विमान
 - KA-226T ट्रिवन-इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर
 - कुछ युद्धपोत
 - ◆ भारत द्वारा रूस से खरीदे/पट्टे पर लिये गए सैन्य हार्डवेयर में शामिल हैं:
 - एस-400 ट्रायम्फ
 - मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनेगी 200 कामोव Ka-226
 - टी-90एस भीष्म
 - आईएनएस विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम
- परमाणु संबंधः
 - ◆ कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) भारत में बनाया जा रहा है।
 - ◆ भारत और रूस दोनों बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को स्थापित कर रहे हैं।

भारत के लिये रूस का महत्वः

- चीन को संतुलित करना: पूर्वी लद्धाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी आक्रमण ने भारत-चीन संबंधों को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है, इससे यह भी प्रदर्शित हुआ कि रूस, चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है।
- लद्धाख के विवादित क्षेत्र में गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद रूस ने रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की।
- आर्थिक जुड़ाव के उभरते नए क्षेत्रः हथियार, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा और हीरे जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा आर्थिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों के उभरने की संभावना है - खनन, कृषि-औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, नैनोटेक, और बायोटेक।
- रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में भारत के पदच्छाँहों का विस्तार होना तय है। इससे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा मिल सकता है।
- आतंकवाद का मुकाबला: भारत और रूस अफगानिस्तान के बीच की खाई को पाटने हेतु कार्य कर रहे हैं तथा दोनों देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान किया गया है।

- बहुपक्षीय मंचों पर समर्थनः इसके अतिरिक्त रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।
- रूस का सैन्य निर्यातः रूस भारत के लिये सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक रहा है। यहाँ तक कि वर्ष 2011-2015 की तुलना में पिछले पाँच साल की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से अधिक गिर गई।
- ◆ वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नज़र रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में भारत ने रूस से 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार आयात किये हैं।

आगे की राह

- रूस आने वाले दशकों तक भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार बना रहेगा।
- दूसरी ओर रूस और चीन के बीच वर्तमान में एक अर्द्ध-गठबंधन व्यवस्था है। रूस बार-बार दोहराता रहा है कि वह खुद को किसी के कनिष्ठ साझेदार के रूप में नहीं देखता है। इसलिये रूस चाहता है कि भारत एक संतुलितकर्ता की तरह कार्य करे।
- दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे तीसरे देशों को रूसी उपकरणों और सेवाओं के निर्यात के लिये भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहयोग कर सकते हैं।
- ◆ इसे संबोधित करने के लिये रूस ने 2019 में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी समझौते के बाद इसके लिये अपनी कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देते हुए विद्यायी परिवर्तन किये हैं।
- ◆ इस समझौते को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र की 77वीं वर्षगांठ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व ने 24 अक्तूबर, 2022 को **संयुक्त राष्ट्र (UN)** की 77वीं वर्षगांठ मनाई।

संयुक्त राष्ट्र (UN):

- परिचयः
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है।

- ◆ इसका मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है।
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुँचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली-भाँति कार्यान्वयन करना शामिल है।
 - संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का इतिहास:
 - ◆ वर्ष 1899 में विवादों और संकट की स्थितियों को शांति से निपटाने, युद्धों को रोकने एवं युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने हेतु हेगे (Hague) में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था।
 - इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिप्रद निपटान के लिये कन्वेंशन को अपनाया गया एवं वर्ष 1902 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई, जिसने वर्ष 1902 में कार्य करना प्रारंभ किया। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पूर्ववर्ती संस्था थी।
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1945):
 - यह सम्मेलन सेन फ्रांसिस्को (USA) में आयोजित किया गया, इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किये।
 - ◆ वर्ष 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है।
 - घटक: सभी 6 घटकों की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ हुई थी।
 - ◆ महासभा
 - ◆ सुरक्षा परिषद्
 - ◆ आर्थिक और सामाजिक परिषद
 - ◆ न्यास परिषद
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र सचिवालय
 - निधि और कार्यक्रम:
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ)
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)
 - ◆ मानव विकास सूचकांक (UNFPA)
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEP)
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र-अधिवास सभा (UN-HABITAT)
 - ◆ विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)
 - विशिष्ट एजेंसियाँ:
 - ◆ खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्योग संगठन (ICAO)
 - ◆ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD)
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
 - ◆ विश्व बैंक
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO)
 - ◆ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
 - ◆ UNCTAD
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र इन्स और अपराध कार्यालय (UNODC)
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)
 - ◆ एशिया एवं प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग (ESCAP)
- संयुक्त राष्ट्र के अद्यतन योगदान क्या हैं ?**
- संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में बृद्धि:
 - ◆ 1960 के दशक के बाद संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या लगभग 50 सदस्यों से बढ़कर दोगुनी हो गई।
 - वित्तनिवेशीकरण:
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र ने ही 1960 के उपनिवेशवाद के विघटन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और लगभग 80 उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की थी।
 - नागरिक समाज में भागीदारी:
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र अब केवल राष्ट्रों का संगठन नहीं है, बल्कि समय के साथ अधिक से अधिक संयुक्त राष्ट्र निकायों ने राष्ट्रों, विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और मीडिया के लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है।
 - बेहतर आधार:
 - ◆ राष्ट्र संघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र ने अब तक सफलतापूर्वक खुद को कायम रखा है, जो एक उपलब्धि है।
 - शांति स्थापना:
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र ने तृतीय विश्व युद्ध को सफलतापूर्वक रोका है।
- संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख असफलताएँ क्या हैं ?**
- हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा और शीत युद्ध:

- ◆ हालाँकि, तृतीय विश्वयुद्ध को आज तक सफलतापूर्वक रोककर रखा गया है, फिर भी राष्ट्रों के बीच हिंसा, हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा, परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा और शीत युद्ध की स्थिति अब भी उपस्थित हैं।
- शक्ति दमन सिद्धांतः
 - ◆ विश्व निकाय अभी भी 'सिद्धांत' और 'शक्ति' के बीच संघर्ष को देखता है।
 - ◆ जबकि एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व की आशाओं का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र करता है, जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों को वीटो अधिकार के अलोकतांत्रिक उपकरणों और **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** में स्थायी सीटों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अंतिम निर्देश विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
- बहुध्वीय संगठन नहीं:
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र स्वयं को एक बहुध्वीय और बहुपक्षीय संगठन के रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है।
 - ◆ गठन के समय, संयुक्त राष्ट्र में कुल 51 सदस्यों के साथ 5 स्थायी सदस्य थे, वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्य अभी भी 5 हैं।
- समग्र विकास में पिछड़ापनः
 - ◆ संगठन बढ़ते वैश्वीकरण का सामना करने में सक्षम नहीं था।
 - ◆ संयुक्त राष्ट्र समग्र विकास में पिछड़ा हुआ है; विशेष रूप से महामारी या **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** जैसी नई तकनीकों से निपटने के लिये कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत का महत्त्वः

- भारत और संयुक्त राष्ट्रः
 - ◆ भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
 - ◆ अपनी स्वतंत्रता के बाद से और उससे पहले भी, भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई सभी पहलों जैसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों, **सतत् विकास लक्ष्यों** और जलवायु परिवर्तन सहित संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शिखर सम्मेलनों में सक्रिय भागीदार रहा है।
- शांति की स्थापना:
 - जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना क्षेत्र का संबंध है, भारत ने अधिकांश देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।
- भारत और UNSCः
 - ◆ भारत को जनवरी 2021 में दो साल के लिये UNSC के एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया।
 - ◆ संगठन में भारत की अस्थायी सदस्यता का उपयोग अन्य समान विचारधारा वाले देशों को विश्वव्यापी आंतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिये राजी करने हेतु किया जा सकता है।

- ◆ इसके अलावा भारत को भविष्य में सर्वोच्च निकाय में स्थान बनाने पर भी ध्यान देना चाहिये; जिसका अर्थ है-संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनना।
- सुधारों की आवश्यकता को लेकर बढ़ती चिंताः
 - ◆ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से UNSC में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को महसूस किया है और इस मुद्दे पर चिंता जताई है।
 - भारत सहित कई विकासशील देश अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये परिवर्तन UNSC में परिलक्षित नहीं होते हैं, जहाँ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा अभी भी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे हैं।

आगे की राह

- पिछले 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं को संभाल कर रखा है, समृद्ध भी हुआ है, और कुछ मामूली समायोजनों से गुज़रा है। हालाँकि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र इसे और बेहतर बनाने के लिये प्रयासरत रहे।
- UNSC में सुधार की सख्त ज़रूरत है, यह कार्य जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर होगा।
- संक्षेप में जहाँ तक पूरे संयुक्त राष्ट्र की बात है, सिद्धांतों में पूर्ण सुधार की आवश्यकता है जिसे अब सबसे शक्तिशाली द्वारा नहीं किया जाना चाहिये।

इथियोपिया

चर्चा में क्यों?


इथियोपियाई सरकार की एक टीम और टाइग्रे बलों (Tigray Forces) के बीच दक्षिण अफ्रीका में शांति वार्ता होने वाली है।

शांति वार्ता हेतु मार्ग प्रशस्तः

- इथियोपिया और इरिट्रिया का सामना करने वाली राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा समस्याओं के स्पेक्ट्रम ने एक ऐसी रणनीति का मार्ग प्रशस्त किया जिसमें अनिवार्य रूप से सुलह और लोकतंत्रीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण रूप से पश्चिमी दुनिया के साथ संबंध शामिल थे।
- **अफ्रीकी संघ** के नेतृत्व में दोनों के बीच यह पहली औपचारिक शांति वार्ता है और यह ऐसे समय में हो रहा है जब इथियोपिया की सेना और सहयोगियों को इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र में कुछ लाभ हो सकता है।
- ◆ इथियोपिया के वर्तमान नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता (2019) अबी अहमद वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री बनने तक देश के सत्तारूढ़ गठबंधन में टाइग्रे की एक प्रमुख ताकत थे।

इथियोपिया:

- यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित भूमि से घिरा एक देश है, जिसे आधिकारिक तौर पर इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है।
- देश पूरी तरह से उच्चकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर स्थित है और समान उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम आयामों के साथ अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट है।
- इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा (Addis Ababa) है।
- इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, इसकी क्षेत्रीय सीमा इसके अस्तित्व के सहस्राब्दियों से भिन्न है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अफ्रीका का दसवाँ सबसे बड़ा देश है।
- इथियोपिया सूडान के दक्षिण-पूर्व में, इरिट्रिया के दक्षिण में, जिबूती और सोमालिया के पश्चिम में, केन्या के उत्तर में और दक्षिण सूडान के पूर्व में स्थित है।
- यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल-रुद्ध देश है।



इथियोपिया में संघर्ष:

- पृष्ठभूमि:**
 - इथियोपिया एक शाही राज्य था जो क्षेत्रीय और धार्मिक प्रतिद्वंद्विता के उदय के साथ धीरे-धीरे कमज़ोर होता गया।
 - वर्तमान में इथियोपिया में 70 से अधिक जातीय समूह हैं। इसमें ओरोमो 34.5%, अमहारा 26.91%, सोमाली 6.20%, टाइग्रे 6.07% हैं।
 - 1970 के दशक में एक बड़ा विप्रोह हुआ - टाइग्रे में, जहाँ मेल्स जनावी के नेतृत्व वाले टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) ने सैन्य सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ विप्रोह किया।

◆ इसे तत्कालीन सोवियत संघ और सहयोगियों का समर्थन था जिसने सशस्त्र बलों और मेर्गिस्टु सरकार दोनों को आगे बढ़ाया, लेकिन यह समर्थन 1980 के दशक में समाप्त होना शुरू हो गया, जिससे इरिट्रिया तथा टाइग्रे के साथ संघर्ष प्रभावित हुआ।

इरिट्रिया का पृथक्करण:

- इरिट्रिया, पूर्व में इथियोपिया का हिस्सा था, 1991 में इथियोपिया से अलग हो गया था और इरिट्रिया का अधिकांश हिस्सा इरिट्रिया पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (ईपीएलएफ) के हाथों में था, जबकि इथियोपिया में यह टीपीएलएफ के हाथों में था।
- 1998 और 2000 के बीच युद्ध के कारण इरिट्रिया एवं इथियोपिया में सीमा 2018 तक तनावपूर्ण रही।
- जातीय प्रतिद्वंद्विता:
- अबी अहमद 2018 में प्रधानमंत्री पद के लिये चुने गए और इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिये एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- इस शांति समझौते के लागू होने के बाद अबी अहमद को 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया।
- लेकिन फिर संघर्ष तब शुरू हुआ जब अहमद, जो ओरोमा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, पर टाइग्रे समुदाय के स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि समुदाय को सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों द्वारा परेशान किया जा रहा था।
- टाइग्रे के मूल निवासियों को इथियोपिया का लड़ाकू समुदाय माना जाता है और 60% वरिष्ठ सैन्य पदों पर टाइग्रे समुदाय का वर्चस्व है।

गृहयुद्ध:

- इसके साथ ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अबी अहमद पर इथियोपिया में प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने और व्यक्तिगत अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिये इंटरनेट बंद करने का आरोप लगाया है।
- अबी अहमद की नीतियों के परिणामस्वरूप, टाइग्रे समुदाय में असंतोष बढ़ गया तथा गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई।
- पड़ोसी देश इरिट्रिया, अस्मारा में टाइग्रे सेना द्वारा मिसाइलों दागी गई, जिसके बाद इथियोपिया की संघीय सरकार ने टाइग्रे आर्मी (टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट) के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की।

इस संघर्ष के निहितार्थ:

- पड़ोसी देशों पर प्रभाव:**
 - इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र है जिसमें इथियोपिया के अलावा इरिट्रिया, जिबूती और सूडान जैसे देश हैं। इथियोपिया के टाइग्रे समुदाय द्वारा इरिट्रिया की राजधानी में मिसाइलों का प्रक्षेपण अन्य देशों को भी संदेह के दायरे में लाता है।

- ब्लू नाइल पर जलविद्युत परियोजना:
 - ◆ टाइग्रे तनाव ब्लू नाइल पर बड़ी जलविद्युत परियोजना, 6,450 मेगावाट ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बाँध से भी जुड़ी हुई है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी जलविद्युत व्यवस्था होगी।
 - ◆ यह त्रियान सीमा से कुछ सौ किलोमीटर दूर और सूडान के साथ सीमा के ऊपर एवं पूर्व में है।
 - ◆ सूडान और मिस्र, जो नील नदी पर निर्भर हैं, जल प्रतिबंधों की चिंता करते हैं, जो क्षेत्रीय शांति के लिये खतरा हैं।
- वैश्विक प्रभाव:
 - ◆ वैश्विक संगठन भी इस संघर्ष से प्रभावित हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष ने इथियोपिया में संघर्ष की निंदा की है।
 - ◆ टाइग्रे के साथ संघर्ष विश्व के लिये चिंता का विषय है क्योंकि इसका प्रभाव सीमाओं को पार कर सकता है और उत्तर-पूर्वी अफ्रीका में संकट की संभावनाओं को जन्म दे सकता है।
- भारत पर प्रभाव:
 - ◆ भारत वर्तमान में अफ्रीका को अपनी कूटनीति का अहम हिस्सा मानता है। भारत द्वारा अफ्रीकी देशों में विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इथियोपिया में शैक्षिक कार्य और औद्योगिक कार्य भारतीयों द्वारा किये जाते हैं।

भारत-इथियोपिया संबंध का इतिहास:

- इथियोपिया अफ्रीका में भारत से दीर्घकालिक रियायती ऋण प्राप्त करने वाले देशों में से एक है।
- इथियोपिया को ग्रामीण विद्युतीकरण, चीनी उद्योग और रेलवे जैसे क्षेत्रों के लिये 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।
- पैन अफ्रीकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन सेवाएँ जुलाई 2007 में अदीस अबाबा में शुरू की गईं।
- इथियोपियाई पक्ष ने टेली-एजुकेशन परियोजना को दोहराया है, और अदीस अबाबा विश्वविद्यालय तथा दिल्ली एवं कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बीच संबंध स्थापित किये हैं।
- वर्ष 2018-19 में इथियोपिया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से इथियोपिया को भारतीय निर्यात 1.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 55.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- इथियोपिया में 586 से अधिक भारतीय कंपनियाँ हैं जो 55,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं और 4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का लाइसेंसशुदा निवेश है।
- भारतीय निवेश का लगभग 58.7% विनिर्माण क्षेत्र में है, इसके बाद कृषि (15.6%) है।

- भारतीय मिशन अदीस अबाबा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। मिशन ने अदीस अबाबा (अक्टूबर 2020) में गांधी@150 समारोह आयोजित किया।

आगे की राह

- अबी क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्व, विशेष रूप से TPLF तक पहुँच सकता है, सामान्य आधार खोज सकता है और जातीय एवं क्षेत्रों के बीच संतुलन बहाल कर संघीय सरकार को विकेंद्रीकृत करके देश को शांति से चला सकता है।
- नागरिक सुरक्षा और रक्षा आवश्यक हैं। अफ्रीकी संघ इसमें भूमिका निभा सकता है।

7वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक (AIMMAF) आधारी रूप में आयोजित की गई थी।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- आसियान को बनाए रखने का भारत का विज्ञन:
 - ◆ भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) को भारत की एक ईस्ट नीति के केंद्र में रखने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया।
 - ◆ इसने क्षेत्र में कृषि के लिये सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु आसियान के साथ पारस्परिक रूप से घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग पर भी जोर दिया।
- कदम उत्पादन की दिशा में कदम:
 - ◆ भारत ने पोषक भोजन के रूप में बाजरा (पोषक-अनाज) के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय पोषण-अनाज वर्ष 2023 का उल्लेख करते हुए आसियान के सदस्य देशों से बाजरा के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन और खपत को बढ़ाने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया।
 - भारत लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के लिये पौष्टिक अनाज उत्पादों को बढ़ावा देगा।
 - पोषक अनाज कम संसाधन आवश्यकताओं और अधिक कुशल कृषि-खाद्य प्रणालियों के साथ पोषक तत्वों के निर्माण में मदद करते हैं।

विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन:

- आसियान-भारत सहयोग (वर्ष 2021-2025) की मध्यावधि कार्ययोजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई।

कृषि में सहयोग:

- कृषि और वानिकी में आसियान-भारत सहयोग की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की गई।

कोविड-19 महामारी:

- आसियान और भारत को सुरक्षित एवं पौष्टिक कृषि उत्पादों का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करके कोविड19- महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव को कम करने के लिये महामारी के बाद की रिकवरी के कार्यान्वयन हेतु आसियान-भारत सहयोग के तहत निरंतर उपाय करना आवश्यक है।
- भारत ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, डिजिटल खेती, प्रकृति के अनुकूल कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य श्रृंखला, कृषि विपणन और क्षमता निर्माण में आसियान के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ:

- परिचय:
 - यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
 - इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों अर्थात् इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई।
 - इसके सदस्य राज्यों को अंग्रेजी नामों के वर्णनुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है।
 - आसियान देशों की कुल आबादी 650 मिलियन है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह लगभग 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
 - अप्रैल 2021- फरवरी 2022 की अवधि में भारत और आसियान क्षेत्र के बीच कमोडिटी व्यापार 98.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। भारत के व्यापारिक संबंध मुख्य तौर पर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम तथा थाईलैंड के साथ हैं।
- सदस्य:
 - आसियान दस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को एक मंच पर लाता है।



भारत-ब्रिटेन संबंध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
- वह देश में वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता के परिदृश्य में पिछले 50 दिनों के भीतर सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी के तीसरे प्रधानमंत्री हैं इससे पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उसके बाद लिज़ को अविश्वास के माध्यम से पद से हटा दिया गया था।

ऋषि सुनक:

भारत-ब्रिटेन संबंधों के लिये अवसर:

- यह भारत और ब्रिटेन के लिये वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय मूल के व्यक्ति के उत्थान के साथ द्विपक्षीय संबंधों हेतु रोडमैप 2030 को लागू करने का एक अवसर है।
- भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन का दृष्टिकोण केवल भारत में वस्तुओं को बेचने के अवसर से, काफी आगे निकल गया है, और अब ब्रिटेन को भी भारत से सीखना चाहिये।

- भारत और ब्रिटेन के बीच एक **मुक्त व्यापार समझौते** से आयात और निर्यात प्रवाह में वृद्धि, निवेश प्रवाह (बाहरी तथा आवक दोनों) में वृद्धि, संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के लिये अधिक खुलेपन से अर्थिक विकास एवं समृद्धि में वृद्धि होने की उम्मीद है।

भारत-ब्रिटेन साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है:

- UK के लिये: भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी और रक्षा दोनों ही विषयों में UK के लिये एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है जो वर्ष 2015 में भारत तथा UK के बीच 'रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी' (Defence and International Security Partnership) पर हस्ताक्षर द्वारा रेखांकित भी हुआ।
 - ब्रिटेन के लिये भारत के साथ सफलतापूर्वक FTA का संपन्न होना 'ग्लोबल ब्रिटेन' की उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगा क्योंकि UK 'ब्रेकिट' (Brexit) के बाद से योग्य से परे भी अपने बाजारों के विस्तार की आवश्यकता तथा इच्छा रखता है।
 - ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण वैश्विक अभिकर्ता के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह सुदृढ़ करने के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
 - भारत से अच्छे द्विपक्षीय संबंधों के साथ वह इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से हासिल कर सकने में सक्षम होगा।
- भारत के लिये: हिंद प्रशांत में UK एक क्षेत्रीय शक्ति है क्योंकि इसके पास ओमान, सिंगापुर, बहरीन, केन्या और ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सुविधाएँ हैं।
 - यूके(UK) ने भारत में अक्षय ऊर्जा के उपयोग का समर्थन करने के लिये ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय निवेश निधि के 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी पुष्टि की है, जिससे इस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं सौर ऊर्जा के विकास में मदद मिलेगी।
 - भारत ने मत्स्य पालन, फार्मा और कृषि उत्पादों के लिये बाजार तक आसान पहुँच के साथ-साथ श्रम-गहन निर्यात के लिये शुल्क रियायत की भी मांग की है।

दोनों देशों के बीच वर्तमान प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दे क्या हैं?

- भारतीय अर्थिक अपराधियों का प्रत्यर्पण:
 - यह मुद्दा भारतीय अर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण का है जो वर्तमान में ब्रिटेन की शरण में हैं और अपने लाभ के लिये कानूनी प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।

◆ स्पष्ट रूप से भारतीय आपराधिक मामले, जिनमें प्रत्यर्पण का आह्वान होता है, दर्ज होने के बावजूद विजय माल्या, नीरव मोदी और अन्य अपराधियों ने लंबे समय से ब्रिटिश व्यवस्था की शरण ली हुई है।

- ब्रिटिश और पाकिस्तानी डीप स्टेट के बीच अम्बिलिकल लिंक:
 - वोट बैंक की राजनीति के अलावा ब्रिटेन में उपमहाद्वीप से एक बड़े मुस्लिम समुदाय का अस्तित्व, विशेष रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मीरपुर जैसे स्थानों के कारण विसंगति को बढ़ावा देता है।
- वाइट ब्रिटेन की गैर-स्वीकृति:
 - एक अन्य चिंता वाइट ब्रिटेन द्वारा वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के विकास को अस्वीकार करना है, विशेष कर मीडिया में।
 - वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने GDP के मामले में ब्रिटेन को पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ दिया है और निरंतर आगे बढ़ रहा है।
 - नस्ल के आधार या ब्रिटिश साम्राज्य की शाही विरासत के मामले में एक आधुनिक और आत्मविश्वासी भारत एवं एक ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत के बीच कोई अंतर नहीं है।

ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली में अंतर:

- भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हालाँकि यह कभी भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रतिकृति नहीं बनी और निम्नलिखित मामलों में भिन्न है:
 - भारत में ब्रिटिश राजतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर एक गणतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य के प्रमुख (राजा या रानी) को वंशानुगत पद प्राप्त होता है।
 - ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि संसद भारत में सर्वोच्च नहीं है और लिखित संविधान, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा एवं मौलिक अधिकारों के कारण सीमित तथा प्रतिबंधित शक्तियों का उपयोग करती है।
 - ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना चाहिये। भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है।
 - आमतौर पर केवल संसद सदस्यों को ही ब्रिटेन में मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत में व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम छह महीने की अवधि के लिये।

- ◆ ब्रिटेन में मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के आधिकारिक कृत्यों पर प्रतिहस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- ◆ छाया कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अद्वितीय संस्था है। इसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रिस्तरीय कार्यालय के लिये तैयार करने हेतु किया जाता है। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है।

आगे की राह

- संस्कृति, इतिहास और भाषा के गहरे संबंध पहले से ही यूके को एक संभावित मजबूत आधार प्रदान करते हैं जिससे भारत के साथ संबंधों को और गहरा किया जा सकता है।
- पूरी तरह से नई परिस्थितियों के साथ भारत और ब्रिटेन को यह समझना चाहिये कि दोनों को अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक-दूसरे की आवश्यकता है।

FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ पाकिस्तान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) ने पाकिस्तान को 'निगरानी सूची' (ग्रे लिस्ट) के तहत देशों की सूची से हटा दिया है।

- ग्रे लिस्ट में भारत के दूसरे पड़ोसी, म्यांमार को वर्ष 2021 के तख्तापलट के बाद सैन्य नेतृत्व द्वारा की गई कार्रवाई के कारण ब्लैक लिस्ट में वर्गीकृत कर दिया गया था।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- परिचय:
 - ◆ FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का निगरानीकर्ता है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का विरोध करना है।
 - ◆ FATF का गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
 - ◆ इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित है।
- सदस्य:
 - ◆ FATF में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग व खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं,

जो दुनिया के के लगभग सभी हिस्सों के सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है।
- ◆ भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ और वर्ष 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया।
- भारत FATF के क्षेत्रीय साझेदारों, एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) और यूरेशियन ग्रुप (EAG) का भी सदस्य है।

ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट देश:

- ◆ एफएटीएफ प्लेनरी (FATF Plenary) की निर्णय करने वाले देशों की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट्स (MER) के लिये प्रतिवर्ष तीन बार (फरवरी, जून और अक्टूबर) इसके सत्र का आयोजन होता है।
- ◆ जिन देशों को आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है।
- AML/CFT का अर्थ 'धन शोधन रोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना' है।
- ब्लैक लिस्ट में असहयोगी देश या क्षेत्र (Non-Cooperative Countries or Territories-NCCT) शामिल हैं ये देश आतंकी वित्तीयन और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। अभी तक ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार तीन ब्लैक लिस्टेड देश हैं।
- ◆ सूचीबद्ध देशों में वित्तीय सख्ती बढ़ गई है, इस प्रकार उनके लिये FATF से संबद्ध वित्तीय संस्थानों (पर्यवेक्षकों के रूप में) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक आदि से ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।

FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुए पाकिस्तान से संबंधित मुख्य बिंदु:

- FATF का स्टैंड: FATF ने 'पाकिस्तान की महत्वपूर्ण प्रगति' की सराहना करते हुए कहा कि देश ने वर्ष 2018 से इस अवधि में -34 सूचीय कार्यसूची वाली दो कार्य योजनाओं को पूरा किया है।
- ◆ पाकिस्तान को चार साल बाद सूची से हटा दिया गया है। पाकिस्तान को पहली बार वर्ष 2008 में सूची में रखा गया था, वर्ष 2009 में इसे सूची से हटा दिया गया और वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक यह पुनः निगरानी के अधीन रहा।

- भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने देश पर हमलों के लिये ज़िम्मेदार सीमा पार आतंकवादी समूहों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई में कमी का विरोध किया है, हालाँकि वह पाकिस्तान को सूची से हटाने के निर्णय पर सहमत हो गया, क्योंकि बाद में उसने नामित आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई के 'दस्तावेजी साक्ष्य' प्रस्तुत किये थे।
 - ◆ भारत का मानना है कि पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में विकसित होने वाले आतंकी समूहों के खिलाफ 'विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और टिकाऊ' कार्रवाई जारी रखनी चाहिये।
- पाकिस्तान को सूची से हटाने के निहितार्थ:
 - पाकिस्तान के लिये: 'ग्रेलिस्ट' से निकाले जाने के परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद के प्रायोजन के संबंध में पाकिस्तान को क्लीन बिल ऑफ हेल्थ के रूप में स्वीकार किया है जिससे पाकिस्तान की प्रतिष्ठा मजबूती मिलेगी।
 - ◆ देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इसे अनिवार्य रूप से अन्य देशों से निवेश की सख्त जरूरत है। ग्रेलिस्ट से हटाने से निश्चित तौर पर इस संदर्भ में कार्रवाई होगी।
 - भारत के लिये: जबकि चार साल की ग्रेलिस्टिंग ने सीमा पार आतंक को कम कर दिया है, आतंकवादियों की बुसपैठ की सामग्रिक घटनाओं और सीमा पर हथियार-पेलोड बाले ड्रोनों के नियमित रूप से देखे जाने से पता चलता है कि भारत के खिलाफ निर्देशित पाकिस्तान का आतंकवाद का ढाँचा वर्तमान में एक शिथिल अवस्था में है लेकिन अभी भी समूल नष्ट होने से व्यापक रूप से दूर है।
 - ◆ भारत को सभी उपलब्ध साधनों और विकल्पों को जुटाना जारी रखना होगा ताकि पाकिस्तान को आतंकी-हथियार चलाने के लिये परिचालन स्थान से वंचित किया जा सके।
 - ◆ भारत के हित इस क्षेत्र को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाने के लक्ष्य के साथ इन कूटनीतिक रणनीतियों को अनवरत रखने में निहित हैं।

आंतरिक सुरक्षा

2024 तक राज्यों में एनआईए कार्यालय होगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि देश के सभी राज्यों में आंतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीति के रूप में वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के कार्यालय होंगे।

- गृह मंत्री स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'विज्ञन 2047' और 'पंच प्रण' के कार्यान्वयन हेतु एक कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' को संबोधित कर रहे थे।

संबोधन के मुख्य बिंदु:

- 'नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड' (NATGRID):
 - ◆ राज्यों से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) का उपयोग करने का आग्रह किया गया है जो अभी चालू था।
 - NATGRID 11 एजेंसियों के डेटासेट को एक साझा मंच पर ले आता है।
 - आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार:
 - ◆ संसद में जल्द ही भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन के साथ पेश किया जाएगा।
 - वन डेटा वन एंट्री:
 - ◆ सीमा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सीमावर्ती राज्यों को केंद्रीय एजेंसियों एवं सुरक्षा बलों के साथ समन्वय करना चाहिये।
 - ◆ राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से लड़ने के लिये आंतरिक सुरक्षा संसाधनों के इष्टतम और तर्कसंगत उपयोग की आवश्यकता है।
 - ◆ "वन डेटा वन एंट्री" के सिद्धांत के बाद एनआईए को एक राष्ट्रीय आंतंकवादी डेटाबेस बनाए रखने के लिये वित्तीय अपराधों पर प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को नार्को अपराधों पर एक डेटासेट बनाए रखने के लिये सौंपा गया था।
 - FCRA में संशोधन:
 - ◆ वर्ष 2020 में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) में हुए संशोधनों से विदेशी धन के दुरुपयोग को सफलतापूर्वक रोकने के साथ इसकी प्रभावी निगरानी संभव हुई।
 - ◆ विदेशी धन प्राप्त करने के लिये FCRA अनिवार्य था।
- भारत में कानून-व्यवस्था की स्थिति से संबंधित मुद्दे:**
- सामान्य प्रशासन:
 - ◆ विभिन्न सरकारी एजेंसियों में समन्वय की कमी है।
 - ◆ कानूनों का खराब प्रवर्तन और प्रशासन की सामान्य विफलता का होना।
 - पुलिस से संबंधित समस्याएँ:
 - ◆ संगठनात्मक, आधारभूत संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित समस्याएँ।
 - ◆ अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप का होना।
 - ◆ प्रमुख पदाधिकारियों के सशक्तिकरण का अभाव।
 - ◆ आधुनिक तकनीक/जाँच के तरीकों का अभाव।
 - संगठनात्मक व्यवहार:
 - ◆ प्रशिक्षण का अभाव।
 - ◆ अहंकार, संवेदनहीनता और परंपरागत विचारों के होने की गहरी वृत्ति।
 - नैतिक मुद्दे:
 - ◆ भ्रष्टाचार, मिलीभगत और जबरन वसूली की समस्या।
 - ◆ मानवाधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता।
 - ◆ पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और कार्मिक नीतियों का अभाव।
 - अभियोजन से संबंधित मुद्दे:
 - ◆ लोक अभियोजक सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित नहीं कर पाते हैं।
 - ◆ जाँच और अभियोजन एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव देखने को मिलता है।
 - ◆ साक्ष्य प्रस्तुत करने के संदर्भ में पुलिस का अविश्वास।
 - न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित समस्याएँ:
 - ◆ बड़ी संख्या में मामलों का लंबित होना।
 - ◆ दोषसिद्धि की दर का कम होना।
- संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:**
- कानून और व्यवस्था सातवीं अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है, संविधान के अनुसार गृह मंत्रालय (MHA) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और मंत्रालय समय-समय पर राज्यों को सलाह भेज सकता है।
 - अपराध को रोकना, पता लगाना, पंजीकृत करना और जाँच करना और अपराधियों पर मुकदमा चलाना राज्य सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य है।

- हालांकि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधिकारिकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरक बनाती है।
- इसके अलावा अपराध तथा कानून व्यवस्था से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिये केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों द्वारा राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी नियमित रूप से साझा की जाती है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), एमएचए के तहत एक नोडल एजेंसी, अपराध के आँकड़ों को इकट्ठा करने, संकलित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में लगी हुई है ताकि राज्यों को अपराध के रोकथाम और नियंत्रण के लिये उपयुक्त रणनीति विकसित करने में मदद मिल सके।
- इसके अलावा ब्यूरो ने 'अपराध आपाराधिक सूचना प्रणाली (सीसीआईएस)' नामक एक परियोजना के तहत देश भर में प्रत्येक ज़िला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (डीसीआरबी) एवं राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) में कम्प्यूटरीकृत सिस्टम स्थापित किये हैं।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA):

- विषय:
- ◆ NIA भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने

वाले सभी अपराधों की जाँच करने के लिये अनिवार्य है। उसमें समाविष्ट हैं:

- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
- परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध।
- हथियारों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमाओं के पार से घुसपैठ।
- संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों एवं प्रस्तावों को लागू करने के लिये अधिनियमित वैधानिक कानूनों के तहत अपराध।
- ◆ इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
- ◆ एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली

आगे की राह

- अपराधों की प्रकृति बदल रही है, और वे सीमाहीन होते जा रहे हैं, इसलिये सभी राज्यों को एक साझा रणनीति बनाकर इसके विरुद्ध लड़ा ना जाय।
- "सहकारी संघवाद" की भावना के तहत इस रणनीति को तैयार करने और लागू करने के लिये केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता है।

एथिक्स

जन अधिकार बनाम पशु कल्याण

चर्चा में क्यों ?

आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

- न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें टीकाकरण के लिये जिम्मेदार बनाया जा सकता है साथ ही अगर किसी पर जानवर हमला करता है तो उसे मुआवजा वहन करना चाहिये।

जन अधिकार और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता:

- मौलिक मुद्दे को संबोधित करने हेतु:
 - ◆ यह मुद्दा सामान्य रूप से मनुष्यों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र के भीतर और विशेष रूप से भारत के संविधान के ढाँचे के तहत जंगली जानवरों के अधिकारों के संबंध में मौलिक मुद्दा उठाता है।
- हिंदू ग्रंथों में मान्यता:
 - ◆ प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जानवरों, पक्षियों और प्रत्येक जीवित प्राणी के अधिकारों को मान्यता दी गई है तथा प्रत्येक जीवित प्राणी को मनुष्य के समान एक ही दैवीय शक्ति से उत्पन्न माना गया है, इस प्रकार उन्हें उचित सम्मान, प्रेम और स्नेह के योग्य माना जाता है।
 - ◆ भारत की संस्कृति सभी जीवों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देती है। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र पशु माना गया है।
- पशुओं को दंडित करना गलत:
 - ◆ प्राचीन काल में कुछ सभ्यताओं में पशुओं को उनके द्वारा की गई गलतियों के लिये दंडित किया जाता था लेकिन समय के साथ नैतिकता से संबंधित तर्क विकसित हुए और यह महसूस किया गया कि पशुओं को दंडित करना गलत था, क्योंकि उनके पास सही या गलत में अंतर करने की तर्कसंगतता नहीं होती, इस प्रकार सज्जा देने का कोई फायदा नहीं होगा।
 - ◆ इस संबंध में कानून विकसित हुए और यह माना गया कि पशुओं (अवयस्कों एवं विकृत दिमाग के व्यक्तियों की तरह) के भी अपने हित होते हैं जिन्हें कानून द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता थी यद्यपि इसके लिये किसी भी प्रकार के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों की बाध्यता नहीं थी।

- ◆ वर्तमान कानूनी व्यवस्था पालतू जानवरों के कारण हुए किसी भी नुकसान को उनके मालिकों की लापरवाही मानकर दंडित करती है।

संबंधित निर्णय:

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराज (2014):
 - ◆ इस मामले में भारतीय राज्यों तमिलनाडु और महाराष्ट्र में क्रमशः जल्लीकट्टू (बैल-कुश्ती) और बैलगाड़ी दौड़ की प्रथा को समाप्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित गरिमा तथा निष्पक्ष व्यवहार के अधिकार के तहत केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी शामिल हैं।
- अन्य निर्णय:
 - ◆ जुलाई 2018 में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय और जून 2019 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शर्मा ने कहा कि जानवरों के पास एक जीवित व्यक्ति के संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ एक अलग कानूनी इकाई है और जिसने बाद में सभी नागरिकों को लोको पेरेंटिस व्यक्तियों के रूप में जानवरों के कल्याण/संरक्षण के लिये प्रेरित किया।
 - ◆ उत्तराखण्ड और हरियाणा के सभी नागरिकों को उनके संबंधित राज्यों के भीतर जानवरों के कल्याण और संरक्षण के लिये माता-पिता के समान कानूनी जिम्मेदारियाँ और कार्य करने के लिये प्रेरित किया गया था।
- पशु अधिकारों के लिये संवैधानिक संरक्षण क्या है ?
 - ◆ भारतीय संविधान के अनुसार, देश के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि जंगलों, झीलों, नदियों और जानवरों की देखभाल और संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है।
 - ◆ हालाँकि इनमें से कई प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) और मौलिक कर्तव्यों के तहत आते हैं, जिन्हें तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वैधानिक समर्थन न हो।
 - ◆ अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और इसमें सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
 - ◆ अनुच्छेद 51ए (जी) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि “जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व उसमें सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया करे।”

- ◆ राज्य और समवर्ती सूची को भी निम्नलिखित पशु अधिकार संबंधी विषय प्रदान किया गया है:
- ◆ राज्य सूची विषय 14 के अनुसार, राज्यों को “संरक्षण, रखरखाव और पशुधन में सुधार एवं पशु रोगों को रोकने तथा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण व अध्यास को लागू करने” का अधिकार दिया गया है।
- ◆ समवर्ती सूची में शामिल वे कानून जिसे केंद्र और राज्य दोनों पारित कर सकते हैं:
 - “पशु क्रूरता की रोकथाम”, जिसका उल्लेख विषय 17 में किया गया है।
- ◆ “जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण” जिसका उल्लेख विषय 17बी के रूप में किया गया है।

भारत में जानवरों के संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण कानून:

- भारतीय दंड संहिता (IPC):
 - ◆ भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जो आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को शामिल करती है।
 - ◆ IPC की धारा 428 और 429 क्रूरता के सभी कृत्यों जैसे कि जानवरों की हत्या, जहर देना, अपंग करने या जानवरों को अनुपयोगी बनाने के लिये सजा का प्रावधान करती है।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960
 - ◆ इस अधिनियम का उद्देश्य ‘जानवरों को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना’ है, जिसके लिये अधिनियम में जानवरों के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम में पशु को मनुष्य के अलावा किसी भी जीवित प्राणी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
 - ◆ इस अधिनियम का उद्देश्य पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये देश में सभी पौधों एवं जानवरों की प्रजातियों की रक्षा करना है।
 - ◆ यह अधिनियम वन्यजीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और चिड़ियाघरों की स्थापना का प्रावधान करते हुए लुप्तप्राय जानवरों के शिकार पर रोक लगाता है।

आगे की राह

- हमारे विधायी प्रावधान और न्यायिक घोषणाएँ पशु अधिकारों के प्रभावी होने के लिये आवश्यक हैं, लेकिन कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता है। मानव अधिकारों की तरह, पशु अधिकारों का विनियमन किया जाना आवश्यक है।
- इंसानों की सुरक्षा से समझौता किये बिना जानवरों के हितों की रक्षा हेतु संतुलन बनाना समय की मांग है। पशुओं का शोषण बंद होना चाहिये।
- मनुष्यों को अन्य प्रजातियों को संरक्षण देने के लिये अपने कृपालु दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
- मानव जाति की केवल बौद्धिक श्रेष्ठता को किसी अन्य प्रजाति के जीवित अधिकारों को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन को रोकने के लिये सभी जीवों का सह-अस्तित्व नितांत आवश्यक है।

कृषि

जैविक उर्वरक

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक सुधारों के पथ पर भारत की विकास गाथा ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है। सही नीतिगत हस्तक्षेप से भारत 'जैविक उर्वरक' उत्पादन का केंद्र बन सकता है।

जैविक उर्वरक:

● परिचय:

- ◆ जैविक उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें जैविक खाद, पशु खाद, मुर्गी पालन और घरेलू सीवेज शामिल हैं।
- ◆ सरकारी नियमों के अनुसार, जैविक खाद को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: जैव उर्वरक और जैविक खाद।

● जैव उर्वरक:

- ◆ यह ठोस या तरल वाहकों से जुड़े जीवित सूक्ष्मजीवों से निर्मित हैं और कृषि योग्य भूमि के लिये उपयोगी होते हैं। ये सूक्ष्मजीव मृदा और/या फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
- **उदाहरण:** राइजोबियम, एजोस्पिरलियम, एजोटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल (BGA), माइक्रोराइजा, एजोला।

● जैविक खाद:

- ◆ 'जैविक खाद' का तात्पर्य आंशिक रूप से विधिवित कार्बनिक पदार्थ जैसे बायोगैस संयंत्र, खाद और वर्मिकम्पोस्ट से है। ये मृदा / फसलों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा उपज में सुधार करते हैं।

भारत में जैविक उर्वरकों की क्षमता:

● नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग:

- ◆ भारत 150,000 टन से अधिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) का उत्पादन करता है।
- ◆ 80% की संग्रह क्षमता और MSW के जैविक भाग को 50% शामिल करते हुए भारत में उत्पन्न होने वाला कुल जैविक कचरा लगभग 65,000 टन प्रतिदिन है।
- ◆ यहाँ तक कि इसका आधा हिस्सा बायोगैस उद्योग में लगा दिया जाए, सरकार जीवाश्मों और उर्वरकों के आयात में कमी करके इसका लाभ उठा सकती है।

- बायोगैस अपशिष्टों का उपयोग करना:
 - ◆ जैविक उर्वरक का महत्वपूर्ण है जिसे डाइजेस्टर भी कहा जाता है, जो कि बायोगैस संयंत्र का अपशिष्ट है।
 - ◆ बायोगैस का उपयोग हीटिंग, बिजली और यहाँ तक कि वाहनों (उन्नयन के बाद) में किया जा सकता है, जबकि डाइजेस्ट दूसरी हरित क्रांति के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद कर सकता है।
- मृदा की उर्वरता बढ़ाना:
 - ◆ डाइजेस्ट अपने मानक पोषण मूल्य के अलावा लगातार घटती मृदा को कार्बनिक के लिये कार्बन प्रदान कर सकता है।
 - ◆ भारत में वर्तमान में जैव-उर्वरक का उत्पादन सिर्फ 110,000 टन (वाहक आधारित 79,000 टन और तरल-आधारित 30,000 टन) तथा 34 मिलियन टन जैविक खाद है, जो कि शहरीय अपशिष्ट और वर्मिकम्पोस्ट से बना है।
- जैविक खेती की लोकप्रियता:
 - ◆ हाल के वर्षों में घरेलू बाजार में जैविक खेती की लोकप्रियता बढ़ी है।
 - भारतीय जैविक पैकेज्ड फूड का बाजार आकार 17% की दर से बढ़ने और वर्ष 2021 तक 871 मिलियन रुपए के आँकड़े को पार करने की उम्मीद है।
 - ◆ इस क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि मृदा पर सिंथेटिक उर्वरक के हानिकारक प्रभावों के बारे में बढ़ती जागरूकता, बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं, शहरी जनसंख्या आधार का विस्तार और खाद्य वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय में वृद्धि से जुड़ी है।

संबंधित पहल:

- सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ट्रिब्डस अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) योजना।
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- कृषि वानिकी पर उप-मिशन
- सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

GM सरसों की व्यावसायिक खेती

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति

(GEAC) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों के व्यावसायिक रिलीज़ से पहले बीज उत्पादन को मंजूरी दी है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें:

● परिचय:

- ◆ GM फसलों के जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किये जाते हैं, आमतौर इसमें किसी अन्य फसल से आनुवंशिक गुणों जैसे-उपज में वृद्धि, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग या सूखे से प्रतिरोध, या बेहतर पोषण मूल्य का समामेलन किया जा सके।
- ◆ GM चावल की सबसे प्रसिद्ध किस्म गोल्डन राइस है।
 - गोल्डन राइस के एक पौधे में डैफोडील्स और मक्का के जीन का उपयोग किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इसमें विटामिन A की मात्रा समृद्ध हो जाती है।
- ◆ इससे पहले, भारत ने केवल एक GM फसल, BT कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी थी, लेकिन GEAC ने व्यावसायिक उपयोग के लिये GM सरसों की सिफारिश की है।

● लाभ:

- ◆ **बढ़ती उपज:** आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज पौधे की उपज में वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब है कि उतनी भूमि के साथ ही किसान अब काफी अधिक फसल पैदा कर सकता है।
- ◆ **विशिष्ट जलवायु में लाभकारी:** विशिष्ट परिस्थितियों या जलवायु के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का उत्पादन भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, सूखा प्रतिरोधी बीजों का उपयोग कम पानी वाले स्थानों पर किया जा सकता है ताकि फसल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

● हानि:

- ◆ **बीज लागत में जटिलता:** संशोधित बीज बनाने और बेचने के लिये केवल कुछ कंपनियाँ ही प्रभारी हैं। एकाधिकार की स्थिति में बीज खरीदने वालों के पास केवल कुछ ही विकल्प उपलब्ध हैं।
- ◆ **बीजों का प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता:** आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज डिजाइन द्वारा व्यवहार्य बीज नहीं बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप एक नई फसल बोना चाहते हैं, तो आपको नए बीजों का प्रयोग करना होगा।
- ◆ **पर्यावरणीय चिंता:** वे प्रजातियों की विविधता को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, कीट-प्रतिरोधी पौधे उन कीड़ों को नुकसान पहुँचा सकते हैं जो उनका इच्छित लक्ष्य नहीं हैं और उस विशेष कीट प्रजाति को नष्ट कर सकते हैं।
- ◆ **नैतिक चिंता:** GM फसल प्रजातियों के बीच मिश्रण करके प्राकृतिक जीवों के आंतरिक मूल्यों का उल्लंघन है।

- ◆ पौधों में जानवरों के जीन के मिश्रण की भी चिंताएँ हैं।

GM सरसों:

● परिचय:

- ◆ धारा सरसों हाइब्रिड (DMH-11) एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) सरसों का आनुवंशिक तौर पर संशोधित रूप है।
- ◆ इसमें दो एलियन जीन ('बार्नेज' और 'बारस्टार') होते हैं जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियन्स नामक मिट्टी के जीवाणु से आइसोलेट होते हैं जो उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक है।
- ◆ इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स (CGMCP) द्वारा विकसित किया गया है।
- ◆ 2017 में GEAC ने HT सरसों की फसल के वाणिज्यिक अनुमोदन की सिफारिश की थी। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार से इस संदर्भ में जनता की राय लेने को कहा।

- ◆ **महत्त्व:** भारत प्रतिवर्ष केवल 8.5-9 मिलियन टन (mt) खाद्य तेल का उत्पादन करता है जबकि यह 14-14.5 मिलियन टन आयात करता है जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 18.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा व्यय किया गया। इसके अलावा जीएम सरसों भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी मुद्रा बचाने में सहायक होगी।

- ◆ भारत में सरसों की किस्मों का आनुवंशिक आधार संकीर्ण है। 'बार्नेज'-बारस्टार प्रणाली पूर्वी यूरोपीय मूल की सरसों जैसे 'हीरा' और 'डॉस्काजा' सहित सरसों की किस्मों की एक विस्तृत शृंखला का मार्ग प्रशस्त करती है।

भारत में अन्य GM फसलों की स्थिति:

● BT कपास:

- ◆ अतीत में कपास की फसलों को तबाह करने वाले बॉलवर्म के हमले से निपटने के लिये BT कपास की शुरुआत की गई थी, जिसे महाराष्ट्र हाइब्रिड सीडीस कंपनी (महिको) और अमेरिकी बीज कंपनी मोनसेंटो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
- ◆ 2002 में GEAC ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे 6 राज्यों में व्यावसायिक खेती के लिये BT कपास को मंजूरी दी। यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि BT कपास जीईएसी द्वारा अनुमोदित पहली और एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है।

- BT बैंगन:
 - ◆ माहिको ने धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से BT बैंगन विकसित किया।
 - ◆ भले ही GEAC ने वर्ष 2007 में BT बैंगन की व्यावसायिक रिलीज की सिफारिश की थी, लेकिन वर्ष 2010 में इस पहल को रोक दिया गया था।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC):

- यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बढ़े ऐमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिये ज़िम्मेदार है।
- समिति प्रयोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से सशोधित जीवों और उत्पादों के निर्गमन से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिये भी ज़िम्मेदार है।

आगे की राह

- सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये कठोर निगरानी की आवश्यकता है, और अवैध GM फसलों के प्रसार को रोकने के लिये प्रवर्तन को गंभीरता से लिया जाना चाहिये।
- इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वतंत्र पर्यावरणविदों द्वारा किया जाना चाहिये, क्योंकि किसान पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य पर GM फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते हैं।

जैव विविधता और पर्यावरण

ई-अपशिष्ट दिवस

चर्चा में क्यों ?

ई-अपशिष्ट के प्रभावों को प्रतिबिंబित करने के अवसर के रूप में वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष 14 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई-अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है।

- इस वर्ष की थीम है- 'रीसाइकल इट ऑल, नो मैटर हाउ स्मॉल ('Recycle it all, no matter how small')'
- वर्ष 2018 में (14 अक्तूबर) शुरू हुए गैर-लाभकारी अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (WEEE) फोरम के अनुसार, वर्ष 2022 में लगभग 5.3 बिलियन मोबाइल/स्मार्टफोन उपयोग से बाहर हो जाएंगे।

अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (WEEE):

- अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE) के प्रबंधन से संबंधित परिचालन की जानकारी के संबंध में यह दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय क्षमता केंद्र है।
- यह दुनिया भर में 46 WEEE उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन (PRO) है, जो एक गैर-लाभकारी संघ है, जिसकी स्थापना अप्रैल 2002 में हुई थी।
- सर्वोत्तम अभ्यास के आदान-प्रदान और अपने प्रतिष्ठित ज्ञान आधार टूलबॉक्स तक पहुँच के माध्यम से WEEE फोरम, सदस्यों को अपने संचालन में सुधार करने में सक्षम बनाता है तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमोटर के रूप में जाना जाता है।

ई-अपशिष्ट:

- ई-अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट का संक्षिप्त रूप है और यह पुराने, अप्रचलित, या अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संदर्भित करता है। इसमें उनके हिस्से, उपभोग्य वस्तुएँ और पुर्जे शामिल हैं।
- भारत में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये वर्ष 2011 से कानून लागू हैं, जिसमें यह अनिवार्य है कि केवल अधिकृत विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता ही ई-अपशिष्ट एकत्र करेंगे। **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016** को वर्ष 2017 में अधिनियमित किया गया था।
- घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से अपशिष्ट को अलग करने, प्रसंस्करण तथा निपटान के लिये भारत का पहला ई-अपशिष्ट विलिङ्क भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है।

- मूल रूप से **बेसल अभिसमय (1992)** में ई-अपशिष्ट का उल्लेख नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसमें वर्ष 2006 (COP8) में ई-कचरे के मुद्दों को शामिल किया गया।
- ◆ नैरोबी घोषणा को खतरनाक कचरे के ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट के नियंत्रण पर बेसल कवेंशन के COP9 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ई-अपशिष्ट के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिये अभिनव समाधान तैयार करना है।

भारत में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ:

- **लोगों की कम भागीदारी:** इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट का पुनर्चक्रण नहीं होने का एक प्रमुख कारण यह था कि उपभोक्ताओं ने उन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया। हालाँकि हाल के वर्षों में विश्व भर के देश प्रभावी '**मरम्मत के अधिकार**' कानूनों को पारित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **बाल श्रमिकों की संलग्नता:** भारत में 10-14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमिक विभिन्न ई-अपशिष्ट गतिविधियों में लगे हुए हैं और वह बगैर पर्याप्त सुरक्षा और सुक्षम उपायों के विभिन्न यार्डों एवं पुनर्चक्रण कार्यशालाओं में कार्य कर रहे हैं।
- **अप्रभावी कानून:** अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/PCC वेबसाइटों पर किसी भी सार्वजनिक सूचना का अभाव है।
- **स्वास्थ्य के लिये खतरनाक:** ई-अपशिष्ट में 1,000 से अधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं।
- **प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव:** असंगठित क्षेत्र के लिये ई-अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। साथ ही, ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये औपचारिक मार्ग अपनाने में लगे लोगों को आकर्षक तरीके से इस दिशा में उन्मुख करने के लिये किसी प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं किया गया था।
- **ई-अपशिष्ट का आयात:** विकसित देशों द्वारा 80% ई-अपशिष्ट रीसाइकिलिंग के लिये भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों को भेजा जाता है।
- **संबंधित अधिकारियों की उदासीनता:** नगरपालिकाओं की गैर-भागीदारी सहित ई-अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के लिये जिम्मेदार विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय का अभाव।
- **सुरक्षा के निहितार्थ:** कंप्यूटरों में अक्सर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाते के विवरण आदि होते हैं, इस प्रकार की जानकरियों को रिमूव न किये जाने की स्थिति में धोखाधड़ी की संभावना रहती है।

भारत में ई-अपशिष्ट के संबंध में प्रावधान:

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के लिये नियमों का एक औपचारिक सेट है, पहली बार वर्ष 2016 में इन नियमों की घोषणा की गई और वर्ष 2018 में इसमें संशोधन हुए।
 - ◆ हाल ही में पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये मसौदा अधिसूचना जारी की है।
- पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 के अधिक्रमण में ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया।
- 21 से अधिक उत्पादों (अनुसूची- I) को नियम के दायरे में शामिल किया गया था। इसमें कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) और अन्य पारा युक्त लैंप, साथ ही ऐसे अन्य उपकरण शामिल हैं।
- पहली बार उत्पादकों के लक्ष्य और **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR)** को इस नियम के अंतर्गत लाया गया। उत्पादकों को ई-अपशिष्ट के संग्रह और उसके विनियम के लिये जिम्मेदार बनाया गया है।
- विभिन्न उत्पादकों के पास एक अलग उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन (PRO) हो सकता है और वह ई-कचरे का संग्रह सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही, पर्यावरण की दृष्टि से इसका निपटान भी कर सकता है।
- **जमा वापसी योजना (Deposit Refund Scheme)** को एक अतिरिक्त आर्थिक साधन के रूप में पेश किया गया है जिसमें निर्माता बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री के समय जमा के रूप में एक अतिरिक्त राशि लेता है और इसे उपभोक्ता को ब्याज के साथ तब वापस करता है जब अंत में बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वापस कर दिये जाते हैं।
- **विघटन और पुनर्चक्रण** कार्यों में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों की भूमिका भी पेश की गई है।
- नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
- शहरी स्थानीय निकायों (नगर समिति/परिषद/निगम) को सड़कों या कूड़ेदानों में बेकार पड़े उत्पादों को एकत्र करने और अधिकृत विघटनकर्ताओं या पुनर्चक्रण करने वालों को चैनलाइज करने का कार्य सौंपा गया है।
- ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण के लिये मौजूदा एवं आगामी औद्योगिक इकाइयों को उचित स्थान का आवंटन।

आगे की राह

- नीतियाँ और बेहतर कार्यान्वयन:
 - ◆ भारत में कई स्टार्टअप और कंपनियाँ हैं जिन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक

कचरे को इकट्ठा करना और रीसाइक्ल करना शुरू कर दिया है। हमें बेहतर कार्यान्वयन पद्धतियों एवं समावेशन नीतियों की आवश्यकता है जो अनौपचारिक क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिये आवास तथा मान्यता प्रदान करें और पर्यावरण की दृष्टि से हमारे रीसाइक्लिंग लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी सहायता करें।

- **समावेशन की आवश्यकता:** साथ ही संग्रह दरों को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिये उपभोक्ताओं सहित प्रत्येक हितधारक को शामिल करना आवश्यक है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना:** अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के साथ जुड़ने की रणनीति के साथ आगे आने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करने से न केवल बेहतर ई-कचरा प्रबंधन होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलेगी, साथ ही स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थिति में सुधार होगा। इससे मजदूर के साथ-साथ एक लाख से अधिक लोगों को बेहतर काम के अवसर प्राप्त होंगे।
 - ◆ यह प्रबंधन को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और निगरानी के कार्य को आसान बना देगा।
- **रोज़गार में वृद्धि:** समय की मांग है कि ऐसा रोज़गार सृजित किया जाए जो सहकारी समितियों की पहचान कर उन्हें बढ़ावा दे और ऐसा इन सहकारी समितियों या अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के दायरे का विस्तार करके किया जा सकता है।

सेंडलवुड स्पाइक डिज़ीज़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि चंदन की व्यावसायिक खेती पर सेंडलवुड स्पाइक डिज़ीज़ (SSD) एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

सेंडलवुड स्पाइक डिज़ीज़:

- **परिचय:**
 - ◆ यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है।
 - फाइटोप्लाज्मा पौधों के ऊतकों के जीवाणु परजीवी होते हैं जो कीट वैकरंट द्वारा संचारित होते हैं और पौधे से पौधे में संचरण में शामिल होते हैं।
 - ◆ अभी तक संक्रमण का कोई इलाज नहीं है।
 - वर्तमान में इस रोग के प्रसार को रोकने के लिये संक्रमित पौधों को काटने एवं हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।

- ◆ यह रोग सर्वप्रथम वर्ष 1899 में कर्नाटक के कोडागु (Kodagu) ज़िले में देखा गया था।
- वर्ष 1903 से 1916 के बीच कोडागु (Kodagu) एवं मैसूर क्षेत्र में दस लाख से अधिक चंदन के पेड़ हटा दिये गए।

● चिंताएँ:

- ◆ इस रोग के कारण प्रत्येक वर्ष 1 से 5% चंदन के पेड़ नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि इसके प्रसार को रोकने के लिये उपाय नहीं किये गए तो यह रोग चंदन के वृक्षों की पूरी प्राकृतिक आबादी को नष्ट कर सकता है।
- ◆ एक और चिंता की बात यह है कि इस प्रवृत्ति को रोकने में किसी भी तरह की देरी के परिणामस्वरूप यह बीमारी खेती वाले चंदन के पेड़ों में फैल सकती है।

● हाल में उठाए गए कदम:

- ◆ जानलेवा बीमारी से निपटने के प्रयास में इंस्टीट्यूट ऑफ बुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IWST) बंगलूरु और पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज एक साथ तीन साल के अध्ययन के लिये संगठित होकर काम करेंगे।
- ◆ इसे केंद्रीय आयुष मन्त्रालय द्वारा 50 लाख रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ शुरू किया गया।
- IWST चंदन अनुसंधान और बुड साइंस के लिये उत्कृष्ट केंद्र है।

भारतीय चंदन:

- विषय:
- ◆ संतालम/सैंटालम एल्बम, जिसे आमतौर पर भारतीय चंदन के रूप में जाना जाता है, चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में पाया जाने वाला एक शुष्क पर्णपाती वन प्रजाति है।
 - चंदन लंबे समय से भारतीय विरासत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस देश ने विश्व के चंदन व्यापार में 85% का योगदान दिया था। हालाँकि हाल ही में इसमें जेजी से गिरावट आई है।
- ◆ यह छोटा उष्णकटिबंधीय पेड़ लाल लकड़ी और छाल के कई गहरे रंगों (गहरा भूरा, लाल तथा गहरा भूरा) के साथ 20 मीटर तक ऊँचा होता है।
 - क्योंकि यह मज़बूत और टिकाऊ होता है, इसे ज्यादातर इसकी लकड़ी के उपयोग के कारण काटा जाता है।



● IUCN रेड लिस्ट स्थिति: सुभेद्य

- उपयोग:
 - ◆ भारत में इसे “चंदन” और “श्रीगंधा” भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में चंदन का एक विशेष स्थान है जहाँ पालने से लेकर श्मशान तक इसका उपयोग किया जाता है।
 - ◆ चंदन की हर्टवुड, जो कि बारीक होती है, का उपयोग बढ़िया फर्नीचर और नक्काशी के लिये किया जाता है। हर्टवुड और जड़ों से ‘चंदन का तेल’ भी प्राप्त होता है जिसका उपयोग इत्र, धूप, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन तथा दवाओं में किया जाता है। इसकी छाल में टैनिन होता है, जिसका उपयोग डाई के लिये किया जाता है।
 - ◆ चंदन के तेल में रोगाणुरोधक, सूजन व जलन रोधक, आक्षेपनाशक और कसैले गुण होते हैं।
 - इसका उपयोग अरोमाथेरेपी में तनाव, उच्च रक्तचाप को कम करने और घावों को ठीक करने तथा त्वचा के दोषों का इलाज करने के लिये किया जाता है।
- प्रमुख उत्पादक क्षेत्र:
 - ◆ भारत में चंदन ज्यादातर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उगाया जाता है।

आगे की राह

- अध्ययन द्वारा सलाह दी गई है कि परीक्षण का उपयोग यह प्रमाणित करने के लिये किया जाना चाहिये कि व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु उत्पादित चंदन के पौधे SSD मुक्त हैं।
- इसके अतिरिक्त इसने चंदन की पौध को संभालने की नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने का आग्रह किया है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) देखे जाने की घटना ने अटकलों को जन्म दे दिया है।

कि लुप्तप्राय पक्षी भारत के डेज़र्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार चले गए होंगे।



ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:

- विषय:
 - ◆ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (अर्डोओटिस नाइग्रिसप्स), राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।
 - ◆ यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
 - ◆ इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
- खतरे:
 - ◆ विद्युत लाइनों से टकराव/इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार (अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित), आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणामस्वरूप यह पक्षी खतरे में है।
- सुरक्षा की स्थिति:
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - ◆ वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-1
 - ◆ प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट-I
 - ◆ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची 1
- GIB की सुरक्षा के लिये किये गए उपाय:
 - ◆ प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:
 - इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के वन्यजीव आवास का एकीकृत

विकास (IDWH) के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत रखा गया है।

- ◆ नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान:
 - वर्तमान में इसे संरक्षण एजेंसियों (Conservation Agencies) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- ◆ संरक्षण प्रजनन सुविधा:
 - जून 2019 में MoEFCC, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा जैसलमेर में डेज़र्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की है।
 - कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में वृद्धि करना है जिसके लिये चूजों को जंगल में छोड़ा जाना है।
- ◆ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:
 - राजस्थान सरकार ने इस प्रजाति के प्रजनन बाड़ों के निर्माण और उनके आवासों पर मानव दबाव को कम करने के लिये एवं बुनियादी ढाँचे के विकास के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' 'लॉन्च किया है।
- ◆ पर्यावरण अनुकूल उपाय:
 - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्यजीवों पर पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों (Power Transmission Lines) और अन्य पॉवर ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (Power Transmission Infrastructures) के प्रभावों को कम करने के लिये पर्यावरण के अनुकूल उपायों का सुझाव देने हेतु टास्क फोर्स का गठन।

मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- यह राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर ज़िलों के भीतर भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान राजकीय पशु (चिंकारा) और राजकीय वृक्ष (खेजरी) तथा राजकीय पुष्प (रोहिड़ा) इस उद्यान में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं।
- इसे 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल और 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

हरित पटाखे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिवाली के दौरान देखे गए व्यापक प्रदूषण के लिये पटाखों को जलाना या आतिशबाजी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

हरित पटाखे:

- हरित पटाखों को 'पर्यावरण के अनुकूल' पटाखे कहा जाता है और पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम वायु तथा ध्वनि प्रदूषण पैदा करने के लिये जाना जाता है।
- इन पटाखों को पहली बार वर्ष 2018 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) द्वारा डिजाइन किया गया था।
- NEERI पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान तथा विकासात्मक अध्ययन करने के लिये CSIR का एक घटक है।
- ये पटाखे शोर की तीव्रता और उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से पारंपरिक पटाखों में कुछ खतरनाक कारकों को कम प्रदूषणकारी पदार्थों से बदल देते हैं।
- अधिकांश हरित पटाखों में बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है, जो पारंपरिक पटाखों में सबसे खतरनाक घटक है।
- हरित पटाखे मैग्नीशियम और बेरियम के बजाय पोटेशियम नाइट्रेट व एल्युमिनियम जैसे वैकल्पिक रसायनों के साथ-साथ आर्सेनिक एवं अन्य हानिकारक प्रदूषकों के बजाय कार्बन का उपयोग करते हैं।
- नियमित पटाखे भी 160-200 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि हरे पटाखों लगभग 100-130 डेसिबल तक सीमित होते हैं।

हरित पटाखों की पहचान:

- वर्तमान में तीन ब्रांड के हरित पटाखे खरीद के लिये उपलब्ध हैं:
 - ◆ सेफ वाटर रिलीज़र (SWAS): ये पटाखे सल्फर या पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करते हैं और इस प्रकार कुछ प्रमुख प्रदूषकों के बजाय जल वाष्प छोड़ते हैं। यह मंदक के उपयोग को भी लागू करता है तथा इस प्रकार पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन को 30% तक नियंत्रित करने में सक्षम है।
 - ◆ सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR): SWAS की तरह STAR में भी सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होते हैं तथा कण धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के अलावा इसमें ध्वनि की तीव्रता भी कम होती है।
 - ◆ सेफ मिनिमल एल्युमिनियम (SAFAL): यह एल्युमिनियम सामग्री को मैग्नीशियम से बदल देता है और इस प्रकार प्रदूषकों के स्तर को कम करता है।
- हरित पटाखों के सभी तीन ब्रांड वर्तमान में केवल CSIR द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा ही उत्पादित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) को यह प्रमाणित करने का काम सौंपा गया है कि पटाखे आर्सेनिक, पारा तथा बेरियम के बिना बनाए जाएँ तथा एक निश्चित सीमा से अधिक आवाज न हो।

- इसके अलावा एक त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोडिंग प्रणाली के साथ हरित रंग के पटाखों को उनके बक्से पर मुद्रित हरे रंग के लोगो (Logo) द्वारा खुदरा दुकानों में पारंपरिक पटाखों से अलग किया जा सकता है।

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन:

- PESO उद्योग और आंतरिक व्यापार संबद्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है।
- यह 1898 में विस्फोटक, संपीड़ित गैसों और पेट्रोलियम जैसे पदार्थों की सुरक्षा को विनियमित करने के लिये एक नोडल एंजेसी के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका प्रधान कार्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है।

हरित पटाखे के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- चूँकि हरित पटाखे केवल कानूनी रूप से उन फर्मों द्वारा निर्मित किये जा सकते हैं जिन्होंने CSIR के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, कोई भी लघु-स्तरीय व्यवसाय या कुटीर उद्योग हरित पटाखों का निर्माण नहीं कर सकता है, साथ ही पारंपरिक आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लगाने से बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
- सही हरे पटाखों की पहचान कैसे करें, इस बारे में सामान्यतः विक्रेताओं और जनता दोनों के बीच जागरूकता की कमी है। वास्तव में विशेषज्ञों ने स्ट्रीट वेंडर्स से हरित पटाखे खरीदने के प्रति आगाह किया है क्योंकि पटाखे से संबंधित सामग्री विश्वसनीय नहीं हो सकती है।
- यह भी पता चला है कि अधिकांश ग्राहक हरित पटाखों की उपलब्धता की कमी या उनकी अधिक कीमतों के कारण 'पारंपरिक' पटाखे खरीदना पसंद करते हैं।

आगे की राह

सरकार द्वारा हरित पटाखों की उत्पादन गतिविधियों के लिये छोटे निर्माताओं को कानूनी मंजूरी देकर उनका उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिये। यह हरित पटाखों की कमी की समस्या से निपटने में मदद करेगा।

- हरित पटाखों के फायदे और उनकी प्रामाणिकता की पहचान कैसे की जाए, यह कार्य लोगों को जागरूक किया जा सकता है।

स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य पर लैंसेट काउंटडाउन (The Lancet Countdown on Health and Climate Change) ने 'जीवाश्म ईंधन की निर्भरता'

शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दिखाया गया था कि वर्ष 2000-2004 से 2017-2021 तक भारत में गर्मी से संबंधित मौतों में 55% की वृद्धि हुई है।

- यह रिपोर्ट इस वर्ष मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP27) से पहले आई है।
- रिपोर्ट **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** और **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** सहित 51 संस्थानों के 99 विशेषज्ञों के काम का प्रतिनिधित्व करती है।

स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर लैंसेट काउंटडाउन:

- 'द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज' का प्रकाशन वार्षिक तौर पर किया जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहु-विषयक सहयोग है, जो मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन की बढ़ती स्वास्थ्य प्रोफाइल की निगरानी करता है, साथ ही यह **पेरिस समझौते** के तहत विश्व भर में सरकारों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का स्वतंत्र मूल्यांकन भी प्रदान करता है।
- अध्ययन में बताया गया है कि विश्व की आबादी का 50% और उत्सर्जन का 70% का प्रतिनिधित्व ब्राज़ील, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूके और अमेरिका द्वारा किया जाता है।
- लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट 2015 के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट आयोग के बाद स्थापित की गई थी।
- यह पाँच प्रमुख डोमेन में 43 संकेतकों को ट्रैक करती है:
 - ◆ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जोखिम और सुभेद्यता, स्वास्थ्य के लिये अनुकूलन, योजना एवं लचीलापन; शमन कार्बोवाई तथा स्वास्थ्य सह-लाभ, अर्थव्यवस्था वित्त व सार्वजनिक और राजनीतिक जुड़ाव।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- वैश्विक समस्याएँ पैदा करने वाली सब्सिडी:
 - ◆ कई देशों में जीवाशम ईंधन की खपत के लिये सब्सिडी वैश्विक समस्याएँ पैदा कर रही है, जिसमें वायु की गुणवत्ता में गिरावट, खाद्य उत्पादन में गिरावट और उच्च कार्बन उत्सर्जन से जुड़े संक्रामक रोग का खतरा बढ़ रहा है।
 - वर्ष 2021 में 80% देशों ने कुल 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीवाशम ईंधन सब्सिडी के रूप में प्रदान किये।
 - वर्ष 2019 में भारत ने जीवाशम ईंधन सब्सिडी पर कुल 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये, जो कुल राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्च का 5% है।
 - भारत में वर्ष 2020 में **जीवाशम ईंधन प्रदूषकों** के संपर्क में आने के कारण 3,30,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।

आयु समूहों पर बढ़ते तापमान का प्रभाव:

- ◆ वर्ष 1985-2005 की तुलना में वर्ष 2012-2021 तक एक वर्ष से कम उम्र के शिशुओं ने प्रति वर्ष औसतन 72 मिलियन से अधिक व्यक्ति हीटवेव का अनुभव किया।
- ◆ भारत में 65 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों ने इसी अवधि के दौरान 301 मिलियन अधिक व्यक्ति हीटवेव का अनुभव किया।
- ◆ वर्ष 2000-2004 से वर्ष 2017-2021 तक भारत में गर्मी से होने वाली मौतों में 55% की वृद्धि हुई।

● जीडीपी पर प्रभाव:

- ◆ 2021 में भारतीयों ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5.4% के बराबर आय के नुकसान के साथ गर्मी के संपर्क में आने के कारण **167.2 बिलियन संभावित श्रम घंटे** खो दिये।

● डेंगू संचरण:

- ◆ वर्ष 1951-1960 से वर्ष 2012-2021 तक, एडीजे एजिप्टी द्वारा डेंगू संचरण के लिये उपयुक्त महीनों की संख्या में 1.69% की वृद्धि हुई, जो प्रत्येक वर्ष 5.6 महीने तक पहुँच गई।

सिफारिशें:


- वायु की गुणवत्ता में सुधार से जीवाशम ईंधन से निकलने वाले पर्टिकुलेट मैटर के संपर्क में आने से होने वाली मौतों को रोकने में मदद मिलेगी।
- समस्य के समाधान के लिये जलवायु समाधान विकसित करना। जलवायु संकट न केवल ग्रह के स्वास्थ्य के लिये बल्कि हर जगह लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है, इसका कारण है जहरीला वायु प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा में कमी, संक्रामक रोग के प्रकोप के बढ़ते जोखिम, अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़, आदि।
- इसलिये सरकारों को पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिये और अधिक संसाधनों का निवेश करना चाहिये।
- स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिये अस्वच्छ ईंधन के उपयोग को को जल्द से जल्द कम करने की आवश्यकता है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा की गई

पहलें:

- 'वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली' (SAFAR)
- वायु गुणवत्ता सूचकांक
- दिल्ली के लिये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान
- BS-VI वाहन
- इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन (EVs)
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग

- पराली जलाना कम करने के लिये टर्बो हैप्पी सीडर (THS) मशीन
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम
- राष्ट्रीय सौर मिशन
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2018



◆ यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से सभी 17 में योगदान देती है और इसे कई टिकाऊ परिवहन ईंधन के उत्पादन के लिये भी परिवर्तित किया जा सकता है।

● प्रकार:

◆ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG): उन्नत या उच्च शुद्धता वाली बायोगैस (कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नमी जैसे अवाञ्छित घटकों को हटाने के बाद) 250 बार के दबाव पर संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) नामक ईंधन में परिणामित होती है। इसमें संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के समान गुण होते हैं और इसे सीधे सीएनजी इंजनों को बिजली प्रदान करने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

■ **खानियाँ:** यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है जिसके कारण परिवहन के दौरान, इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिये, भले ही कम दूरी की ड्राइविंग के लिये भारी इंजनों का उपयोग किया गया हो, लेकिन यह छोटे आकार के वाहनों को चलाने के लिये अधिक उपयुक्त मानी जाती है।

◆ **लिकिवफाइड बायोगैस (LBG):** जब बायोगैस से व्युत्पन्न मीथेन को -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके द्रवित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया से प्राप्त ईंधन तरलीकृत बायोगैस (LBG) होता है। इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है जो भंडारण स्थान की आवश्यकताओं को कम करता है।

■ **वायुमंडलीय दबाव की स्थिति में तरल मीथेन का ऊर्जा घनत्व गैसीय मीथेन की तुलना में लगभग 600 गुना अधिक और मीथेन के 250 बार (bar) की तुलना में 2.5 गुना अधिक होता है।**

■ **लाभ:** यह भारी शुल्क वाले सड़क परिवहन के लिये एक व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन बन सकता है क्योंकि इसमें तुलनात्मक रूप से उच्च ऊर्जा घनत्व होता है।

■ **इसका अपेक्षाकृत उच्च ऊर्जा घनत्व इसे भारी शुल्क वाले सड़क परिवहन के लिये एक संभावित प्रतिस्थापन ईंधन बनाता है।**

■ **लाभ:** यह अधिक शुल्क वाले सड़क परिवहन में लागत को कम कर एक व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन बन सकता है क्योंकि इसमें तुलनात्मक रूप से उच्च ऊर्जा घनत्व होता है।

■ **यह भारी शुल्क वाले वाहनों में उपयोग किये जाने के अतिरिक्त शिपिंग उद्योग के लिये भी लाभकारी होता जा रहा है।**

● उपयोग:

◆ बायोगैस को कई टिकाऊ परिवहन ईंधन के उत्पादन के लिये परिवर्तित किया जा सकता है।

- ◆ सीधे ईंधन के रूप में उपयोग किये जाने के अलावा बायोमीथेन को अन्य ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मेथनॉल में भी परिवर्तित किया जा सकता है। हाइड्रोजन के उत्पादन की प्राथमिक विधि प्रकाश हाइड्रोकार्बन, विशेष रूप से मीथेन के सुधार को प्रोत्साहित करती है, जो बायोगैस को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है।
- ◆ गैसीकरण प्रतिक्रिया में मौजूद ऑक्सीजन एवं भाप की मात्रा को सीमित करके और बायो-मीथेन को उच्च तापमान (आमतौर पर 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक) तक गर्म करके प्राप्त किया जाता है।
 - इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप **सिनगैस**, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाने के बाद उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये किया जा सकता है।
 - सिनगैस से मेथनॉल भी उत्पन्न किया जा सकता है। मेथनॉल एक प्रभावी ईंधन है, यह गैसोलीन की तुलना में कम पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) का उत्सर्जन करता है। इसका उपयोग गैसोलीन को सम्मिश्रण या पूरी तरह से बदलकर परिवहन ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। यह LNG से ज्यादा किफायती है।

बायोगैस और मेथनॉल के संबंध में भारतीय परिदृश्य:

- CBG बायोगैस से एकमात्र परिवहन ईंधन है जिसके व्यावसायीकरण के प्रयास किये गए हैं।
 - वर्तमान में भारत में बायोगैस से LBG हाइड्रोजन और मेथनॉल का उत्पादन नहीं किया जाता है। मुख्य कारण हैं:
 - ◆ ऐसे डेरिवेटिव के लिये थोक में बायोगैस की अनुपलब्धता,
 - ◆ इन ईंधनों के उत्पादन और विपणन के लिये आधारभूत संरचना का अभाव,
 - ◆ संशोधित ऑटोमोबाइल इंजनों की कमी के साथ-साथ प्रभाविता की कमी। प्रक्रिया अर्तव्यवस्था में सुधार के लिये अनुसंधान और विकास की कमी।
 - सरकारी पहल: भारत सरकार वर्ष 2018 में शुरू की गई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ट्रुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) योजना के तहत CBG प्लांट स्थापित करने और तेल विपणन कंपनियों को ऑटोमोटिव और औद्योगिक ईंधन के रूप में बिक्री के लिये CBG प्रदान करने हेतु निजी व्यवसायों को प्रोत्साहित कर रही है।
 - ◆ इसके अलावा भारत सरकार और नीति आयोग ने हरित ईंधन की ओर हमारे संकरण को तेज़ करने तथा LNG, हाइड्रोजन एवं
- मेथनॉल को बढ़ावा देने के लिये रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है।

ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लक्ष्मीप में दो नए समुद्र तटों **मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच (Minicoy Thundi Beach and Kadmat Beach)** दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है।

- जिसके पश्चात् देश में ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या 12 हो गई है।

ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण:

- परिचय:
 - ◆ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक इको-लेबल है जिसे 33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को 4 प्रमुख शीर्षकों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं-
 - पर्यावरण शिक्षा और सूचना
 - ज्ञान के पानी की गुणवत्ता
 - पर्यावरण प्रबंधन
 - समुद्र तटों पर संरक्षण और सुरक्षा सेवाएँ
 - ◆ ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। यह एक ईको-टूरिज्म मॉडल है, जो पर्यटकों/समुद्र तट पर आने वालों को नहाने के लिये साफ एवं स्वच्छ जल, सुविधाओं, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ क्षेत्र के सतत् विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
 - ◆ यह प्रतिष्ठित सदस्यों- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)**, **संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)**, डेनमार्क स्थित एनजीओ फाउंडेशन फॉर एन्वायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) और **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)** से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रदान किया जाता है।
 - ◆ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह ही भारत ने भी अपना इको-लेबल **बीच एन्वायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज़' (Beach Environment and Aesthetics Management Services- BEAMS)** लॉन्च किया है।
- अन्य 10 समुद्र तट जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है:
 - ◆ शिवराजपुर, गुजरात

- ◆ घोघला, दमन व दीव
- ◆ कासरकोड, कर्नाटक
- ◆ पदुबिद्री तट, कर्नाटक
- ◆ कप्पड़, केरल
- ◆ रुशिकोडा, आंध्र प्रदेश
- ◆ गोल्डन बीच, ओडिशा
- ◆ राधानगर तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- ◆ कोवलम (तमिलनाडु)
- ◆ ईडन (पुदुचेरी)

- ◆ समुद्र तट पर सुविधाओं के सतत् विकास को बढ़ावा देना।
- ◆ तटीय पारस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण।
- ◆ स्वच्छता के उच्च मानकों को मज़बूत करना और उन्हें बनाए रखना।
- ◆ तटीय वातावरण एवं नियमों के अनुसार समुद्र तट के लिये स्वच्छता और सुरक्षा।

- इसने पुनर्चक्रण के माध्यम से 1,100 मिली/वर्ष नगरपालिका के पानी को बचाने में मदद की है; समुद्र तट पर जाने वाले 1,25,000 लोगों को समुद्र तटों पर जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखने के लिये शिक्षित किया गया। प्रदूषण में कमी, सुरक्षा और सेवाओं के माध्यम से 500 मछुआरा परिवारों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान किये गए तथा समुद्र तटों पर मनोरंजन गतिविधियों के लिये पर्यटकों की संख्या में लगभग 80% की वृद्धि हुई है जिससे आर्थिक विकास हुआ है।

बच्चों पर हीटवेव का प्रभाव: UNICEF

चर्चा में क्यों?

हाल ही में UNICEF (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) ने 'कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइब्स- प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम द एस्केलेटिंग इम्पैक्ट ऑफ हीटवेव' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2050 तक दुनिया भर में लगभग सभी बच्चे बार-बार अधिक गंभीर हीटवेव से प्रभावित होंगे।

- UNICEF संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण में सुधार के लिये किये जाने वाले राष्ट्रीय प्रयासों की सहायता हेतु समर्पित है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- वर्तमान परिदृश्य:
 - ◆ लगभग 559 मिलियन बच्चे उच्च हीटवेव आवृत्ति के दायरे में हैं और लगभग 624 मिलियन बच्चे अन्य तीन उच्च हीट उपागमों- उच्च हीटवेव अवधि, उच्च हीटवेव गंभीरता एवं अत्यधिक उच्च तापमान में से एक के दायरे में हैं।
 - ◆ वर्ष 2020 के अनुसार, चार में से एक बच्चा ऐसे क्षेत्रों में रहता है जहाँ औसत हीटवेव 4.7 दिन या उससे अधिक समय तक रहती है।
 - यह प्रतिशत वर्ष 2050 तक कम उत्सर्जन वाले परिदृश्य में भी चार में से तीन बच्चों तक विस्तारित हो जाएगा।



BEAMS:

- बीच एन्वायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस, एकोकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal Zone Management- ICZM) परियोजना के तहत आती है।
- इसे सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट (Society of Integrated Coastal Management- SICOM) एवं केंद्रीय पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- BEAMS कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:
 - ◆ तटीय जल प्रदूषण को न्यून करना।

- दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी एवं दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका के बच्चे लंबी अवधि की हीटवेव का सामना करते हैं।
- भविष्य के प्रभाव:
 - ◆ उच्च हीटवेव के संपर्क में आने वाले बच्चों की संख्या वर्ष 2050 तक चार गुना बढ़कर दो बिलियन से अधिक हो जाएगी, जो वर्ष 2020 की तुलना में 24% अधिक है।
 - ◆ यह लगभग 1.5 बिलियन बच्चों की वृद्धि के बराबर है।
 - ◆ वर्ष 2050 में अनुमानित 1.7 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के साथ आंशिक रूप से पृथ्वी पर लगभग हर बच्चा कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन परिवृद्धि के तहत भी गंभीर हीटवेव का सामना करेगा।
 - ◆ केवल दक्षिणी अमेरिका, मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया/Australasia और एशिया के कुछ क्षेत्र, जो लंबी अवधि की हीटवेव का सामना नहीं करते हैं, 2.4 डिग्री वार्मिंग पर 94% बच्चे इससे प्रभावित होंगे।
- बच्चों की उच्च संवेदनशीलता:
 - ◆ लंबी अवधि वाली हीटवेव बच्चों के लिये अधिक जोखिम पैदा करती हैं क्योंकि बच्चे खेल और अन्य गतिविधियों में वयस्कों की तुलना में अधिक समय बाहर बिताते हैं जो उन्हें गर्मी से होने वाले जोखिमों में डालते हैं।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव:
 - ◆ बच्चों और किशोरों में पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) तथा अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में वृद्धि, उच्च तापमान से संबंधित हैं।
 - ◆ अत्यधिक गर्मी के कारण मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा और भविष्य की आजीविका प्रभावित होगी।
 - ◆ स्वास्थ्य संबंधी हीटवेव जोखिमों में शामिल हैं- हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस, एलर्जी, Z, अस्थमा, मच्छर जनित रोग, हृदय रोग, अल्पपोषण और दस्त की शिकायत।
- बच्चों की सुरक्षा के लिये खतरा:
 - ◆ जैसे-जैसे चरागाहों और घरेलू आय में कमी आती जाती है, समुदायों को भोजन एवं पानी की आपूर्ति की तलाश में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। प्रवास, विस्थापन तथा संघर्ष के परिणामस्वरूप बच्चों को शारीरिक नुकसान व अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

नोट:

- जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र समर्थित एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए बच्चों की सुरक्षा के लिये पहली वैश्विक नीति ढाँचा प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये।

- इसमें नौ सिद्धांत शामिल हैं जो विस्थापित हुए बच्चों की कमजोरियों को संबोधित करते हैं।
- ये सिद्धांत बाल अधिकारों पर सम्मतेन पर आधारित हैं और मौजूदा परिचालन दिशा-निर्देशों तथा रूपरेखाओं द्वारा सूचित किये जाते हैं।

सिफारिशें:

- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कमज़ोर लोगों के पास उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं को अपनाने हेतु संसाधन हों।
- यह उचित समय है जब देशों को निम्नलिखित कार्य करना चाहिये:
 - ◆ सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देकर बच्चों को जलवायु जोखिम से बचाना।
 - ◆ बच्चों को जलवायु-परिवर्तित दुनिया में रहने के लिये तैयार करना।
 - ◆ जलवायु वित्त और संसाधनों में बच्चों एवं युवाओं को प्राथमिकता देना।
 - ◆ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु आपदा को रोकना।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की पार्टीयों के 27वें सम्मेलन (COP-27) की कार्रवाई और समर्थन पर चर्चा के केंद्र में बच्चों एवं उनके समुदायों के लचीलेपन को रखते हुए नुकसान और क्षति में हुई वृद्धि ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

अन्य संबंधित सूचकांक:

- **चिल्ड्रेन व्हिलाइमेट रिस्क इंडेक्स: यूनिसेफ़:**
 - ◆ यह आवश्यक सेवाओं तक बच्चों की पहुँच के आधार पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय घटनाओं, जैसे कि चक्रवात एवं हीटवेव आदि के प्रति बच्चों की भेदभाव के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक प्रदान करता है।
- **नोट्रो डेम ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव' (ND-GAIN) इंडेक्स:**
 - ◆ यह दुनिया भर के बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दर्शाता है।
 - ◆ यह बताता है कि बच्चे भोजन की कमी, बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य खतरों जैसे- पानी की कमी या बढ़ता जलस्तर जोखिम या इन कारकों के संयोजन से प्रभावित होंगे।

उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021: UNEP

चर्चा में क्यों?

COP27 से पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022: द व्हिलाइमेट क्राइसिस कॉल्स

फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज़' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

- यह UNEP उत्सर्जन गैप रिपोर्ट का 13वाँ संस्करण है। इसके तहत वर्ष 2030 में अनुमानित उत्सर्जन और **पेरिस समझौते** के 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों के स्तरों के बीच के अंतर का आकलन किया जाता है। हर साल इस रिपोर्ट में अंतराल को कम करने की सिफारिस की जाती है।

निष्कर्ष:

- शीर्ष 7 उत्सर्जक (चीन, EU27, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका) के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की वर्ष 2020 में वैश्विक GHG उत्सर्जन में 55% भागीदारी रही।
 - इन देशों में GHG उत्सर्जन वर्ष 2021 में फिर से बढ़ गया, जो कि **पूर्व-महामारी** (वर्ष 2019) के स्तर से अधिक है।
- सामूहिक रूप से, **G20 सदस्य देश वैश्विक GHG** (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन) उत्सर्जन के 75% के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- वर्ष 2020 में औसत प्रति व्यक्ति वैश्विक GHG उत्सर्जन 6.3 टन CO₂ समतुल्य (tCO_{2e}) था।
 - भारत विश्व औसत 2.4 tCO_{2e} से काफी नीचे है।
- विश्व वर्ष 2015 में अपनाए गए **पेरिस जलवायु समझौते** में निर्धारित लक्ष्यों से पीछे रहा है, जिससे 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य तक पहुँचने का कोई विश्वसनीय मार्ग नहीं दिख रहा है।
 - पेरिस समझौते ने पूर्व-औद्योगिक स्तर (अधिमानत: 1.5 डिग्री सेल्सियस) से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को परिभाषित किया, जिसे पार करने पर अत्यधिक हाईटेब, सूखा, जल का अभाव आदि जैसी चरम मौसमी घटनाएँ हो सकती हैं।
- COP26 (ग्लासगो, यूके)** के बाद से राष्ट्रीय प्रतिज्ञाएँ 2030 उत्सर्जन की भविष्यवाणी करने के लिये एक नगण्य अंतर बनाती हैं।

सिफारिशें:

- विश्व को अगले आठ वर्षों में ग्रीनहाउस गैसों को अभूतपूर्व स्तर तक कम करने की आवश्यकता है।
- वैश्विक इस्पात उत्पादन की कार्बन तीव्रता में वृद्धि को कम करने के लिये भारी उद्योग में वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।
- वर्ष 2030 तक जीएचजी उत्सर्जन को सीमित करने के लिये भारी कटौती करने की तत्काल आवश्यकता है।
 - बिना शर्त और सर्वान्वय राष्ट्रीय स्तर पर **निर्धारित योगदान (NDC)** से मौजूदा नीतियों की तुलना में वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को क्रमशः 5% और 10% कम करने की उम्मीद है।

- ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिये सबसे अधिक लागत प्रभावी बनाकर इन प्रतिशतों को 30% और 45% तक पहुँचाना चाहिये।

भारत में उत्सर्जन कम करने हेतु पहलें:

- भारत स्टेज- IV (BS-IV) से भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंड।
- उजाला योजना।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी)।
- 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण।
- भारत एनडीसी अपडेट।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम:

- परिचय:
 - यह 5 जून, 1972 को स्थापित एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
 - यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
 - मुख्यालय: नैरोबी, केन्या।
 - प्रमुख रिपोर्ट: एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेटेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एन्वायरनमेंट आउटलुक, फ्रॉटियर्स, इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट।
 - प्रमुख अभियान: बीट पॉल्यूशन, UN75, विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ।

वन घोषणा आकलन 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन घोषणा आकलन 2022 को प्रकाशित किया गया, जिसमें दर्शाया गया है कि वर्ष 2018-20 आधार वर्ष की तुलना में दुनिया भर में **वनों की कटाई** की दर में केवल वर्ष 2021 में 6.3% की गिरावट आई है।

- कुल 145 देशों ने **ग्लासगो** (वर्ष 2021) में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में वर्ष 2030 तक वन हानि और भूमि क्षरण को रोकने तथा पुनर्प्राप्ति की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- वन घोषणा आकलन वैश्विक वन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर वार्षिक अद्यतन प्रकाशित करता है।

- ◆ वर्ष 2014 में वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा (NYDF) को एक राजनीतिक घोषणा के रूप में अपनाया गया था जिसमें प्राकृतिक वन हानि को रोकने और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर परिदृश्य एवं वनभूमि की बहाली का आह्वान किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- अवलोकन:
 - ◆ वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने के लिये एक भी वैश्विक संकेतक ट्रैक पर नहीं है।
 - ◆ वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को पूरी तरह से रोकने के लिये इसमें 10% वार्षिक कटौती किये जाने की आवश्यकता है।
 - ◆ जबकि बनीकरण और बहाली के प्रयास सराहनीय रहे हैं, प्राप्ति की तुलना में अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हो रहा है।
 - ◆ वर्ष 2021 में वैश्विक वन हानि में कमी आई, लेकिन वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्य के अब भी पिछड़ने की आशंका है।
- वनों की कटाई में योगदानकर्ता:
 - ◆ वर्ष 2021 में वनों की कटाई में ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा योगदानकर्ता था।
 - आधार वर्ष 2018-2020 की तुलना में देश ने वर्ष 2021 में वनों की कटाई की दर में 3% की वृद्धि दर्ज की।
 - हालाँकि ब्राज़ील ने बड़ी वृद्धि नहीं दिखाई, लेकिन प्रत्येक वर्ष इसकी कुल वनों की कटाई दर उच्च बनी रही, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया।
 - ◆ बोलीविया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में क्रमशः 6% और 3% वनों की कटाई हुई।
- वृक्षावरण में वृद्धि:
 - ◆ पिछले दो दशकों में वैश्विक वृक्ष आवरण में 130.9 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
 - ◆ वैश्विक लाभ का तीन-चौथाई हिस्सा मुख्य रूप से 13 देशों ने प्राप्त किया।
 - ◆ सबसे महत्वपूर्ण सुधार रूस (28.4%), कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और चीन में देखे गए।
 - चीन ने वृक्षों के आवरण में सबसे बड़ी वृद्धि- 2.1 मिलियन हेक्टेयर (Mha) दर्ज की। भारत ने भी वृक्षों के आवरण में 0.87 एमएचए का लाभ दर्ज किया।
 - विश्व स्तर पर कुल वृक्ष आवरण वृद्धि का 118.6 एमएचए प्राकृतिक पुनर्जनन और वृक्षारोपण के साझे सहयोग से होने की संभावना है।
- वनों की कटाई में कमी:
 - ◆ गैबॉन ने 2018-20 की तुलना में 2021 में वनों की कटाई में 28% की कमी की।
 - इस देश ने अवैध कटाई और संरक्षित क्षेत्रों के प्रवर्तन से निपटने के उपायों को लागू किया।
 - ◆ इंडोनेशिया ने वन अधिस्थगन को लागू करने और प्रवर्तन उपायों में सुधार के बाद वनों की कटाई को कम किया।
 - यह अधिस्थगन, जो लगभग 66 मिलियन हेक्टेयर के प्राथमिक वन और पीटलैंड (स्थलीय आर्द्रभूमि परिस्थितिक तंत्र) को कवर करता है, को पहली बार वर्ष 2011 में पेश किया गया था और वनों की कटाई के कारण होने वाली आग से उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के तहत नियमित रूप से नवीनीकृत किया गया है।
 - ◆ ब्राज़ील में वर्ष 2004 और 2012 के बीच वनों की कटाई की दर में गिरावट के लिये आंशिक रूप से अमेज़न में वनों की कटाई की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्ययोजना के सम्पन्नित कार्यान्वयन को उत्तरदायी माना जा सकता है।
 - इससे संरक्षित क्षेत्रों और प्रभावी निगरानी प्रणालियों का निर्माण हुआ।
 - ◆ हाल के वर्षों में वनों की रक्षा के लिये यूरोपीय संघ, इक्वाडोर और भारत में कानूनी हस्तक्षेप देखा गया है।
 - वर्ष 2021 में, इक्वाडोर की एक संवैधानिक अदालत ने देश के संविधान में निहित प्रकृति के अधिकारों को बरकरार रखा।
- सिफारिश:
 - ◆ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पेड़ कवर लाभ पेड़ के नुकसान को रद्द नहीं करता है।
 - ◆ वन आवरण लाभ कार्बन भंडारण, जैवविविधता या पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संदर्भ में वन हानि के प्रभावों को नकारते नहीं हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रयासों को प्राथमिक वनों को नुकसान से बचाने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिये।
 - ◆ वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और रिवर्स करने के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वन वित्त को ट्रैक पर लाने की आवश्यकता है।
 - वैश्विक स्तर पर वनों की रक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि के लिये प्रतिवर्ष 460 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की लागत आएगी।

- वर्तमान में वनों के लिये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शमन वित्त प्रतिवर्ष औसतन 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं - आवश्यकता के 1% से भी कम।
- ◆ वर्ष 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वन वित्तपोषण में 200 गुना तक की वृद्धि होनी चाहिये।
- ◆ वन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और हमारी भलाई के लिये महत्वपूर्ण हैं। वनों की कटाई को रोकने तथा बहाली को बढ़ाने के लिये कार्रवाई एवं ठोस प्रयासों में तेजी लाना अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ताकि लोगों, प्रकृति और जलवायु को लाभान्वित किया जा सके।
- ◆ इसका मतलब है कि अधिक ज्ञानी समावेशी समाधान, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों एवं नागरिक समाज के बीच मजबूत सहयोग व समन्वय, प्रतिबद्धताओं से कार्यान्वयन की ओर बढ़ा जा सके।

निर्वनीकरण:

- परिचय:
 - ◆ निर्वनीकरण वन/जंगल के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु स्थान (जगह) प्राप्त करने के लिये पेड़ों को स्थायी रूप से काटना/हटाना है। इसमें कृषि या चाराई के लिये भूमि को साफ करना, या ईंधन, निर्माण या विनिर्माण के लिये लकड़ी का उपयोग करना शामिल हो सकता है।
 - ◆ वर्तमान में सबसे अधिक वनों की कटाई उष्णकटिबंध क्षेत्र में हो रही है।
- प्रभाव:
 - ◆ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई कैनोपी (canopy) पर जल वाष्प के उत्पादन के तरीके को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे वर्षा कम होगी।
 - ◆ वनों की कटाई न केवल उन वनस्पतियों को समाप्त करती है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिये महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जंगलों को समाप्त करने से ग्रीनहाउस गैस का उत्पर्जन होता है।
 - ◆ यह जैवविविधता और पशु जीवन को भी नुकसान पहुँचाता है।

- संबंधित भारत की पहल:
 - ◆ भारतीय वन नीति, 1952
 - ◆ वन संरक्षण अधिनियम, 1980
 - ◆ राष्ट्रीय वन नीति, 1988
 - ◆ राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम
 - ◆ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
 - ◆ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
 - ◆ जैवविविधता अधिनियम, 2002
 - ◆ अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

मिशन Life: लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट (P3 मॉडल यानी Pro Planet People को प्रोत्साहन)

परिचय

- ◆ इस विचार/अवधारणा को भारतीय प्रणाली द्वारा वर्ष 2021 में ग्रामसांग में 26वें सम्मेलन ग्राम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
- * LIFE वीनेक्षण अंदोलन विचार भर के शिखाविती, शोभकर्ताओं और स्टार्ट-अप्स को उत्तोलन विचार करने हेतु आयोजित करता है जिससे पर्यावरण संकटों का समाधान करने के लिये सामृद्धिक कार्रवाई पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।
- ◆ मिशन LIFE (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) को शुरूआत युवराज के केंद्रीया (जहाँ स्टेट्यू ऑफ़ यूनिटरी विद्या है) से की गई है।
- ◆ वर्ष 2022-28 की अवधि में पर्यावरण संरक्षण के लिये व्यक्तिगत और सामृद्धिक कार्रवाई हेतु कम-से-कम एक विविध भारतीयों तथा अन्य वीनेक्षण जीवनकोकों को जुड़ा।
- * भारत में ही सभी गांवों और शहरी स्थानों निकायों में से कम से-कम 80% लोगों को वर्ष 2028 तक एनवरनमेंट केंद्रों वाले का लालन रखा गया है।
- ◆ नीति आयोग द्वारा संचालित तथा कैट्रीय परिवर्तन, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा कार्यान्वयन। UNEP के अनुसार, यह विचार भर में 8 विविधतमें से 1 विविधत आपूर्ति भी अपने वैशिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को अपना ले तो वैशिक कार्बन उत्पर्जन में 20% है तक की कमी हो सकती है।

दृष्टिकोण

व्यविष्यक व्यवहार पर वृद्धि

विविध पर प्राप्ति

स्वास्थ्य एवं विविधता

भारत द्वारा स्थापित उदाहरण

- ◆ स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के कियान्वयन से 7 चर्चों की अवधि के भीतर ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का उपयोग किया गया।
- ◆ उच्चला योजना के बहले वर्ष 2021 में LPG कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या 99.8% तक पहुँच गई जो कि वर्ष 2015 में 62% थी।
- ◆ विद्युतीय खपत को कम करने वाले अनुकूल वायस्ट्रिलिप रूप जैसी पारंपरिक भारतीय प्रथाएँ और पादप आपार्टमेंट यादृच्छीय तथा कटन-मार्टे आज़ाज़ (Milles) के लिये आहार वरोयता LIFE के रूप में काम कर सकती हैं।

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में 75 नई डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 75 ज़िलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (DBU) राष्ट्र को समर्पित की हैं।

- वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने हमारे देश की आज्ञादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 ज़िलों में 75 DBU स्थापित करने की घोषणा की।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (DBU)

परिचय:

- डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित एक विशिष्ट फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट या हब है, जो डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय डिजिटल रूप से स्वयं-सेवा मोड में सेवा देने के लिये कुछ न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढाँचे को स्थापित करता है।
- DBU की स्थापना इस उद्देश्य से की जा रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुँचे और यह सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करेगा।

लाभ:

- DBU उन लोगों को सक्षम बनाएगा जिनके पास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) बुनियादी ढाँचा नहीं है, वे बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकते हैं।
- वे उन लोगों की भी सहायता करेंगे जो डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिये तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं।

DBU सेवाएँ:

- इन डिजिटल बैंकिंग इकाइयों में ग्राहकों को अपना बचत खाता खोलने, खाते में शेष राशि पता करने, पासबुक प्रिंट कराने, पैसे भेजने, सावधि जमा निवेश के अलावा क्रेडिट-डेबिट कार्ड और कर्ज के लिये आवेदन जैसे काम करने के साथ ही कर व बिलों के भुगतान की पूरी सुविधा होगी।
- DBU जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से सरकारी क्रेडिट लिंक योजनाओं और एमएसएमई / खुदरा ऋणों के एंड-टू-एंड डिजिटल प्रसंस्करण की सुविधा भी प्रदान करेंगे।
- DBU और पारंपरिक बैंकों के बीच अंतर:
- DBU 24 x 7 नकद जमा और निकासी सहित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करेगा।

- DBU की सेवाएँ डिजिटल रूप से प्रदान की जाएँगी।
- जिन लोगों के पास कनेक्टिविटी या कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं हैं, वे DBU से पेपरलेस मोड में बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं।
- बैंक कर्मचारी सहायता प्राप्त मोड में बैंकिंग लेनदेन के लिये उपयोगकर्ताओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिये उपलब्ध रहेंगे।

- DBU डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिये जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।

• डिजिटल बैंकों और DBU के बीच अंतर:

- बैलेंस शीट/कानूनी मान्यता:
 - DBU के पास कानूनी मान्यता नहीं है और उन्हें बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस नहीं दिया गया है।
 - कानूनी रूप से वे “बैंकिंग आउटलेट” अर्थात्, शाखाओं के समकक्ष हैं।
 - डिजिटल बैंकों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के तहत विधिवत लाइसेंस प्राप्त एक बैंक है, जिनके पास एक बैलेंस शीट और कानूनी अस्तित्व है।
- नवाचार/प्रतिस्पर्द्धा का स्तर:
 - DBU डिजिटल चैनलों को नियामक मान्यता प्रदान करके मौजूदा चैनल बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करते हैं। हालाँकि, वे प्रतिस्पर्द्धा पर चुप्पी साधे हुए हैं।
 - DBU दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल मौजूदा वाणिज्यिक बैंक DBU स्थापित कर सकते हैं।
 - इसके विपरीत यहाँ प्रस्तावित डिजिटल बैंकों के लिये लाइसेंसिंग और नियामक ढाँचा प्रतिस्पर्द्धा/नवाचार आयामों के साथ अधिक सक्षम है।

वित्तीय समावेशन से संबंधित अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
- फिनटेक
- इंडिया स्टैक

बैंकों को आरटीआई से छूट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न बैंकों द्वारा आरटीआई

(सूचना का अधिकार) से छूट से संबंधित एक याचिका की जाँच करने पर सहमति व्यक्त की है।

- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कई बैंक **गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA)**, व्यापारिक हानियों, कारण बताओ नोटिस और जुर्माने के संबंध में विभिन्न प्रकार के वित्तीय डेटा का खुलासा करने के मामले में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

मुद्दा क्या है ?

- निरीक्षण रिपोर्ट और डिफॉल्टरों की सूची के खुलासे के लिये कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब आरटीआई कार्यकर्त्ता जयंतीलाल मिस्त्री ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आरबीआई से गुजरात स्थित सहकारी बैंक के बारे में वर्ष 2010 में जानकारी मांगी। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया क्योंकि मिस्त्री की अपील पर आरटीआई प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में खास ध्यान नहीं दिया गया था।
- वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने निरीक्षण रिपोर्ट और डिफॉल्टरों की सूची को गोपनीय रखने की कोशिश करने के लिये आरबीआई को फटकार लगाई थी, जिससे आरबीआई की ऐसी रिपोर्टों के सार्वजनिक प्रकटीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था, जो बैंकिंग क्षेत्र की इच्छा के खिलाफ था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरबीआई का किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के बैंक के लाभ को अधिकतम करने का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है और इस प्रकार उनके बीच 'विश्वास' का कोई संबंध नहीं है। इसमें कहा गया है कि आरटीआई के तहत इन विवरणों का खुलासा करके जनहित को बनाए रखना आरबीआई का कर्तव्य है।
- आरबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस तरह की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दी।
- अब सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि वर्ष 2015 के फैसले में सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार को संतुलित करने के पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था एवं इस प्रकार न्यायालय बैंकों को योग्यता के आधार पर अपने मामले पर बहस करने का अवसर देने के लिये बाध्य है।

बैंकों का तर्क:

- चूंकि बैंक पैसे के लेन-देन में शामिल हैं, इसलिये उन्हें डर है कि विशेष रूप से नियामक RBI की ओर से कोई प्रतिकूल टिप्पणी उनके प्रदर्शन को प्रभावित करेगी और ग्राहकों को दूर रखेगी।
- बैंक अपने ग्राहकों के "विश्वास और आस्था" से प्रेरित होते हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिये।
- बैंकों ने यह भी तर्क दिया कि **गोपनीयता मौलिक अधिकार** है और इसलिये ग्राहकों की जानकारी को सार्वजनिक करके इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिये।

RTI अधिनियम, 2005:

- परिचय:
 - सूचना का अधिकार अधिनियम या RTI केंद्रीय कानून है, जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
 - यह सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में सूचना प्राप्त करने के लिये तंत्र प्रदान करता है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके।
- RTI अधिनियम की धारा 8:** धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है। जैसे:
 - सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
 - सूचना जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रकाशित करने के लिये स्पष्ट रूप से मना किया गया है।
 - सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा।
 - वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी, जिसका प्रकटीकरण तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्द्धि स्थिति को नुकसान पहुँचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता है।
 - किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक है।

विजन—विकसित भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अवसर और अपेक्षाएँ

चर्चा में क्यों ?

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की रिपोर्ट 'विजन—विकसित भारत: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अवसर और अपेक्षाएँ शीर्षक के अनुसार, भारत 5 वर्षों में 475 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करेगा।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- संक्षिप्त अवलोकन:
 - भारत में कार्यरत 71 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (बहुराष्ट्रीय निगम) देश को अपने वैश्विक विस्तार के लिये एक महत्वपूर्ण गंतव्य मानती हैं।

- ◆ भारत ने पिछले एक दशक में FDI में लगातार वृद्धि दर्ज की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 में महामारी और भू-राजनीतिक विकास के प्रभाव के बावजूद 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं।
- ◆ भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एक उभरते हुए विनिर्माण केंद्र, विकसित होते उपभोक्ता बाजार और वर्तमान डिजिटल परिवर्तन के केंद्र के रूप में देखा जाता है।
- ◆ 60% से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने माना है कि विगत तीन वर्षों में व्यापारिक वातावरण में सुधार हुआ है।
- ◆ विकास की चुनौतियों की पृष्ठभूमि में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य मानती हैं एवं व्यापार के विस्तार की योजना बना रही हैं।
- आशावादिता की वजह:
- ◆ बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में किये गए निवेश से पता चलता है कि भारत विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे की आपूर्ति और निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिये बिलकुल तैयार है।
- ◆ घरेलू खपत में मज़बूत गति, एक विस्तारित सेवा क्षेत्र, डिजिटलीकरण, और विनिर्माण तथा बुनियादी ढाँचे पर सरकार का ज़ोर भारत के विकास के बारे में आशावादिता के मुख्य कारक हैं।
- अमेरिका और चीन के बाद भारत में अनुमानित वास्तविक खपत वृद्धि सबसे अधिक है और वर्ष 2025 तक, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- सुझाव:
- ◆ भारत के लिये आर्थिक विकास के अगले चरण में आगे बढ़ने का समय आ गया है, जिसमें मुक्त व्यापार समझौतों के निष्कर्ष को तेज़ करना, व्यापार करना आसान बनाने के लिये निरंतर सुधार, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाना और वस्तु तथा सेवा कर में सुधार आदि शामिल हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :

- परिचय:
 - ◆ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है।
 - FDI किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
 - ◆ निवेशक कई तरह से FDI का लाभ उठा सकते हैं।

- दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना करना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का अधिग्रहण या विलय अथवा किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी इसके कुछ सामान्य तरीके हैं।
- ◆ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक होने के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय संसाधन भी रहा है।
- ◆ यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से अलग है जहाँ विदेशी संस्था केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉण्ड खरीदती है।
- FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता है।
- FDI संबंधी मार्ग:
 - ◆ स्वचालित मार्ग:
 - इसमें विदेशी संस्था को सरकार या RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
 - भारत में गृह मंत्रालय (MHA) से सुरक्षा मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होने पर स्वचालित मार्ग के माध्यम से गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 100% तक FDI की अनुमति है।
 - पाकिस्तान और बांग्लादेश से किसी भी निवेश के अलावा रक्षा, मीडिया, दूरसंचार, उपग्रहों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक उड्डयन तथा खनन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश के लिये गृह मंत्रालय से पूर्व मंज़ूरी या सुरक्षा मंज़ूरी आवश्यक है।
 - ◆ सरकारी मार्ग:
 - इसमें विदेशी संस्था को सरकार से मंज़ूरी लेनी होती है।
 - विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदनों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

भारत में FDI प्रवाह की स्थिति:

- वर्ष 2021 में FDI प्रवाह वित्त वर्ष 2019-2020 के 74,391 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 81,973 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- शीर्ष 5 FDI राष्ट्र (अंतर्वाह):
 - ◆ सिंगापुर: 27.01%
 - ◆ अमेरिका: 17.94%

- ◆ मॉरीशस: 15.98%
- ◆ नीदरलैंड: 7.86%
- ◆ स्विटज़रलैंड: 7.31%
- शोष क्षेत्र:
 - ◆ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर: 24.60%
 - ◆ सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, टेक. परीक्षण और विश्लेषण, अन्य): 12.13%
 - ◆ ऑटोमोबाइल उद्योग: 11.89%
 - ◆ ट्रेडिंग: 7.72%
 - ◆ निर्माण (अवसंरचना) गतिविधियाँ: 5.52%
- शोष लक्ष्य:
 - ◆ कर्नाटक: 37.55%
 - ◆ महाराष्ट्र: 26.26%
 - ◆ दिल्ली: 13.93%
 - ◆ तमिलनाडु: 5.10%
 - ◆ हरियाणा: 4.76%
- पिछले वित्त वर्ष 2020-21 (12.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 (21.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में विनिर्माण क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह में 76% की वृद्धि हुई है।

FDI को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल:

- नए FDI मानदंड
- मेक इन इंडिया
- आत्मनिर्भर भारत
 - वैश्वकि आपूर्ति शृंखला में भारत का स्थान
 - राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मशिन
 - उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
 - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

PM किसान सम्मान सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।

PM किसान सम्मान सम्मेलन

- प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान/

PM-KISAN) फंड की 12वीं किस्त जारी की। योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 16,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गए।

- प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 'प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्रों' (PMKSK) का भी उद्घाटन किया। इस योजना के तहत देश में 3 लाख से अधिक खुदरा उर्वरक दुकानों को चरणबद्ध तरीके से PMKSK में परिवर्तित किया जाएगा।
- ये केंद्र कई किसान ज़रूरतों को पूरा करेंगे जैसे कृषि-आगतें (उर्वरक, बीज, उपकरण) प्रदान करना; मृदा, बीज, उर्वरक के लिये परीक्षण सुविधाएँ, किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और ब्लॉक/ज़िला स्तर के आउटलेट पर खुदरा विक्रेताओं की नियमित क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।
- प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना' एक राष्ट्र, एक उर्वरक भी लॉन्च किया।
- इस योजना के तहत 'भारत यूरिया बैग' लॉन्च किये गए हैं। ये कंपनियों को एकल ब्रॉण्ड नाम "भारत" के तहत उर्वरकों के विपणन में मदद करेंगे।
- प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक पर एक ई-पत्रिका 'इंडियन एज़' का भी शुभारंभ किया गया। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक परिदृश्यों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें हालिया विकास, मूल्य रुझान विश्लेषण, उपलब्धता और खपत, किसानों की सफलता की कहानियाँ आदि शामिल हैं।

PM किसान:

- परिचय:
 - ◆ भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 1 नवंबर, 2018 को पीएम-किसान शुरू किया गया था।
- वित्तीय लाभ:
 - ◆ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
- योजना का दायरा:
 - ◆ यह योजना शुरू में उन छोटे एवं सीमांत किसानों (SMFs) के लिये थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को कवर हेतु बढ़ा दिया गया।

बिग टेक पर आरबीआई की रिपोर्ट

- वित्तपोषण और कार्यान्वयन:
 - ◆ यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
 - ◆ इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- उद्देश्य:
 - ◆ इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है।
 - ◆ इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिये उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाना तथा खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- PM-KISAN मोबाइल एप: इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है।
- बहिष्करण मापदंड: उच्च अर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ योजना के तहत लाभ के लिये पात्र नहीं होंगी।
 - ◆ सभी संस्थागत भूमि धारक।
 - ◆ वे किसान परिवार जो निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक श्रेणियों से संबंधित हैं:
- पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों के धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, ज़िला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और सरकार के तहत जुड़े कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर)।
- उपरोक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपए या अधिक है (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
- विगत मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
- ऐसे पेशेवर जो निकायों के साथ पंजीकृत हैं और सक्रिय रूप से अपने व्यवसायों का अभ्यास कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट।

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी गैर-वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियाँ जिन्हे “बड़ी प्रौद्योगिकियाँ (बिग टेक)” कहा जाता है, उनके तकनीकी लाभ, बड़े उपयोगकर्ता समुदाय, वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाने और नेटवर्क प्रभावों के कारण वित्तीय स्थिरता के लिये ज़ोखिम पैदा करती हैं।

बिग टेक

- विषय:
 - ◆ बिग टेक के अंतर्गत अलीबाबा, अमेज़न, फेसबुक, गूगल और टेनसेंट जैसी कंपनियाँ शामिल हैं।
 - ◆ ये आमतौर पर स्वामित्व नियंत्रण और क्षेत्राधिकार नियामक लाभ के विभिन्न स्तरों के साथ सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के माध्यम से सेवा लाइसेंस रखते हैं।
- बिग टेक की बढ़ती भूमिका:
 - ◆ तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं के रूप में व्यापक रूप से अपनाए जाने को देखते हुए, बड़ी प्रौद्योगिकियाँ आम तौर पर अंतर्निहित मंच बन जाती हैं, जिसके माध्यम से कई सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
 - बाजार में अपनी मज़बूत स्थिति के कारण, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ अब आसानी से क्रॉस-फंक्शनल डेटाबेस प्राप्त कर सकती हैं जिनका उपयोग अत्याधुनिक उत्पाद प्रस्तुत करने के लिये किया जा सकता है।
 - ◆ बिग टेक की व्यापकता उन्हें एक बड़ा ग्राहक आधार प्रदान करती है जो ग्राहकों के डेटा के कई पहलुओं तक पहुँच के साथ अपने प्लेटफॉर्मों उत्पादों का उपयोग करने में उलझे हुए हैं, जिससे मज़बूत नेटवर्क का प्रभाव उत्पन्न होता है।
 - ◆ वित्त में बड़ी तकनीक का प्रवेश वित्तीय सेवाओं और उनकी मुख्य गैर-वित्तीय सेवाओं के बीच मज़बूत पूरकता को भी दर्शाता है।
 - ◆ तकनीकी लाभों के अलावा, बिग टेक के पास सामान्यतः प्रतिस्पर्धी दबावों का सामना करने के लिये वित्तीय ताकत भी होती है।
- भारत द्वारा उठाए गए संबंधित कदम:
 - ◆ भारत में भुगतान डेटा के स्थानीय भंडारण और महत्वपूर्ण भुगतान मध्यस्थों को औपचारिक ढाँचे में लाने के प्रयास किये गए हैं।

- ◆ भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने और डेटा संरक्षण कानून बनाने के लिये भी पहल की जा रही है।

वित्तीय सेवाओं में बिग टेक सेक्टर से जुड़े जोखिम:

- जटिल शासन संरचना:
 - ◆ बिग टेक की जटिल शासन संरचना प्रभावी निरीक्षण और इकाई-आधारित नियमों की गुंजाइश को सीमित करती है।
 - तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के रूप में बिग टेक को अपनाने के कारण वे अंतर्निहित मंच बन गए हैं जिस पर कई सेवाओं की पेशकश की जाती है।
- समान अवसर प्रदान करने में बाधाएँ:
 - ◆ बिग टेक, फिनटेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये एक समान अवसर प्रदान करने में एक बाधा है।
- डेटा गोपनीयता समस्याएँ:
 - ◆ तकनीकी कंपनियाँ उपयोगकर्ता डेटा को कैसे संसाधित करती हैं, इसमें पारदर्शिता की कमी है, जिसने गंभीर और महत्वपूर्ण गोपनीयता चिंताओं को उठाया है।

आगे की राह

- सुविधा हेतु फ्रेमवर्क को संरेखित करना:
 - ◆ फिनटेक स्पेस में निष्पक्षता को सुविधाजनक बनाने के लिये नियामक, बिगटेक द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों का प्रबंधन करते हुए अपने नियामक ढाँचे को फिर से संगठित कर रहे हैं।
- नवाचारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता:
 - ◆ वित्तीय संस्थानों और तकनीकी कंपनियों के बीच तेजी से जटिल अंतर-संबंधों के साथ नियामक ढाँचे को नए जोखिम प्रसार चैनलों से उत्पन्न होने वाली कमज़ोरियों को रोकने के लिये नवाचारों के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है।
- नए अंतर-संबंधों के प्रति सचेत:
 - ◆ उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE) में नियमों को मौजूदा वित्तीय संस्थानों के साथ बिगटेक द्वारा बनाए जा सकने वाले नए अंतर-संबंधों के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है।

बेहतर पहुँच और सेवा उत्कृष्टता

चर्चा में क्यों ?

बेहतर पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (EASE) सुधारों के एक हिस्से के रूप में सरकार नए खंडों को जोड़कर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार

करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का लाभ उठाने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु:

- पहल तथा लक्ष्य केंद्र द्वारा किये जा रहे EASE सुधार कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।
- ग्रामीण बैंकों को फसल ऋण के अलावा ट्रैक्टर, छोटे उद्यमों, शिक्षा और आवास के लिये ऋण देने के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों के लिये ऋण प्रदान करने के लिये कहा जाएगा।
- केंद्र सरकार शिक्षा ऋण के लिये गारंटी सीमा 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक शिक्षा क्षेत्र को ऋण की सुविधा देना फिर से शुरू करें।
- सरकार की योजना RRB की लाभप्रदता में सुधार जारी रखने की है।
 - ◆ कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान लगातार दो वर्षों के नुकसान के बाद RRB ने वित्त वर्ष 2011 में 1,682 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जिसमें से 43 RRBs में से 30 ने शुद्ध लाभ दर्ज किया।

महत्व:

- यह RRBs को अपने बहुत ग्रामीण नेटवर्क और स्थानीय समझ का लाभ उठाकर व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगा तथा शिक्षा, आवास एवं सूक्ष्म व्यवसायों जैसे उद्देश्यों के लिये ग्रामीण उपभोक्ताओं तक ऋण की पहुँच में भी वृद्धि करेगा।
- RRB को छोटे उद्यमों, आवास और शिक्षा के लिये ऋण प्रदान करने हेतु निर्देश से इन क्षेत्रों के लिये ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
- RRB को अधिक प्रतिस्पर्द्ध और व्यवसाय के अनुकूल बनाने की दिशा में निर्देशित किया जाएगा यानि उन्हें ग्राहक अनुकूल बनाने का एजेंडा सबसे प्राथमिक है।
- RRB के लिये EASE कार्यक्रम परिचालनों को डिजिटल बनाने और RRB को एक-दूसरे से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

EASE सुधार क्या है ?

- इसे सरकार और PSB द्वारा संयुक्त रूप से जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।
- यह इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से बोस्टन कंसलटिंग ग्रुप द्वारा तैयार किया गया।
- इसका उद्देश्य लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और डिजिटल क्षमताओं में सुधार के लिये PSB में नए युग के सुधारों को बढ़ावा देना है।

- **EASE सुधार एजेंडा** के तहत विभिन्न चरण:
 - ◆ **EASE 1.0:** EASE 1.0 रिपोर्ट ने पारदर्शी रूप से **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA)** के समाधान में PSB के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया।
 - ◆ **EASE 2.0:** EASE 1.0 को EASE 1.0 की नींव पर बनाया गया था और सुधार प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय बनाने, प्रणालियों को मजबूत करने तथा परिणामों को प्रभावित करने के लिये छह विषयों में नए सुधार कार्य बिंदु पेश किये गए, ये छह विषय हैं:
 - ज़िम्मेदार बैंकिंग
 - ग्राहक प्रतिक्रिया
 - क्रेडिट ऑफ-टेक
 - उद्यमी मित्र के रूप में PSB (**MSME** के क्रेडिट प्रबंधन के लिये SIDBI पोर्टल)
 - वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण
 - शासन और मानव संसाधन (HR)
 - ◆ **EASE 3.0:** यह तकनीक का उपयोग करते हुए सभी ग्राहकों के लिये बैंकिंग को आसान बनाने का प्रयास करता है।
 - डायल-ए-लोन और PSB loans in 59 minutes. com।
 - फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ साझेदारी,
 - क्रेडिट@क्लिक करें,
 - तकनीक-सक्षम कृषि ऋण,
 - EASE बैंकिंग आउटलेट आदि।
 - ◆ **EASE 4.0:** यह ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये PSB को तकनीक-सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग के लिये प्रतिबद्ध करता है।
 - इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख विषय प्रस्तावित किये गए:
 - 24x7 बैंकिंग
 - उत्तर-पूर्वी राज्यों पर फोकस
 - बैड बैंक
 - बैंकिंग क्षेत्र के बाह्य क्षेत्रों से धन का सृजन:
 - फिनटेक क्षेत्र का लाभ उठाना
 - ◆ **EASE 5.0:**
 - बदलती उपभोक्ता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये प्रतिस्पर्द्धी गतिशीलता और तकनीकी वातावरण को बदलने के लिये PSB अत्याधुनिक क्षमताओं में निवेश करते रहेंगे और जारी सुधारों को तेज़ करेंगे।
 - यह छोटे व्यवसायों और कृषि का समर्थन करने पर जोर देने के साथ डिजिटल ग्राहक अनुभव एवं एकीकृत तथा समावेशी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करता है।

- ये पहले विविध विषयों पर केंद्रित होंगी जैसे- व्यवसाय वृद्धि, लाभप्रदता, जोखिम, ग्राहक सेवा, संचालन व क्षमता निर्माण।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs):

- परिचय:
 - ◆ **RRBs** वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।
 - ◆ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975) की सिफारिशों के आधार पर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के विनियमन के बाद की गई थी।
 - ◆ पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक “प्रथम ग्रामीण बैंक” 2 अक्तूबर, 1975 को स्थापित किया गया था।
 - ◆ RRBs को अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करना आवश्यक है।
- हितधारक:
 - ◆ एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के पास 50:15:35 के अनुपात में होती है।
- उद्देश्य:
 - ◆ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
 - ◆ शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जमाओं के बहिर्वाह को रोकना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन में वृद्धि करना।

भारतीय मुद्रा डिज़ाइन तंत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक राजनीतिक दल के प्रमुख ने देश में “समृद्धि” लाने के लिये केंद्र सरकार से नोटों (मुद्रा) पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के चित्र छापने का अनुरोध किया।

भारतीय बैंक नोटों एवं सिक्कों के डिज़ाइन व जारी करने में कौन-कौन शामिल होता है?

- विषय:
 - ◆ **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** और केंद्र सरकार बैंक नोटों एवं सिक्कों के डिज़ाइन तथा स्वरूप में बदलाव का फैसला करते हैं।

- ◆ करेंसी नोट के डिज़ाइन में किसी भी बदलाव को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये ।
- सिक्कों के डिज़ाइन में बदलाव करना केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है ।
- नोट जारी करने में RBI की भूमिका:

 - ◆ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22, RBI को भारत में बैंक नोट जारी करने का “एकमात्र अधिकार” प्रदान करती है ।
 - केंद्रीय बैंक आंतरिक रूप से डिज़ाइन तैयार करता है, जिसे RBI के केंद्रीय बोर्ड के सामने रखा जाता है ।
 - ◆ धारा 25 में कहा गया है कि “बैंक नोटों का डिज़ाइन, स्वरूप और सामग्री ऐसी होनी चाहिये जैसा कि RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो ” ।
 - ◆ RBI के मुद्रा प्रबंधन विभाग के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में मुद्रा प्रबंधन के कार्य को प्रशासित करने की जिम्मेदारी है ।
 - यदि किसी करेंसी नोट का डिज़ाइन बदलना है, तो विभाग डिज़ाइन पर काम करता है और इसे RBI को प्रस्तुत करता है, जो केंद्र सरकार को इसकी अनुशंसा करता है । सरकार अंतिम मंजूरी देती है ।
 - सिक्कों की ढलाई में केंद्र सरकार की भूमिका:

 - ◆ सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार, विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्कों की रूपरेखा तैयार करने (डिज़ाइनिंग) तथा ढलाई की जिम्मेदारी भारत सरकार की है ।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सिक्कों के वितरण करने तक सीमित है ।
 - ◆ भारतीय रिज़र्व बैंक से वार्षिक आधार पर प्राप्त होने वाले मांगपत्र (इंडेंट) के आधार पर ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा का निर्धारण भारत सरकार करती है ।
 - ◆ सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के स्वामित्व वाली चार टक्सालों में की जाती है । ये टक्साल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा में स्थित हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक की मुद्रा प्रबंधन प्रणाली:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार तथा अन्य साझेदारों के परामर्श से एक वर्ष में मूल्यवर्ग वार संभावित आवश्यक बैंक नोटों की मात्रा का आकलन किया जाता है और बैंक नोटों की आपूर्ति हेतु विभिन्न करेंसी प्रिंटिंग प्रेसों को मांगपत्र (इंडेंट) सौंपता है ।
- ◆ भारत सरकार की दो प्रिंटिंग प्रेस नासिक (पश्चिमी भारत) तथा देवास (मध्य भारत) में स्थित हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक नोट

मुद्रण लिमिटेड (BRBNML) की दो अन्य प्रेस मैसूर (दक्षिण भारत) तथा सालबोनी (पूर्वी भारत) में स्थित हैं ।

- संचलन से वापस लिये गए बैंक नोटों की जाँच की जाती है तथा जो संचलन के योग्य हैं उन्हें पुनः जारी किया जाता है, जबकि अन्य (गंदे तथा कटे-फटे) को नष्ट कर दिया जाता है ताकि संचलन में बैंक नोटों की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके ।

अब तक जारी नोटों के प्रकार:

- अशोक स्तंभ वाले बैंक नोट: स्वतंत्र भारत में पहला बैंक नोट वर्ष 1949 में जारी किया गया जो कि 1 रुपए का नोट था । मौजूदा डिज़ाइन को जारी रखते हुए नए बैंक नोटों में किंग जॉर्ज के चित्र की बजाय वॉटरमार्क वाले स्थान में सारनाथ के अशोक स्तंभ की **लायन कैपिटल** के प्रतीक का उपयोग किया गया ।
- महात्मा गांधी (एमजी) शृंखला वाले नोट, 1996: इस शृंखला के सभी बैंक नोटों पर अशोक स्तंभ की लायन कैपिटल के प्रतीक के स्थान पर आगे की तरफ महात्मा गांधी का चित्र है, जिसे वॉटरमार्क वाले स्थान के बाईं ओर रखा गया था । इन बैंक नोटों में **महात्मा गांधी** वॉटरमार्क के साथ-साथ महात्मा गांधी का चित्र भी है ।
- महात्मा गांधी शृंखला वाले नोट, 2005: “MG सीरीज़ 2005” के तहत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट जारी किये गए थे । इन नोटों में 1996 की MG सीरीज़ की तुलना में कुछ अतिरिक्त/नई सुरक्षा संबंधी विशेषताएँ हैं । इस शृंखला के 500 और 1,000 रुपए के नोटों को 8 नवंबर, 2016 की मध्यरात्रि के बाद वापस ले लिया गया था ।
- महात्मा गांधी (नई) शृंखला वाले नोट, 2016: “MGNS” नोट देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करते हैं । छोटे आकार के होने के कारण ये नोट वॉलेट के लिये अधिक अनुकूल हैं, इनके खराब होने की संभावना भी कम होती है । इन नोटों का रंग साफ़ और स्पष्ट है ।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभों और जोखिमों को रेखांकित किया ।

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

- रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीमा पार लेन-देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है ।

- इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिये रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन-देन के साथ-साथ पूँजी खाता लेन-देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना शामिल है।
 - ◆ जहाँ तक रुपए का सवाल है, यह पूँजी खाते में आंशिक रूप से जबकि चालू खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय है।
 - ◆ चालू और पूँजी खाता भुगतान संतुलन के दो घटक हैं। पूँजी खाते में ऋण एवं निवेश के माध्यम से पूँजी की सीमा पार आवाजाही होती है तथा चालू खाता मुख्य रूप से वस्तुओं व सेवाओं के आयात और निर्यात से संबंधित होता है।

रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों ?

- ◆ डॉलर का वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार में 88.3% हिस्सा है, इसके बाद यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग का स्थान आता है; चौंक रुपए की हिस्सेदारी मात्र 1.7% है, अतः यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा को बढ़ावा देने के लिये इस दिशा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ◆ डॉलर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, 'अत्यधिक' विशेषाधिकारों के अंतर्गत भुगतान संतुलन संकट से प्रतिरक्षा प्रदान करता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विदेशी घाटे को अपनी मुद्रा के साथ कवर कर सकता है।

रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न लाभ:

- सीमा पार लेनदेन में रुपए का उपयोग भारतीय व्यापार के लिये मुद्रा जोखिम को कम करता है। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यापार की लागत को कम करती है, बल्कि यह व्यापार के बेहतर विकास को भी सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय व्यापार के विश्व स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होता है।
- यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करता है। जबकि भंडार विनियम दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने और बाहरी स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, यह अर्थव्यवस्था पर एक लागत आरोपित करता है।
- विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को कम करने से भारत बाहरी जोखिमों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में मौद्रिक नीति सख्त होने और डॉलर को मजबूत करने के चरणों के दौरान, घरेलू व्यापार की अत्यधिक विदेशी मुद्रा देनदारियों के परिणामस्वरूप वास्तविक घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मुद्रा जोखिम के कम होने से पूँजी प्रवाह के उत्क्रमण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
- जैसे-जैसे रुपए का उपयोग महत्वपूर्ण होता जाएगा, भारतीय व्यापार की सौदेबाजी की शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भारत के वैश्विक कद और सम्मान को बढ़ाने में मदद करेगी।

रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियाँ:


- भारत एक पूँजी की कमी वाला देश है इसलिये इसके विकास हेतु विदेशी पूँजी की आवश्यकता है। यदि इसके व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रुपए में होगा तो अनिवासियों के पास भारतीय रुपए की शेष राशि होगी जिसका उपयोग भारतीय संपत्ति हासिल करने के लिये किया जाएगा। ऐसी वित्तीय आस्तियों की बड़ी होल्डिंग बाहरी जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है, जिसके प्रबंधन के लिये अधिक प्रभावी नीतिगत साधनों की आवश्यकता होगी।
- बाहरी लेन-देन में परिवर्तनीय मुद्राओं की कम भूमिका से आरक्षित निधि में कमी आ सकती है। हालाँकि भंडार की आवश्यकता भी उस सीमा तक कम हो जाएगी जिस सीमा तक व्यापार घाटे को रुपए में वित्तपोषित किया जाता है।
- रुपए की अनिवासी होल्डिंग घरेलू वित्तीय बाजारों में बाहरी प्रोत्साहन के पास-शू को बढ़ा सकती है, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिये वैश्विक रूप से कम जोखिम अनिवासियों को अपनी रुपए होल्डिंग्स को परिवर्तित करने और भारत से बाहर भेजने के लिये प्रेरित कर सकता है।

रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिये उठाए गए कदम:

- जुलाई 2022 में RBI ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन प्रणाली शुरू की।
- रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा प्रदान करना (विशेषकर मसाला बांड के संदर्भ में)।
- एशियाई क्लीयरिंग यूनियन, सेटलमेंट के लिये घरेलू मुद्राओं का उपयोग करने की एक योजना के लिये प्रयासरत है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें द्विपक्षीय या व्यापारिक संदर्भ में प्रत्येक देश के आयातकों को घरेलू मुद्रा में भुगतान करने का विकल्प होता है, सभी देशों के इसके पक्ष में होने की संभावना के चलते यह महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- रुपए में भुगतान की हालिया पहल एक अलग वैश्विक आवश्यकता और व्यवस्था से संबंधित है लेकिन वास्तविक अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा विदेशों में रुपए के व्यापक उपयोग के लिये केवल रुपए में व्यापार समझौता करना पर्याप्त नहीं होगा। भारत व विदेशी बाजारों दोनों में विभिन्न वित्तीय साधनों के संदर्भ में रुपए के और उदारीकृत भुगतान एवं निपटान को अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है।
- रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिये एक कुशल स्वैप बाजार और एक मजबूत विदेशी मुद्रा बाजार की भी आवश्यकता हो सकती है।
- समग्र आर्थिक बुनियादी आयामों में सुधार और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती के साथ सॉवरेन रेटिंग में वृद्धि से भी रुपए की स्वीकार्यता को मजबूती मिलेगी जिससे इस मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा।



चलनिधि समायोजन सुविधा

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2022 में बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ावा देने के लिये 72,860.7 करोड़ रुपए का निवेश किया। त्योहारी सीजन के दौरान क्रेडिट की अधिक मांग के चलते तरलता की स्थिति सख्त होने के बाद यह अप्रैल 2019 के बाद से सबसे अधिक है।
- रुपए की अस्थिरता को कम करने के लिये यह विदेशी मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप है।

तरलता:

- बैंकिंग प्रणाली में तरलता आसानी से उपलब्ध नकदी को संबंधित करती है जिससे बैंक अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय ज़ारूरतों को पूरा करते हैं।
- किसी निश्चित दिन पर यदि बैंकिंग प्रणाली **तरलता समायोजन सुविधा (LAF)** के तहत RBI से एक शुद्ध उधारकर्ता है, तो इसे तरलता के घाटे की स्थिति कहा जाता है और यदि बैंकिंग प्रणाली RBI के लिये एक शुद्ध ऋणदाता है तो इसे तरलता अधिशेष कहा जाता है।

तरलता समायोजन सुविधा (LAF):

- LAF भारतीय रिजर्व बैंक की **मौद्रिक नीति** के तहत प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों, रेपो एंग्रीमेंट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने या रिवर्स रेपो एंग्रीमेंट के माध्यम से RBI को ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है।
- इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर **नरसिंहम समिति** के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था।
- तरलता समायोजन सुविधा के दो घटक रेपो (पुनर्खरीद समझौता) और रिवर्स रेपो हैं। जब बैंकों को अपनी दैनिक

आवश्यकता को पूरा करने के लिये तरलता की आवश्यकता होती है, तो वे रेपो के माध्यम से RBI से उधार लेते हैं। जब बैंकों के पास धन की अधिकता होती है, तो वे रिवर्स रेपो प्रणाली के माध्यम से रिवर्स रेपो दर पर RBI को उधार देते हैं।

- इससे मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर व घटाकर अर्थव्यवस्था में **मुद्रास्फीति** का प्रबंधन किया जा सकता है।
- LAF का उपयोग बैंकों को आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान या उनके नियंत्रण से परे होने वाले उत्तर-चढ़ाव की स्थिति में अल्पकालिक नकदी की कमी को पूरा करने के लिये किया जाता है।
- विभिन्न बैंक रेपो समझौते के माध्यम से पात्र प्रतिभूतियों को बंधक के रूप में उपयोग करते हैं और अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये धन का उपयोग करते हैं, इस प्रकार इनकी स्थिरता बनी रहती है।
- इस सुविधा को दिन-प्रतिदिन के आधार पर लागू किया जाता है क्योंकि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास ओवरनाइट बाजार में पर्याप्त पूँजी है।
- चलनिधि समायोजन सुविधाओं का लेन-देन नीलामी के माध्यम से दिन के एक निर्धारित समय पर होता है।

मौद्रिक नीति:

- मौद्रिक नीति का तात्पर्य निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये केंद्रीय बैंक द्वारा अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों का उपयोग करना है।
- RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य, विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
 - सतत विकास के लिये मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है।
 - संशोधित RBI अधिनियम, 1934 में हर पाँच साल में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित **मुद्रास्फीति** लक्ष्य ($4\% + -2\%$) रखने का भी प्रावधान है।
- मौद्रिक नीति के उपकरण:
 - नकद आरक्षित अनुपात (CRR)।
 - वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)।
 - बैंक दर।
 - स्थायी जमा सुविधा (SDF)।
 - सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)।
 - नकद आरक्षित अनुपात (CRR)।

भारतीय इतिहास

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 90वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।



डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

● परिचय:

- ◆ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था।
- ◆ उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस और विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- ◆ उन्होंने वर्ष 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची से विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की।
- ◆ वह भारत और विदेशों से 48 विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त करने के अद्वितीय सम्मान के साथ भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक हैं।
- ◆ उन्होंने वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वर्ष 2007 में पूरा कार्यकाल पूरा किया।
- ◆ उन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिससे उन्हें 'भारत का मिसाइल मैन' कहा जाता है।

● प्राप्त पुरस्कार:

- ◆ उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार - पद्म भूषण (1981) और

पद्म विभूषण (1990) तथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न (1997) से सम्मानित किया गया।

● साहित्यिक रचनाएँ:

- ◆ 'विंग्स ऑफ फायर', 'इंडिया 2020 - ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम', 'माई जर्नी' और 'इग्नाइटेड माइंड्स - अनलीशिंग द पावर इन इंडिया', 'इंडोमेबल स्पिरिट', 'गाइडिंग सोल्स', 'एनविजनिंग ए एम्पावर्ड नेशन', 'प्रेरणादायक विचार' आदि।

● मृत्यु:

- ◆ 27 जुलाई 2015 शिलांग, मेघालय में उनकी मृत्यु हो गई।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान:

● योगदान:

- ◆ 'फाइबरग्लास' तकनीक में अग्रणी

- वह 'फाइबरग्लास' प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने इसरो में इसे डिजाइन करने तथा इसके विकास कार्य को शुरू करने हेतु एक युवा टीम का नेतृत्व किया था, जिससे 'कंपोजिट रॉकेट मोटर' का निर्माण संभव हो पाया।

◆ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV-3):

- उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी 'सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल' (SLV-3) को विकसित करने हेतु परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में 'रोहिणी उपग्रह' का नियर-अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया।


- वह इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम, विशेष रूप से PSLV कॉन्फिगरेशन के विकास हेतु उत्तरदायी थे।

◆ स्वदेशी निर्देशित मिसाइलें:

- इसरो में दो दशकों तक काम करने और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली।

- वह 'एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम' (IGMDP) के मुख्य कार्यकारी थे।

- उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से सामरिक मिसाइल प्रणालियों और पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया, जिसने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना दिया।
- ◆ प्रौद्योगिकी विज्ञन 2020:
 - वर्ष 1998 में उन्होंने 'टेक्नोलॉजी विज्ञन-2020' नामक एक देशव्यापी योजना को सामने रखा, जिसे उन्होंने 20 वर्षों में भारत को 'अल्प-विकसित' से विकसित समाज में बदलने के लिये एक रोडमैप के रूप में पेश किया।
 - योजना में अन्य उपायों के अलावा कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास के बाहक के रूप में प्रौद्योगिकी पर ज़ोर देना और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा तक पहुँच को व्यापक बनाना भी शामिल है।
- ◆ चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा:
 - एपीजे अब्दुल कलाम ने हृदय रोग विशेषज्ञ बी. सोमा राजू के सहयोग से कोरोनारी हृदय रोग के लिये 'कलाम-राजू-स्टेंट' विकसित किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा सभी के लिये सुलभ हो पाई।
 - इस उपकरण से भारत में आयातित कोरोनारी स्टेंट की कीमतों में 50% से अधिक की कमी आई है।
- ◆ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट:
 - वे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट से विशेष रूप से जुड़े हुए थे।
 - वह एवियोनिक्स से जुड़े हुए थे। वह लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष भी बने।
- ◆ अन्य
 - उन्होंने 'PURA' (प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज) के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका अधिकल्पित की गई थी।
 - अपने विविध अनुभवों के आधार पर उन्होंने 'विश्व ज्ञान मंच' की अवधारणा का प्रचार किया, जिसके माध्यम से 21वीं सदी की चुनौतियों के लिये संगठनों और राष्ट्रों की मुख्य दक्षताओं को नवप्रवर्तन एवं समाधान तथा उत्पाद बनाने हेतु समन्वित किया जा सकता है।



डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
("मिसाइल मैन ऑफ इंडिया")

"दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो हमें हमारी सभी कुंडों और बाधाओं के माध्यम से देखती है। यह हमारी इच्छाशक्ति के निर्माण में मदद करती है जो सफलता का आधार है।"

संक्षिप्त परिचय

- * जन्म: 15 अक्टूबर, 1931 गमेश्वरम (तमिलनाडु)
- * इनके जन्मादित्य को गंगार्दीन नवाचार दिवस (National Innovation Day) तथा विश्व विज्ञानी दिवस (World Students' Day) के रूप में नामाया जाता है।
- * भारत के 11वें राष्ट्रपति (2002-2007)
- * मृत्यु: 27 जूलाई, 2015 शिलांग (मेघालय)

पुरस्कार

- पद्म भूषण (1981)
- पद्म विभूषण (1990)
- भारत रत्न (1997)
- बीर सावाकर पुरस्कार (1998)
- किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल (2007)
- शूबर मेडल (2008)

प्रमुख योगदान

- फाइबरसलास टेक्नोलॉजी के प्रयोत्ता
- एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- पोखरण-2 परमाणु परीक्षण का नेतृत्व
- इसरो के प्रोफेशनल यान कार्यक्रम, विशेष रूप से PSLV के विकास के व्यापारित विभिन्न रूपों
- टेक्नोलॉजी विज्ञन 2020 नामक एक देशव्यापी योजना को प्रस्तुत किया
- देश के हालके लड़ाकू विभान परियोजना में समर्पित रहे।
- PURA (Providing Urban Amenities to Rural Areas) योजना के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि लाने की मार्ग समिल रहे।

माहितिक रचनाएँ

- “विस्स ऑफ फायर”, “इंडिया 2020-ए विज्ञन फॉर्म एन्ड विलोनिमेंट”, “ग्राम जनी”, “इनानटेंड ग्रामइंड-अन्नतीशिंग ए डॉक्यूमेंट इंडिया”, “इनडॉमिटेल एन्ड पर्फॉर्मेंट”, “ग्रामिण सोलास”, “इनवेन्टिंग एन्ड एप्लाइयिंग थॉर्ट्स” आदि।

भारत में सिक्का प्रणाली का विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली एनसीटी की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री से नोटों (मुद्रा) पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के चित्र छापने का अनुरोध किया।

- भारत में देवी-देवताओं के चित्रों के साथ सिक्के बनाने की एक लंबी परंपरा है। तीसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन करने वाले कुषाणों ने सबसे पहले अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के चित्र का उपयोग किया था।

भारत में सिक्कों का इतिहास:

- पंचमार्क (आहात) सिक्के:

- ◆ 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा पहली शताब्दी ईस्वी के बीच जारी 'पंचमार्क' सिक्कों को पहला प्रलेखित सिक्का माना जाता है।

- ◆ इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीक के कारण 'पंचमार्क' सिक्के कहा जाता है। ये अधिकतर चाँदी के हैं एवं इन पर कई प्रतीक बनें हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग पंच (ठप्पा) द्वारा बनाया गया था।
- ◆ इन्हें सामान्य तौर पर दो अवधियों में वर्गीकृत किया गया है:
 - पहली अवधि का श्रेय जनपदों या छोटे स्थानीय राज्यों को दिया जाता है।
 - दूसरी अवधि का श्रेय शाही मौर्य काल को जाता है।
 - इन सिक्कों पर पाए जाने वाले रूपांकन ज्यादातर प्रकृति जैसे सूर्य, विभिन्न जानवरों के रूपांकनों, पेड़ों, पहाड़ियों आदि से लिये गए थे।



सातवाहन:

- उनके सत्ता में आने की तिथियाँ विवादास्पद हैं और विभिन्न रूप से 270 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच रखी गई हैं।
- उनके सिक्के मुख्यतः तांबे और सीसे के थे, हालाँकि चाँदी के मुद्रों को भी जाना जाता है।
- इन सिक्कों में हाथी, शेर, बैल, घोड़े आदि जैसे जीव-जंतुओं के रूपांकन होते थे, जिन्हें अक्सर प्रकृति के रूपांकनों जैसे- पहाड़ियों, पेड़ आदि के साथ जोड़ा जाता था।
- सातवाहनों के चाँदी के सिक्कों में चित्र और द्विभाषी किंवदंतियाँ थीं, जो क्षत्रप प्रकारों से प्रेरित थीं।

- राजवंशीय सिक्के:
 - ◆ ये सिक्के सबसे प्राचीन हिंद-यूनानी, शक-पहलवों और कुषाणों से संबंधित हैं। ये सिक्के आमतौर पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तथा दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच प्रचलन में थे।
 - ◆ हिंद-यवन:
 - हिंद-यवन के चाँदी के सिक्के हेलेनिस्टिक परंपरा की विशेषता हैं, जिनमें ग्रीक देवी-देवताओं को प्रमुखता से चित्रित किया गया है, इसके अलावा इनमें जारी करने वालों के चित्र भी हैं।
 - ◆ शक:
 - पश्चिमी क्षत्रपों के शक सिक्के शायद सबसे पुराने दिनांकित सिक्के हैं, जो कि 78 ईस्वी में शुरू हुये शक युग से संबंधित हैं।
 - शक युग से भारतीय गणराज्य का आधिकारिक कैलेंडर प्रेरित है।
 - ◆ कुषाण:
 - मध्य एशियाई क्षेत्र के कुषाणों ने अपने सिक्के में ओशो (शिव), चंद्र देवता मिरो और बुद्ध को चित्रित किया।



पश्चिमी क्षत्रप:

- सिक्कों पर किंवदंतियाँ आमतौर पर ग्रीक में थीं और ब्राह्मी, खरोच्छी का भी इस्तेमाल किया गया था।
- पश्चिमी क्षत्रप के सिक्कों को तारीखों वाले सबसे पुराने सिक्के माना जाता है।
- आम तांबे के सिक्के 'बैल और पहाड़ी' तथा 'हाथी एवं पहाड़ी' प्रकार हैं।



चोल:

Coins of the Cholas
9th - 13th Centuries

उदुपी के अलुपसः:

Coins of the Alupas of Udupi
11th - 13th Centuries

गुप्तकालीन सिक्के:

- गुप्तकालीन सिक्के (चौथी-छठी शताब्दी ईस्वी) कुषाणों की परंपरा का पालन करता है, जिसमें राजा को अग्रभाग पर और एक देवता को पीछे की ओर दर्शाया गया है; देवता भारतीय थे और किंवदंतियाँ ब्राह्मी में थीं।
- सबसे पुराने गुप्तकालीन सिक्के का श्रेय समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त को दिया जाता है तथा उनके सिक्के अक्सर राजवंशीय उत्तराधिकार महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं, जैसे- विवाह गठबंधन, घोड़े की बलि या शाही सदस्यों की कलात्मक और व्यक्तिगत उपलब्धियों (गीतकार, धनुर्धर, सिंह आदि) को दर्शाते हैं।

Description	Obverse	Reverse
King as Horseman		
King as Lion Slayer		

दक्षिणी भारत के सिक्के:

चेरः



नोट :

भारतीय राजनीति

कानून प्रणाली में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने बीडियो कॉफ़ेंस के माध्यम से कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने न्याय प्रदान करने में आसानी के लिये कानूनी प्रणाली में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की वकालत की।
- उन्होंने जोर देकर कहा कि “न्याय में आसानी” के लिये नए कानूनों को स्पष्ट तरीके से और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाना चाहिये ताकि गरीब भी उन्हें आसानी से समझ सकें एवं कानूनी भाषा नागरिकों के लिये बाधा न बने।

कानूनी प्रणाली में भाषाओं की पृष्ठभूमि:

- पृष्ठभूमि:
 - ◆ भारत में न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ने मुगल काल के दौरान उर्दू से फारसी और फारसी लिपियों में बदलाव के साथ सदियों से एक संक्रमण देखा है जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी अधीनस्थ न्यायालयों में जारी रहा।
 - ◆ अंग्रेज़ों ने भारत में राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी के साथ कानून की एक संहिताबद्ध प्रणाली की शुरुआत की।
 - ◆ स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के **अनुच्छेद 343** में प्रावधान किया गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।
 - हालाँकि यह अनिवार्य किया गया है कि भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद 15 वर्षों तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों हेतु अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग जारी रहेगा।
 - यह आगे प्रावधान करता है कि **राष्ट्रपति** उक्त अवधि के दौरान अंग्रेज़ी भाषा के अलावा संघ के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये हिंदी भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - ◆ **अनुच्छेद 348 (1) (A)**, इस भाग के पूर्वांगमी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक **सर्वोच्च न्यायालय** और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेज़ी में की जाएगी।

◆ अनुच्छेद 348 (2) यह भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348 (1) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का **राज्यपाल**, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।

- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पहले ही अपने-अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के उपयोग को अधिकृत कर दिया है और तमिलनाडु भी अपने उच्च न्यायालय के समक्ष तमिल भाषा के उपयोग को अधिकृत करने के लिये उसी दिशा में काम कर रहा है।
- ◆ एक अन्य प्रावधान में यह कहा गया है कि इस खंड का कोई भी भाग उच्च न्यायालय द्वारा किये गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा।

◆ इसलिये संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेज़ी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है कि भले ही उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाए लेकिन उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेज़ी में दिये जाने चाहिये।

राजभाषा अधिनियम 1963:

- ◆ राजभाषा अधिनियम- 1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी संलग्न करना होगा।
- ◆ यह प्रावधान करता है कि जहाँ कोई निर्णय/आदेश ऐसी किसी भी भाषा में पारित किया जाता है, तो उसके साथ उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद होना चाहिये।

■ यदि इसे संवैधानिक प्रावधानों के साथ पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम द्वारा भी अंग्रेज़ी को प्रधानता दी गई है।

- ◆ राजभाषा अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं है, जहाँ अंग्रेज़ी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कार्यवाही की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा:

- ◆ उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ सभी न्यायालयों की भाषा आमतौर पर वही रहती है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने तक

- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रारंभ पर भाषा के रूप में होती है।
- ◆ अधीनस्थ न्यायालयों में भाषा के प्रयोग के संबंध में प्रावधान में यह शामिल है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के तहत जिला न्यायालयों की भाषा अधिनियम की भाषा के समान होगी।
 - ◆ राज्य सरकार के पास न्यायालय की कार्यवाही के विकल्प के रूप में किसी भी क्षेत्रीय भाषा को घोषित करने की शक्ति है।
 - हालाँकि मजिस्ट्रेट द्वारा अंग्रेजी में निर्णय, आदेश और डिक्री पारित की जा सकती है।
 - साक्ष्यों को दर्ज करने का कार्य राज्य की प्रचलित भाषा में किया जाएगा।
 - अभिवक्ता के अंग्रेजी से अनभिज्ञ होने की स्थिति में उसके अनुरोध पर अदालत की भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा और इस तरह की लागत अदालत द्वारा बहन की जाएगी।
 - ◆ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 272 में कहा गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य सभी न्यायालयों की भाषा का निर्धारण करेगी। मोटे तौर पर इसका तात्पर्य यह है कि जिला अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्रीय भाषा होगी।

कानूनी प्रणाली में अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने के कारण:

- परिचय:
 - ◆ जिस तरह पूरे देश से मामले सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के जज और वकील भी भारत के सभी हिस्सों से आते हैं।
 - ◆ न्यायाधीशों से शायद ही उन भाषाओं में दस्तावेज़ पढ़ने और तर्क सुनने की उम्मीद की जा सकती है जिनसे वे परिचित नहीं हैं।
 - ◆ अंग्रेजी के प्रयोग के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना असंभव होगा। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय भी अंग्रेजी में दिये जाते हैं।
 - हालाँकि वर्ष 2019 में न्यायालय ने अपने निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये एक पहल की शुरुआत की, बल्कि यह एक लंबा आदेश है, जो न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों की भारी मात्रा को देखते हुए दिया गया है।
- अंग्रेजी का उपयोग करने का महत्व:
 - ◆ एकरूपता: वर्तमान में भारत में न्यायिक प्रणाली पूरे देश में अच्छी तरह से विकसित, एकीकृत और एक समान है।

- ◆ आसान पहुँच: वकीलों के साथ-साथ न्यायाधीशों को समान कानूनों और कानून व संविधान के अन्य मामलों पर अन्य उच्च न्यायालयों के विचारों तक आसान पहुँच का लाभ मिलता है।
- ◆ निर्बाध स्थानांतरण: वर्तमान में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जाता है।
- ◆ एकीकृत संरचना: इसने भारतीय न्यायिक प्रणाली को एक एकीकृत संरचना प्रदान की है। किसी भी मजबूत कानूनी प्रणाली की पहचान यह है कि कानून निश्चित, सटीक और अनुमानित होना चाहिये तथा हमने भारत में इसे लगभग हासिल कर लिया है।
- ◆ संपर्क भाषा: बहुत हद तक हम अंग्रेजी भाषा के लिये ऋणी हैं, जिसने भारत के लिये एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य किया है जहाँ हमारे पास लगभग दो दर्जन आधिकारिक राज्य भाषाएँ हैं।

आगे की राह:

- अब आवश्यकता है कि न्यायालयों में स्थानीय भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए, इससे न केवल आप नागरिकों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे अधिक जु़ड़ाव महसूस करेंगे।
- भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, एक ऐसी न्यायिक प्रणाली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये जहाँ न्याय सरलता से सभी को त्वरित और समान रूप से उपलब्ध हो।
- न्यायपालिका और विधायिका का समन्वय देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था का खाका तैयार करेगा।

समान नागरिक संहिता

चर्चा में क्यों?

कानून और न्याय मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि न्यायालय संसद को कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है और इसने देश में समान नागरिक संहिता (UCC) की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं (PIL) को खारिज करने की मांग की है।

जनहित याचिकाओं के विषय:

- याचिकाकर्त्ताओं ने विवाह, तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता (पूर्व पत्नी या पति को कानून द्वारा भुगतान किया जाने वाला धन) को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग की है।

- याचिकाओं में तलाक के कानूनों के संबंध में विसंगतियों को दूर करने और उन्हें सभी नागरिकों के लिये एक समान बनाने तथा बच्चों को गोद लेने एवं संरक्षकता के लिये समान दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी।

सरकार का रुखः

- न्यायालय इस मामले में कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकती क्योंकि यह नीति का मामला है जिसका फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को करना चाहिये। विधायिका को कानून पारित करने या बीटो करने की शक्ति है।
- विधि मंत्रालय ने **विधि आयोग** से समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जाँच करने और समुदायों को शासित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की संवेदनशीलता, उनके गहन अध्ययन के आधार पर विचार करते हुए सिफारिशें करने का अनुरोध किया था।
- 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में 'परिवार कानून में सुधार' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया था लेकिन 21वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में ही समाप्त हो गया।

समान नागरिक संहिता:

- परिचय:
 - समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विवासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
 - संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
 - अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित **राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों** में से एक है।
 - अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित "धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" की अवधारणा को मजबूत करना है।

- पृष्ठभूमि:
 - समान नागरिक संहिता (UCC) की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, हालाँकि रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई।

- ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिये बी.एन. राव समिति गठित करने के लिये मजबूर किया।
- इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिये निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम** के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया।
 - हालाँकि मुस्लिम, इसाई और पारसी लोगों के लिये अलग-अलग व्यक्तिगत कानून थे।
- कानून में समरूपता लाने के लिये विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।
 - शाह बानो मामले** (1985) में दिया गया निर्णय सर्वीविदित है।
 - सरला मुद्रगाल वाद (1995) भी इस संबंध में काफी चर्चित है, जो कि बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच विवाद से जुड़ा हुआ था।
- प्रायः यह तर्क दिया जाता है 'ट्रिपल तलाक' और बहुविवाह जैसी प्रथाएँ एक महिला के सम्मान तथा उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति

- वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून, सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे- **भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882, भागीदारी अधिनियम, 1932, साक्ष्य अधिनियम, 1872** आदि।
- हालाँकि राज्यों ने कई कानूनों में संशोधन किये हैं परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी विविधता है।
 - हाल ही में कई राज्यों ने एक समान रूप से **मोटर वाहन अधिनियम, 2019** को लागू करने से इनकार कर दिया था।
 - वर्तमान में गोवा, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ UCC लागू है।

व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता का निहितार्थः

- समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण:
- समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा

प्रदान करना है, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा।

- कानूनों का सरलीकरण
 - ◆ समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएंगी। परिणामस्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।
- धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल:
 - ◆ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून बनाना चाहिये।
- लैंगिक न्याय
 - ◆ यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षणत की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।

चुनौतियाँ

- विविध व्यक्तिगत कानून:
 - ◆ विभिन्न समुदायों के बीच रीति-रिवाज बहुत भिन्न होते हैं।
 - यह भी एक मिथक है कि हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं। उत्तर में निकट संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है।
 - ◆ पर्सनल लॉ में एकरूपता का अभाव मुसलमानों और ईसाइयों के लिये भी सही है।
 - ◆ संविधान द्वारा नगालैंड, मेघालय और मिज़ोरम के स्थानीय रीति-रिवाजों को सुरक्षा दी गई है।
 - ◆ व्यक्तिगत कानूनों की अत्यधिक विविधता (जिस भाव के साथ उनका पालन किया जाता है) किसी भी प्रकार की एकरूपता को प्राप्त करना बहुत कठिन बना देते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच साझे विचार स्थापित करना जटिल कार्य है।
- सांप्रदायिकता की राजनीति:
 - ◆ कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिकता की राजनीति के संदर्भ में की जाती है।
 - ◆ समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।
- संवैधानिक बाधा:
 - ◆ भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 25**, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14** में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है।

आगे की राह

- परस्पर विश्वास के निर्माण के लिये सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रुद्धिवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए।
- एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग-अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है।
- सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वग्रह और रुद्धिवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके।

हिंदी भाषा विवाद

चर्चा में क्यों ?

भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई राजभाषा समिति की रिपोर्ट के 11वें खंड पर कुछ दक्षिणी राज्यों की नाराजगी की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं (वे रिपोर्ट को उन पर हिंदी थोपने के प्रयास के रूप में देखते हैं)।

पैनल की सिफारिशें:

- हिंदी भाषी राज्यों में IIT, IIM और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिये।
- प्रशासन में संचार के लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी होनी चाहिये और पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय, जहाँ कार्यवाही अंग्रेजी या एक क्षेत्रीय भाषा में की जाती है, हिंदी में अनुवाद उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के फैसले अक्सर निर्णयों में उद्भूत होते हैं।
- ◆ उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में निचली अदालतें पहले से ही हिंदी का उपयोग करती हैं।
- हिंदी भाषी राज्यों में केंद्र सरकार के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा हिंदी के उपयोग को उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में दर्शाया जाएगा।
- यह समिति की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व होगा कि आधिकारिक संचार में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए।
- आधिकारिक दस्तावेज़ और निमंत्रण पत्रों में भाषा को सरल बनाने के लिये विशिष्ट प्रस्ताव हैं।

- ◆ “आधिकारिक संचार में अंग्रेजी भाषा के उपयोग को कम करने और हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये”।
- ◆ “कई सरकारी नौकरियों में हिंदी का ज्ञान अनिवार्य होगा”।

सिफारिशें राज्य सरकारों, उनके संस्थानों और विभागों हेतु लक्षित:

- तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं नियमों और विनियमों (अधिनियम के), 1976 के अनुसार छूट दी गई है।
- कानून केवल ‘A’ श्रेणी के उन राज्यों में लागू किया गया है, जिनमें आधिकारिक भाषा हिंदी है।
- ◆ नियमों के अनुसार, श्रेणी ‘A’ में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वाप समूह शामिल हैं।
- ◆ श्रेणी ‘B’ में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली शामिल हैं।
- ◆ अन्य राज्य, जहाँ हिंदी का उपयोग 65% से कम है, श्रेणी ‘C’ के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
- समिति ने सुझाव दिया है कि श्रेणी ‘A’ के राज्यों में हिंदी का शत-प्रतिशत प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- ◆ श्रेणी ‘A’ के राज्यों में IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों (KV) में शिक्षा का माध्यम हिंदी होनी चाहिये, जबकि अन्य राज्यों में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिये।
- समिति के अनुसार, सरकारी विभागों में हिंदी का प्रयोग:
- ◆ रक्षा और गृह मंत्रालयों में हिंदी का प्रयोग शत-प्रतिशत है लेकिन शिक्षा मंत्रालय अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँचा है।
- ◆ भाषा के उपयोग का आकलन करने के लिये समिति के कुछ मानदंड थे।
 - दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU और AMU सहित कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रयोग केवल 25-35% है, जबकि इसे शत-प्रतिशत होना चाहिये था।

राजभाषा पर संसदीय समिति:

- राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 351 द्वारा अनिवार्य रूप से हिंदी के सक्रिय प्रचार के साथ आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग की समीक्षा और प्रचार के लिये राजभाषा समिति का गठन किया गया था।

- समिति की पहली रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रस्तुत की गई थी।
- समिति का गठन और अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है और वर्ष 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 30 सदस्य (लोकसभा से 20 सांसद और राज्यसभा से 10 सांसद) हैं।
- अन्य संसदीय पैनल संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जबकि इसके विपरीत यह पैनल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो “रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगा और सभी राज्य सरकारों को भेजेगा।

हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयास:

- त्रिभाषा सूत्र (कोठारी आयोग 1968):
- ◆ पहली भाषा: यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
- ◆ दूसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएँ या अंग्रेजी होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी।
- ◆ तीसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी।
- वर्ष 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में भी “हिंदी, “संस्कृत” और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। NEP का मानना है कि कक्षा 5 से संभवतः कक्षा 8 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होगी।
- ◆ NEP 2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये त्रिभाषा फॉर्मूले पर जोर देने का निर्णय लिया गया।

अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में भारत में हिंदी की स्थिति:

- वर्ष 2011 की भाषायी जनगणना के अनुसार: भारत में 121 मातृभाषाएँ हैं।
- ◆ 8 करोड़ व्यक्तियों या यूं कहें कि 43.6% आबादी ने हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित किया और 11% आबादी ने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में बताया है।
- अतः 55% आबादी हिंदी को या तो मातृभाषा के रूप में या अपनी दूसरी भाषा के रूप में जानती है।
- ◆ 72 करोड़ उपयोगकर्ताओं और 8% जनसंख्या के साथ, बांग्ला भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
- ◆ बांग्ला, मलयालम और उर्दू भाषाओं में गिरावट आई है लेकिन हिंदी और पंजाबी बोलने वालों की संख्या बढ़ी है।
- ◆ वर्ष 1971 से वर्ष 2011 के बीच हिंदी बोलने वालों की संख्या 2.6 गुना बढ़कर 20.2 करोड़ से 52.8 करोड़ हो गई।

हिंदी की संवैधानिक स्थिति:

- भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- अनुच्छेद 351:** यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिये इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति में सभी के लिये अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
- अनुच्छेद 348 (2)** यह भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348 (1) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार, देवनागरी लिपि में हिंदी, संघ की आधिकारिक भाषा होगी।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 धारा 7 के तहत प्रावधान करता है कि अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी राज्य में हिंदी या राजभाषा का उपयोग, भारत के राष्ट्रपति की सहमति से राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय, आज्ञा आदि प्रयोजन के लिये अधिकृत किया जा सकता है।

निजता का अधिकार

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) की 2021 की निजता नीति की जाँच के खिलाफ व्हाट्सएप-मेटा अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज़ कर दिया।

- व्हाट्सएप और मेटा दोनों ने तर्क दिया गया है कि एंटी-ट्रस्ट वॉचडॉग निजता नीति की जाँच नहीं कर सकता है क्योंकि इसे संशोधित डेटा संरक्षण विधेयक पेश होने तक स्थगित रखा जाता है।
- CCI 2002 के प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर विचार करने के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकरण है और इसे जाँच और प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के कथित उल्लंघन से नहीं रोका जा सकता है।

व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति से संबंधित मुद्दे:

- व्हाट्सएप स्वचालित रूप से जो जानकारी एकत्र करता है और उसे फेसबुक के साथ साझा करता है, उसमें मोबाइल फोन नंबर, उपयोगकर्ता गतिविधि और व्हाट्सएप अकाउंट की अन्य बुनियादी जानकारी शामिल होती है।
 - फेसबुक के साथ वाणिज्यिक उपयोगकर्ता डेटा साझा करने के लिये व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति यह स्थापित करती है कि यह स्वयं एक मध्यस्थ होने के बजाय डेटा का मालिक है।

- नई नीति को समझने की कोशिश करें तो उपयोगकर्ताओं के पास अब यह विकल्प नहीं है कि वे अपने डेटा को अन्य स्वामित्व वाले और बाहरी एप्स के साथ साझा न करें।
- व्हाट्सएप नीति श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का खंडन करती है,** जो डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का आधार है। उदाहरण के लिये:
 - ♦ डेटा स्थानीकरण का सिद्धांत का उद्देश्य देश के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण पर अंकुश लगाना है, हो सकता है कि यह व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति के अनुकूल न हो।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक:

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019** को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को **लोकसभा** में पेश किया गया था।
- आमतौर पर इसे “गोपनीयता विधेयक” के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा (जो कि व्यक्ति की पहचान कर सकता है) के संग्रह, संचालन और प्रक्रिया को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है।
- सरकार ने प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों और आम लोगों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के कारण विधेयक को वापस ले लिया।

निजता का अधिकार:

- आमतौर पर यह समझा जाता है कि गोपनीयता अकेला छोड़ दिये जाने के अधिकार (**Right to Be Left Alone**) का पर्याय है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में **के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ** ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और उसके महत्व को वर्णित किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद्य अधिकार है तथा इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिये गए निर्णय शामिल हैं।
- निजता के अधिकार को **अनुच्छेद 21** के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।
- प्रतिबंध (निर्णय में वर्णित):**
 - ♦ इस अधिकार को केवल राज्य कार्रवाई के तहत तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जब वे निम्नलिखित तीन परीक्षणों को पास करते हों :
 - पहला, ऐसी राजकीय कार्रवाई के लिये एक विधायी जनादेश होना चाहिये;

- दूसरा, इसे एक वैध राजकीय उद्देश्य का पालन करना चाहिये;
- तीसरा, यह यथोचित होनी चाहिये, अर्थात् ऐसी राजकीय कार्रवाई- प्रक्रिया और सीमा में समानुपाती होनी चाहिये, एक लोकतांत्रिक समाज के लिये आवश्यक होनी चाहिये तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सबसे कम अंतर्वेधी होनी चाहिये।

निजता की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- बी एन श्रीकृष्ण समिति:
 - ◆ सरकार ने न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण पर विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जिसने जुलाई, 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:
 - ◆ IT अधिनियम, कंप्यूटर प्रणाली से डेटा के संबंध में कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली और उसमें संग्रहीत डेटा के अनधिकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI):

- परिचय:
 - ◆ CCI की स्थापना मार्च 2009 में भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिये की गई थी।
 - ◆ यह मुख्य रूप से बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं के तीन मुद्दों का अनुसरण करता है:
 - ◆ प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौते।
 - ◆ प्रभुत्व का दुरुपयोग।
 - ◆ संयोजन।
- उद्देश्य:
 - ◆ प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना।
 - ◆ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
 - ◆ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
 - ◆ भारत के बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
 - ◆ मजबूत प्रतिस्पर्द्धा माहौल स्थापित करना:
 - उपभोक्ताओं, उद्योग, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों सहित सभी हितधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव।
- संरचना:
 - ◆ आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

- ◆ आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ-साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है।
- ◆ अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

लोक अदालतें

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कैदियों के मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिये जेलों में **लोक अदालत शुरू की**।
- प्रत्येक शनिवार को ये अदालतें लगेंगी। साथ ही विचाराधीन कैदी या/और दोषसिद्ध व्यक्ति को दलील पेश करने या मामले को सुलझाने संबंधी उनके अधिकारों एवं विधिक विकल्पों को भी स्पष्ट किया जाएगा।

लोक अदालतः

- परिचय:
 - ◆ ‘लोक अदालत’ शब्द का अर्थ ‘पीपुल्स कोर्ट’ है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
 - ◆ **सर्वोच्च न्यायालय** के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्यायनिर्णयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है।
 - ◆ यह **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली** के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
 - ◆ इस संबंध में निर्णयों हेतु पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन के आयोजित किया गया था।
 - ◆ समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था। यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबंधित प्रावधान करता है।
- संगठन:
 - ◆ राज्य/ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका कानूनी सेवा समिति अंतराल के साथ विभिन्न स्थानों पर तथा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने व ऐसे क्षेत्रों के लिये लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।
 - ◆ किसी क्षेत्र के लिये आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और

- क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
- सामान्यतः लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील (अधिवक्ता) और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
- ◆ **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA)** अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।
- NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत 9 नवंबर, 1995 को किया गया था जो समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित करने के लिये लागू हुआ था।
- ◆ सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिये स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन किया गया था।
- **कृष्णराधकिरार:**
- ◆ लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिये पक्षों के बीच समझौता या समझौता कराने का अधिकार क्षेत्र होगा:
 - किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला, या
 - कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है।
- ◆ अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिये लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि:
 - दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिये सहमत हों या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिये आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।
 - पूर्व-मुकदमेबाजी के मामले में विवाद के किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।
- ◆ वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगारों के मुआवजे के मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले आदि लोक अदालतों में उठाए जाते हैं।
- ◆ हालांकि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर-कंपाउंडेबल हैं, वे लोक अदालत के दायरे से बाहर के हैं।
- शक्तियाँ:
 - ◆ लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती हैं।
 - ◆ इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिये अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियाँ होंगी।
 - ◆ लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860) के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता (1973) के उद्देश्य के लिये एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।
 - ◆ लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत की डिक्री या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा।
 - ◆ लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।
- महत्व:
 - ◆ इसके तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी।
 - ◆ विवाद निपटन हेतु प्रक्रियात्मक लचीलापन के साथ त्वरित सुनवाई होती है। लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय प्रक्रियात्मक कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
 - ◆ विवाद के पक्षकार सीधे अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ बातचीत कर सकते हैं जो कानून की नियमित अदालतों में संभव नहीं है।
 - ◆ लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला निर्णय सभी पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है और इसे सिविल कोर्ट की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह गैर-अपील योग्य होता है, जिससे अंततः विवादों के निपटारे में देरी नहीं होती है।

निष्कर्ष:

इसके अतिरिक्त, स्थायी लोक अदालतों को मज्जबूत करने और उन्हें उन लोगों जो अदालतों का उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते, के लिये मुकदमेबाजी का पूरक रूप बनाने के लिये मौजूदा कानूनों को अधिक सशक्त बनाने और उनके रचनात्मक उपयोग की आवश्यकता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम

चर्चा में क्यों:

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उसकी गिरफतारी को चुनौती देने वाले एक राजनेता की याचिका को खारिज कर दिया है।

धन शोधन:

● विषय:

- ◆ मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है।
- अवैध हथियारों की बिक्री, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति, गुप्त व्यापार, रिश्वतखोरी और कंप्यूटर धोखाधड़ी जैसी आपराधिक गतिविधियों में बड़ा मुनाफा होता है।
- ◆ ऐसा करने से यह मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अपने अवैध लाभ को “वैध” करने के लिये एक प्रोत्साहन देता है।
- ◆ इससे उत्पन्न धन को ‘डर्टी मनी’ कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग ‘डर्टी मनी’ को ‘वैध’ धन के रूप में प्रकट करने के लिये रूपांतरण की प्रक्रिया है।

● चरण:

- ◆ **प्लेसमेंट:** यह मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है, इसके तहत अपराध से संबंधित धन का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है।
- ◆ **लेयरिंग:** दूसरे चरण में मनी लॉन्ड्रिंग में प्रवेश कराए गए पैसे की ‘लेयरिंग’ की जाती है और उस पैसे के अवैध उद्गम स्रोत को छिपाने के लिये विभिन्न लेन-देन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है।
- ◆ **एकीकरण:** तीसरे और अंतिम चरण में धन को वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार से शामिल किया जाता है कि इसके अपराध के साथ मूल जुड़ाव को समाप्त कर धन को अपराधी द्वारा पुनः वैध तरीके से उपयोग किया जा सके।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:

● पृष्ठभूमि:

- ◆ धन शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (विधान कन्वेंशन) के जवाब में PMLA

अधिनियमित किया गया था। इसमें शामिल है:

- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988
- सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य, 1989
- मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की चालीस सिफारिशें, 1990
- वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम।

परिचय:

- ◆ यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।
- ◆ यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- ◆ इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

PMLA में हाल के संशोधन:

- ◆ **अपराध से अर्जित आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण:** अपराध से अर्जित आय (Proceeds of crime) में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि किसी भी आपराधिक गतिविधि से संबंधित या अनुसूचित अपराध के समान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होकर प्राप्त की गई कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।
- ◆ **मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में परिवर्तन:** इससे पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराध पर निर्भर था, जिसे विधेय अपराध या अनुसूचित अपराध (Predicate offence or Scheduled offence) के रूप में जाना जाता है।
- ◆ संशोधन ने मनी लॉन्ड्रिंग को स्वयं में विशिष्ट अपराध मानने का प्रयास किया है।
- ◆ PMLA की धारा 3 के तहत उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से अर्जित आय से संलग्न है।
- आय छिपाना
- स्वामित्व
- अधिग्रहण
- बेदाग संपत्ति के रूप में उपयोग करना या पेश करना
- बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना

- अपराध की निरंतर प्रकृति: इस संशोधन में आगे उल्लेख किया गया है कि उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उस स्तर तक शामिल माना जाएगा जहाँ तक उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों का फल मिल रहा है क्योंकि यह अपराध निरंतर प्रकृति का है।

प्रवर्तन निदेशालय:

- इतिहास:
 - प्रवर्तन निदेशालय या ED एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो अर्थिक अपराधों की जाँच और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के लिये अनिवार्य है।
 - इस निदेशालय की स्थापना 1 मई, 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा '47) के तहत विनियमन नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया।
- आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, FERA '1973 (जो एक नियामक कानून था) निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया कानून-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) लागू किया गया।
- हाल ही में विदेशी में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FOEA) पारित किया है और ED को इसे लागू करने का कार्य सौंपा गया है।
- कार्य:
 - मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA):
 - इसके तहत धन शोधन के अपराधों की जाँच करना, संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल हैं।
 - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA):
 - इसके तहत फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जाँच की जाती है और दोषियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
 - भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FOEA):
 - इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति पर कब्जा करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं। ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार को सौंपा जाता है।
- COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी:
 - FEMA के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले देखना।

लाभ का पद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'लाभ का पद' के आरोपी झारखंड के मुख्यमंत्री ने सरकार से अपने अपराध को सार्वजनिक करने के साथ-साथ उन्हें त्वरित रूप से दंड दिये जाने का अनुरोध किया था।

'लाभ के पद' की अवधारणा:

- विधायिका के सदस्य के रूप में सांसद और विधायक सरकार को उसके काम के लिये जबाबदेह ठहराते हैं।
- लाभ के पद का कानून के तहत अयोग्यता का अर्थ है कि यदि विधायक सरकार के तहत 'लाभ का पद' धारण करते हैं, तो वे सरकारी प्रभाव के लिये अतिसंवेदनशील हो सकते हैं और अपने संवैधानिक जनादेश का निष्पक्ष रूप से निर्वहन नहीं कर सकते हैं।
- जिसका आशय यह है कि निर्वाचित सदस्य के कर्तव्यों और हितों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिये।
- इसलिये लाभ का पद कानून केवल संविधान की बुनियादी विशेषता को लागू करने का प्रयास करता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत।

लाभ का पद:

- परिचय:
 - संविधान में लाभ का पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न न्यायालयी फैसलों में की गई व्याख्याओं द्वारा इसका अर्थ अवश्य स्पष्ट हुआ है।
 - लाभ के पद की व्याख्या के अनुसार, पद-धारक को कुछ वित्तीय लाभ या बढ़त या हितलाभ प्राप्त होते हैं।
 - ऐसे मामलों में इस तरह के लाभ की राशि महत्वहीन है।
 - सर्वोच्च न्यायालय** ने वर्ष 1964 में फैसला सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ का पद रखता है या नहीं, इसका निर्धारण उसकी नियुक्ति की जाँच द्वारा होगी।
- निर्धारक कारक:
 - क्या सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है
 - क्या सरकार के पास नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार है
 - क्या सरकार पारिश्रमिक निर्धारित करती है
 - पारिश्रमिक का स्रोत क्या है
 - शक्ति जो पद के साथ प्राप्त होती है

'लाभ का पद' धारण करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:

- भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद

- 102(1)(a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिये तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिये ऐसे किसी अन्य लाभ के पद को धारण करने की मानही है।
- ◆ अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि “किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह एक मंत्री है”।
- संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या विधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई है।
- संसद ने भी संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 अधिनियमित किया है। जिसमें उन पदों की सूची दी गई है जिन्हें लाभ के पद से बाहर रखा गया है। संसद ने समय-समय पर इस सूची में विस्तार भी किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित फैसले:

- सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों के मद्देनज़र जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा १६ के तहत मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- ◆ इस धारा के तहत माल की आपूर्ति या सरकार द्वारा किये गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिये अनुबंध करना होता है।
- वर्ष 1964 में सीधीके राव बनाम दंतु भास्कर राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना है कि एक खनन पट्टा माल की आपूर्ति के अनुबंध की राशि नहीं है।
- वर्ष 2001 में करतार सिंह भड़ाना बनाम हरि सिंह नलवा और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन पट्टा सरकार द्वारा किये गए कार्य के निष्पादन की राशि नहीं है।
- यदि मुख्यमंत्री को किसी प्राधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, तो भी वह इसे **उच्च न्यायालय** में चुनौती दे सकता है और यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चार महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिये।
- ◆ अनुच्छेद 164(4) के तहत एक व्यक्ति बिना सदस्य बने छह महीने तक मंत्री रह सकता है।

राज्यपाल की भूमिका और शक्तियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल के राज्यपाल ने मंत्रियों को चेतावनी दी कि मंत्रियों के व्यक्तिगत बयान जो राज्यपाल के कार्यालय की गरिमा को कम करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रसादपर्यंत का सिद्धांत:

- विषय:
 - ◆ प्रसादपर्यंत के सिद्धांत की उत्पत्ति अंग्रेजों के कानून से हुई जिसके अनुसार, एक सिविल सेवक क्राउन के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
 - ◆ अनुच्छेद 310 के तहत सिविल सेवक यथा- रक्षा सेवाओं, सिविल सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य या केंद्र/ राज्य के तहत सैन्य पदों या सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत जैसा भी मामला हो, पद धारण करते हैं।
 - ◆ अनुच्छेद 311 इस सिद्धांत पर प्रतिबंध लगाता है और सिविल सेवकों को उनके पदों से मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
 - यदि प्राधिकरण ने उसे पद से हटाने का अधिकार दिया है या उसे हटाने के लिये संतुष्ट है अथवा यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में जाँच करना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं है, तब किसी प्रकार के जाँच की आवश्यकता नहीं होती है।
 - ◆ संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
 - इसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। एक संवैधानिक योजना जिसमें उन्हें पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, संदर्भित ‘प्रसादपर्यंत’ का आशय मुख्यमंत्री के एक मंत्री को बर्खास्त करने के अधिकार के रूप में भी लिया जाता है, न कि राज्यपाल का। संक्षेप में किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल स्वयं किसी मंत्री को नहीं हटा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया:
 - ◆ शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कि विभिन्न अनुच्छेदों के तहत अन्य शक्तियों एवं कार्यपालिका के संरक्षक हैं, “कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
 - ◆ नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016):
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बी आर अम्बेडकर

की टिप्पणियों का सहारा लेते हुए कहा “संविधान के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह स्वयं निष्पादित कर सकता है। चूँकि राज्यपाल के पास कोई कार्य नहीं है लेकिन उसके कुछ कर्तव्य हैं और सदन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।”

- वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक नहीं होनी चाहिये। अपनी कार्रवाई के लिये राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिये तथा यह सद्व्यवहार के साथ की जानी चाहिये।
- ◆ महाबीर प्रसाद बनाम प्रफुल्ल चंद्र 1969:
 - यह मामला अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता की प्रकृति के प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है।
 - अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता अनुच्छेद 164(2) के अधीन है। इस प्रकार राज्यपाल की प्रसादपर्यंतता की वापसी को मंत्रालय हेतु विधानसभा के समर्थन की वापसी के साथ मेल खाना चाहिये।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
 - ◆ राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संविधान के मुताबिक, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है।
 - ◆ वह राज्य की मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
 - ◆ इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिये पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। इसके लिये पात्रताएँ हैं-
 - ◆ वह भारत का नागरिक हो।
 - ◆ आयु कम-से-कम 35 वर्ष हो।
 - ◆ संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिये।

◆ लाभ का पद धारण न करता हो।

- राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है।
- कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है। (अनुच्छेद 163)
- राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। (अनुच्छेद 164)
- राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को सुरक्षित रखता है। (अनुच्छेद 200)
- राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अद्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। (अनुच्छेद 213)

राज्यपाल-राज्य संबंध के बीच विवाद के तत्त्व:

- राज्यपाल की परिकल्पना एक गैर-राजनीतिक प्रमुख के रूप में की गई है, जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिये। हालाँकि राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरण के लिये-
 - ◆ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देना या रोकना,
 - ◆ किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिये आवश्यक समय का निर्धारण, या
 - ◆ आमतौर पर किसी चुनाव में त्रिशंकु जनादेश के बाद बहुमत साबित करने के लिये सबसे पहले किस पार्टी को आमंत्रित करना है।
- राज्यपाल और राज्य के बीच मतभेद होने पर सार्वजनिक रूप से इसकी भूमिका के बारे में कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।
- राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ही पद पर बना रह सकता है।
 - ◆ वर्ष 2001 में संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने माना कि राज्यपाल की नियुक्ति और संघ के लिये इसकी निरंतरता आवश्यक है।
 - ◆ ऐसी आशंका जाहिर की जाती है कि राज्यपाल प्रायः केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है।
- संविधान में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिये कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है।
- राज्यपाल कितने समय तक किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, जो **अनुच्छेद-356 (राष्ट्रपति शासन)** को लागू करने के लिये राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिशों का आधार बनाती है।

राज्यपालों द्वारा निभाई गई कथित पक्षपातपूर्ण भूमिका से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये किये गए प्रयास:

- राज्यपालों के चयन के संबंध में परिवर्तन:
 - वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने सुझाव दिया कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये।
- सरकारिया आयोग का प्रस्ताव:
 - केंद्र-राज्य संबंधों पर वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने प्रस्ताव दिया कि राज्यपालों के चयन में भारत के उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच परामर्श किया जाना चाहिये।
- पुंछी समिति का प्रस्ताव:
 - केंद्र-राज्य संबंधों पर वर्ष 2007 में गठित न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री की एक समिति द्वारा राज्यपाल का चयन किया जाना चाहिये।
 - पुंछी समिति ने संविधान से “प्रसादपर्यंत के सिद्धांत” को हटाने की सिफारिश की, लेकिन राज्य सरकार की सलाह के खिलाफ रहने वाले मंत्रियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर राज्यपाल के अनुमोदन के अधिकार का समर्थन किया।
 - इसने राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के प्रावधान का समर्थन किया।

आगे की राह

- यद्यपि राज्यपाल विधेयक की विषय-वस्तु से भिन्न हो सकते हैं और उपलब्ध संवैधानिक विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग उन कानूनों को रोकने के लिये नहीं करना चाहिये जो उनके लिये अनुचित हैं।
- यह इस सिद्धांत को लागू करने का समय है कि एम.एम. पुंछी आयोग, जिसने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की, ने सिफारिश की कि राज्यपालों पर कुलपतियों की भूमिका का बोझ नहीं डाला जाना चाहिये।
- राज्यपालों का मानना है कि वे संविधान के तहत जो कार्य करते हैं, वे अतिरिक्त प्रतीत होते हैं। उनसे संविधान की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है और वे निर्वाचित शासनों को संविधान का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी देने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग

कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे निर्णय लेने हेतु समय-सीमा की अनुपस्थिति और समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में कार्य करने के लिये उन्हें दिये गए विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।

भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 में संविधान में पहले संशोधन द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किये गए परिवर्तनों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की जाँच करने के लिये सहमति व्यक्त की है।

- न्यायालय ने कहा कि यह एक विचार-विमर्श वाला कानूनी मुद्दा है और इस पर केंद्र की राय अपेक्षित है।

याचिकाकर्ता के तर्क:

- आपत्तिजनक प्रविष्टियाँ (Objectionable Insertions):
 - संशोधन अधिनियम की धारा 3(1) द्वारा **अनुच्छेद 19** के मूल खंड (2) को एक नए खंड (2) के साथ प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें दो आपत्तिजनक प्रविष्टियाँ थीं।
 - अनुच्छेद 19 का मूल खंड (2) अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों से संबंधित था।
 - नए खंड (2) में “दो आपत्तिजनक प्रविष्टियाँ” शामिल हैं, जो “लोक व्यवस्था के हित में” और “अपराध को उकसाने के संबंध में” भी प्रतिबंधों की अनुमति देती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा:

- इस संशोधन द्वारा ‘राज्य की अखंडता को नुकसान पहुँचाने के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से **राष्ट्रीय सुरक्षा** की भी उपेक्षा की गई है, जिससे **कट्टरपंथ, आतंकवाद** और धार्मिक कट्टरवाद द्वारा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा के प्रति गंभीर चिंता उत्पन्न हुई है।

- ये दो प्रविष्टियाँ निम्न धाराओं (Sections) को प्रतिरक्षा देती हैं:
 - 124A: राजद्रोह**
 - 153 A:** धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्द्वाव के प्रतिकूल कार्य करना।
 - 295A:** जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं या उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है।
 - 505:** असंवैधानिक तरीके से भारतीय दंड संहिता के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाले वक्तव्य देना।

- धारा 3 (1) (a) - 3 (2) को अप्रभावी करना:
 - ◆ इस याचिका में न्यायालय से पहले संशोधन की धारा 3 (1) (a) और 3 (2) को “संसद की संशोधन शक्ति से परे” घोषित करने तथा इसे “संविधान की आधारभूत संरचना को नुकसान पहुँचाने एवं नष्ट करने” के आधार पर शून्य घोषित करने का आग्रह किया गया।
- संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951:
 - विषय:
 - ◆ प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में अनंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके सदस्य संवैधानिक सभा के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे।
 - ◆ प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया।
 - ◆ कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।
 - ◆ भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिये नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31ए और 31बी जोड़े गए।
 - संशोधन का कारण:
 - ◆ इन संशोधनों का तात्कालिक कारण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों की एक शृंखला थी, जिन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों, प्रेस से संबंधित कानूनों और आपराधिक प्रावधानों को खारिज कर दिया था, जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ असंगत माना जाता था।
- प्रभाव:
 - ◆ अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के तहत नौवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
 - ◆ अनुच्छेद 31 (ए) ने राज्य को संपत्ति के अधिग्रहण या सार्वजनिक हित में किसी भी संपत्ति या निगम के प्रबंधन के संबंध में शक्ति निहित की है। इसका उद्देश्य ऐसे अधिग्रहणों को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत न्यायिक समीक्षा से छूट देना था।
 - ◆ नौवीं अनुसूची का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था। नौवीं अनुसूची में न्यायिक जाँच से संरक्षण प्राप्त करने वाले 250 से अधिक विधान शामिल हैं।

आगे की राह

- अलग राजनीतिक संदर्भ में आयोजित होने के बावजूद प्रथम संशोधन की बहस आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र कठिन अथवा अनिश्चित समय से गुज़र रहा है।
- स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत और विपक्षी नेताओं, वकीलों तथा मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ पेगासस निगरानी स्पाइवेयर के दुरुपयोग के बारे में हालिया खुलासे आदि इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये संस्थागत सुरक्षा उपायों को क्यों संरक्षित एवं मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है।
- आजादी के 74 साल बाद प्रथम संशोधन की बहस पर फिर से विचार करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

भारतीय विरासत और संरक्षण

लोथल: दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex-NMHC) साइट के निर्माण की समीक्षा की है।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर:

- यह परियोजना मार्च 2022 में शुरू हुई और इसे 3,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है।
- इसमें लोथल मिनी-रिक्रिएशन जैसी कई नवीन विशेषताएँ होंगी, जो इमर्सिव तकनीक के माध्यम से हड्डियां वास्तुकला और जीवन-शैली को फिर से बनाएंगी।
- इसमें चार थीम पार्क हैं- मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, कलाइमेट थीम पार्क और एडवेंचर एंड एम्यूज़मेंट थीम पार्क।
- यह भारत के समुद्री इतिहास को सीखने और समझने के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- NMHC को भारत की विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने और लोथल को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में मदद करने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है।

लोथल:

परिचय:

- ◆ लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था, जो अब गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है।
- ◆ माना जाता है कि बंदरगाह शहर 2,200 ईसा पूर्व में बनाया गया था।
- ◆ लोथल प्राचीन काल में एक फलता-फूलता व्यापार केंद्र था, जहाँ से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था।
- ◆ गुजराती में लोथल (लोथ और थाल का एक संयोजन) का अर्थ है “मृतकों का टीला”।
 - संयोग से मोहनजो-दड़ो शहर का नाम (सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा, जो अब पाकिस्तान में है) का अर्थ सिंधी में भी यही है।
- ◆ लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था, जो शहर को सिंध के हड्डिया शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था।

खोज:

- ◆ भारतीय पुरातत्त्वविदों ने वर्ष 1947 के बाद गुजरात के सौराष्ट्र में हड्डिया सभ्यता के शहरों की खोज शुरू की।
- ◆ पुरातत्त्वविद् एस.आर. राव ने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने उस समय कई हड्डिया स्थलों की खोज की, जिसमें बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल था।
- लोथल में फरवरी 1955 से मई 1960 के बीच खुदाई का कार्य किया गया।
- डॉकयार्ड की पहचान:
- ◆ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा ने स्थल पर समुद्री माइक्रोफॉसिल और नमक, जिप्सम, क्रिस्टल की खोज की, जो दर्शाता है कि यह निश्चित रूप से डॉकयार्ड था।
- ◆ बाद की खुदाई में ASI ने टीला, बस्ती, बाजार और बंदरगाह का पता लगाया।
- ◆ खुदाई वाले क्षेत्रों के निकट पुरातात्त्विक स्थल संग्रहालय है, जहाँ भारत में सिंधु-युग की प्राचीन वस्तुओं के कुछ सबसे प्रमुख संग्रह प्रदर्शित किये गए हैं।

लोथल विरासत का महत्व:

- लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था और इसका आवेदन यूनेस्को की अस्थायी सूची में लंबित है।
- लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है।
- इसका विरासत मूल्य दुनिया भर के अन्य प्राचीन बंदरगाह-नगरों के बराबर है, जिनमें शामिल हैं,
 - ◆ जेल हा (पेरू)
 - ◆ इटली में ओस्टिया (रोम का बंदरगाह) और कार्थेज (ट्यूनिस का बंदरगाह)
 - ◆ चीन में हेपू
 - ◆ मिस्र में कैनोपस
 - ◆ गैब्रेल (फोनीशियन के बायब्लोस)
 - ◆ इज्जरायल में जाफा
 - ◆ मेसोपोटामिया में उर
 - ◆ वियतनाम में होई एन
- इस क्षेत्र में इसकी तुलना बालाकोट (पाकिस्तान), खिरसा (गुजरात के कच्छ में) और कुंतासी (राजकोट में) के अन्य सिंधु बंदरगाह शहरों से की जा सकती है।

भूगोल

दक्षिण चीन सागर



प्रमुख बिंदु:

- भौतिक भूगोल:
 - ◆ पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा जो दक्षिण पूर्व एशियाई मुख्य भूमि की सीमा बनाती है।
 - ◆ ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम से घिरा हुआ है।
 - ◆ यह ताइवान जलसंधि द्वारा पूर्वी चीन सागर और लूज़ॉन जलसंधि द्वारा फिलीपींस सागर (प्रशांत महासागर के दोनों सीमांत समुद्र) से जुड़ा हुआ है।
 - ◆ इसमें तीन द्वीपसमूह शामिल हैं, अर्थात्, स्प्रैटली द्वीप समूह, पार्सल द्वीप समूह, प्रतास द्वीप समूह और मैकल्सफ़ील्ड बैंक तथा स्कारबोरो शोल।

विवाद:

- ◆ **चीन की नाईन डैश लाइन:** यह समुद्र के अब तक के सबसे बड़े हिस्से पर चीन द्वारा दावा किये गए क्षेत्र को परिभ्रषित करता है।
- ◆ **स्कारबोरो सोल:** इस पर पर फिलीपींस और चीन दोनों द्वारा दावा किया जाता है। (इसे चीन में हुआंगयान द्वीप के रूप में जाना जाता है)।
- ◆ **स्प्रैटली:** दावेदारों द्वारा अधिगृहीत, जिसमें ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन और मलेशिया शामिल हैं।
- ◆ **पार्सल द्वीपसमूह:** चीन, वियतनाम और ताइवान द्वारा अतिव्यापी दावों का विषय।
- ◆ **द्वीप श्रृंखला रणनीति:** 1940 के दशक में चीन और सोवियत संघ की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार की गई एक भौगोलिक सुरक्षा अवधारणा।

हाल की संबंधित घटनाएँ:

- ◆ अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति
- ◆ फिलीपींस को ब्रह्मोस नियांत
- ◆ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका (AUKUS) समूह।
- ◆ क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक
- ◆ सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) का 28 वाँ संस्करण
- ◆ विदेशी जहाजों के लिये चीन के नए समुद्री नियम
- ◆ समुद्री सुरक्षा पर UNSC की बैठक

पूर्वी चीन सागर



प्रमुख बिंदु:

- भौतिक अवस्थिति:
 - ◆ यह प्रशांत महासागर का एक हिस्सा और चीन के पूर्व में एक सीमांत समुद्र है।
 - ◆ **सीमावर्ती देश:** दक्षिण कोरिया, जापान, चीन गणराज्य (ताइवान) और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना।
 - ◆ इसके दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर और पश्चिम में एशियाई महाद्वीप हैं।
 - ◆ यह कोरियाई जलडमरुमध्य के माध्यम से जापान के सागर से जुड़ता है और उत्तर में पीले सागर में खुलता है।
- हाल की संबंधित घटना:
 - ◆ चीन और जापान के बीच विवादित **सेनकाकू/दियाओयू द्वीप समूह** को लेकर तनाव बढ़ गया है जो इस समुद्र में स्थित है।

कुरील द्वीप



लाल सागर



प्रमुख बिंदु

भौगोलिक विस्तार:

- ◆ कुरील द्वीप जापानी के होकैडो द्वीप से लेकर रूस के कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैले हुए हैं, जो ओखोट्स्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करता है।
- ◆ इसमें 56 द्वीप और छोटी चट्टानें हैं। यह प्रशांत मेखला (रिंग ऑफ फायर) भूगर्भीय अस्थिरता पट्टी का हिस्सा है और इसमें कम से कम 100 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 35 अभी भी सक्रिय हैं, साथ ही यहाँ पर कई गर्म झारने हैं।
- इन द्वीपों पर भूकंप और ज्वार की लहरें आम घटनाएँ हैं।

रूस-जापान विवाद:

- ◆ जापान और रूस के बीच कुरील द्वीप विवाद **दक्षिणी कुरील द्वीप समूह** की संप्रभुता को लेकर है।
- ◆ दक्षिणी कुरील द्वीप समूह के अंतर्गत एटोरोफू द्वीप, कुनाशीरी द्वीप, शिकोटन द्वीप और हबोमाई द्वीप शामिल हैं।
- ◆ इन द्वीपों पर जापान द्वारा दावा किया जाता है लेकिन इस पर रूस द्वारा सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में कब्जा कर लिया गया है।
- ◆ इन द्वीपों को रूस में दक्षिणी कुरील और जापान में उत्तरी क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु

भौगोलिक विस्तार:

- ◆ यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। दुनिया में प्रमुख लवणीय जल निकायों में से एक है।
- ◆ **सीमावर्ती देश:** मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती।
- ◆ बाब अल मंदेब जलडमरुमध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है।
- ◆ उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी (स्वेज नहर की ओर जाने वाली) हैं।
- ◆ **ग्रेट रिफ्ट वैली** (एफ्रो-अरेबियन रिफ्ट वैली) का एक हिस्सा इसके अंतर्गत आता है।
- हाल की संबंधित घटनाएँ:
 - ◆ **यमन में संघर्ष** (अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के बीच जिसे सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन और ईरान द्वारा समर्थित हौथी विद्रोहियों का समर्थन प्राप्त है।)
 - ◆ स्वेज नहर जाम।
 - ◆ पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास: अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इज्जराइल के बीच।

एजियन सागर



प्रमुख बिंदु

• भौगोलिक विस्तार:

- ◆ यह भूमध्य सागर की एक शाखा है। पूर्वी भूमध्यसागरीय बेसिन में इसके पश्चिम में ग्रीक प्रायद्वीप और पूर्व में अनातोलिया (तुर्किये के एशियाई भाग से मिलकर) स्थित है।
- ◆ एजियन दार्दनस के जलडमरुमध्य, मरमरा के सागर और बोस्फोरस के माध्यम से काला सागर से जुड़ा हुआ है, जबकि क्रेते द्वीप को दक्षिण में सीमा को चिह्नित करने के रूप में लिया जा सकता है।

• तुर्की-ग्रीस विवाद:

- ◆ एजियन सागर समुद्री विवाद में तीन मुख्य मुद्दे शामिल हैं: प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई; द्वीपों की उपस्थिति और दो राज्यों के बीच महाद्वीपीय मण्डल का परिसीमन।
- ◆ वर्ष 1936 से ग्रीस ने 6 समुद्री मील (NM) प्रादेशिक समुद्र का दावा किया है। तुर्किये भी ईजियन में 6-NM प्रादेशिक समुद्र का दावा करता है। हालाँकि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 (UNCLOS) राज्यों को अपने क्षेत्रीय समुद्र को किनारे से 12 NM तक बढ़ाने की अनुमति देता है।
- ◆ ग्रीस ने कन्वेंशन को अपनाया है, लेकिन तुर्किये ने अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।
- ◆ संबंधित संधि: वर्ष 1923 की लॉज़ेन की संधि।

भारत में कोयला खदानों का कम उपयोग: GEM रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर (GEM) की रिपोर्ट के अनुसार, नई खदानों को बढ़ावा देने के बीच भारत की कोयला खदानों का काफी कम उपयोग किया जा रहा है।

- GEM एक ऐसी फर्म है जो विश्व स्तर पर ईंधन-स्रोत के उपयोग को ट्रैक करती है। यह विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य का अध्ययन करती है, डेटाबेस, रिपोर्ट और इंटरैक्टिव टूल बनाती है ताकि बेहतर समझ विकसित हो सके।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2021 में भारत ने गंभीर कोयला संकट का सामना किया, जिसमें 285 थर्मल पावर प्लांट में से 100 से अधिक का कोयले का स्टॉक 25% के आवश्यक निर्धारित स्तर से नीचे गिर गया था, जिससे आंध्र प्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखण्ड और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बिजली की कमी हो गई।
- हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर (GEM) रिपोर्ट में दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- नई कोयला खदानों से विस्थापन का खतरा:
 - ◆ कोयले की कमी ने सरकार को नई कोयला परियोजनाओं का विकास कार्य शुरू करने के लिये प्रेरित किया, जहाँ 99 नई कोयला खदान परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं में सालाना 427 मिलियन टन (MTPA) कोयले का उत्पादन करने की क्षमता है।
 - यह वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के भारत के लक्ष्य के बावजूद है।
 - ◆ इन परियोजनाओं से 165 गाँवों और 87,630 परिवारों को विस्थापन का खतरा होगा। इनमें से 41,508 परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं।
- कोयला खदानों का कम उपयोग:
 - ◆ चूँकि भारत की कोयला खदानों के उपयोग में गंभीर रूप से कमी देखी गई है, इसलिये केवल अस्थायी कोयले की कमी को पूरा करने के लिये नई परियोजनाओं का विकास करना अनावश्यक है।
 - ◆ भारत की कोयला खदानें औसतन अपनी क्षमता का केवल दो-तिहाई ही उपयोग करती हैं, कुछ बड़ी खदानें केवल 1% का उपयोग करती हैं।
- स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में देशी:
 - ◆ इन नई खदानों से भारत में फँसे हुई परिसंपत्तियों की संभावना बढ़ जाएगी, स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में देशी होगी और इस प्रक्रिया में आर्थिक रूप से अनिश्चित खनन उद्यमों के कारण भारत के ग्रामीण समुदायों एवं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- जल संकट:
 - ◆ नई कोयला परियोजनाओं से जल की कमी और बढ़ जाएगी, जिससे मांग में प्रतिदिन 1,68,041 किलोलीटर की वृद्धि होगी।
 - ◆ नई क्षमता में 427 MTPA में से 159 MTPA उच्च जोखिम वाले जल क्षेत्रों में स्थित होगा, जबकि 230 MTPA अत्यधिक जल जोखिम वाले क्षेत्रों के लिये नियोजित हैं।

कोयले का उपयोग कम करने की आवश्यकता:

- ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाएँ ला सकता है।
- खतरे को दूर रखने का प्रभावी तरीका जीवाश्म ईंधन- कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल के उपयोग में कटौती करना है।
- ये तीन ईंधन दुनिया की लगभग 80% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- उन सभी में सबसे अधिक नुकसानदेह कोयला है, जो प्राकृतिक गैस से लगभग दोगुना और तेल से लगभग 60% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है।
- इन रासायनिक अभिक्रियाओं का परिणाम बहुत महत्व रखता है क्योंकि भारत के बिजली क्षेत्र का कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हिस्सा 49% है, जबकि इसका वैश्विक औसत 41% है।

कोयला:

- परिचय:
 - ◆ यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है और इसे अक्सर 'ब्लैक गोल्ड' के रूप में जाना जाता है।
 - ◆ यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, लोहा, इस्पात, भाष इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिये किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को 'थर्मल पावर' कहते हैं।
 - ◆ दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं।
- भारत में कोयले का वितरण:
 - ◆ गोंडवाना कोयला क्षेत्र (250 मिलियन वर्ष पुराना):
 - भारत के लगभग 98% कोयला भंडार और कुल कोयला उत्पादन का 99% गोंडवाना क्षेत्रों से प्राप्त होता है।
 - भारत के धातुकर्म ग्रेड के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है।

■ यह दामोदर (झारखण्ड-पश्चिम बंगाल), महानदी (छत्तीसगढ़-ओडिशा), गोदावरी (महाराष्ट्र) और नर्मदा धाटियों में पाया जाता है।

तृतीयक कोयला क्षेत्र (15-60 मिलियन वर्ष पुराना):

- इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम लेकिन नमी और सल्फर से भरपूर होता है।
- तृतीयक कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असम, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दर्जिलिंग हिमालय की तलहटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं।

वर्गीकरण:

- ◆ एन्थ्रेसाइट (80-95% कार्बन सामग्री, जम्मू-कश्मीर में कम मात्रा में पाई जाती है)।
- ◆ बिटुमिनस (60-80% कार्बन सामग्री एवं झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है)।
- ◆ लिग्नाइट (40-55% कार्बन सामग्री, उच्च नमी सामग्री और राजस्थान, लखीमपुर (असम) एवं तमिलनाडु में पाया जाता है।
- ◆ पीट (इसमें 40% से कम कार्बन सामग्री और कार्बनिक पदार्थ (लकड़ी) से कोयले में परिवर्तन के पहले चरण में होता है)।

बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणालियों की वैश्विक स्थिति: लक्ष्य G

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNDRR) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणालियों की वैश्विक स्थिति: लक्ष्य G शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें चेतावनी दी गई है कि विश्व स्तर पर आधे देश बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली (MHEWS) द्वारा संरक्षित नहीं हैं।

- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (13 अक्तूबर) को चिह्नित करने के लिये जारी की गई है।
- सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) में उल्लिखित लक्ष्यों का ऑकड़ा विश्लेषण किया गया था। यह विश्लेषण आपदा जोखिम में कमी और रोकथाम के लिये एक वैश्विक खाका है।
- फ्रेमवर्क में सात लक्ष्यों में से, लक्ष्य G का उद्देश्य "वर्ष 2030 तक लोगों को बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा जोखिम की जानकारी तथा आकलन की उपलब्धता एवं पहुँच में वृद्धि करना है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस:

- ‘अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस’ की स्थापना वर्ष 1989 में दुनिया भर में आपदा न्यूनीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु ‘संयुक्त राष्ट्र महासभा’ (UNGA) के आह्वान के बाद की गई थी।
- वर्ष 2015 में जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया गया था कि स्थानीय स्तर पर आपदाएँ सबसे कठिन होती हैं, जिसमें जानमाल की क्षति और बहुत सामाजिक एवं आर्थिक उथल-पुथल की क्षमता होती है।

पूर्व चेतावनी प्रणाली:

- पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ तृफान, सूनामी, सूखा और लू सहित आने वाले खतरों से पूर्व लोगों को होने वाले नुकसान और संपत्ति की क्षति को कम करने के लिये एक सफल साधन हैं।
- बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली कई खतरों को संबोधित करती है जो अकेले, एक साथ या व्यापक रूप से हो सकते हैं।
- कई प्रणालियाँ केवल एक प्रकार के खतरे- जैसे बाढ़ या चक्रवात को कवर करती हैं।

प्रमुख बिंदु

- निवेश में विफलता:
 - दुनिया खतरे के समक्ष खड़े लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करने में निवेश करने में विफल हो रही है।
 - जिन लोगों ने जलवायु संकट पैदा करने के लिये सबसे कम योगदान किया है, वे सबसे अधिक कीमत चुका रहे हैं।
 - अल्प विकसित देश (LDC), विकासशील छोटे द्वीप देश (SIDS) और अफ्रीका के देशों को प्रारंभिक चेतावनी कवरेज बढ़ाने एवं आपदाओं के खिलाफ पर्याप्त रूप से खुद को बचाने के लिये सबसे अधिक निवेश की आवश्यकता होती है।
 - पाकिस्तान अपनी सबसे खराब जलवायु आपदा से निपट रहा है, जिसमें लगभग 1,700 लोगों की जान चली गई है। इस मौतों के बावजूद यदि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली नहीं होती तो मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती।
- महत्वपूर्ण अंतराल:
 - विश्व स्तर पर केवल आधे देशों में MHEWS है।
 - रिकॉर्ड की गई आपदाओं की संख्या में पाँच गुना वृद्धि हुई है, जो मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन और अधिक चरम मौसम से प्रेरित है। यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।
 - अल्प विकसित देशों के आधे से भी कम और विकासशील छोटे द्वीप देशों में से केवल एक तिहाई के पास बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली है।

खतरे के घेरे में है मानवता:

- जैसा कि लगातार बढ़ रहा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ग्रह भर में चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है, जलवायु आपदाएँ देशों और अर्थव्यवस्थाओं को पहले की तरह नुकसान पहुंचा रही हैं।
- बढ़ती हुई विपत्तियों से लोगों की जान जा रही है और सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है।
- युद्ध की तुलना में तीन गुना अधिक लोग जलवायु आपदाओं से विस्थापित होते हैं और आधी मानवता पहले से ही खतरे के क्षेत्र में है।

सिफारिशें:

- सभी देशों से पूर्व चेतावनी प्रणाली में निवेश करने का आह्वान किया।
- जैसा कि जलवायु परिवर्तन अधिक बार-बार, चरम और अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं का कारण बनता है, अतः प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में निवेश जो कई खतरों को लक्षित करता है, पहले से कहीं अधिक ज़रूरी है।
- यह न केवल आपदाओं के प्रारंभिक प्रभाव, बल्कि दूसरे और तीसरे क्रम के प्रभावों के प्रति भी चेतावनी देने की आवश्यकता है। उदाहरणों में भूकंप या भूस्खलन के बाद मृदा का विलयनीकरण और भारी वर्षा के बाद रोग का प्रकोप शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन के संबंध में भारत के प्रयास:

- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF):
 - राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) के स्थापना के साथ, आपदा प्रतिक्रिया के लिये समर्पित सबसे बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया बल, भारत ने सभी प्रकार की आपदाओं को रोकने और प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता में वृद्धि की है।
- विदेशी आपदा राहत के रूप में भारत की भूमिका:
 - नौसेना के जहाजों या विमानों के प्राथमिक उपयोग के साथ, भारत की विदेशी मानवीय सहायता ने अपने सैन्य संसाधनों को और समृद्ध किया है।
 - “पड़ोसी पहले (नेबरहुड फर्स्ट)” की अपनी कूटनीतिक नीति के अनुरूप, कई सहायता प्राप्तकर्ता देश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में रहे हैं।
- क्षेत्रीय आपदा तैयारियों में योगदान:
 - बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगल की खाड़ी पहल- (BIMSTEC) के संदर्भ में भारत ने आपदा प्रबंधन अभ्यासों की मेजबानी की है जो NDRF को साझेदार देशों के समकक्षों के लिये विभिन्न आपदाओं का जवाब देने हेतु विकसित तकनीकों का प्रदर्शन करने की अनुमति देता है।

- ◆ अन्य NDRF और भारतीय सशस्त्र बलों के अभ्यासों ने भारत के पहले उत्तरदाताओं को **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)** और **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** के देशों के संपर्क में लाया है।
- जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदा का प्रबंधन:
 - ◆ भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क, सतत् विकास लक्ष्यों (2015-2030) और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को अपनाया है, जो सभी आपदा जोखिम कमी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA), और सतत् विकास के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हैं।

सितरंग चक्रवात

चर्चा में क्यों ?


चक्रवात सितरंग ने निचले इलाकों, घनी आबादी वाले इलाकों में दस्तक देकर बांग्लादेश में कहर बरपाया।

- थाईलैंड द्वारा नामित, सितरंग वर्ष 2022 के मानसून के बाद के मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
- वर्ष 2018 में तितली बंगाल की खाड़ी में आखिरी चक्रवात था।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात:

- **उष्णकटिबंधीय चक्रवात** एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज़ हवाएँ व भारी बारिश इसकी विशेषताएँ हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवात की आँख (Eye) या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है।
- इस प्रकार के तूफानों को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में **हरिकेन (Hurricanes)** तथा दक्षिण-पूर्व एशिया एवं चीन में **टाइफून (Typhoons)** कहा जाता है। दक्षिण-पश्चिम प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्र में इसे **उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclones)** तथा उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में **विली-विलीज़ (Willy-Willies)** कहा जाता है।
- इन तूफानों या चक्रवातों की गति उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अर्थात् वामावर्त (Counter Clockwise) और दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त (Clockwise) होती है।
- उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और उनके तीव्र होने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं:
 - ◆ 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह।

- ◆ **कोरिओलिस बल** की उपस्थिति।
- ◆ **ऊर्ध्वाधर/लंबवत हवा** की गति में छोटे बदलाव।
- ◆ पहले से मौजूद कमज़ोर निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तर-चक्रवात परिसंचरण।
- ◆ समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन (Divergence)।



उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति:

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास चक्र को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
 - ◆ गठन और प्रारंभिक विकास चरण:
 - चक्रवाती तूफान का निर्माण और प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से समुद्र की सतह से वाष्पीकरण द्वारा गर्म महासागर से ऊपरी हवा में जल वाष्प एवं ऊष्मा के हस्तांतरण पर निर्भर करता है।
 - यह समुद्र की सतह से ऊपर उठने वाली हवा के संघनन के कारण बढ़े ऐमाने पर ऊर्ध्वाधर मेघपुंज के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।
 - ◆ परिपक्व अवस्था:
 - जब उष्णकटिबंधीय तूफान तीव्र होता है, तो वायु ज़ोरदार गरज के साथ उठती है और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रिज रूप से फैलने लगती है। एक बार जब हवा फैलती है, तो उच्च स्तर पर सकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है, जो संवहन के कारण हवा की नीचे की ओर गति को तेज़ करता है।
 - अवतलन के उत्प्रेरण के साथ वायु संपीड़न द्वारा गर्म होती है और गर्म 'नेत्र' (निम्न दबाव केंद्र) उत्पन्न होता है। हिंद महासागर में परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मुख्य भौतिक विशेषता अत्यधिक अशांत विशाल क्यूम्यलस थंडरक्लाउड बैंड का एक संकेंद्रित प्रतिरूप है।
 - ◆ संशोधन और क्षय:
 - एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने केंद्रीय निम्न दबाव, आंतरिक ऊष्मा और अत्यधिक उच्च गति के संदर्भ में कमज़ोर (जैसे ही गर्म नम हवा का स्रोत कम होना शुरू हो जाता है या अचानक कट जाता है) होना शुरू हो जाता है।




Fig: Vertical section of the tropical cyclone

चक्रवात

परिचय
चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आस-पास तेज़ी से इम्फेन्ट की ओर वायु परिसंचरण होते हैं।

चक्रवात बनाने प्रतिचक्रवात

दबाव प्रणाली	केंद्र में दबाव की स्थिति	दबाव की दिशा का पैटर्न
चक्रवात	लिम्न	उत्तरी गोलार्ध वानावर्ती दक्षिणावर्त वानावर्त
प्रतिचक्रवात	उच्च	

दर्शकरण
चक्रवात, मकान और कार्क रेडो फे शीख उत्पन्न होते हैं।

गढ़न के लिए शर्तें:

- * 27 डिसेंबरम्यास से अधिक पाप्रमाण वाली एक वर्षा समुद्री सतह।
- * कार्निओलास बल की ऊर्ध्वाधिति।
- * ऊर्ध्वाधर लवचत दबा की गति में ऊटे बदलाव।
- * घृले से मौजूद कमज़ोर निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तर-चक्रवात परिवर्तन।
- * संधर्त तल प्रणाली के ऊपर विचलन (Divergence).

नामकरण:

- * नेशनल प्रायोगिक: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)
- * द्वितीय मानवानुकूल: वालादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और याईलैंड इस क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण में योगदान करते हैं।

उपाकटिवर्धीय चक्रवातों के लिए अला-अलग नाम:

- * दाखलन - दाखल पवर प्रायान और चौन
- * हरियन - उत्तर अद्यतानिक और दक्षिण प्रशांत
- * टानेंडा - चार्शम्प अद्यतान और दक्षिण सार्व अमरीका
- * बिलो - बिलो उत्तर पश्चिम अंटीटायल
- * उपाकटिवर्धीय चक्रवात - देविय पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर

भारत में चक्रवात:

- * द्वितीयक चक्रवात मंसूब: माने से मई और अक्टूबर से विस्तार।
- * हाल के चक्रवात: ताजत, बायु, निम्नांग और मकान (अरब सागर में), लंबा असानी, अप्राप्त, फोनी, विग्र, बुलबुल, तिलान, शास और सिलसरा (वायल की खाड़ी में)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मंगलयान मिशन की समाप्ति

चर्चा में क्यों ?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने पुष्टि की है कि मार्स ऑर्बिटर यान का संपर्क टूट गया है और इसकी पुनर्प्राप्ति नहीं की जा सकती है, अतः मंगलयान मिशन की समाप्ति हो गई है।

- प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में छह महीने के जीवन-काल के लिये डिजाइन किये जाने के बावजूद मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) मंगल की कक्षा में लगभग आठ वर्षों तक रहा है।

मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) के समापन का कारण:

- प्रणोदक (ईंधन) की कमी के कारण निरंतर वांछित विद्युत् उत्पादन नहीं किया जा सका और इसने ग्राउंड स्टेशन से संचार खो दिया।
- हाल ही में एक के बाद एक ग्रहण हुए, जिनमें से एक साढ़े सात घंटे तक रहा।
 - ◆ चूँकि उपग्रह बैटरी को केवल एक घंटे और 40 मिनट की ग्रहण अवधि को संभालने के लिये डिजाइन किया गया था, अर्थात् ग्रहण की लंबी अवधि बैटरी की सुरक्षा के लिये हानिकारक थी।

मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM)

- परिचय:
 - ◆ मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसकी लागत 450 करोड़ रुपए थी, 5 नवंबर, 2013 को PSLV-C25 द्वारा लॉन्च किया गया था और मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) को सितंबर, 2014 में अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया था।
 - ◆ मंगलयान भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था।
 - ◆ मिशन ने भारत को रासकॉसमाँस, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला पहला एशियाई और दुनिया में चौथा देश बना दिया।
 - चीन ने भारत के सफल मंगलयान को 'प्राइड ऑफ एशिया' कहा है।
- विवरण:
 - ◆ यह मार्स कलर कैमरा (MCC) सहित 850 किलोग्राम ईंधन और 5 विज्ञान संबंधी पेलोड ले गया, जिसका उपयोग वह सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश करने के बाद से मंगल ग्रह की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिये कर रहा था।

■ MOM की अत्यधिक अण्डाकार कक्षा ज्यामिति ने MCC को अपने सबसे दूर के बिंदु पर मंगल की 'पूर्ण डिस्क' का स्लैपशॉट लेने और निकटतम बिंदु से बारीक विवरण लेने में सक्षम बनाया।

■ MCC ने 1000 से अधिक चित्र लिये और एक मंगल एटलस प्रकाशित किया है।

◆ अन्य उपकरण हैं: थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (TIS), मंगल के लिये मीथेन सेंसर (MSM), मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर (MENCA) और लाइमैन अल्फा फोटोमीटर (LAP)।

उद्देश्य:

- ◆ मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना।
- ◆ स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, खनिज, आकृति और वातावरण का पता लगाना।
- ◆ MOM का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतरग्रहीय मिशन की योजना, डिजाइन, प्रबंधन और संचालन में आवश्यक तकनीकों का विकास करना था।

भविष्य का भारतीय मंगल मिशन:

- इसरो ने वर्ष 2016 में भविष्य के मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM-2) के लिये 'अवसर की घोषणा' (AO) की थी, लेकिन 'गगनयान', 'चंद्रयान-3' और 'आदित्य - L1' परियोजनाएँ वर्तमान प्राथमिकता सूची में हैं।
- मंगलयान-2 केवल एक ऑर्बिटर मिशन होगा।

विभिन्न मंगल मिशन:

- एक्सोमार्स रोवर (2021) (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी)
- तियानवेन-1 : चीन का मंगल मिशन(2021)
- संयुक्त अरब अमीरात का 'होप' मिशन(यूएई का पहला इंटरप्लोनेटरी मिशन)(2021)
- मंगल 2 और मंगल 3 (1971) (सोवियत संघ)
- नासा का पर्सिवरेंस रोवर

पिलर्स ऑफ क्रिएशन : जेम्स वेब टेलीस्कोप

चर्चा में क्यों ?

अत्यधिक विस्तृत परिदृश्य- "पिलर्स ऑफ क्रिएशन" को नासा के शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है।



पिलर्स ऑफ क्रिएशन:

- परिचय:
 - ◆ यह तारे के बीच की धूल और गैस से बने तीन उभरते टावरों का एक दृश्य है।
 - ◆ ये आइकॉनिक पिलर्स ऑफ क्रिएशन ईगल नेबुला (यह सितारों का एक तारामंडल है) के केंद्र में स्थित हैं, जिसे मेसियर 16 के नाम से भी जाना जाता है।
 - ◆ यह इमेज गैस और धूल के घने बादलों के विशाल, ऊँचे पिलर्स को दिखाती है जहाँ नवीन तारे पृथ्वी से लगभग 6,500 प्रकाश-वर्ष दूर बन रहे हैं।
 - ◆ कई पिलर्स के सिरों पर चमकीले लाल, लावा जैसे धब्बे हैं। ये ऐसे सितारों से निकलने वाले इजेक्शन हैं जो अभी भी बन रहे हैं एवं केवल कुछ सौ हजार साल पुराने हैं।
 - ◆ इन पिलर्स को हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा महत्व मिला जिसने इन्हें पहली बार वर्ष 1995 में और फिर वर्ष 2014 में कैज्वर किया था।
- महत्व:
 - ◆ यह नई इमेज शोधकर्ताओं को इस क्षेत्र में गैस और धूल की मात्रा का पता लगाने के साथ-साथ नवगठित तारों के गठन के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्रदान करने में सहायक होंगी।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप :

- परिचय:
 - ◆ यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
 - ◆ यह वर्तमान में अंतरिक्ष में एक ऐसे बिंदु पर है जिसे सूर्य-पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है।
 - लैग्रेंज प्लाइट 2 पृथ्वी-सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के पाँच बिंदुओं में से एक है।
 - इतालवी-फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी-लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया यह बिंदु पृथ्वी और सूर्य जैसे किसी भी धूर्णन करने वाले दो पिंडों में विद्यमान होते हैं जहाँ दो बड़े निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल एक-दूसरे को संतुलित कर देते हैं।
 - इन स्थितियों में रखी गई वस्तुएँ अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं और उन्हें वहाँ रखने के लिये न्यूनतम बाहरी ऊर्जा या ईंधन की आवश्यकता होती है, अन्य कई उपकरण यहाँ पहले से स्थापित हैं।
 - यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इन्फ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है।
 - यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है।
 - यह इतनी दूर आकाशगंगाओं की तलाश में बिंग बैंग के ठीक बाद के समय में देख सकता है जिस प्रकाश को उन आकाशगंगाओं से हमारी दूरबीनों तक पहुँचने में कई अरब वर्ष लग गए।
- उद्देश्य:
 - ◆ यह ब्रह्मांड के अतीत के हर चरण की जाँच करेगा: बिंग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण से हमारे अपने सौरमंडल के विकास तक।
 - ◆ **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप** की थीम्स को चार विषयों में बाँटा जा सकता है।
 - पहला, लगभग 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व खगोलीय घटना के साथ आरंभ में। तारों एवं आकाशगंगाओं की निर्माण प्रक्रिया को समझना।
 - दूसरा, सबसे कमज़ोर, आरंभिक आकाशगंगाओं की तुलना आज के भव्य सर्पिलों से करना और यह समझना कि आकाशगंगाएँ अरबों वर्षों में कैसे एकत्रित होती हैं।

- तीसरा, यह जानने का प्रयास करना कि तारे और ग्रह प्रणालियाँ कहाँ उत्पन्न हो रही हैं।
- चौथा, एक्स्ट्रासोलर ग्रहों (हमारे सौरमंडल से फरे) के वातावरण का निरीक्षण करना जिससे ब्रह्मांड में कहाँ और जीवन के निर्माण खंडों का पता लगाया जा सके।

नाविक

चर्चा में क्यों ?

भारत अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली **NaVIC** (भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन) का विस्तार करने की योजना बना रहा है, ताकि देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले नागरिक क्षेत्र और जहाजों, विमानों में इसके उपयोग को बढ़ाया जा सके।

नाविक:


परिचय:

- ◆ कुल आठ उपग्रह हैं लेकिन अभी तक केवल सात ही सक्रिय हैं।
- भूस्थिर कक्षा में तीन और भू-समकालिक कक्षा में चार उपग्रह स्थापित हैं।
- नाविक या भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) को 7 उपग्रहों के एक समूह और 24×7 पर चलने वाले ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क के साथ डिजाइन किया गया है।
- नाविक का पहला उपग्रह (**IRNSS-1A**) 1 जुलाई, 2013 को लॉन्च किया गया था और आठवाँ उपग्रह **RNSS-1** अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था।
- ◆ तारामंडल के उपग्रह (**IRNSS-1G**) के सातवें प्रक्षेपण के साथ 2016 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRNSS का नाम बदलकर **NaVIC** कर दिया गया।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिये वर्ल्ड-वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम (WWRNS) के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई थी।

संभावित उपयोग:

- स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन;
- आपदा प्रबंधन;
- वाहन ट्रैकिंग और बेड़ा प्रबंधन (विशेषकर खनन व परिवहन क्षेत्र के लिये);
- मोबाइल फोन के साथ एकीकरण;
- सटीक समय (एटीएम और पावर ग्रिड के लिये);

- मानचित्रण और जियोडेटिक डेटा कैप्चर



महत्व:

- यह 2 सेवाओं के लिये वास्तविक समय की जानकारी देता है अर्थात् नागरिक उपयोग के लिये मानक स्थिति सेवा और जिसे सेना के लिये अधिकृत एन्क्रिप्ट की जाने वाली प्रतिबंधित सेवा का संचालन करता है।
- भारत उन 5 देशों में से एक बन गया जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। इसलिये नेविगेशन उद्देश्यों के लिये अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाती है।
- यह भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में मदद करेगा। यह देश की संप्रभुता और सामरिक आवश्यकताओं के लिये महत्वपूर्ण है।
- अप्रैल 2019 में, सरकार ने निर्भया मामले के फैसले के अनुसार देश के सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिये नाविक-आधारित वाहन ट्रैकर्स को अनिवार्य कर दिया।
- साथ ही, क्वालिकॉम टेक्नोलॉजीज ने नाविक का समर्थन करने वाले मोबाइल चिपसेट का अनावरण किया है।
- इसके अलावा व्यापक कवरेज के साथ परियोजना के भविष्य के उपयोगों में से एक में सार्क देशों के साथ परियोजना को साझा करना शामिल है। इससे क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को और एकीकृत करने में मदद मिलेगी तथा इस क्षेत्र के देशों के प्रति भारत की ओर से कूटनीतिक सद्व्यवहार का संकेत मिलेगा।

मुद्दे एवं उनमें सुधार:

- L बैंड:

- ◆ इसरो ने कम से कम पाँच उपग्रहों को बेहतर L-बैंड से बदलने की योजना बनाई है, जो इसे जनता को बेहतर वैश्विक स्थिति सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाएंगा क्योंकि इस समूह के कई उपग्रहों की कार्यावधि को समाप्त कर दिया गया है।
 - निष्क्रिय उपग्रहों को बदलने के लिये समय-समय पर पाँच और उपग्रह प्रक्षेपित किये जाएंगे।
 - नए उपग्रहों में L-1, L-5 और S बैंड होंगे।
 - L1, L2 और L5 GPS आवृत्ति हैं, जहाँ L1 आवृत्ति का उपयोग GPS उपग्रह स्थान को ट्रैक करने के लिये किया जाता है, L2 आवृत्ति का उपयोग GPS उपग्रहों की स्थिति को ट्रैक करने के लिये किया जाता है और L5 आवृत्ति का उपयोग नागरिक उपयोग के लिये सटीकता जैसे कि विमान की सटीकता में सुधार करने के लिये किया जाता है।
 - S बैंड 8-15 सेमी की तरंग दैर्घ्य और 2-4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के कारण, S बैंड रडार आसानी से क्षीण नहीं होते हैं। यह उन्हें निकट और दूर के मौसम के अवलोकन के लिये उपयोगी बनाता है।
- सामरिक क्षेत्र के लिये लॉन्च कोड:
 - ◆ वर्तमान में इसरो केवल शॉर्ट कोड प्रदान कर रहा है। अब शॉर्ट कोड को रणनीतिक क्षेत्र के उपयोग के लिये लॉन्च कोड बनना होगा ताकि सिग्नल का उल्लंघन या वह अनुपलब्ध हो सके।
 - ◆ ऐसा इसलिये किया जाएगा ताकि यूज़र बेस को चौड़ा किया जा सके और इसे यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके।
- मोबाइल संगतता:
 - ◆ वर्तमान में भारत में मोबाइल फोन को इसके संकेतों को संसाधित करने के लिये अनुकूल नहीं बनाया गया है।
 - ◆ भारत सरकार निर्माताओं पर अनुकूल ब्रॉडबैंड के लिये दबाव बना रही है और जनवरी 2023 की समय-सीमा तय की है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि वर्ष 2025 से पहले इसकी संभावना नहीं है।

दुनिया में अन्य नेविगेशन सिस्टम:

- चार वैश्विक प्रणालियाँ:
 - ◆ अमेरिका का जीपीएस
 - ◆ रूस का ग्लोनास
 - ◆ यूरोपीय संघ का गैलीलियो
 - ◆ चीन का बाइडू

दो क्षेत्रीय प्रणालियाँ:

- ◆ भारत का नाविक
- ◆ जापान का QZSS

नाविक की आवश्यकता, अन्य नेविगेशन प्रणालियों के समान्तर:

- GPS और ग्लोनास आदि देशों की रक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित होती है।
- यह संभव है कि नागरिक सेवा को बाधित या अस्वीकार किया जा सकता है।
- नाविक भारतीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र क्षेत्रीय प्रणाली है और सेवा क्षेत्र के भीतर स्थिति सेवा प्रदान करने के लिये अन्य प्रणालियों पर निर्भर नहीं है।
- यह पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में है।

आगे की राह

- नाविक को वास्तव में जीपीएस की तरह वैश्विक बनाने के लिये वर्तमान प्रणाली की तुलना में अधिक उपग्रहों को पृथक्की के करीब एक कक्षा में स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
- अभी नाविक की पहुँच भारतीय क्षेत्र से केवल 1,500 किमी. दूर है लेकिन इससे आगे की यात्रा करने वाले हमारे जहाजों और हवाई जहाजों के लिये हमें मध्यम पृथक्की की कक्षा में उपग्रहों की आवश्यकता होगी। इसे किसी बिंदु पर वैश्विक बनाने के लिये हम MEO उपग्रहों को जोड़ना जारी रख सकते हैं।

डेटा स्थानीयकरण

चर्चा में क्यों ?

डेटा आर्थिक और रणनीतिक संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों या स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज पर सामान्य रूप से प्रभाव के साथ निर्णय लेने के लिये किया जा सकता है। दुनिया में डेटा की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है।

- संयुक्त राष्ट्र की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वर्ष 2020 में 64.2 जेटाबाइट डेटा बनाया गया जो वर्ष 2015 से 314 प्रतिशत अधिक है।

डेटा स्थानीयकरण क्या है ?

डेटा स्थानीयकरण बारे में:

- डेटा स्थानीयकरण देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण डेटा संग्रहीत कर रहा है।

- डेटा स्थानीयकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारे अपने डेटा पर नियंत्रण है जो देश को गोपनीयता, सूचना लीक, पहचान की चोरी, सुरक्षा आदि के मुद्दों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है।
- इसने देशों को अपने स्वयं के स्टार्टअप विकसित करने, स्थानीय रूप से विकसित होने और अपनी भाषा में पनपने में भी मदद की है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा के संरक्षण पर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है।
- मसौदा विधेयक के तहत उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा से निपटने वाली संस्थाओं को भारत के भीतर ऐसे डेटा की एक प्रति संग्रहीत करने के लिये अनिवार्य है और अपरिभाषित “महत्वपूर्ण” व्यक्तिगत डेटा का निर्यात प्रतिबंधित है।
- व्यक्तिगत डेटा में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जानकारी शामिल होती है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिये किया जा सकता है और इसलिये उस व्यक्ति की प्रोफाइलिंग की अनुमति देता है।

स्थानीयकरण के विभिन्न रूप:

- चार प्रमुख प्रकार के स्थानीयकरण प्रकार हैं। इसमें शामिल है:
 - सर्त स्थानीयकरण जिसमें स्थानीय भंडारण की आवश्यकता होती है
 - बिना शर्त स्थानीय भंडारण आवश्यकताएँ (सभी व्यक्तिगत डेटा के लिये)
 - बिना शर्त मिरिंग आवश्यकताएँ (सभी व्यक्तिगत डेटा के लिये)
 - डेटा एक्सेस और ट्रांसफर के लिये द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों के साथ डेटा का बिना शर्त मुक्त प्रवाह।

डेटा स्थानीयकरण मानदंड क्या हैं ?

भारत में:

श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट:

- व्यक्तिगत डेटा की कम से कम एक प्रति को भारत में स्थित सर्वर पर संग्रहीत करने की आवश्यकता होगी।
- देश के बाहर स्थानांतरण को सुरक्षा उपायों के अधीन करने की आवश्यकता होगी।
- महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा केवल भारत में संग्रहीत और संसाधित किया जाएगा।

डेटा संरक्षण विधेयक 2018:

- निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सूचनात्मक गोपनीयता के एक अनिवार्य पहलू के रूप में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता है।
- व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिये कदम उठाने, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने और व्यक्तिगत डेटा के सीमा पार हस्तांतरण के लिये मानदंड निर्धारित करने के लिये डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना।
- केंद्र सरकार व्यक्तिगत डेटा की श्रेणियों को महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के रूप में अधिसूचित करेगी जिसे केवल भारत में स्थित सर्वर या डेटा सेंटर में संसाधित किया जाएगा।

मसौदा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति ढाँचा:

- अनुशासित डेटा स्थानीयकरण और स्थानीयकरण नियमों के अनिवार्य होने से पहले उद्योग को समायोजित करने के लिये दो साल की सनसेट (Sunset) अवधि का सुझाव दिया।
- डेटा स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करने और डेटा केंद्रों को बुनियादी ढाँचे का दर्जा देने के लिये प्रोत्साहन का प्रस्ताव।

ओसाका ट्रैक का बहिष्कार:

- G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में, भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका ट्रैक का बहिष्कार किया। ओसाका ट्रैक ने कानूनों के निर्माण के लिये कड़ी मेहनत की जो देशों के बीच डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण को हटाने की अनुमति देगा।

चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध:

- वर्ष 2020 में भारत सरकार ने 59 व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले ऐप्स (जैसे कि टिक-टॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर आदि) पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जो सबसे अधिक चीनी कंपनियों से जुड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी (MIETY) ने इन ऐप्स से जुड़े डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता दोनों के संबंध में चिंताओं का हवाला देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 लागू किया।

वैश्विक:

- अमेरिकी कानून में रक्षा संबंधी डेटा को स्थानीयकृत करने की आवश्यकता है, ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य डेटा के स्थानीयकरण के लिये क्षेत्रीय विनियम है, रूस अपने सभी नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के स्थानीयकरण को अनिवार्य करता है, चीन को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढाँचे से संबंधित डेटा और स्थानीयकृत होने के लिये महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता है, इंडोनेशियाई कानून को स्थानीयकरण की आवश्यकता है सभी सार्वजनिक सेवाओं के डेटा और यूरोपीय संघ सशर्त डेटा हस्तांतरण की अनुमति देता है।

- कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते भी मौजूद हैं। इनमें समान डेटा सुरक्षा मानदंडों और सीमा पार डेटा हस्तांतरण और डेटा स्थानीयकरण के प्रति प्रतिबद्धता वाले देश शामिल हैं, उदाहरण ओसाका ट्रैक (वर्ष 2019), डेटा का स्पष्ट वैध विदेशी उपयोग (क्लाउड) अधिनियम (वर्ष 2018), व्यापक और प्रगतिशील सपझौते हैं। ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (वर्ष 2018), डिजिटल इकोनॉमी एग्रीमेंट (डीईए), (2020), अन्य।

डेटा स्थानीयकरण के क्या लाभ हैं ?

- गोपनीयता और संप्रभुता की रक्षा करता है: नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करता है और विदेशी निगरानी से डेटा गोपनीयता और डेटा संप्रभुता प्रदान करता है।
 - डेटा स्थानीयकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों और निवासियों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को विदेशी निगरानी से बचाना है।
- कानूनों और जवाबदेही की निगरानी: डेटा तक निरंकुश पर्यवेक्षी पहुँच भारतीय कानून प्रवर्तन को बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
 - डेटा स्थानीयकरण के परिणामस्वरूप डेटा के अंतिम उपयोग के बारे में Google, Facebook आदि जैसी फर्मों की अधिक जवाबदेही होगी।
- जांच में आसानी: भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जांच में आसानी प्रदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है क्योंकि उन्हें वर्तमान में डेटा तक पहुँच प्राप्त करने के लिये पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLAT) पर भरोसा करने की आवश्यकता है।
 - MLAT सरकारों के बीच समझौते हैं जो उन देशों में से कम-से-कम एक में होने वाली जांच से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत ने 45 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- क्षेत्राधिकार और संघर्षों में कमी: यह स्थानीय सरकारों और नियामकों को आवश्यकता पड़ने पर डेटा के लिये कॉल करने का अधिकार क्षेत्र देगा।
 - सीमा पार डेटा साझा करने और डेटा उल्लंघन के मामले में न्याय वितरण में देरी के कारण अधिकार क्षेत्र के संघर्ष को कम करता है।
- रोज़गार में वृद्धि: स्थानीयकरण के कारण डाटा सेंटर उद्योगों को लाभ होने की उम्मीद है जो भारत में रोज़गार पैदा करेगा।

डेटा स्थानीयकरण से हानि

- निवेश: कई स्थानीय डेटा केंद्रों को बनाए रखने से बुनियादी ढाँचे

में निवेश अधिक हो सकता है और वैश्विक कंपनियों के लिये उच्च लागत हो सकती है।

- स्प्लिट इंटरनेट (Split Internet) :** स्प्लिट इंटरनेट जहां संरक्षणवादी नीति का डोमिनोज प्रभाव अन्य देशों को सूट कर सकता है।
- सुरक्षा की कमी:** भले ही डेटा देश में संग्रहीत हो, एन्क्रिप्शन कुंजी अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुँच से बाहर हो सकती है।
- आर्थिक विकास पर प्रभाव:** जबरन डेटा स्थानीयकरण व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिये अक्षमता पैदा कर सकता है। यह लागत भी बढ़ा सकता है और डेटा-निर्भर सेवाओं की उपलब्धता को कम कर सकता है।

आगे की राह

- दीर्घकालिक रणनीति:** डेटा स्थानीयकरण के लिये नीति निर्माण के लिये एक एकीकृत दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है।
- ढाँचागत विकास की आवश्यकता:** भारत के सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (ITES) और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) उद्योगों के हितों पर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है, जो सीमा पार डेटा प्रवाह पर संपन्न हैं।
- कानून प्रवर्तन:** उल्लंघन या धमकी के मामले में, भारतीय कानून एजेंसियों द्वारा डेटा तक पहुँच किसी अन्य देश की लंबी कानूनी प्रक्रियाओं पर जो भारत में उत्पन्न डेटा को होस्ट करता है।
 - सूत्रों के अनुसार, भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में मुक्त व्यापर समझौते (FTA) में कानून प्रवर्तन की कमी के कारण समस्याएँ पैदा हो रही हैं।
- साइबर धोखाधड़ी और अपराधों को रोकने का एक तरीका:** इसके लिये देश को एक सहयोगी ट्रिगर तंत्र के लिये कानूनी रूप से समर्थित ढाँचे की तत्काल आवश्यकता है जो सभी पक्षों को बाध्य करेगा और कानून लागू करने वालों को जल्दी से कार्य करने और भारतीय नागरिकों और व्यवसायों को तेजी से बढ़ते खतरे से बचाने में सक्षम बनाएगा।
- गोपनीयता सुनिश्चित करें:** बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनियों और सरकार सहित शामिल सभी खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करने में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने की जरूरत है कि निर्दोष नागरिकों को पीड़ा के आघात से गुजरना न पड़े।
- प्रतिभागियों की जिम्मेदारी:** ग्राहक की बुनियादी साइबर स्वच्छता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है, जिसमें किसी की संवेदनशील जानकारी को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुरक्षित रखने के लिये अभ्यास और आवश्यक सावधानियां शामिल हैं।

कवकीय संक्रमण की पहली सूची

हाल ही में **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने कवकीय (कवकीय) संक्रमण (प्राथमिकता रोगजनकों) की पहली सूची जारी की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा हो सकते हैं।

WHO की कवकीय प्राथमिकता रोगजनक सूची:

- परिचय:
 - ◆ कवक प्राथमिकता रोगजनक सूची (FPPL) में 19 कवक शामिल हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिये सबसे बड़े खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - ◆ सूची को बैक्टीरियल प्राथमिकता वाले रोगजनकों की सूची से प्राथमिकता दी जाती है, जिसे पहली बार WHO द्वारा वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था, जिसमें वैश्विक लक्ष्य और कार्बाई पर समान ध्यान दिया गया था।
- लक्ष्य:
 - ◆ इसका उद्देश्य कवकीय संक्रमण और एंटीकवकीय प्रतिरोध के लिये वैश्विक प्रतिक्रिया को मज़बूत करने हेतु आगे के अनुसंधान और नीतिगत हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना एवं बढ़ावा देना है।
- श्रेणियाँ:
 - ◆ वर्गीकरण रोगजनक के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव या उभरते एंटीकवकीय प्रतिरोध जोखिम पर आधारित है।
 - क्रिटिकल प्रायोरिटी ग्रुप: इसमें कैंडिडा ऑरिस शामिल है जो एक अत्यधिक दवा प्रतिरोधी कवक क्रिप्टोकोक्स नियोफॉर्मन्स एस्परगिलस फ्यूमिगेटस और कैंडिडा अल्बिकन्स है।
 - उच्च प्राथमिकता समूह: इसमें कैंडिडा परिवार के साथ-साथ अन्य कई कवक शामिल हैं जैसे म्यूकोरालेस, “ब्लैक फंगस” वाला एक समूह, एक संक्रमण जो गंभीर रूप से बीमार लोगों में तेज़ी से बढ़ा, विशेष रूप से भारत में कोविड-19 के दौरान।
 - मध्यम प्राथमिकता समूह: इसमें कई अन्य कवक शामिल हैं, जिनमें Coccidioides spp और Cryptococcus gattii शामिल हैं।
- FPPL रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित कार्बाई:
 - ◆ प्रयोगशाला क्षमता और निगरानी को सुदृढ़ बनाना।
 - ◆ अनुसंधान, विकास और नवाचार में सतत निवेश।
 - ◆ रोकथाम और नियंत्रण के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ाना।
- कवकीय रोगजनकों से संबंधित बढ़ती चिंताएँ:
 - चिंताएँ:
 - ◆ कवकीय रोगजनक न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये एक गंभीर खतरा हैं बल्कि यह उपचार के प्रति भी प्रतिरोधी होते जा रहे हैं, वर्तमान में केवल चार वर्ग की एंटीकवकीय दवाएँ उपलब्ध हैं।
 - ◆ अधिकांश कवक रोगजनकों में तेज़ी और संवेदनशील निदान की कमी होती है तथा जो निदान/उपचार मौजूद हैं वे विश्व स्तर पर व्यापक रूप से उपलब्ध या सस्ते नहीं हैं।
 - ◆ उभरते हुए साक्ष्य इंगित करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं व्यापार में वृद्धि के कारण दुनिया भर में कवकीय रोगों की घटना तथा भौगोलिक सीमा दोनों का विस्तार हो रहा है।
 - ◆ के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों में कवकीय संक्रमण की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है।
 - ◆ कवक जो आम संक्रमण (जैसे कैंडिडा ओरल और वैजाईनल थ्रश) का कारण बनते हैं, उपचार के प्रति तेज़ी से प्रतिरोधी हो रहे हैं, इसके साथ ही आम लोगों में गंभीर संक्रमण के जोखिम भी बढ़ रहे हैं।
 - लक्षित जनसंख्या:
 - ◆ ये कवकीय संक्रमण अक्सर गंभीर रूप से बीमार रोगियों और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करते हैं।
 - ◆ **कैंसर, एचआईवी/एड्स, अंग प्रत्यारोपण, पुरानी साँस की बीमारी और पोस्ट-प्राथमिक तपेदिक संक्रमण** वाले लोगों में इस कवकीय संक्रमण का अधिक जोखिम रहता है।

शारण व्यवस्था

छठ पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने वियतनाम के हनोई में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लिया।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS):

- परिचय:
 - ◆ वर्ष 2005 में स्थापित यह भारत-प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा संबंधी और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग के लिये 18 क्षेत्रीय नेताओं का एक मंच है।
 - ◆ पूर्वी एशिया समूह की अवधारणा को पहली बार वर्ष 1991 में तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा बढ़ावा दिया गया था।
 - ◆ EAS के ढाँचे के भीतर क्षेत्रीय सहयोग के छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।
 - ये हैं - पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे एवं महामारी, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा आसियान कनेक्टिविटी।
 - सदस्य:
 - ◆ इसमें आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) के दस सदस्य देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ-साथ 8 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
 - यह आसियान-केंद्रित मंच है इसलिये इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही कर सकते हैं।
 - ब्रुनेई दारुस्सलाम वर्ष 2021 के लिये अध्यक्ष है।
 - EAS बैठकें और प्रक्रियाएँ:
 - ◆ EAS कैलेंडर वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में समाप्त होता है, जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष की चौथी तिमाही में आसियान नेताओं की बैठकों के साथ आयोजित किया जाता है।
 - ◆ EAS विदेश मंत्रियों और आर्थिक मंत्रियों की बैठकें भी प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं।
 - भारत और EAS:
 - ◆ भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- ◆ नवंबर 2019 में बैंकॉक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री डोमेन बनाने के लिये साझेदारी बनाना है।

भारत में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे:

- विद्यालयों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) 2019-20 के अनुसार, भारत में केवल 12% विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा है और 30% विद्यालयों में कंप्यूटर की सुविधा है।
- उच्च ड्रॉपआउट दर: प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों में विद्यालय छोड़ने की(ड्रॉपआउट) दर बहुत अधिक है। 6-14 आयु वर्ग के अधिकांश छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले विद्यालय छोड़ देते हैं। इससे वित्तीय और मानव संसाधनों की बर्बादी होती है।
- ब्रेन ड्रेन/प्रतिभा पलायन की समस्या: IIT और IIM जैसे शीर्ष संस्थानों में प्रवेश पाने के लिये कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण, भारत में बड़ी संख्या में छात्रों के लिये शैक्षणिक वातावरण काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, इसलिये वे विदेश जाना पसंद करते हैं, जिससे हमारा देश अच्छी प्रतिभा से वंचित हो जाता है।
- व्यापक निरक्षरता: शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से संवैधानिक निर्देशों और प्रयासों के बावजूद, लगभग **25% भारतीय अभी भी निरक्षर** हैं जिस कारण वे सामाजिक और डिजिटल रूप से पिछड़े हुए हैं।
- तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास काफी असंतोषजनक है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।
- लैंगिक असमानता: हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये शिक्षा के अवसर की समानता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत दर्दनीय है।

भारत द्वारा की गई शिक्षा संबंधी पहलें:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:
 - ◆ NEP 2020 शिक्षा हेतु एक समग्र, लचीले एवं बहु-विषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है और यह पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य तथा जवाबदेही के मूलभूत संभंगों पर आधारित होने के साथ ही **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) 2030** के साथ संरचित है।

- **PM SHRI योजना:**

- ◆ यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy NEP) के लिये एक प्रयोगशाला होगी और पहले चरण के तहत कुल 14,500 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा।
- ◆ ये विद्यालय अपने आसपास के अन्य विद्यालयों को मेंटरशिप देंगे।

- **PM ई-विद्या:**

- ◆ केंद्र सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2020 में पीएम ई-विद्या कार्यक्रम शुरू किया।
- ◆ सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली समस्याओं को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है।
- **ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म:** सरकार ने DIKSHA, SWAYAM MOOCs प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब्स, ई-पीजी पाठशाला और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किये हैं।

आगे की राह:

- विद्यालयी पाठ्यक्रम में समस्या-समाधान और निर्णय लेने से संबंधित विषयों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान सीखने का अनुभव प्रदान किया जा सके और उन्हें कार्यबल में प्रवेश करने पर बाहरी दुनिया का सामना करने के लिये तैयार किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि छात्रों को आरंभ से ही सही दिशा में ले जाया जा रहा है और वे करियर के अवसरों से अवगत हैं, भारत की शैक्षिक प्रणाली को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करके और विद्यालय में (विशेषकर सरकारी विद्यालयों में) सही सलाह प्रदान करके सुधार करने की आवश्यकता है।

वन हेल्थ दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा एक नई चतुष्कोणीय 'वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना' शुरू की गई थी।

- अप्रैल 2022 में वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।


वन हेल्थ संयुक्त कार्य योजना:

- **परिचय:**

- ◆ एक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित कार्य योजना, गतिविधियों का एक सेट प्रदान करती है जिसका उद्देश्य मानव-पशु-पौधे-पर्यावरण इंटरफेस पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये जिम्मेदार सभी क्षेत्रों में सहयोग, संचार, क्षमता निर्माण और समन्वय को समान रूप से मजबूत करना है।
- ◆ यह योजना वर्ष 2022-2026 तक वैध है और इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करना है।

- **कार्य योजना के फोकस क्षेत्र:**

- ◆ स्वास्थ्य प्रणालियों के लिये स्वास्थ्य क्षमता
- ◆ निरंतर उभरती जूनोटिक महामारी
- ◆ स्थानिक जूनोटिक
- ◆ उपेक्षित उष्णकटिबंधीय और वेक्टर जनित रोग
- ◆ **रोगाणुरोधी प्रतिरोध** और पर्यावरण
- ◆ खाद्य सुरक्षा जोखिम



वन हेल्थ की संकल्पना:

- **परिचय:**

- ◆ वन हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और हमारे चारों ओर के पर्यावरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।
- ◆ वन हेल्थ का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) के त्रिपक्षीय-प्लस गठबंधन के बीच हुए समझौते के अंतर्गत एक पहल/ब्लूप्रिंट है।

- ◆ इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पौधों, मिट्टी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विभिन्न विषयों के अनुसंधान और ज्ञान को कई स्तरों पर साझा करने के लिये प्रोत्साहित करना है, जो सभी प्रजातियों के स्वास्थ्य में सुधार, उनकी रक्षा व बचाव के लिये ज़रूरी है।

बढ़ता महत्व:

यह हाल के वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कई कारकों ने मानव, पशु, पौधों और हमारे पर्यावरण के बीच पारस्परिक प्रभाव को बदल दिया है।

- **मानव विस्तार:** मानव आबादी बढ़ रही है और नए भौगोलिक क्षेत्रों तक विस्तृत हो रही है जिसके कारण जानवरों तथा उनके वातावरण के साथ निकट संपर्क की वजह से जानवरों द्वारा मनुष्यों में बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है।
- ◆ मनुष्यों को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों में से 65% से अधिक जूनोटिक रोगों की उत्पत्ति के मुख्य स्रोत जानवर हैं।
- **पर्यावरण संबंधी व्यवधान:** पर्यावरणीय परिस्थितियों और आवासों में व्यवधान जानवरों में रोगों का संचार करने के नए अवसर प्रदान कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार:** अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व व्यापार के कारण लोगों, जानवरों और पशु उत्पादों की आवाजाही बढ़ गई है, जिसके कारण बीमारियाँ तेजी से दुनिया भर में फैल सकती हैं।
- **वन्यजीवों में वायरस:** वैज्ञानिकों के अनुसार, वन्यजीवों में लगभग 1.7 मिलियन से अधिक वायरस पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर के जूनोटिक होने की संभावना है।
- इसका तात्पर्य है कि समय रहते अगर इन वायरस का पता नहीं चलता है तो भारत को आने वाले समय में कई महामारियों का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- **कोविड -19 महामारी** ने संक्रामक रोग शासन में 'बन हेल्थ' सिद्धांतों के महत्व को विशेष रूप से दुनिया भर में **जूनोटिक रोगों** को रोकने और नियंत्रित करने के प्रयास में प्रदर्शित किया है।
- भारत को पूरे देश में इस तरह के एक मॉडल को विकसित करने और दुनिया भर में सार्थक अनुसंधान सहयोग स्थापित करने की आवश्यकता है।
- अनौपचारिक बाजार और बूचड़खानों के संचालन (जैसे, निरीक्षण, रोग प्रसार आकलन) के लिये सर्वोत्तम अभ्यास दिशानिर्देश विकसित करने और ग्रामीण स्तर तक हर चरण में 'बन हेल्थ' को संचालित करने हेतु तंत्र बनाने की आवश्यकता है।
- जागरूकता पैदा करना और 'बन हेल्थ' लक्ष्यों को पूरा करने के लिये निवेश बढ़ाना समय की मांग है।

डेफएक्सपो-2022

चर्चा में क्यों ?

डेफएक्सपो-2022 का 12वाँ संस्करण गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है।

- **डेफएक्सपो का 11वाँ संस्करण वर्ष 2020 में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित किया गया था।**

डेफएक्सपो-2022:

परिचय:

- ◆ डेफएक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें स्थल, जल तथा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ-साथ घरेलू सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है।
- ◆ यह पहली बार चार-स्थल प्रारूप (four-venue format) में आयोजित किया जा रहा है जिसमें **रक्षा में 'आत्मनिर्भरता'** के लिये, लोगों को संलग्न करने और उन्हें एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण क्षेत्र में शामिल होने के लिये प्रेरित करना शामिल है।
- ◆ इसका उद्देश्य घरेलू रक्षा उद्योग की ताकत का प्रदर्शन करना है जो अब सरकार और राष्ट्र के 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' संकल्प को मज़बूती प्रदान कर रहा है।
- ◆ यह विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिये पहला संस्करण है।
- **थीम:** गर्व का मार्ग।

प्रमुख बिंदु:

- यह भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता (IADD) के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा, जिसमें 53 अफ्रीकी देशों को आमंत्रित किया जाएगा।
- ◆ भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिये अभिसरण के नए क्षेत्रों का पता लगाएगा।
- ◆ अफ्रीका के प्रति भारत का दृष्टिकोण कंपाला सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
- लगभग 40 देशों की भागीदारी के साथ अलग हिंद महासागर क्षेत्र प्लस (IOR+) सम्मेलन में भारत अपने सैन्य हार्डवेयर को विभिन्न देशों में पेश करेगा।
- यह सात नई रक्षा कंपनियों के गठन के एक वर्ष के उत्सव को भी चिह्नित करेगा, जो पूर्ववर्ती **आयुध कारखानों** से बनी हैं।
- ◆ ये सभी कंपनियाँ पहली बार डेफएक्सपो में भाग लेंगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में सुधार:

- FDI सीमा में संशोधन: स्वचालित मार्ग के तहत **रक्षा विनिर्माण** में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
- परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU): सरकार से एक परियोजना प्रबंधन इकाई (अनुबंध प्रबंधन उद्देश्यों के लिये) की स्थापना के साथ समयबद्ध रक्षा उपकरणों की खरीद और त्वरित निर्णय लेने की उम्मीद की जाती है।
- रक्षा आयात में कमी: सरकार आयात के लिये प्रतिबंधित हथियारों/प्लेटफॉर्मों की एक सूची अधिसूचित करेगी और इस प्रकार ऐसी वस्तुओं को केवल घरेलू बाजार से ही खरीदा जा सकता है।
 - ◆ घरेलू पूँजीगत खरीद के लिये अलग से बजट प्रावधान।
- आयुध निर्माण बोर्ड का निगमीकरण: इसमें कुछ इकाइयों की सार्वजनिक सूची शामिल होगी, जो डिजाइनर और अंतिम उपयोगकर्ता के साथ विनिर्माता के अधिक कुशल इंटरफेस को सुनिश्चित करेगा।

मिशन डेफेंस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयोजित **डेफेंसपो** में प्रधानमंत्री ने 'मिशन डेफेंस' लॉन्च किया है।

- उन्होंने चौथी रक्षा स्वदेशीकरण सूची भी जारी की, जिसमें निश्चित समय सीमा के बाद 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाना है।
- उन्होंने एक्सपो के दौरान इंडिया पवेलियन में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा डिजाइन और विकसित स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 (हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-40) का भी अनावरण किया।

मिशन डेफेंस

परिचय:

- ◆ यह भारतीय उद्योग और स्टार्ट-अप के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में तीनों सेवाओं (**भारतीय वायु सेना, नौसेना और सेना**) के लिये अभिनव समाधान विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है।
- ◆ अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा आवश्यकताओं के आधार पर नवीन समाधान प्राप्त करने के लिये 75 चुनौतियों का निराकरण किया जा रहा है।
- ◆ स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और निजी क्षेत्र को समस्याओं के समाधान खोजने के लिये आमंत्रित किया जाएगा जिसमें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताएँ शामिल होंगी।

- ◆ इसका उद्देश्य अंतरिक्ष युद्ध के लिये सैन्य अनुप्रयोगों की एक शृंखला विकसित करना और निजी उद्योगों को भविष्य की आक्रामक और रक्षात्मक आवश्यकताओं के लिये सशस्त्र बलों के समाधान की पेशकश करने में सक्षम बनाना है।
- ◆ अंतरिक्ष में रक्षा अनुप्रयोगों से न केवल भारतीय सशस्त्र बलों को मदद मिलेगी बल्कि विदेशी मित्र राष्ट्रों तक भी इसका विस्तार किया जा सकता है।

रक्षा का स्वदेशीकरण:

- परिचय:
 - ◆ स्वदेशीकरण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात के बोझ को कम करने के दोहरे उद्देश्य के लिये देश के भीतर रक्षा उपकरण के विकास और उत्पादन करने की क्षमता है।
 - ◆ रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
 - ◆ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs) और निजी संगठन रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
 - ◆ भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है और सशस्त्र बलों द्वारा अगले पाँच वर्षों में रक्षा खरीद पर लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की उम्मीद है।
- चौथी स्वदेशीकरण सूची:
 - ◆ इसमें उन उपकरणों पर विशेष ध्यान देना है, जिन्हें विकसित किया जा रहा है और अगले 5-10 वर्षों में इसके फर्म ऑर्डर में तब्दील होने की संभावना है।
 - ◆ चौथी सूची में सूचीबद्ध उपकरण न केवल घरेलू रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों की प्रवृत्ति के साथ भविष्य की ज़रूरतों को समझने में मदद करेंगे बल्कि इससे देश के भीतर अपेक्षित अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण क्षमता के लिये पर्याप्त अवसर भी प्राप्त होंगे।
- महत्व:
 - ◆ घरेलू उद्योग को बढ़ावा :
 - ये आयुध और प्लेटफॉर्म घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के साथ देश में अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण को बदल देंगे।
 - राजकोषीय घाटे को कम करना और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना:
 - राजकोषीय घाटे में कमी, संवेदनशील सीमाओं और शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से सुरक्षा, रोजगार सुजन तथा भारतीय सेनाओं के बीच अखंडता व संप्रभुता की मजबूत भावना के साथ राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना, स्वदेशीकरण के कुछ अन्य लाभ होंगे।

HTT-40 स्वदेशी ट्रेनर विमान:

- HTT-40 भारतीय वायु सेना (IAF) के लिये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित एक बेसिक ट्रेनर विमान है।
- यह IAF के पुराने बेड़े HPT-32 दीपक ट्रेनर विमानों की जगह लेगा।
- यह अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ईंधन दक्षता और पावर रेटिंग प्रदान करता है।
- यह कम दूरी से उड़ान भरने के साथ तेज़ी से ऊँचाई पर पहुँच सकता है।
- इसकी अधिकतम गति 450 किमी/घंटा है और यह अधिकतम 1,000 किमी की ऊँचाई तक पहुँच सकता है। प्लैप डाउन के साथ इसकी स्टॉल गति 135 किमी/घंटा होती है।



स्वदेश दर्शन योजना 2.0

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'स्वदेश दर्शन 2.0' (जनवरी 2023 से शुरू) के पहले चरण के हिस्से के रूप में, सरकार ने भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिये देश भर के 15 राज्यों की पहचान की है।

- यह नीति थीम आधारित पर्यटन सर्किट से इतर गंतव्य पर्यटन को पूर्व रूप में लाने पर केंद्रित है।
- पहचान किये गए कुछ प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में झांसी और प्रयागराज, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चित्रकूट और खजुराहो तथा महाराष्ट्र में अंजंता एवं एलोरा हैं।

स्वदेश दर्शन योजना:

- परिचय:
 - इसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिये शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पंद्रह विषयागत सर्किटों की पहचान की गई है- बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज

सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्ण सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूरी सर्किट, तीर्थकर सर्किट, जनजातीय सर्किट, वन्यजीव सर्किट।

- यह केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित है और केंद्र एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभियान हेतु तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की **कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR)** पहल के लिये उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तपोषण का लाभ उठाने के प्रयास किये जाते हैं।

उद्देश्य:

- पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करना।
- नियोजित और प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन क्षमता वाले सर्किट विकसित करना।
- पहचान किये गए क्षेत्रों में आजीविका उत्पन्न करने के लिये देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना।
- सर्किट/गंतव्यों में विश्व स्तरीय स्थायी बुनियादी ढाँचे को विकसित करके पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाना।
- समुदाय आधारित विकास और गरीब समर्थक पर्यटन दृष्टिकोण का पालन करना।
- आय के बढ़ते स्त्रोतों, बेहतर जीवन स्तर और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों में पर्यटन के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना।
- उपलब्ध बुनियादी ढाँचे, राष्ट्रीय संस्कृति और देश भर में प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट स्थलों के संदर्भ में विषय-आधारित सर्किटों के विकास की संभावनाओं एवं लाभों का पूरा उपयोग करना।
- आगंतुक अनुभव/संतुष्टि को बढ़ाने के लिये पर्यटक सुविधा सेवाओं का विकास करना।

स्वदेश दर्शन योजना 2.0:

- परिचय:
 - 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना का उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
 - स्वदेश दर्शन 2.0 एक वृद्धिशील परिवर्तन नहीं है, बल्कि स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिये स्वदेश दर्शन योजना को एक समग्र मिशन के रूप में विकसित करने हेतु पौदीगत बदलाव है।
 - यह पर्यटन स्थलों के सामान्य और विषय-विशिष्ट विकास के लिये बेंचमार्क एवं मानकों के विकास को प्रोत्साहित करेगी

ताकि राज्य परियोजनाओं की योजना तैयार करने एवं विकास करते समय बेंचमार्क तथा मानकों का पालन किया जा सके।

- ◆ योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिये निम्नलिखित प्रमुख विषयों की पहचान की गई है।
 - संस्कृति और विरासत
 - साहसिक पर्यटन
 - पारिस्थितिकी पर्यटन
 - कल्याण पर्यटन
 - एमआईसीई पर्यटन
 - ग्रामीण पर्यटन
 - तटीय पर्यटन
 - परिभ्रमण- महासागर और अंतर्राष्ट्रीय।

● महत्व:

- ◆ संशोधित योजना स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाने का प्रयास करती है।
- ◆ इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के लिये स्वरोज़गार सहित रोज़गार सृजित करना, पर्यटन एवं आतिथ्य में स्थानीय युवाओं के कौशल तथा निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना और स्थानीय सांस्कृतिक व प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं समृद्ध बनाना है।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य पहल:

● 'प्रसाद' (PRASHAD) योजना

- ◆ यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने हेतु पूरे भारत में तीर्थस्थलों का संवर्धन एवं उनको पहचान प्रदान करने पर केंद्रित है।
- ◆ इसका उद्देश्य तीर्थस्थलों को प्राथमिकता, नियोजित और टिकाऊ तरीके से एकीकृत करना है ताकि एक पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान किया जा सके।

● प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल:

- ◆ बोधगया, अजंता और एलोरा में बौद्ध स्थलों की पहचान प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल (भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के उद्देश्य से) के रूप में विकसित करने के लिये की गई है।

● बौद्ध सम्मेलन:

- ◆ बौद्ध सम्मेलन भारत को बौद्ध गंतव्य और दुनिया भर के प्रमुख बाजारों के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वैकल्पिक वर्ष में आयोजित किया जाता है।

● देखो अपना देश पहल:

- ◆ देश के भीतर नागरिकों को यात्रा हेतु प्रोत्साहित करने और घरेलू पर्यटन सुविधाओं तथा बुनियादी हाँचे के विकास को मजबूत

बनाने के लिये इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया था।

भारत में पर्यटन क्षेत्र परिवृत्त:

- ◆ तीसरे पर्यटन सैटेलाइट विवरण के अनुसार देश में 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान रोज़गार में पर्यटन का योगदान क्रमशः 14.78%, 14.87% और 15.34% रहा है।
- ◆ पर्यटन द्वारा सृजित कुल रोज़गार 72.69 मिलियन (2017-18), 75.85 मिलियन (2018-19) और 79.86 मिलियन (2019-20) रहा है।
- ◆ विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की 2019 की रिपोर्ट में विश्व जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में योगदान के मामले में भारत के पर्यटन को 10वें स्थान पर रखा गया है।
- ◆ वर्ष 2019 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 6.8% था अर्थात् 13,68,100 करोड़ रुपए (194.30 अरब अमेरिकी डॉलर)।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत स्तर की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा शुरू की।

Key features of the framework

The National Curriculum Framework, made for the 3-8 age group, is the first such integrated curriculum for children

What replaces textbooks?

NCF suggests the use of simple worksheets for the 3-6 age group
 • "...for ages 3-6, there should not be any prescribed textbooks for the children... (they) should not be burdened with textbooks," the document states.

Why is this an important step?

- Vast numbers of school-going children routinely fail learning outcome tests
- Effect of holistic education in founding years on learning levels of children

Other reforms

- Toy-based learning
- Avoiding stereotypes
- Gender representation
- Ethical, moral awareness

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (NCF):


● NCF के चार आयाम हैं:

- ◆ स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा
- ◆ बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा
- ◆ शिक्षकों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा
- ◆ प्रौढ़ शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा

- यह रूपरेखा 'पंचकोश' अवधारणा पर केंद्रित है- शरीर-मन के बीच समन्वय की प्राचीन भारतीय परंपरा से प्रेरित।
- NCF के पाँच भाग हैं- शारीरिक विकास, जीवन ऊर्जा का विकास, भावनात्मक और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास।
- यह नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिये उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव ला रही है।
- इसने शिक्षा प्रणाली को समानता और समावेश के साथ सभी के लिये उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के मार्ग को प्रशस्त किया है।
- NEP 2020 के सबसे परिवर्तनकारी पहलुओं में नई $5+3+3+4$ पाठ्यचर्चा संरचना है जो 3 से 8 वर्ष के सभी बच्चों के लिये प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत करती है।
- प्रारंभिक बचपन, जीवन भर सीखने के विकास की नींव होता है, यह पूरे जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख निर्धारक है।



भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और कानून:

- संवैधानिक प्रावधान:
 - भारतीय संविधान के भाग IV, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSR) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित होने के साथ-साथ समान एवं सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
 - 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने शिक्षा को राज्य से समर्वती सूची में स्थानांतरित कर दिया।

■ केंद्र सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियाँ इसे एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के लिये तमिलनाडु वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रिभाषा फार्मूले का पालन नहीं करता है।

◆ वर्ष 2002 में 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा को एक प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया।

■ संविधान का अनुच्छेद 21ए राज्य के लिये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

● संबंधित कानून:

◆ **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।

■ इसके तहत समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण का भी प्रावधान है।

● सरकारी पहलें:

◆ **सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना**, नवोदय विद्यालय (NVS विद्यालय), केंद्रीय विद्यालय और शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि वर्ष 1986 के शिक्षा नीति की ही देन है।

केवल प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि किसी भी तरह का प्रसारण केवल प्रसार भारती के माध्यम से ही किया जाए।

प्रसार भारती के विषय में:

- प्रसार भारती एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। यह देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में प्रसार भारती अधिनियम के तहत की गई थी।
- प्रसार भारती निगम का मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्ता प्रदान करना है ताकि 'जनता को शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोरंजन किया जा सके'।

परामर्श क्या है?

- इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों, केंद्र सरकार के विभागों, राज्य

- सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन या उनसे संबंधित संस्थाओं को प्रसारण गतिविधियों के अंतर्गत प्रसारण या वितरण कार्यों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- यदि केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश और उनसे संबंधित संस्थाएँ पहले से ही अपनी सामग्री प्रसारित कर रही हैं, तो यह कार्य अब सार्वजनिक प्रसारण केंद्र प्रसार भारती के माध्यम से किया जाएगा।
 - यह **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)**, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई कानूनी राय की सिफारिशों के अनुरूप है।
 - ◆ **सर्वोच्च न्यायालय** के अनुसार, सार्वजनिक सेवा प्रसारण एक सांविधिक निगम या उन निगमों के हाथों में होना चाहिये, जिन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये विधि के तहत स्थापित किया गया हो।
 - विद्यमान नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत के सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, स्वायत्त निकाय और कृषि विश्वविद्यालयों में सामुदायिक रेडियो को स्थापित किया जा सकता है।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें क्या थीं?**
- वर्ष 2012 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने परामर्श दिया था कि केंद्र और राज्य सरकार, उनकी कंपनियों, उपक्रमों, निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम तथा अन्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किसी भी तरह की संस्थाओं को टीवी चैनलों के प्रसारण और/या वितरण के व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
 - ◆ यह सरकारिया आयोग की सिफारिश और क्रिकेट संघ मामले के निर्णय पर निर्भर था।
 - प्रसार भारती के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह निकाय प्रसारण गतिविधियों के संबंध में सरकारी संस्थाओं की विधिसम्पत्त आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु उत्तरदायी है, साथ ही अपनी स्वायत्तता और कार्यात्मक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिये प्रसार भारती तथा सरकार के बीच निष्पक्ष संबंध का परामर्श भी देता है।

TRAI:

- **कानूनी समर्थन:** TRAI की स्थापना 20 फरवरी, 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा की गई थी।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ TRAI का उद्देश्य देश में दूरसंचार के विकास के लिये

अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना एवं इसे बेहतर बनाना है।

- ◆ TRAI दूरसंचार सेवाओं के लिये टैरिफ के निर्धारण/संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है जो पहले केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता था।
- ◆ इसका उद्देश्य एक स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है जिससे कंपनियों के मध्य निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्ध हो सकें।
- **मुख्यालय:** भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- **शक्तियाँ:**
 - ◆ **सूचना प्रस्तुत करने का आदेश:** यह किसी भी सेवा प्रदाता को अपने मामलों से संबंधित सूचना या स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है जैसी प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है।
 - ◆ **जाँच के लिये नियुक्तियाँ:** प्राधिकरण किसी भी सेवा प्रदाता के मामलों में जाँच करने के लिये एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।
 - ◆ **निरीक्षण के लिये आदेश:** इसे अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी सेवा प्रदाता के खातों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने का निर्देश देने का अधिकार है।
 - ◆ **सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करना:** प्राधिकरण के पास सेवा प्रदाताओं को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जिसे सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्य करने के लिये वह उचित एवं आवश्यक समझे।

राष्ट्रीय क्रेडिट ढाँचा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 'नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क' (National Credit Framework - NCrF) के एक मसौदे का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की पूरी शिक्षा प्रणाली को अकादमिक 'क्रेडिट' शासन के तहत लाना है और इसमें सार्वजनिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की गई है।

राष्ट्रीय क्रेडिट ढाँचा:

- **विषय:** राष्ट्रीय क्रेडिट ढाँचा **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** का एक अंग है।
 - ◆ ढाँचे के अनुसार, एक शैक्षणिक वर्ष को किसी छात्र द्वारा उपयोग किये गए घंटों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रत्येक को तदनुसार क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।

- ◆ जुलाई 2021 में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में एकेडमिक बैंक औफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन) विनियमों के तहत इसकी रूपरेखा तैयार की गई है।
- **क्रेडिट सिस्टम:** NCrF पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, जिसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है, कक्षा 5 से ही क्रेडिट स्तर का प्रस्ताव करती है जो कि क्रेडिट स्तर 1 होगा, क्रमशः स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट के साथ क्रेडिट स्तर 7 और 8 तक जाएगा।
- ◆ सीखने के प्रत्येक वर्ष के साथ क्रेडिट स्तर में 0.5 की वृद्धि होगी।
- **क्रेडिट अर्जित:** क्रेडिट के असाइनमेंट के लिये कुल 'नोशनल लर्निंग आवर्स इन ए ईयर' 1200 घंटे होंगे। छह महीने के प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट के साथ प्रत्येक वर्ष 1200 घंटे सीखने के लिये न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित किये जा सकते हैं। प्रत्येक क्रेडिट 30 घंटे प्रति क्रेडिट सीखने के 30 घंटे के साथ आएगा।
- NCrF के संदर्भ में सीखने के घंटे का अर्थ न केवल कक्षा में शिक्षण से है, बल्कि सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों में भी बिताया गया समय है। ऐसी गतिविधियों की सूची में खेल, योग, प्रदर्शन कला, संगीत, सामाजिक कार्य, एनसीसी, व्यावसायिक शिक्षा, साथ ही नौकरी पर प्रशिक्षण, इंटर्नशिप शामिल हैं।
- ◆ आसान प्रवेश और निकास: क्रेडिट अंतरण तंत्र किसी भी छात्र/शिक्षार्थी को किसी भी समय, सामान्य एवं व्यावसायिक दोनों तरह के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने तथा बाहर निकलने में सक्षम बनाएगा। ऐसे मामलों में प्राप्त कार्य अनुभव या शिक्षार्थी द्वारा किये गए किसी अन्य प्रशिक्षण को उचित महत्व दिया जाता है।
- ◆ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर उचित ध्यान देना: नया क्रेडिट ढाँचा कक्षा शिक्षण, प्रयोगशाला कार्य, कक्षा परियोजनाओं, खेल और अन्य गतिविधियों में प्रदर्शन को ध्यान में रखेगा, साथ ही पाठ्यचर्या एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों या विभिन्न विषयों के बीच अंतर नहीं करेगा।
- ◆ आधार-सक्षम छात्र पंजीकरण: आधार-सक्षम छात्र पंजीकरण किया जाएगा। छात्र पंजीकरण के बाद एक **शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (Academic Credit Banks)** खाता खोला जाएगा। उन खातों में डिग्री और क्रेडिट जमा किया जाएगा। डिजिलॉकर जैसा नॉलेज लॉकर मौजूद होगा।
- ◆ **शैक्षणिक क्रेडिट बैंक:** उच्च शिक्षा के लिये हाल ही में शुरू किये गए **शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (Academic Credit Banks)** का विस्तार स्कूली शिक्षा से अर्जित क्रेडिट के एंड-टू-एंड प्रबंधन की अनुमति देने के लिये किया जाएगा और इसमें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी शामिल होंगे।

◆ महत्व:

- यह शैक्षिक और कौशल संस्थानों एवं कार्यबल को शामिल करते हुए 'कौशल, पुनः कौशल, अप-स्किलिंग, मान्यता तथा मूल्यांकन के लिये एक छत्र ढाँचे' के रूप में काम करेगा।
- ज्ञान प्राप्ति, व्यावहारिक प्रशिक्षण और सकारात्मक सामाजिक परिणामों का श्रेय अगले 2-3 वर्षों में 100% साक्षरता हासिल करने एवं भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

आईटी नियम, 2021 में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)** नियम 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया।

- इनका उद्देश्य देश के नागरिकों के लिये इंटरनेट को सुलभ, सुरक्षित, भरोसेमंद और जबाबदेह बनाना है।

आईटी नियम, 2021 में प्रमुख संशोधन:

- सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिये नए दिशा-निर्देश:
 - ◆ वर्तमान में मध्यस्थों को केवल उपयोगकर्ताओं के लिये हानिकारक/गैरकानूनी सामग्री की कुछ श्रेणियों को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। ये संशोधन उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री अपलोड करने से रोकने के लिये उचित प्रयास करने हेतु मध्यस्थों पर एक कानूनी दायित्व आरोपित करते हैं। नया प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यस्थ का दायित्व केवल एक औपचारिकता नहीं है।
 - ◆ इस संशोधन में मध्यस्थों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उपयोगकर्ताओं को मिले अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है, इसलिये इसमें उचित तत्परता, गोपनीयता और पारदर्शिता की अपेक्षा की गई है।
 - ◆ मध्यस्थ के नियमों और विनियमों के प्रभावी संचार हेतु यह महत्वपूर्ण है कि संचार क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाए।
- नियम 3 में संशोधन:
 - ◆ नियम 3 (नियम 3(1)(बी)(ii)) के उपखंड 1 के आधारों को 'मानहानि कारक' और 'अपमानजनक' शब्दों को हटाकर युक्तिसंगत बनाया गया है।

- क्या कोई सामग्री मानहानि कारक या अपमानजनक है, यह न्यायिक समीक्षा के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
- ◆ नियम 3 (नियम 3(1)(बी)) के उपखंड 1 में कुछ सामग्री श्रेणियों को, विशेष रूप से गलत सूचना और ऐसी अन्य सामग्री से निपटने के लिये फिर से तैयार किया गया है जो विभिन्न धार्मिक/जाति समूहों के बीच हिंसा को उकसा सकती है।
- शिकायत अपील समिति का गठन:
 - ◆ उपयोगकर्ताओं शिकायतों पर मध्यस्थों द्वारा लिये गए निर्णयों या निष्क्रियता के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को अपील करने की अनुमति देने हेतु 'शिकायत अपील समितियों' का गठन किया जाएगा।
 - हालाँकि उपयोगकर्ताओं को हमेशा किसी भी समाधान के लिये न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होगा।
- उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना:
 - ◆ बिचौलिये ऐसी सामग्री की शिकायतों की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर इसे हटाएंगे या अक्षम करेंगे जो व्यक्तियों की निजता को उजागर करती हैं, ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक नग्नता या यौन क्रिया में दिखाती हैं या प्रतिरूपण की प्रकृति में हैं, जिसमें मॉर्फ़ इमेज आदि शामिल हैं।
 - ◆ गोपनीयता नीतियों के बारे में उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना:
 - ◆ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उपयोगकर्ताओं को कॉपीराइट की गई सामग्री और ऐसी किसी भी चीज़ को प्रसारित न करने के बारे में शिक्षित किया जाए, जिसे मानहानि कारक, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, पीड़ोफ़िलिक, भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, या संप्रभुता को खतरे में डालने वाला या किसी भी चीज़ का उल्लंघन माना जा सकता है।

The Vision

सामाजिक व्याय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

चर्चा में क्यों ?

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा चार राज्यों (बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** ने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण हुए आय नुकसान में 20-80% की भरपाई करने में मदद की।

- हालाँकि, सर्वेक्षण किये गए 39% परिवारों को कोविड-19 वर्ष में एक भी दिन का काम नहीं मिला, क्योंकि पर्याप्त कार्य का सृजन नहीं हो रहा था।

मनरेगा:

- परिचय: मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
 - ◆ योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देना है।
 - ◆ वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं।
- कार्य का कानूनी अधिकार: पहले की रोज़गार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार-आधारित ढाँचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है।
 - ◆ लाभार्थियों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाएँ होनी चाहिये।
 - ◆ मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में कृषि मज़दूरों के लिये निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी के अनुरूप किया जाना चाहिये।
 - मांग-प्रेरित योजना: मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत कसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें वफिल होने पर उसे 'बेरोज़गारी भत्ता' प्रदान किया जाता है।
 - ◆ यह मांग-प्रेरित योजना श्रमिकों के स्व-चयन (Self-Selection) को सक्षम बनाती है।

- विकेंद्रीकृत योजना: इन कार्यों के योजना निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को महत्वपूर्ण भूमिकाएँ सौंपकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने पर बल दिया गया है।

- ◆ अधिनियम में आरंभ किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार **ग्राम सभाओं** को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम-से-कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है।



योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध समस्याएँ:

- धन के वितरण में देरी और अपर्याप्तता: अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा निर्दिष्ट 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से मज़दूरी भुगतान करने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही मज़दूरी भुगतान में देरी हेतु श्रमिकों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है।
 - ◆ इसने योजना को एक आपूर्ति-आधारित कार्यक्रम में बदल दिया है और इसके परिणामस्वरूप श्रमिक इसके तहत काम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
 - ◆ इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिलते रहे हैं और इसे स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है कि मज़दूरी भुगतान में देरी धन की अपर्याप्तता का परिणाम है।
- जाति आधारित पृथक्करण: भुगतान में देरी के मामले में जाति के आधार पर भी उल्लेखनीय भिन्नताएँ नज़र आई हैं, जबकि निर्दिष्ट सात दिनों की अवधि के अंदर **अनुसूचित जाति** के श्रमिकों के लिये 46% और **अनुसूचित जनजाति** के श्रमिकों के लिये 37% भुगतान सुनिश्चित होता नज़र आया था, गैर-एससी/एसटी श्रमिकों के लिये यह मात्र 26% था।

- ◆ मध्य प्रदेश, झारखण्ड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्यों में जाति-आधारित पृथक्करण का नकारात्मक प्रभाव तीव्र रूप से महसूस किया गया है।
- पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभावी भूमिका: बेहद कम स्वायत्ता के कारण ग्राम पंचायतें इस अधिनियम को प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं हैं।
- बड़ी संख्या में अधूरे कार्य: मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी हुई है और परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत संपन्न कार्य की गुणवत्ता व परिसंपत्ति निर्माण समस्याजनक रही है।
- जॉब कार्ड में धांधली: फर्जी जॉब कार्ड, कार्ड में फर्जी नाम शामिल करने, अपूर्ण प्रविष्टियाँ और जॉब कार्डों में प्रविष्टियाँ करने में देरी जैसी भी कई समस्याएँ मौजूद हैं।

आगे की राह

- विभिन्न सरकारी विभागों और कार्य आवंटन तथा कार्य प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
- भुगतान अदायगी के मामले में व्याप्त कुछ विसंगतियों को भी दूर करने की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र की महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में औसतन 22.24% कम आय प्राप्त होती है।
- राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हर गाँव में सार्वजनिक कार्य शुरू हो। कार्यस्थल पर आने वाले श्रमिकों को बिना किसी देरी के तुरंत काम दिया जाना चाहिये।
- ग्राम पंचायतों को कार्यों को मंजूरी देने, कार्य की मांग पर इसकी पूर्ति करने और समयबद्ध मज़दूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संसाधन, शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व सौंपे जाने की आवश्यकता है।
- मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं, जैसे- ग्रीन इंडिया पहल, स्वच्छ भारत अभियान आदि के साथ संबद्ध किया जाना भी उपयुक्त होगा।

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और 'ऑक्सफोर्ड पॉर्टरी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव' (OPHI) द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2022 जारी किया गया।


सूचकांक की मुख्य विशेषताएँ:

- वैश्विक आँकड़ा:
- ◆ 2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं।
- उनमें से लगभग आधे लोग गंभीर गरीबी की स्थिति में रहते हैं।
- आधे गरीब लोग (593 मिलियन) 18 वर्ष से कम आय के हैं।
- गरीब लोगों की संख्या उप सहारा अफ्रीका (579 मिलियन) में सबसे अधिक है, इसके बाद दक्षिण एशिया (385 मिलियन) का स्थान है। दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 83% गरीब लोग रहते हैं।
- महामारी का प्रभाव:
- ◆ हालाँकि आँकड़ा महामारी के बाद के बदलावों को प्रतिबिंधित नहीं करता है।
- ◆ रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन में हुई प्रगति को 3-10 वर्ष पीछे धकेल सकती है।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य सुरक्षा पर नवीनतम आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2021 में खाद्य संकट या इससे भी बदतर स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 193 मिलियन हो गई।

भारत के बारे में प्रमुख निष्कर्ष:

- आँकड़ा:
- ◆ दुनिया में सबसे ज्यादा 22.8 करोड़ गरीब भारत में हैं, इसके बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं।
- ◆ इनमें से दो-तिहाई लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिसमें कम-से-कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित है।
- गरीबी में कमी:
- ◆ देश में गरीबी वर्ष 2005-06 के 55.1% से घटकर वर्ष 2019-21 में 16.4% हो गई।
- सभी 10 MPI संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई जिसके परिणामस्वरूप MPI मूल्य और गरीबी की घटनाएँ आधी से अधिक कम हो गईं।
- ◆ वर्ष 2005-06 से लेकर 2019-21 के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे।
- भारत के लिये बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सुधार ने दक्षिण एशिया में गरीबी में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- गरीबी में सापेक्ष कमी:
- ◆ राष्ट्रीय स्तर पर 2015-2016 से 2019-21 की सापेक्ष कमी 2005-2006 से 2015-2016 तक 8.1% की तुलना में प्रतिवर्ष 11.9% तेज़ थी।

- राज्यों का प्रदर्शन:
 - वर्ष 2015-16 में सबसे गरीब राज्य बिहार में MPI मूल्य में निरपेक्ष रूप से सबसे तेज़ कमी देखी गई।
 - बिहार में गरीबी का प्रतिशत वर्ष 2005-06 के 77.4% से गिरकर 2015-16 में 52.4% और 2019-21 में 34.7% हो गया।
 - हालाँकि सापेक्ष रूप से सबसे गरीब राज्यों ने काफी प्रगति नहीं की है।
 - वर्ष 2015-2016 में 10 सबसे गरीब राज्यों में से केवल एक (पश्चिम बंगाल) वर्ष 2019-21 में सूची में नहीं था।
 - अन्य सबसे गरीब राज्य- बिहार, झारखण्ड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं।
 - भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सापेक्ष रूप से सबसे तेज़ कमी गोवा में हुई, इसके बाद जम्मू-कश्मीर, आंश्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का स्थान रहा।
- बच्चों में गरीबी:
 - बच्चों के मामले में गरीबी में निरपेक्ष रूप से तेज़ी से गिरावट आई, हालाँकि भारत में अभी भी दुनिया में सबसे अधिक गरीब बच्चे हैं।
 - भारत में हर पाँच में एक से अधिक बच्चे गरीब हैं, जबकि सात में से एक वयस्क गरीब है।
- क्षेत्रवार गरीबी में कमी:
 - रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-2016 में गरीबी का आँकड़ा 6% था जो 2019-2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में 21.2% और शहरी क्षेत्रों में 9.0% से 5.5% हो गया।




वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक:

- परिचय:
 - सूचकांक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है।
 - इसे पहली बार वर्ष 2010 में OPHI और UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।

- MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में व्याप्त 10 संकेतकों में अभाव की निगरानी करता है तथा इसमें गरीबी की घटना एवं तीव्रता दोनों शामिल हैं।

MPI संकेतक और आयाम:



- एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है यदि वह भारित संकेतकों (दस संकेतकों में से) के एक-तिहाई या अधिक (अर्थात् 33% या अधिक) से वंचित है। जो लोग आधे या अधिक भारित संकेतकों से वंचित हैं, उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी में रहने वाला माना जाता है।

पोलियो उन्मूलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैश्विक नेताओं ने बर्लिन में हुए **विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन** में पोलियो उन्मूलन हेतु 'वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल' (GPEI) 2022-2026 रणनीति के लिये 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की पुष्टि की।

विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन (WHS):

- डब्ल्यूएचएस एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन है।
- डब्ल्यूएचएस 2022 का उद्देश्य आदान-प्रदान को मजबूत करना, स्वास्थ्य चुनौतियों के अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करना, वैश्विक स्वास्थ्य को एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्थापित करना तथा **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों** की भावना में वैश्विक स्वास्थ्य पर बातचीत को बढ़ावा देना है।

पोलियो:

- परिचय:
 - पोलियो अपरंगता का कारक और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
 - प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यतः पोलियो वायरस के तीन अलग-अलग उपभेद हैं:
 - वाइल्ड पोलियो वायरस 1 (WPV1)

- वाइल्ड पोलियो वायरस 2 (WPV2)
- वाइल्ड पोलियो वायरस 3 (WPV3)
- ◆ लक्षणात्मक रूप से तीनों उपभेद समान होते हैं और पक्षाधात तथा मृत्यु का कारण बन सकते हैं।
- ◆ हालाँकि इनमें आनुवंशिक और वायरोलॉजिकल अंतर पाया जाता है, जो इन तीन उपभेदों के अलग-अलग वायरस बनाते हैं, जिन्हें प्रत्येक को एकल रूप से समाप्त किया जाना आवश्यक होता है।
- प्रसार:
 - ◆ यह वायरस मुख्य रूप से 'मलाशय-मुख मार्ग' (Faecal-Oral Route) के माध्यम से या दूषित पानी अथवा भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
 - ◆ यह मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। अँत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती, जहाँ से यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और पक्षाधात का कारण बन सकता है।
- लक्षण:
 - ◆ पोलियो से पीड़ित अधिकांश लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोगों में केवल मामूली लक्षण जैसे- बुखार, थकान, जी मिचलाना, सिरदर्द, हाथ-पैर में दर्द आदि देखने को मिलता है।
 - ◆ दुर्लभ मामलों में पोलियो संक्रमण के कारण माँसपेशियों में पक्षाधात होता है।
 - ◆ यदि साँस लेने के लिये उपयोग की जाने वाली माँसपेशियाँ लकवाग्रस्त हो जाएँ या मस्तिष्क में कोई संक्रमण हो जाए तो पोलियो घातक हो सकता है।
- रोकथाम और इलाज:
 - ◆ इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन **टीकाकरण** से इसे रोका जा सकता है।
- टीकाकरण:
 - ◆ **ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV)**: यह संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के समय ही दी जाती है, उसके बाद पहली तीन खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में तथा एक बूस्टर खुराक 16-24 महीने की उम्र में दी जाती है।
 - ◆ **इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (IPV)**: इसे **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)** के तहत **DPT (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेनस)** की तीसरी खुराक के साथ एक अतिरिक्त खुराक के रूप में दिया जाता है।
- भारत और पोलियो:
 - ◆ तीन वर्ष के दौरान शून्य मामलों के बाद भारत को वर्ष 2014 में **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा पोलियो-मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ।

- यह उपलब्धि उस सफल पल्स पोलियो अभियान के बाद प्राप्त हुई जिसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी।
- देश में वाइल्ड पोलियो वायरस के कारण अंतिम मामला 13 जनवरी, 2011 को देखा गया था।

पोलियो उन्मूलन उपाय:

वैश्विक:

- वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल:
 - ◆ इसे वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI) के तहत राष्ट्रीय सरकारों और WHO द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में विश्व की 80% आबादी पोलियो मुक्त है।
 - पोलियो टीकाकरण गतिविधियों के दौरान विटामिन A के व्यवस्थित प्रबंधन के माध्यम से अनुमानित 1.5 मिलियन नवजातों की मौतों को रोका गया है।

विश्व पोलियो दिवस:

- यह प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को मनाया जाता है ताकि देशों को बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सतर्क रहने का आह्वान किया जा सके।

भारत:

- **पल्स पोलियो कार्यक्रम**:
 - ◆ इसे ओरल पोलियो वैक्सीन के अंतर्गत शत्-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0:
 - ◆ यह पल्स पोलियो कार्यक्रम (वर्ष 2019-20) के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था।
- **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम**:
 - ◆ इसे वर्ष 1985 में 'प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम' (Expanded Programme of Immunization) में संशोधन के साथ शुरू किया गया था।
 - ◆ इस कार्यक्रम के उद्देश्य:
 - टीकाकरण कवरेज में तेजी से वृद्धि
 - सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
 - स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना
 - जिलेवार प्रदर्शन की निगरानी के लिये तंत्र बनाना
 - वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में न्यूज़ीलैंड में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% का आँकड़ा पार कर गया है।

- **अंतर-संसदीय संघ** के अनुसार, न्यूज़ीलैंड दुनिया के ऐसे आधा दर्जन देशों में से एक है जो वर्ष 2022 तक संसद में कम-से-कम 50% महिला प्रतिनिधित्व का दावा कर सकता है।
- वर्ष 1893 में न्यूज़ीलैंड महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश बना।
- अन्य देशों में क्यूबा, मेक्सिको, निकारागुआ, रवांडा और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- विश्व स्तर पर लगभग 26% संसद महिलाएँ हैं।

भारतीय परिदृश्य:

- **अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union- IPU)**, जिसका भारत भी एक सदस्य है, द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, विश्व भर में महिलाएँ लोकसभा के कुल सदस्यों के 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- **भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI)** के नवीनतम आँकड़े के अनुसार:
 - ◆ अक्तूबर 2021 तक महिलाएँ संसद के कुल सदस्यों के 10.5% का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।
 - ◆ भारत में सभी राज्य विधानसभाओं को एक साथ देखें तो महिला सदस्यों (**विधायकों**) की स्थिति और भी बदतर है, जहाँ राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है।
 - ◆ आजादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत तक भी नहीं बढ़ा है।
- चुनावी प्रतिनिधित्व के मामले में भारत, अंतर-संसदीय संघ की संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले में वैश्विक रैंकिंग में कई स्थान नीचे आ गया है जिसमें वर्ष 2014 के 117वें स्थान से गिरकर जनवरी 2020 तक 143वें स्थान पर आ गया।
- भारत वर्तमान में पाकिस्तान (106), बांग्लादेश (98) और नेपाल (43) से पीछे एवं श्रीलंका (182) से आगे है।

कम प्रतिनिधित्व का कारण:

- लिंग संबंधी रूढ़ियाँ:
 - ◆ पारंपरिक रूप से घरेलू गतिविधियों के प्रबंधन की भूमिका महिलाओं को सौंपी गई है।
 - ◆ महिलाओं को उनकी रूढ़ीवादी भूमिकाओं से बाहर निकलने और देश की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

प्रतिस्पर्द्धा:

- ◆ राजनीति किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह प्रतिस्पर्द्धा का क्षेत्र है। अंततः महिला राजनेता भी प्रतिस्पर्द्धा ही मानी जाती हैं।
- ◆ कई राजनेताओं को भय है कि महिला आरक्षण लागू किये जाने पर उनकी सीटें बारी-बारी से महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षित की जा सकती हैं, जिससे स्वयं अपनी सीटों से चुनाव लड़ सकने का अवसर वे गँवा सकते हैं।

राजनीतिक शिक्षा का अभाव:

- ◆ शिक्षा महिलाओं की **सामाजिक गतिशीलता** को प्रभावित करती है। शैक्षिक संस्थानों में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा नेतृत्व के अवसर पैदा करती है और नेतृत्व को आवश्यक कौशल प्रदान करती है।
- ◆ राजनीति की समझ की कमी के कारण वे अपने मूल अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों से अवगत नहीं हैं।

कार्य और परिवार:

- ◆ पारिवारिक देखभाल उत्तरदायित्वों के असमान वितरण का परिणाम यह होता है कि महिलाएँ घर और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समय देती हैं।
- ◆ एक महिला को न केवल गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपना समय देना पड़ता है, बल्कि यह तब तक जारी रहता है जब तक कि बच्चा देखभाल के लिये माता-पिता पर निर्भर न रह जाए।

राजनीतिक नेटवर्क का अभाव:

- ◆ राजनीतिक निर्णय-निर्माण में पारदर्शिता की कमी और अलोकतांत्रिक अंतरिक प्रक्रियाएँ सभी नए प्रवेशकों के लिये चुनौती पेश करती हैं, लेकिन महिलाएँ इससे विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनके पास राजनीतिक नेटवर्क की कमी होती है।

संसाधनों की अल्पता:

- ◆ भारत की अंतरिक राजनीतिक दल संरचना में उनके कम अनुपात के कारण, महिलाएँ अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों के पोषण के लिये संसाधन और समर्थन इकट्ठा करने में विफल होती हैं।
- ◆ महिलाओं को **चुनाव** लड़ने के लिये राजनीतिक दलों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

सामाजिक शर्तें:

- ◆ उन्हें अपने ऊपर अधिरोपित हुक्मों को स्वीकार करना होगा और समाज का भार उठाना होगा।
- ◆ सार्वजनिक दृष्टिकोण न केवल यह निर्धारित करता है कि आम चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार विजयी होती हैं, बल्कि यह

- भी प्रभावित करती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितनी महिला उम्मीदवारों को कार्यालय के लिये उचित माना और नामांकित किया जाता है।
- अमैत्रीपूर्ण वातावरण:
 - ◆ कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का माहौल भी महिलाओं के अनुकूल नहीं है, उन्हें पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिये कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कई स्तर पर अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
 - ◆ राजनीति में हिंसा बढ़ती जा रही है। **अपराधीकरण**, भ्रष्टाचार, असुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया है।

सरकार के प्रयास:

- महिला आरक्षण विधेयक 2008:
 - ◆ यह भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में कुल सीटों में से महिलाओं के लिये **1/3 सीटों को आरक्षित करने** हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:
 - ◆ **संविधान का अनुच्छेद 243** डी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में से महिलाओं के लिये कम से कम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।
- महिला अधिकारिता पर संसदीय समिति:
 - ◆ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये संसद की 11वीं लोकसभा के दौरान 1997 में पहली बार महिला अधिकारिता समिति का गठन किया गया था।
 - ◆ समिति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी पार्टी संबद्धताओं में महिलाओं के शासकीकरण के लिये मिलकर काम करें।

आगे की राह

- भारत जैसे देश में मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी होना समय की मांग है, इसलिये इसे बढ़ावा देने के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
- सभी राजनीतिक दलों को आम सहमति पर पहुँचना होगा और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाना सुनिश्चित करना होगा, जिसमें संसद तथा सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करने का आह्वान किया गया है।

विश्व क्षयरोग रिपोर्ट 2022: WHO


चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में विश्व क्षयरोग रिपोर्ट 2022 जारी की, जिसमें दुनिया भर में तपेदिक/क्षयरोग (TB) के निदान, उपचार और बीमारी के बोझ पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को बताया गया है।

- वर्ष 2022 की रिपोर्ट में WHO के सभी 194 सदस्य राज्यों सहित 215 देशों और क्षेत्रों से बीमारी के रुझान और महामारी की प्रतिक्रिया पर डेटा शामिल है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- वैश्विक स्तर पर निदान और मृत्यु दर:
 - ◆ वर्ष 2021 में दुनिया भर में लगभग 6 मिलियन लोगों के क्षयरोग का निदान किया गया था, जो वर्ष 2020 की तुलना में 4.5% अधिक था, जबकि इस बीमारी से पीड़ित 1.6 मिलियन रोगियों की मृत्यु हो गई थी।
 - ◆ TB से होने वाली कुल मौतों में **187,000** मरीज एचआईवी (ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस) पॉजिटिव थे।
 - एचआईवी निगेटिव लोगों में वैश्विक TB से होने वाली मौतों में से लगभग 82% अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रों में हुई।
- TB से पीड़ित रिपोर्ट की गई लोगों की संख्या वर्ष 2019 के 7.1 मिलियन से घटकर वर्ष 2020 में 5.8 मिलियन हो गई।
- वर्ष 2021 में आंशिक रिकवरी 6.4 मिलियन थी, लेकिन यह अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से काफी नीचे थी।



● भारत और TB:


- ◆ 28% मामलों के साथ भारत उन आठ देशों में शामिल था, जहाँ कुल TB रोगियों की संख्या के दो-तिहाई (68.3%) से अधिक थे।
 - अन्य देशों में इंडोनेशिया (9.2%), चीन (7.4%), फिलीपींस (7%), पाकिस्तान (5.8%), नाइजीरिया (4.4%), बांग्लादेश (3.6%) और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (2.9%) शामिल थे।
- ◆ एचआईवी निगेटिव लोगों में वैश्विक TB से संबंधित मौतों का 36% हिस्सा भारत का है।
- ◆ भारत उन तीन देशों (इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ) में से एक था, जिसने वर्ष 2020 में इस रोग में सबसे अधिक कमी (वैश्विक का 67%) और 2021 में अंशिक रिकवरी की।
- ◆ रिपोर्ट पर भारत का रुख़: भारत ने समय के साथ अन्य देशों की तुलना में प्रमुख मीट्रिक्स पर बेहतर प्रदर्शन किया है।
 - वर्ष 2021 में भारत में TB मरीज़ों की संख्या प्रति 100,000 जनसंख्या पर 210 रही जो कि वर्ष 2015 में (प्रति 100,000 जनसंख्या पर 256 थी)।
 - इस संबंध में भारत में 18% की गिरावट (7 अंक) हुई है; घटना दर के मामले में भारत का 36वाँ स्थान, 11% के वैश्विक औसत से बेहतर है।

● TB उन्मूलन के लिये प्रमुख चुनौतियाँ:

- ◆ दवा प्रतिरोधी TB में वृद्धि:
 - दवा प्रतिरोधी TB (डीआर-TB) का दबाव वर्ष 2020 और 2021 के बीच वैश्विक स्तर पर 3% बढ़ गया, वर्ष 2021 में रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी TB (आरआर-TB) के 450,000 नए मामले सामने आए।
- ◆ कोविड-19 के कारण व्यवधान:
 - कई वर्षों में यह पहली बार है कि TB और डीआर-TB दोनों ही में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति का कारण कोविड-19 महामारी को मानते हैं।

- वर्ष 2021 में कोविड-19 के कारण कई सेवाएँ बाधित हुई लेकिन TB प्रतिक्रिया पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर रहा है।
- ◆ कम रिपोर्ट दर्ज होना मुख्य चिंता:
 - TB के अनुमानित मरीज़ों की संख्या और बीमारी से पीड़ित लोगों की रिपोर्ट की गई संख्या के बीच वैश्विक अंतर का 75% सामूहिक रूप से दस देशों का है। इस अंतर का कारण है:
 - कम रिपोर्टिंग (TB से पीड़ित लोगों की)।
 - अंडरडायग्नोसिस (TB वाले लोग स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं या ब वे ऐसा करते हैं तो उनका निदान नहीं किया जाता है)।
 - भारत में कम रिपोर्टिंग एक समस्या है; भारत शीर्ष पाँच योगदानकर्ताओं में शामिल है - भारत (24%), इंडोनेशिया (13%), फिलीपींस (10%), पाकिस्तान (6.6%) और नाइजीरिया (6.3%)
- ◆ निदान और व्यव में गिरावट:
 - रिपोर्ट किये गए TB के मामलों में कमी से पता चलता है कि गैर-निदान और अनुपचारित TB वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
 - वर्ष 2019 और 2020 के बीच RR-TB एवं मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट TB (MDR-TB) के इलाज के लिये उपलब्ध कराए गए लोगों की संख्या में भी गिरावट आई है।
 - वर्ष 2021 में RR-TB के लिये उपचार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 161,746 थी, जो कि ज़रूरतमंद लोगों में से तीन में से केवल एक है।
 - रिपोर्ट में आवश्यक TB सेवाओं पर वैश्विक खर्च वर्ष 2019 के 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर वर्ष 2021 में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का भी उल्लेख किया गया है, जो वर्ष 2022 तक सालाना 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक लक्ष्य के आधे से भी कम है।

Global success rates for people treated for TB, 2012–2020^a



तपेदिक (Tuberculosis-TB):

- परिचय:
 - ◆ TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है।
 - ◆ मनुष्यों में TB सबसे अधिक फेफड़ों (फुफ्फुसीय TB) को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों (अतिरिक्त-फुफ्फुसीय TB) को भी प्रभावित कर सकता है। यह हवा के ज़रिये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है।
 - ◆ बीमारी विकसित होने वाले अधिकांश लोग वयस्क हैं- 2021 में TB के बोझ में पुरुषों ने 56.5%, वयस्क महिलाओं ने 32.5% और बच्चों ने 11% का योगदान था।
 - ◆ TB को रोका जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है, लगभग 85% लोग जो इस बीमारी को विकसित करते हैं, उनका 4/6-महीने की दवा के साथ सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है।
- TB उन्मूलन हेतु भारत की पहल:
 - ◆ प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के तहत भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक देश से TB को खत्म करना है (2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले)।
 - नि-क्षय मित्र इस पहल का एक घटक है जो TB के इलाज के लिये अतिरिक्त निदान, पोषण और व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित करता है।
 - ◆ भारत देश में TB के वास्तविक बोझ का आकलन करने के लिये अपना स्वयं का राष्ट्रीय TB प्रसार सर्वेक्षण आयोजित करता है जो कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा सर्वेक्षण है।
 - केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सर्वेक्षण के साथ-साथ 'TB हरेगा देश जीतेगा अभियान' भी शुरू किया।
 - ◆ वर्तमान में TB के लिये दो टीके VPM (Vakzine Projekt Management) 1002 और MIP (Mycobacterium Indicus Pranii) विकसित और पहचाने गए हैं, जिनका नैदानिक परीक्षण चल रहा है।

नोट:

- TB के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने और विश्व स्तर पर TB महामारी को समाप्त करने के प्रयास के लिये 24 मार्च को विश्व तपेदिक (TB) दिवस मनाया जाता है।
- बैसिल कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) वैक्सीन वर्तमान में TB की रोकथाम के लिये उपलब्ध एकमात्र टीका है।

आगे की राह

- रिपोर्ट में देशों से आवश्यक TB सेवाओं तक पहुँच बहाल करने के लिये तत्काल उपाय करने के आह्वान को दोहराया गया है।
 - ◆ इसमें TB महामारी और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव को प्रभावित करने वाले व्यापक निर्धारकों को संबोधित करने के लिये निवेश बढ़ाने, बहु-क्षेत्रीय कार्बवाई के साथ-साथ नए निदान, दवाओं और टीकों की आवश्यकता का भी आह्वान किया गया है।
- TB शमन रणनीति को प्रभावी बनाने के लिये, बीमारी के बारे में लोगों की जागरूकता के स्तर को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि TB से प्रभावित लोग अपनी सामाजिक असुरक्षाओं को दूर करें तथा TB देखभाल तक पहुँच बनाएँ।


क्रिकेट में वेतन समानता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने "पे इक्विटी पॉलिसी" की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय अनुबंधित पुरुष और महिला खिलाड़ियों को मैच में समान फीस मिलेगी।

- यह कदम लैंगिक वेतन समानता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार, प्रगति की वर्तमान दर पर पूर्ण समता तक पहुँचने में 132 साल लगेंगे।

महिला खिलाड़ियों की फीस में वृद्धि:



- महिला खिलाड़ियों को अब प्रति टेस्ट मैच के लिये 15 लाख रुपए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच (ODI) के लिये 6 लाख रुपए और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिये 3 लाख रुपए मिलेंगे। अब तक उन्हें एक दिवसीय मैच के लिये 1 लाख रुपए और एक टेस्ट के लिये 4 लाख रुपए का भुगतान किया जाता था।

नोट :

- महिला क्रिकेटरों के लिये वार्षिक रिटेनरशिप समान रहती है - ग्रेड ए के लिये 50 लाख रुपए, ग्रेड B के लिये 30 लाख रुपए और ग्रेड C के लिये 10 लाख रुपए।
 - बेहतर खेलने वाले पुरुषों को उनके ग्रेड के आधार पर 1-7 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है।

अन्य देश में खेलों में समान वेतन:

- भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में समान वेतन लागू करने वाला दूसरा देश बन गया है।
- न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने वर्ष 2022 में देश के खिलाड़ियों के संघ के साथ एक समझौता किया था, जिससे महिला क्रिकेटरों को पुरुष खिलाड़ियों के बराबर कमाई करने में मदद मिली।
 - यह संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला राष्ट्रीय फुटबॉलरों द्वारा समान मुआवजा सुरक्षित करने के लिये अपने महासंघ के साथ छह वर्ष लंबी लड़ाई जीतने के चार महीने बाद आया था।
- टेनिस ने अपने पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच समान वेतन बढ़ाने के लिये कदम उठाए हैं, और आज सभी चार प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट (ऑस्ट्रेलियाई ओपन, रोलैंड गैरोस, विंबलडन और यूएस ओपन) समान पुरस्कार राशि प्रदान करते हैं।

खेलों में लैंगिक स्तर पर समान वेतन संबंधी चुनौतियाँ:

- राजस्व सूचना:
 - तर्क यह है कि पुरुष खिलाड़ियों द्वारा उत्पन्न प्रतिफल महिलाओं की तुलना में अधिक है।
 - खेलों में मौद्रिक लाभों का आकलन करते समय कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें विज्ञापन, स्पोर्ट्स मर्चेंडाइजिंग और टिकटों की बिक्री आदि शामिल हैं। हालांकि यह दर्शकों की संख्या और फैनबेस पर आधारित है जो किसी भी खेल की एंड्रोसेंट्रिक प्रकृति से प्रभावित है।
 - खेल जगत में महिलाओं का प्रवेश सामाजिक प्रतिबंधों के कारण पुरुषों की तुलना में बहुत बाद में हुआ। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के खेल का 'मनोरंजन मूल्य' कम हो गया है।
- प्रदर्शन में अंतर:
 - यह भी तर्क दिया जाता है कि चैंकी पुरुष 'मज़बूत' हैं और महिलाओं की तुलना में खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिये उन्हें अधिक राशि का भुगतान किया जाना चाहिये।
 - अच्छे स्तर के (प्रोफेशनल) टेनिस में, पुरुष प्रति मैच पाँच सेट खेलते हैं और महिलाएँ प्रति मैच तीन सेट खेलती हैं, यह नियम इस धारणा पर आधारित है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं।

- महिलाओं की पाँच सेट खेलने की इच्छा और क्षमता के बाबजूद निर्णय लेने वालों (जो ज्यादातर पुरुष थे) का मानना था कि अगर महिलाएँ पाँच सेट खेलती हैं तो खेल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी।

प्रतिनिधित्व संबंधी समस्या:

- खेल प्रशासन संरचनाओं में महिलाओं का कमज़ोर प्रतिनिधित्व भी खेल उद्योग में वेतन अंतर के बने रहने का एक कारण है। कुछ शासन संरचनाओं में महिला प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है, लेकिन यह हाल ही में हुआ है। इसके अलावा अधिकांश शासी निकायों को अभी भी महिला सदस्यता बढ़ाने हेतु इस दिशा में सुदृढ़ रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
 - ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स उप मैट्रिक्स के साथ चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति पर देशों को बैंचमार्क प्रदान करता है:
 - आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सश।
- भारत का प्रदर्शन:

INDIA'S REPORT CARD				
Index/sub-index	2022 (146 countries)		2021 (156 countries)	
	Rank	Score	Rank	Score
Global Gender Gap Index	135	0.629	140	0.625
Political empowerment	48	0.267	51	0.276
Economic participation & opportunity	143	0.350	151	0.326
Educational attainment	107	0.961	114	0.962
Health and survival	146	0.937	155	0.937

- भारत को कुल 146 देशों में 135वें स्थान पर रखा गया है।
- भारत का कुल स्कोर 0.625 (2021 में) से सुधरकर 0.629 हो गया है, जो पिछले 16 वर्षों में इसका सातवाँ सर्वोच्च स्कोर है।
- वर्ष 2021 में भारत 156 देशों में से 140वें स्थान पर था।
- आर्थिक भागीदारी और अवसर (श्रम बल में महिलाओं का प्रतिशत, समान कार्य के लिये समान मज़बूती एवं अर्जित आय):
 - भारत 146 देशों में से 143वें स्थान पर है, भले ही इसका स्कोर वर्ष 2021 में 0.326 से बढ़कर 0.350 हो गया है।
 - वर्ष 2021 में भारत 156 देशों में से 151वें स्थान पर था।
 - भारत का स्कोर वैश्विक औसत से काफी कम है और इस मामले में केवल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही भारत से पीछे हैं।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक

अंतराल को कम करने हेतु भारत की पहल:

- आर्थिक भागीदारी एवं स्वास्थ्य तथा जीवन रक्षा:
 - ◆ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
 - ◆ महिला शक्ति केंद्र
 - ◆ सुकन्या समृद्धि योजना
 - ◆ महिला उद्यमिता
- राजनीतिक आरक्षण:
 - ◆ सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित की हैं।
 - ◆ निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण:
 - यह शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिये महिलाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से आयोजित किया जाता है।

प्रिलिम्स पैकेट्स

विश्व खाद्य दिवस

विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी की समाप्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।

विश्व खाद्य दिवस 2022 की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
 - ◆ यह वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के लिये प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
 - ◆ यह सतत विकास लक्ष्य 2 (SDG 2) यानी जीरो हंगर पर जोर देता है।
- विषय: किसी को भी पीछे न छोड़ें (Leave No One Behind)।
- महत्व:
 - ◆ एक वैश्विक समुदाय के रूप में, हम सभी को अपनी कृषि खाद्य प्रणालियों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाकर पीछे छूटे लोगों को आगे लाने में भूमिका निभानी है।
 - ◆ भूख से पीड़ित लोगों के लिये और सभी के लिये स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने हेतु विश्वव्यापी जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना।
 - ◆ लोगों को कुपोषण और मोटापे के बारे में शिक्षित करने के लिये कई जागरूकता पहलें भी आयोजित की जाती हैं, जो दोनों प्रमुख स्वास्थ्य परिणामों का कारण बनती हैं।

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक भूख की स्थिति:

- द हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक (2022-23), एफएओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बढ़ती भूखमरी की भविष्यवाणी की गई है, जिसके 45 देशों में 205 मिलियन से अधिक लोगों को जीवित रहने के लिये आपातकालीन खाद्य सहायता की आवश्यकता है।
- ग्लोबल नेटवर्क अंगेस्ट फूड क्राइसिस द्वारा मई में जारी फूड क्राइसिस 2022 पर ग्लोबल रिपोर्ट ने रेखांकित किया कि 40 देशों में लगभग 180 मिलियन लोग अपरिहार्य खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे।
- वैश्विक भूख रिपोर्ट, 2022: वैश्विक स्तर पर, हाल के वर्षों में भूखमरी के खिलाफ प्रगति काफी हद तक स्थिर हो गई है, वर्ष 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर था जो वर्ष 2014 के 19.1 की तुलना में केवल थोड़ा सुधार दर्शाता है,

- ◆ वैश्विक भूखमरी सूचकांक, 2022 में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों में सबसे खारब प्रदर्शन किया है।
- यह 121 देशों में 107 वें स्थान पर है।

सम्बद्ध भारतीय पहलें:

- स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन तथा अन्य प्रयासों के साथ ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान भारतीयों के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे एवं पर्यावरण को संतुलित कराने में मदद करेंगे।
- महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाली सामान्य किसम की फसलों की कमियों को दूर करने के लिये फसलों की 17 नई बायोफोर्टिफाइड किस्मों की शुरूआत।
- उदाहरण: एमएसीएस 4028 गेहूँ, मधुबन गाजर आदि।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के दायरे का विस्तार और प्रभावी कार्यान्वयन।
- उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) अधिनियमों में संशोधन।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाए जाएँ कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में लागत की डेढ़ गुना राशि मिले, यह सरकारी खरीद के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है।
- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के एक बड़े नेटवर्क का विकास।
- भारत में अनाज की बर्बादी के मुद्दे से निपटने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन।
- सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के लक्ष्य से एक साल पहले 2022 तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का प्रयास कर रही है, साथ ही न्यू इंडिया @75 (भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष) के दृष्टिकोण के अनुरूप इसके साथ सामंजस्य बैठा रही है।
- ट्रांस फैट आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत बनस्पति तेलों (PHVO) (जैसे- बनस्पति, शॉर्टिंग, मार्जिरन आदि), पके हुए और तले हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद एक खाद्य अवयव है।
- यह भारत में गैर-संचारी रोगों की वृद्धि में एक प्रमुख योगदानकर्ता है और कार्डियो-वैस्कुलर रोगों (सीवीडी) के लिये एक परिवर्तीय जोखिम कारक भी है। सीवीडी जोखिम कारक को खत्म करना कोविड-19 के दौरान विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि सीवीडी पीड़ित लोगों के कारण मृत्यु दर पर प्रभाव डालने वाली गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है।

- FAO ने वर्ष 2023 को **अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष** घोषित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- भोजन तक पहुँच में सुधार के लिये, विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये, भारत सरकार **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)** जैसे कार्यक्रम चलाती है।

भारतीय बाइसन (गौर)

हाल ही में श्रीलंका ने भारत से 6 भारतीय बाइसन को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया ताकि उन्हें उस द्वीप पर फिर से लाया जा सके, जहाँ वे 17 वीं शताब्दी के अंत तक गायब हो गए थे।

- अगर इस परियोजना को मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत और श्रीलंका के बीच इस तरह का पहला समझौता होगा।

भारतीय बाइसन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

- विषय:
 - ◆ भारतीय बाइसन या गौर (बोस गौरस) भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है और यह सबसे बड़ा मौजूदा बोवाइन (गोजातीय) जीव है।
 - ◆ दुनिया में गौर की संख्या लगभग 13,000 से 30,000 है, जिनमें से लगभग 85% भारत में मौजूद हैं।
 - फरवरी 2020 में आयोजित प्रजातियों के लिये **पहली बार जनसंख्या आकलन अभ्यास** के परिणामों के अनुसार लगभग 2,000 भारतीय गौरों का **नीलगिरी वन प्रभाग** में होने का आकलन किया गया था।
- खतरे:
 - ◆ भोजन की कमी: घास के मैदानों के विनाश, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों का वृक्षारोपण, आक्रामक पौधों की प्रजातियों और घरेलू पशुओं के अंधाधुंध चरने के कारण खाद्य संकट की स्थित उत्पन्न हो गई है।।
 - ◆ अवैध शिकार: उनके व्यावसायिक मूल्य के साथ-साथ गौर मांस की उच्च मांग के कारण।
 - ◆ पर्यावास हानि: वनों की कटाई और व्यावसायिक वृक्षारोपण के कारण।
 - ◆ मानव-पशु संघर्ष: मानव बस्तियों के निकट रहने के कारण।



- अवस्थिति:
 - ◆ यह मूलतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
 - ◆ भारत में वे पश्चिमी घाट में बहुत अधिक पाए जाते हैं।
 - वे मुख्य रूप से **नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मासीनागुड़ी राष्ट्रीय उद्यान और बिलिगिरिंगना हिल्स** (बीआर हिल्स) में पाए जाते हैं।

- ◆ ये बर्मा और थाईलैंड में भी पाए जाते हैं।
- आवास:
 - ◆ वे सदाबहार वन और आर्द्ध पर्वतीय वन में रहते हैं।
 - हालाँकि वे शुष्क पर्वतीय जंगलों में भी जीवित रह सकते हैं।
 - ◆ वे 6,000 फीट से अधिक ऊँचाई वाले हिमालय में नहीं पाए जाते हैं।
 - वे आम तौर पर केवल तलहटी में रहते हैं।
- खान-पान की आदतें:
 - ◆ भारतीय बाइसन एक चरने वाला जानवर है और आम तौर पर सुबह जलदी एवं देर शाम को भोजन करता है।
- संरक्षण की स्थिति:
 - ◆ **IUCN की रेड लिस्ट** में संवेदनशील।
 - ◆ **वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972** की अनुसूची I में शामिल है।
- खतरे:
 - ◆ भोजन की कमी: घास के मैदानों के विनाश, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों का वृक्षारोपण, आक्रामक पौधों की प्रजातियों और घरेलू पशुओं के अंधाधुंध चरने के कारण खाद्य संकट की स्थित उत्पन्न हो गई है।।
 - ◆ अवैध शिकार: उनके व्यावसायिक मूल्य के साथ-साथ गौर मांस की उच्च मांग के कारण।
 - ◆ पर्यावास हानि: वनों की कटाई और व्यावसायिक वृक्षारोपण के कारण।
 - ◆ मानव-पशु संघर्ष: मानव बस्तियों के निकट रहने के कारण।

चुनाव चिन्ह

चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनाव के लिये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुरु को 'दो तलवारों के साथ ढाल' का चुनाव चिन्ह आवंटित किया।

- चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार प्रदान करता है।

चुनाव चिन्हों से संबंधित प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - ◆ चुनावी/चुनाव चिन्ह किसी राजनीतिक दल को आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक है।
 - ◆ उनका उपयोग पार्टीयों द्वारा अपने प्रचार अभियान के दौरान किया जाता है और **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs)** पर

दर्शाया जाता है, जिससे मतदाता संबंधित पार्टी के लिये चिन्ह का चुनाव कर मतदान कर सकता है।

- ◆ इन्हें निरक्षर लोगों के लिये मतदान की सुविधा हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो मतदान करते समय पार्टी का नाम नहीं पढ़ पाते।
- ◆ 1960 के दशक में यह प्रस्तावित किया गया था कि चुनावी प्रतीकों का विनियमन, आरक्षण और आवंटन संसद के एक कानून यानी प्रतीक आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिये।
- ◆ इस प्रस्ताव के जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों की मान्यता की निगरानी चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों द्वारा की जाती है और इसी के अनुसार चिह्नों का आवंटन भी होगा।
 - निर्वाचन आयोग, चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता देता है। अन्य पार्टियों को केवल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों के रूप में घोषित किया जाता है।
 - राष्ट्रीय या राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता कुछ विशेषाधिकारों को पार्टियों के अधिकार के रूप में निर्धारित करती है जैसे- पार्टी प्रतीकों का आवंटन, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिये समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुँच।
 - प्रत्येक राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय पार्टी को क्रमशः पूरे देश तथा राज्यों में उपयोग के लिये विशेष रूप से आरक्षित एक प्रतीक चिह्न आवंटित किया जाता है।
- चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968:
 - ◆ आदेश के पैराग्राफ 15 के तहत चुनाव आयोग प्रतिद्वंद्वी समूहों या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है और इसके नाम तथा चुनाव चिह्न पर दावा कर सकता है।
 - आदेश के तहत विवाद या विलय के मुद्दों का फैसला करने के लिये निर्वाचन आयोग एकमात्र प्राधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वर्ष 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम ECI में इसकी वैधता को बरकरार रखा।
 - ◆ यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों के विवादों पर लागू होता है।
 - ◆ पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों में विभाजन के मामलों में चुनाव आयोग अमतौर पर विवाद में शामिल गुटों को अपने मतभेदों को आंतरिक रूप से हल करने या अदालत जाने की सलाह देता है।

◆ चुनाव आयोग द्वारा अब तक लगभग सभी विवादों में पार्टी के प्रतिनिधियों/ पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के स्पष्ट बहुमत ने एक गुट का समर्थन किया है।

◆ वर्ष 1968 से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव नियम, 1961 के संचालन के तहत अधिसूचना और कार्यकारी आदेश जारी किये।

◆ जिस दल को पार्टी का चिह्न मिला था, उसके अलावा पार्टी के अलग हुए समूह को खुद को एक अलग पार्टी के रूप में पंजीकृत कराना पड़ा।

■ वे पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनावों में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही राष्ट्रीय या राज्य पार्टी की स्थिति का दावा कर सकते थे।

डी.वार्ड. चंद्रचूड़: भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें **मुख्य न्यायाधीश (CJI)** के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 49वें CJI उदय उमेश ललित के उत्तराधिकारी है।

● न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का अपेक्षाकृत दो वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त होंगे।

भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI):

● योग्यता:

◆ CJI को भारत का नागरिक होना चाहिये।

◆ निम्लिखित अहर्ता को प्रुआ करता हो :

- कम-से-कम पाँच साल के लिये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दो या दो से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, या
- कम-से-कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों के में अधिवक्ता रहा हो, या
- राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

● CJI की नियुक्ति:

◆ CJI और **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत की जाती है।

◆ जहाँ तक CJI का सवाल है, निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करता है।

◆ केंद्रीय कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजता है, जो बदले में राष्ट्रपति को सलाह देता है।

◆ दूसरे न्यायाधीश मामले (वर्ष 1993) में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये।

- ◆ सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व CJI करता है और इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश शामिल होते हैं।
 - कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों के मामलों) के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा।
- CJI की प्रशासनिक शक्तियाँ (मास्टर ऑफ रोस्टर):
 - ◆ 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है, मुख्य न्यायाधीश को 'समकक्षों में प्रथम' (first among the equals) कहा जाता है।
 - ◆ अपनी न्यायिक भूमिका के अलावा CJI न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका भी निभाता है।
 - ◆ अपनी प्रशासनिक क्षमता में मुख्य न्यायाधीश विशेष पीठों को मामलों को आवंटित करने का विशेषाधिकार का उपयोग करता है।
 - ◆ CJI किसी मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की संख्या भी निर्धारित करता है।
 - इस प्रकार वह केवल न्यायाधीशों को चुनकर परिणाम को प्रभावित कर सकता है जिससे लगता है कि वह किसी विशेष परिणाम का पक्ष ले सकता है।
 - ◆ ऐसी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग बिना किसी सामूहिक सहमति के और बिना कोई कारण बताए किया जा सकता है।
- पद से हटाना:
 - ◆ संसद द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है।
 - इसे संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिये (अर्थात् उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कमसे-कम दो-तिहाई बहुमत से)।
 - ◆ पद से हटाने का आधार: सिद्ध कदाचार या अक्षमता (अनुच्छेद 124 (4))।
- हाल के विकास:
 - ◆ वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है।
- नीलकुरिंजी फूलों की नई किस्म
 - ◆ हाल ही में पश्चिमी घाट के संथानपारा क्षेत्र की कालीपारा पहाड़ियों में नीलकुरिंजी फूलों की 6 नई किस्मों की पहचान की गई है।
- केरल के इडुक्की में कालीपारा पहाड़ियों पर एक विशाल क्षेत्र में नीलकुरिंजी के फूल खिले हुए हैं।
- नीलकुरिंजी के फूल:
 - परिचय:
 - ◆ नीलकुरिंजी में 'नील' का अर्थ है नीला और 'कुरिंजी' का अर्थ फूलों से है।
 - परिपक्वता पर फूलों का हल्का नीला रंग बैंगनी-नीले रंग में बदल जाता है।
 - ◆ इन फूलों के आधार पर ही "नीलगिरि पर्वत शृंखला" का नाम पड़ा है।
 - ◆ इसका नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है जो केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, जहाँ यह फूल बहुतायत में पाया जाता है।
 - ◆ यह आमतौर पर 1,300-2,400 मीटर की ऊँचाई पर उगता है।
 - वैज्ञानिक नाम:
 - ◆ कुंथियाना स्ट्रोबिलोंथिस
 - नई किस्मों की खोज:
 - ◆ नीलकुरिंजी के फूलों के वे प्रकार जिनकी पहचान पहाड़ी शृंखलाओं में की गई है, उनमें शामिल हैं:
 - स्ट्रोबिलोंथिस अनामिलिका
 - स्ट्रोबिलोंथिस हेयनियस
 - स्ट्रोबिलोंथिस पुलिनेंसिस
 - स्ट्रोबिलोंथिस नियोएस्पर
 - आवास:
 - ◆ सभी नीलकुरिंजी प्रजातियाँ पश्चिमी घाट के शोला वन के लिये स्थानिक हैं।
 - ◆ आँकड़ों के अनुसार, भारत में नीलकुरिंजी की 40 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
 - फूलों का खिलना:
 - ◆ यह फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है क्योंकि फूलों के परागण के लिये लंबी अवधि की आवश्यकता होती है।
 - यह आखिरी बार वर्ष 2006 में खिला था। अगली संभावना वर्ष 2018 में खिलने की थी, लेकिन वनाग्नि के कारण नीलकुरिंजी उस वर्ष नहीं देखा गया था।
 - अन्य तथ्य:
 - ◆ तमिलनाडु की 'पालियाँ' जनजाति द्वारा उम्र की गणना के लिये नीलकुरिंजी के फूलों का उपयोग किया जाता है।
 - ◆ दुनिया में नीलकुरिंजी की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

भारत का पहला एल्युमीनियम फ्रेट रेक

हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमीनियम फ्रेट रेक-61 BOBRNALHSM1 का उद्घाटन किया।



एल्युमीनियम फ्रेट रेक का महत्व:


- मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सुधार: यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिये एक समर्पित प्रयास है क्योंकि इसे RDSO, HINDALCO और बेस्को वैगन के सहयोग से पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
- कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाना: यह खाली रहने की दशा में ईंधन का कम उपयोग करके और भरी हुई स्थिति में अधिक माल डुलाई करके कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। यह एल्युमीनियम रेक अपने पूरे सेवा काल में करीब 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा।
 - अनुमान के अनुसार, एक वर्ष में लगभग 15 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है, भले ही केंद्र सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले 2 लाख रेलवे वैगनों (Wagons) में से केवल 5% एल्युमीनियम निर्मित हों।
- आयात में कमी: लोहा उद्योग निकेल और कैडमियम की बहुत अधिक खपत करता है जो आयात से आता है। इसलिये एल्युमीनियम वैगनों के प्रसार के परिणामस्वरूप कम आयात होगा। साथ ही यह स्थानीय एल्युमीनियम उद्योग के लिये अच्छा है।
- कम ऊर्जा की खपत: नए एल्युमीनियम रेक कथित तौर पर मौजूदा स्टील रेक की तुलना में 180 टन हल्के हैं। नए डिजाइन की वहन क्षमता उनके स्टील समकक्षों की तुलना में 5% -10% अधिक

बताई गई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे रोलिंग स्टॉक और रेल के अपेक्षाकृत नगण्य विवर एंड टिअर के साथ कम ऊर्जा की खपत करते हैं।

- नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जक: यह भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने में मदद करेगा और दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे बन जाएगा।

डॉ. दिलीप महालनोबिस

निर्जलीकरण के लिये एक सरल, प्रभावी उपाय के रूप में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) उपचार का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डॉ. दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है।



ORS

- ORS, पानी, ग्लूकोज और नमक का एक संयोजन है जो निर्जलीकरण की समस्या से निपटने का यह एक सरल और किफायती तरीका है।
- अंतःशिरा चिकित्सा की उपलब्धता के अभाव में दस्त से होने वाले निर्जलीकरण को रोकने और उसका इलाज करने के लिये यह चिकित्सा का एक विकल्प है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की गणना 60 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को बचाने के लिये की जाती है।

डॉ. दिलीप महालनोबिस

- 12 नवंबर, 1934 को पश्चिम बंगाल में जन्मे डॉ महालनोबिस ने कोलकाता और लंदन में अध्ययन किया तथा वर्ष 1960 के दशक में कोलकाता में जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहाँ उन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में शोध किया।

- डॉ. महालनोबिस वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शरणार्थी शिविरों में काम करने के दौरान ORS का प्रयोग किया गया।
- वर्ष 1975 से 1979 तक डॉ. महालनोबिस ने अफगानिस्तान, मिस्र और यमन में WHO के लिये हैंजा नियंत्रण में काम किया।
- वर्ष 1980 के दशक के मध्य और वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में वह WHO के डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी थे।
- वर्ष 1994 में उन्हें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज का एक विदेशी सदस्य चुना गया।
- वर्ष 2002 में डॉ. महालनोबिस को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की खोज और कार्यान्वयन में उनके योगदान के लिये बाल चिकित्सा अनुसंधान में प्रथम पोलिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- वर्ष 2006 में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के विकास और अनुप्रयोग में उनकी भूमिका के लिये उन्हें प्रिंस महिदोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

निहोन्शू

नई दिल्ली स्थित जापान के दूतावास ने निहोन्शू/जापानी शेक के लिये भौगोलिक संकेत (GI) टैग की मांग करते हुए आवेदन किया है।

- यह पहली बार है जब जापान ने किसी उत्पाद के भौगोलिक संकेत टैग के लिये आवेदन किया है।

निहोन्शू

- जापान में निहोन्शू को चावल के किण्वन से बने एक विशेष और मूल्यवान पेय के रूप में माना जाता है।
- लोग पारंपरिक रूप से त्योहारों, शादियों या अंत्येष्टि जैसे विशेष अवसरों पर निहोन्शू पीते हैं, लेकिन इसका सेवन दैनिक आधार पर भी किया जाता है।
- इस प्रकार यह जापान में जीवन शैली और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।
- शेक मार्केट जापान में दूसरी सबसे बड़ा शराब का बाजार है।



भौगोलिक संकेतक (GI) टैग

- परिचय:
 - ◆ GI एक संकेतक है, जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिये किया जाता है।
 - ◆ 'वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
 - ◆ यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) के व्यापार-संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है।
 - पेरिस अभिसमय के अनुच्छेद 1 (2) और 10 के तहत यह निर्णय लिया गया और यह भी कहा गया कि औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेत का संरक्षण बौद्धिक संपदा के तत्त्व हैं।
 - ◆ यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) है।
- वैधता:
 - ◆ भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।
 - ◆ भौगोलिक संकेतक का महत्व:
 - ◆ एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिये इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।
 - ◆ किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
 - ◆ GI टैग उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है।
 - ◆ यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।

कामिकेज ड्रोन

हाल ही में यूक्रेन के राजधानी क्षेत्र पर ईरानी-निर्मित कामिकेज ड्रोन द्वारा हमला किया गया है।

- इस प्रकार के कामिकेज ड्रोन की रूस के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को भी आपूर्ति की गई है।



कामिकेज़ ड्रोन

- परिचय:

- इसे स्विचब्लेड ड्रोन (Switchblade Drones) भी कहा जाता है। ये छोटे मानव रहित विमान होते हैं जो विस्फोटकों से भरे होते हैं, इन्हें सीधे एक टैक या सैनिकों के समूह में उड़ाया जा सकता है जो लक्ष्य से टकराने व विस्फोट होने पर नष्ट हो जाते हैं।
 - इन्हें स्विचब्लेड इसलिये कहा जाता है क्योंकि इनके ब्लेड जैसे पंख लॉन्च होने पर बाहर की ओर निकले होते हैं।
 - ड्रोन में अपने लक्ष्यों पर प्रहार करने के लिये पारंपरिक मोर्चाबंदी को पार करने की क्षमता होती है और इन पर, इसके बड़े समकक्षों की लागत की तुलना में एक अंश ही खर्च होता है।।
 - इन छोटे घातक ड्रोन का रडार द्वारा पता लगाना मुश्किल होता है तथा इन्हें चेहरे की पहचान के आधार पर मानवीय हस्तक्षेप के बिना लक्ष्य को हिट करने के लिये प्रोग्राम किया जा सकता है।

- जिन देशों के पास ऐसे ड्रोन हैं:

- कामिकेज़ ड्रोन की इस शैली का सबसे उन्नत रूप हो सकता है तथा इसके पूर्व रूस, चीन, इजरायल, ईरान और तुर्की के पास इसका संस्करण है।

इसकी विशिष्टताएँ:

- हल्का वज़न:

- छोटे वारेड सहित सिर्फ़ साढ़े पाँच पाउंड वज़नी स्विचब्लेड को एक बैकपैक के सहारे युद्ध में ले जाया जा सकता है तथा लक्ष्य को हिट करने के लिये यह 7 मील तक उड़ान भर सकता है।

- विस्फोट/ब्लास्ट रेडियस (Blast Radius) का समायोजन:

- स्विचब्लेड में एक विशेषता होती है जो ऑपरेटर को ब्लास्ट

रेडियस को समायोजित करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिये यह एक वाहन के चालक को मार सकता है लेकिन एक यात्री को नहीं। हथियार को विस्फोट से दो सेकंड पहले तक टाला जा सकता है।

- विस्फोट रेडियस स्रोत से वह दूरी है जो विस्फोट होने पर प्रभावित होती है।

- संचालन क्षेत्र के केंद्रीकृत दृश्य हेतु कैमरे:

- ‘स्विचब्लेड’ में ऐसे कैमरे होते हैं, जो प्रभाव से कुछ सेकंड पहले के लक्ष्य को दिखाते हैं।
- यह ड्रोन 63 मील प्रति घंटे की गति से परिप्रेमण करता है और ‘ऑपरेटरों को संचालन क्षेत्र के केंद्रीकृत दृश्य हेतु रियल-टाइम वीडियो डाउनलिंक प्रदान करता है।’

कार्बन डेटिंग

हाल ही में वाराणसी की एक ज़िला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए जाने वाले विवादित ढाँचे की कार्बन-डेटिंग करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

कार्बन डेटिंग

- परिचय:

- कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता करने के लिये व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है।
- सजीवों में विभिन्न रूपों में कार्बन होता है।
- डेटिंग पद्धति इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन-14 (C-14) रेडियोधर्मी है और उचित दर पर इसका क्षय होता है।
 - C-14 कार्बन का समस्थानिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है।
 - वायुमंडल में कार्बन का सबसे प्रचुर समस्थानिक C-12 है।
 - वायुमंडल में C-14 की बहुत कम मात्रा भी मौजूद होती है।
 - वातावरण में C-12 से C-14 का अनुपात लगभग स्थिर है और ज्ञात है।
- उदाहरण के लिये, चट्टानों जैसी निर्जीव चीजों की आयु निर्धारित करने के लिये कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- साथ ही 40,000-50,000 वर्ष से अधिक पुरानी चीजों की आयु, कार्बन डेटिंग के माध्यम से नहीं आँकी जा सकती है।
 - ऐसा इसलिये है क्योंकि आधे जीवन के 8-10 चक्रों के बाद C-14 की मात्रा लगभग बहुत कम हो जाती है और लगभग पता नहीं चल पाता है।

- उपयोग:
 - ◆ यह 500 से 50,000 वर्ष पुराने जीवाशमों और पुरातात्त्विक नमूनों की डेटिंग की एक बहुमुखी तकनीक साबित हुई है।
 - ◆ इस विधि का व्यापक रूप से भूवैज्ञानिकों, मानवविज्ञानी, पुरातत्त्वविदों और संबंधित क्षेत्रों में जाँचकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है।
- कार्बन डेटिंग का कार्य:
 - ◆ चौंकि पौधे और जानवर अपना कार्बन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, वे भी C-12 और C-14 को लगभग उसी अनुपात में प्राप्त करते हैं जो कि वातावरण में मौजूद है।
 - कार्बन को पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जबकि जानवर मुख्य रूप से भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं।
 - ◆ जब पेड़-पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो वातावरण के साथ उनका संपर्क खत्म हो जाता है।
 - ◆ रेडियोथर्मी तत्व C-14 की जीवन अवधि आधी होने के बाद भी लगभग 5,730 वर्ष होती है जिसे "हाफ लाइफ" कहा जाता है, जबकि C-12 स्थिर है।
 - ◆ किसी पौधे या जानवर के मृत होने के बाद उसके अवशेषों में C-12 से C-14 में परिवर्तन के अनुपात को मापा जा सकता है और इसका उपयोग जीव की मृत्यु के अनुमानित समय को निकालने के लिये किया जा सकता है।

निर्जीव चीजों पर डेटिंग का तरीका

- रेडियोमेट्रिक डेटिंग के तरीके
- इस पद्धति में, अन्य रेडियोथर्मी तत्वों का क्षय जो सामग्री में मौजूद हो सकता है, डेटिंग पद्धति का आधार बन जाता है।
- इस विधि के प्रकार
 - ◆ पोटेशियम-आर्गन डेटिंग
 - पोटेशियम का रेडियोथर्मी समस्थानिक आर्गन में बदल जाता है और उनके अनुपात चट्टानों की आयु के बारे में साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।
 - ◆ यूरेनियम-थोरियम- लेड डेटिंग
 - यूरेनियम और थोरियम में कई रेडियोथर्मी समस्थानिक होते हैं और ये सभी स्थिर लेड परमाणु में क्षय हो जाते हैं। सामग्री में मौजूद इन तत्वों के अनुपात को मापा जा सकता है एवं आयु के बारे में अनुमान लगाने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

जिराफ

लगभग 150 साल पहले, ब्रिटिश उपनिवेशवादी अफ्रीका में अपने अन्य औपनिवेशिक क्षेत्रों से जिराफों को लाए थे।

जिराफ के बारे में मुख्य बिंदु -

- सामान्य:
 - ◆ शारीरिक विशेषताएँ:
 - जिराफ, (जीनस जिराफ) अफ्रीका के लंबी गर्दन और खुर वाले स्तनधारियों की चार प्रजातियों में से एक है। लंबे पैरों के साथ इनमें हल्की पृष्ठभूमि पर अनियमित भूरे रंग के पैच होते हैं।
 - भूमि पर पाए जाने वाले सभी जानवरों में जिराफ सबसे ऊँचे हैं; नर की ऊँचाई 5.5 मीटर (18 फीट) तक तथा मादा की ऊँचाई लगभग 4.5 मीटर तक होती है।
 - लगभग आधे मीटर लंबी प्रीहेंसाइल (पकड़ने वाली) जीभ का उपयोग करके, वे जमीन से लगभग छह मीटर की दूरी तक के पत्तों तक पहुँचने में सक्षम हैं।
 - जिराफ चार साल की उम्र तक लगभग अपनी पूरी ऊँचाई प्राप्त कर लेते हैं लेकिन इनका वज्जन सात या आठ साल की उम्र तक बढ़ता है। नर जिराफ का वज्जन 1,930 किलोग्राम, मादा जिराफ का वज्जन 1,180 किलोग्राम तक होता है।
 - दोनों के पास एक जोड़ी सींग होते हैं, हालाँकि नर जिराफ की खोपड़ी पर हड्डी जैसा कुछ उभार होता है।
 - ◆ खान-पान की आदतें:
 - जिराफ मुख्य रूप से कॉटेदार बबूल के पेड़ के नए अंकुर और पत्ते खाना पसंद करते हैं।
 - जिराफ अपने भोजन से अधिकांश जल प्राप्त करते हैं, हालाँकि शुष्क मौसम में वे कम-से-कम हर तीन दिन में जल पीते हैं।
 - ◆ भौगोलिक स्थिति:
 - पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदानों और खुले जंगलों में जिराफ आमतौर पर देखे जा सकते हैं।
 - ◆ भारतीय जिराफ:
 - भारत में उत्तरी जिराफ (29 व्यक्तिगत जिराफ) की सबसे बड़ी कैप्टिव आबादी कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन में है।
 - एक हालिया वंशावली अध्ययन ने पुष्टि की है कि इसमें कम-से-कम नूबियन जिराफ या रॉथचाइल्ड जिराफ होने की सबसे अधिक संभावना है।
 - नूबियन जिराफ, जिराफ की उप-प्रजाति है जो पूर्वोंतर अफ्रीका में हर जगह व्यापक रूप से पाई जाती थी। हालाँकि पिछले 3 दशकों में नूबियन जिराफ की 95% आबादी में गिरावट आई है।

- रॉथचाइल्ड, जिराफ की सबसे ऊँची उप-प्रजातियों में से एक है, जिसकी लंबाई 6 मीटर तक होती है। इसका रंग अन्य जिराफों की तुलना में अद्वितीय है क्योंकि इनके शरीर पर बने निशान उनके आधे पैरों तक ही होते हैं।
- ◆ IUCN रेड लिस्ट स्थिति:
 - नुबियन जिराफ - गंभीर रूप से लुप्तप्राय
 - रॉथचाइल्ड जिराफ - लुप्तप्राय

बुकर पुरस्कार 2022

हाल ही में श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका ने अपने उपन्यास “द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा” के लिये बुकर पुरस्कार 2022 जीता। यह उपन्यास एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताता है जो बाद के जीवन में एक मिशन पर है।

बुकर पुरस्कार:

- बुकर पुरस्कार उपन्यास (साहित्य लेखन) के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है।
- इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई थी, आरंभ में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन अब यह यह सभी मूल के लेखकों को आमंत्रित करता है।
- प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और यूके एवं आयरलैंड में पब्लिश सर्वोत्कृष्ट कृति की रचना करने वाले को बुकर पुरस्कार दिया जाता है, जिसका निर्धारण एक पैनल द्वारा किया जाता है।
- पुरस्कृत कृति वर्तमान संदर्भों को समेटने के साथ-साथ साहित्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त रचनाओं की श्रेणी में भी शामिल होती है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु और वाराणसी के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत बंधन को मजबूत तथा पुनर्जीवित करने के लिये 'काशी-तमिल संगमम' नामक एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की घोषणा की है।

- यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का हिस्सा होगा।

एक भारत श्रेष्ठ भारत:

- इसे वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता व अखंडता मजबूत होगी।
- संबद्ध मंत्रालय: यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
- योजना के तहत गतिविधियाँ: देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को एक समयावधि के लिये दूसरे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों,

सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे।

उद्देश्य:

- ◆ राष्ट्र की विविधता में एकता का निर्माण करना और हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधनों के ताने-बाने को बनाए रखना तथा मजबूत करना।
- ◆ राज्यों के बीच एक साल के नियोजित जुड़ाव के माध्यम से सभी भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच गहरे और संरचित जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना।
- ◆ लोगों को भारत की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने में सक्षम बनाने के लिये किसी भी राज्य की समृद्ध विरासत एवं संस्कृति, रीत-रिवाजों तथा परंपराओं को प्रदर्शित करके आम पहचान की भावना को बढ़ावा देना।
- ◆ दीर्घकालिक जुड़ाव स्थापित करना।
- ◆ एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करके राज्यों के बीच ज्ञान को बढ़ावा दे।

UNSC 1267 समिति

हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अलकायदा और ISIS से संबद्ध आतंकवादियों की 1267 सूची में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के शीर्ष नेताओं को नामित करने के लिये भारत-अमेरिका के दो संयुक्त प्रस्तावों पर रोक लगा दी है।

UNSC 1267 समिति:

- सर्वप्रथम 1999 में इसकी स्थापना की गई थी (2011 एवं 2015 में इसे अपडेट किया गया) तथा सितंबर 2001 के हमलों के बाद इसे और सुदृढ़ किया गया।
- इसे अब दो 'एश और अलकायदा प्रतिबंध समिति' के रूप में जाना जाता है।
- इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के सभी स्थायी और गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं।
- आतंकवादियों की 1267 सूची एक वैश्विक सूची है, जिस पर UNSC की मुहर होती है। इस सूची में अधिकांशतः पाकिस्तानी नागरिक और निवासी हैं।
- यह समिति आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों पर काम कर रहे सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय संयुक्त राष्ट्र सहायक निकायों में से एक है, विशेष रूप से अलकायदा और इस्लामिक स्टेट समूह के संबंध में।
- इसका उद्देश्य आतंकवादियों की आवाजाही को सीमित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर चर्चा करना है, साथ ही इसके अंतर्गत

विशेष रूप से यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति की जब्ती और आतंकवाद के लिये हथियारों पर प्रतिबंध आदि भी शामिल हैं।

सूची निर्माण की प्रक्रिया:

- कोई भी सदस्य राज्य किसी व्यक्ति, समूह या संस्था को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।
- प्रस्तावित व्यक्ति, समूह या संस्था का संबंध ISIL (दा'एशा), अलकायदा, संबद्ध अन्य इकाई से होने अथवा उसने इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े अन्य समूह के वित्तपोषण, योजना निर्माण या अन्य किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की हो।
- लिस्टिंग और डी-लिस्टिंग पर निर्णय आम सहमति से लिये जाते हैं। प्रस्ताव सभी सदस्यों को भेजा जाता है और यदि कोई सदस्य पाँच कार्य दिवसों के भीतर आपत्ति नहीं करता है, तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है।
- 'आपत्ति' का अर्थ है प्रस्ताव पर रोक।
- समिति का कोई भी सदस्य प्रस्ताव पर 'तकनीकी रोक' लगा सकता है और प्रस्ताव पर सदस्य राज्य से अधिक जानकारी मांग सकता है। इस दौरान अन्य सदस्य भी अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं।
- यह मामला समिति की 'लंबित' सूची में तब तक बना रहता है जब तक कि सदस्य राज्य जिसने रोक लगाई है, अपने निर्णय को 'आपत्ति' में बदलने का निर्णय नहीं लेता है, या जब तक कि वे सभी पार्टियाँ जो लंबित रखी हैं निर्धारित समय सीमा के भीतर निलंबन हटा नहीं देते हैं।
- लंबित मुद्दों को छह महीने में हल किया जाना चाहिये, लेकिन जिस सदस्य राज्य ने रोक लगाई है वह अतिरिक्त तीन महीने की मांग कर सकता है। इस अवधि के अंत में यदि आपत्ति नहीं की जाती है, तो मामले को स्वीकृत माना जाता है।

अग्नि प्राइम

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम (Agni-P) का ओडिशा तट पर स्थित ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

अग्नि प्राइम के विषय में:

- यह दो चरणों वाली कनस्टरीकृत मिसाइल है।
- यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Program-IGMDP) के तहत विकसित अग्नि शृंखला के मिसाइलों का नवीनतम और छठा संस्करण है।

- स्वतंत्र रूप से लक्षित विविध पुनः प्रवेश वाहनों के साथ यह मिसाइल 1,000 - 2,000 किमी की दूरी पर अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न युद्धक सामग्रियों/आयुध को पहुँचाने में सक्षम है।
- 1.2 मीटर व्यास तथा 10.5 मीटर लंबाई की यह मिसाइल 1.5 टन तक आयुध ले जा सकती है।
- कुछ उपयोगकर्ता संबद्ध प्रक्षेपणों के बाद इन मिसाइलों को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।
- इसमें दोहरी निविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है।
- अग्नि-पी मिसाइल भविष्य में भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करेगी।

अन्य अग्नि मिसाइलों:

- वे भारत की परमाणु प्रक्षेपण क्षमता का मुख्य आधार हैं।
- अग्नि मिसाइलों की अन्य रेंज:
 - ◆ अग्नि I: 700-800 किमी. की सीमा।
 - ◆ अग्नि II: रेंज 2000 किमी. से अधिक।
 - ◆ अग्नि III: 2,500 किमी. से अधिक की सीमा।
 - ◆ अग्नि IV: इसकी रेंज 3,500 किमी. से अधिक है और यह एक रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकती है।
 - ◆ अग्नि V: अग्नि शृंखला की सबसे लंबी, एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है जिसकी रेंज 5,000 किमी. से अधिक है।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP):

- इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इसे वर्ष 1983 में शुरू किया गया था और मार्च 2012 में पूरा किया गया था।
- इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें (P-A-T-N-A) हैं:
 - ◆ पृथ्वी: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
 - ◆ अग्नि: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अग्नि (1,2,3,4,5)।
 - ◆ त्रिशूल: सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल।
 - ◆ नाग: तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल।
 - ◆ आकाश: सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल।

सुकापईका नदी

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के हालिया निर्देश के बाद ओडिशा सरकार द्वारा सुकापईका नदी, जो कि 70 साल पहले सूख गई थी, के पुनरुद्धार योजना पर कार्य शुरू किया गया है।


सुकापईका नदी के प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- सुकापईका नदी ओडिशा की प्रमुख नदी महानदी की कई नदी शाखाओं में से एक है।
- यह कटक ज़िले के अयातपुर गाँव में महानदी से अलग होती है और उसी ज़िले के तारापुर में मुख्य नदी में मिलने से पहले लगभग 40 किलोमीटर तक बहती है।
- सुकापईका नदी बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने और नदी के साथ-साथ बंगल की खाड़ी में प्रवाह को बनाए रखने के लिये महानदी की एक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है।

महानदी से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- महानदी की नदी प्रणाली से संबंधित प्रमुख तथ्य:
 - ◆ महानदी नदी प्रणाली गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है।
 - ◆ नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड और महाराष्ट्र तक विस्तृत है।
 - ◆ इस नदी की द्रोणी उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाटों तथा पश्चिम में मैकाल पर्वत शृंखलाओं से घिरी हुई है।
- उद्गम स्थान:
 - ◆ इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में सिहावा के नज़दीक है।
- प्रमुख सहायक नदियाँ:
 - ◆ शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब महानदी की बाई ओर, जबकि औंग, तेल तथा जोंक इसकी दाई ओर की सहायक नदियाँ हैं।
 - महानदी पर प्रमुख बांध/ परियोजनाएँ:
 - ◆ हीराकुंड बांध: यह भारत का सबसे लंबा बांध है।
 - ◆ रविशंकर सागर, दुधावा जलाशय, सोंदूर जलाशय, हसदेव बांगो और तांडुला अन्य प्रमुख परियोजनाएँ हैं।
- उद्योग:
 - ◆ अपने समृद्ध खनिज संसाधन और पर्याप्त विद्युत संसाधन के कारण महानदी घाटी में एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण है।
 - भिलाई में लौह एवं इस्पात संयंत्र
 - हीराकुंड और कोरबा में एल्युमीनियम के कारखाने

- कटक के पास पेपर मिल
- सुंदरगढ़ में सीमेंट का कारखाना
- ◆ मुख्य रूप से कृषि उत्पादों पर आधारित अन्य उद्योग चीनी और कपड़ा मिल उद्योग हैं।
- ◆ कोयला, लोहा और मैग्नीज का खनन अन्य औद्योगिक गतिविधियाँ हैं।



ऑलमैनिया जीनस की दूसरी प्रजाति

हाल ही में ऑलमैनिया मल्टीफ्लोरा नामक जीनस ऑलमैनिया की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है।



नई प्रजातियों की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
 - ◆ ऑलमैनिया मल्टीफ्लोरा (Allmania multiflora) लगभग 60 सेमी की ऊँचाई तक बढ़ता है और अब तक खोजी गई इस जीनस की यह सिर्फ दूसरी प्रजाति है।
 - पहली प्रजाति ऑलमैनिया नोडिफ्लोरा मूल रूप से जीनस सेलोसिया के तहत वर्ष 1753 में सेलोसिया नोडिफ्लोरा के रूप में प्रकाशित हुई थी। सीलोन (श्रीलंका) में पाए जाने वाले पेसीमेंस को पहली बार वर्ष 1834 में ऑलमैनिया नोडिफ्लोरा के रूप में वर्णित किया गया था।

- छोटे टीपल्स और व्यापक गाइनोइकियम (फूल के हिस्से), छोटे खाँचे और बीजों के व्यास में ऐसी विशेषताएँ हैं जो इसे ऑलमैनिया नोडिफ्लोरा से अलग करती हैं। मई से सितंबर तक फूल और फल लगते हैं।
 - ◆ यह प्रजाति वानस्पतिक और संरक्षण दोनों ही दृष्टि से काफी खास है।
 - ◆ ऑलमैनिया मल्टीफ्लोरा को एक पुष्पक्रम के भीतर अधिक संख्या में फूलों के होने के लिये नामित किया गया है।
 - ◆ ऑलमैनिया मल्टीफ्लोरा एक वार्षिक जड़ी बूटी है जो आधार से उत्पन्न होने वाली शाखाओं के साथ खड़ी होती है।
 - ◆ तना आधार पर लाल से बैंगनी और ऊपर हरा होता है।
 - संरक्षण की स्थिति:
 - ◆ **IUCN:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
 - खतरा:
 - ◆ यह गलती से स्थानीय लोगों द्वारा ऐमारेंथ (राजगीरा) के साथ सब्जी के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
 - ◆ इसके निवास स्थान ग्रेनाइट पहाड़ियों को भी वर्तमान में विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- ### प्रक्षेपण यान मार्क 3
- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (LVM3 या GSLV मार्क 3) ने यूके स्थित वनवेब के 36 उपग्रहों की सफलतापूर्वक परिक्रमा की।
- वनवेब 648 लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों के समूह द्वारा संचालित एक वैश्विक संचार नेटवर्क है।

लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (LVM 3):

- परिचय:
 - ◆ LVM3-M2 मिशन एक विदेशी ग्राहक वनवेब के लिये एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) से है।
 - ◆ यह पहला बहु-उपग्रह मिशन है जिसमें LVM3 अब तक का लो अर्थ ऑर्बिट के लिये 36 वनवेब उपग्रह हैं, जो 5,796 किलोग्राम के सबसे भारी पेलोड द्रव्यमान के रूप में हैं।
 - ◆ यह नवीनतम रॉकेट 4,000 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में और 8,000 किलोग्राम पेलोड को LEO में लॉन्च करने में सक्षम है।
 - ◆ यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसके किनारों पर दो ठोस प्रणोदक S200 स्ट्रैप-ऑन हैं और कोर चरण में L110 तरल चरण तथा C25 क्रायोजेनिक चरण शामिल हैं।
- विशेषताएँ:
 - ◆ LVM3 का पहला वाणिज्यिक मिशन
 - ◆ LVM3 से LEO का पहला प्रक्षेपण
 - ◆ छह टन भार क्षमता वाला पहला भारतीय रॉकेट
 - ◆ LVM3 के साथ पहला NSIL मिशन
 - ◆ NSIL/अंतरिक्ष विभाग के साथ पहला वनवेब मिशन
- तकनीकी उपलब्धियाँ:
 - ◆ एकाधिक उपग्रह पृथक्करण घटनाओं का संचालन
 - ◆ मिशन अवधि में नाममात्र वृद्धि
 - ◆ C25 (CRYO) चरण पुनः अभिविन्यास और अतिरिक्त वेग के माध्यम से सुरक्षित पृथक्करण दूरी सुनिश्चित करना
 - ◆ संपूर्ण मिशन अवधि के लिये डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करना
 - ◆ सैटेलाइट डिस्पेंसर के लिये नए भार क्षमता एडॉप्टर और इंटरफेस रिंग की प्राप्ति

वनवेब तारामंडल:

- वनवेब तारामंडल LEO ध्रुवीय कक्षा में संचालित होता है, उपग्रहों को प्रत्येक विमान में 49 उपग्रहों के साथ 12 रिंगों (कक्षीय विमानों) में व्यवस्थित किया जाता है।
- कक्षीय तलों का झुकाव ध्रुवों (87.9 डिग्री) के करीब होता है।
- कक्षीय विमान पृथ्वी से 1200 किमी. ऊपर होते हैं। प्रत्येक उपग्रह प्रति 109 मिनट में पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर लगाता है।
- उपग्रह नीचे घूम रही पृथ्वी के ऊपर होते हैं, इसलिये ये उपग्रह हमेशा ही नए स्थानों पर उड़ते हुए पाए जाएंगे।

इसरो द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्रक्षेपण यान:

- सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV): इसरो द्वारा विकसित पहले रॉकेट को केवल SLV या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता था।
- ◆ इसके बाद संवर्द्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान (ASLV) आया।
 - संवरद्धित सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (ASLV):
- ◆ SLV और ASLV दोनों ही छोटे उपग्रहों, जिनका वजन 150 किलोग्राम तक होता है, को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में ले जा सकते हैं।
- ◆ ASLV का परिचालन PSLV आने से पहले यानी 1990 के दशक की शुरुआत तक किया जाता था।
- ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV):
 - ◆ PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण अक्तूबर 1994 में किया गया था। तब से यह इसरो का मुख्य रॉकेट है। हालाँकि आज का PSLV वर्ष 1990 के दशक में इस्तेमाल किये गए PSLV की तुलना में काफी बेहतर और कई गुना अधिक शक्तिशाली है।

- PSLV पहला लॉन्च वाहन है जो तरल चरण (Liquid Stages) से सुसज्जित है।
- ◆ PSLV इसरो द्वारा उपयोग किया जाने वाला अब तक का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है, जिसकी 54 में से 52 उड़ानें सफल रही हैं।
- PSLV का उपयोग भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण मिशनों (वर्ष 2008 के चंद्रयान-I और वर्ष 2013 के मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट) के लिये भी किया गया था।
- इसरो वर्तमान में दो लॉन्च वाहनों - PSLV और GSLV (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) का उपयोग करता है, इनमें भी कई प्रकार के संस्करण होते हैं।
- जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV): जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है, जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक ऊँचाई तक ले जाने में सक्षम है। जीएसएलवी रॉकेटों ने अब तक 18 मिशनों को अंजाम दिया है, जिनमें से चार विफल रहे हैं।
- ◆ यह 10,000 किलोग्राम के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकता है।
- ◆ स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज (CUS)-'GSLV Mk-II' के तीसरे चरण का निर्माण करता है।
- ◆ Mk-III संस्करणों ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने हेतु पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है।
- इससे पहले यह अपने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिये यूरोपीय एरियन प्रक्षेपण यान पर निर्भर था।
- GSLV मार्क- III का उपयोग वर्ष 2019 में चंद्रयान-2 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने के लिये किया गया था, जो रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी।
- ◆ ISRO ने GSLV मार्क-III का नाम बदलकर लॉन्च व्हीकल मार्क-III कर दिया है।
- GEO कक्षा के लिये GSLV ही कहा जाता रहेगा, लेकिन GSLV-मार्क-III का नाम बदलकर LVM3- तीन कर दिया गया है। LVM3 हर जगह - GEO, MEO, LEO, चंद्रमा, सूर्य के मिशन के लिये जाएगा।"

डर्टी बम:

डर्टी बम:

● परिचय:

- ◆ तकनीकी भाषा में 'डर्टी बम' डिस्पर्सन डिवाइस (Dispersion Device) है जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री संभवतः यूरेनियम होती है, लेकिन सामान्य उपयोग में सीज़ियम -137 या अन्य रेडियोधर्मी सामग्री जैसे निम्न-श्रेणी की सामग्री के इस्तेमाल की अधिक संभावना होती है।
- ◆ इसमें अत्यधिक परिष्कृत रेडियोधर्मी सामग्री को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि परमाणु बम में उपयोग किया जाता है। इसके बजाय यह अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग कर सकता है जो
- ◆ परमाणु हथियारों की तुलना में बहुत सस्ता और तेज होता है।
 - उदाहरण के लिये इन्हें किसी वाहन के पिछले हिस्से में रखकर भी ले जाया जा सकता है।
- चिंताएँ
- ◆ इसका तत्काल सीमित स्वास्थ्य प्रभाव होगा, क्योंकि प्रभावित क्षेत्र के अधिकांश लोग विकिरण के घातक प्रभाव का अनुभव करने से पहले बच निकलने में सक्षम होंगे।
 - हालाँकि दूर तक फैले रेडियोधर्मी धूल और ध्रुँ में साँस लेना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो सकता है क्योंकि विकिरण को मनुष्य न तो देख सकता है, न सूच सकता है, न महसूस कर सकता है और न ही चख सकता है।
 - सुदूर फैले रेडियोधर्मी धूल और ध्रुँ स्वास्थ्य के लिये काफी खतरनाक होते हैं।
 - ◆ शहरी क्षेत्रों को खाली करने अथवा यहाँ तक कि शहर को पूरी तरह से छोड़ने से भारी आर्थिक क्षति हो सकती है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धी आयोग (CCI) द्वारा गूगल पर जुर्माना

अल्फाबेट (Alphabet) के स्वामित्व वाले गूगल पर हाल ही में एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों के पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्षेत्रों में 'अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग' करने के लिये भारतीय प्रतिस्पर्द्धी आयोग (CCI) द्वारा 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।

मुद्दा क्या है?

- वर्ष 2019 में CCI ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित स्मार्टफोन के बारे में ग्राहकों की शिकायतों के जवाब में गूगल के अनुचित व्यावसायिक व्यवहार की जाँच का आदेश दिया।

- गूगल के खिलाफ आरोप Android OS और गूगल के मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) के बीच दो समझौतों पर आधारित थे, ये हैं- मोबाइल एप्लीकेशन वितरण अनुबंध (MADA) और एंटी-फ्रेग्मेंटेशन अनुबंध (AFA)।
- MADA के तहत संपूर्ण गूगल मोबाइल सूट (Suite) की अनिवार्य प्री-इस्टालेशन और अनइंस्टॉल विकल्प की कमी के कारण CCI ने दावा किया कि गूगल ने प्रतिस्पर्द्धा कानून का उल्लंघन किया है।
 - ◆ गूगल मोबाइल सेवाएँ (GMS) गूगल एप्लीकेशन और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) का एक संग्रह है जो सभी उपकरणों में कार्यक्षमता को सुविधाजनक बनाता है। गूगल के प्रमुख उत्पाद, जैसे- गूगल सर्च, गूगल क्रोम, यूट्यूब, प्ले स्टोर और गूगल मानचित्र आदि सभी GMS में शामिल हैं।
- गूगल द्वारा उपकरण निर्माताओं पर अनुचित शर्तें थोपना प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन है।
 - ◆ एक प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आता है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI):

- परिचय:
 - ◆ भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिये उत्तरदायी है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
 - ◆ राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act), 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- संरचना:
 - ◆ प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
 - ◆ आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ-साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक होते हैं।
- सदस्यों की पात्रता:
 - ◆ इसके अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिये ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जो सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ-साथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद

पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो या जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा कार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों में कम-से-कम पंद्रह वर्ष का विशेष ज्ञान एवं वृत्तिक अनुभव हो और केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिये उपयोगी हो।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002:

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था और प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा इसे संशोधित किया गया। यह आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा विधानों का अनुसरण करता है।
 - ◆ यह अधिनियम प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी करारों और उद्यमों द्वारा अपनी प्रधान स्थिति के दुरुपयोग का प्रतिषेध करता है तथा समुच्चयों [अर्जन, नियंत्रण, 'विलय एवं अधिग्रहण' (M&A)] का विनियमन करता है, क्योंकि इनकी वजह से भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या इसकी संभावना बनी रहती है।
 - ◆ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग और प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (Competition Appellate Tribunal- COMPAT) की स्थापना की गई।
 - ◆ वर्ष 2017 में सरकार ने प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) से प्रतिस्थापित कर दिया।

आल्प्स में तेज़ी से पिघल रहे ग्लेशियर

एक नए अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 2022 में स्विट्ज़रलैंड के ग्लेशियरों ने औसतन 6.2% बर्फ खो दी।

प्रमुख बिंदु

- सहारन रेत और हीटवेव:
 - ◆ संपूर्ण आल्प्स में पिछली सर्दियों में बहुत कम हिमपात हुआ था जिसकी वजह से आगामी गर्मी के मौसम में ग्लेशियर के प्रभावित होने की संभावना है।
 - ◆ वर्संत विशेष रूप से चरम था, प्राकृतिक वायुमंडलीय परवन सहारन रेत को यूरोप तक ले गई और अल्पाइन में जमा कर दिया।
 - ◆ चैंकि बर्फ की तुलना में धूल अधिक सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है, इसलिये अब नारंगी रंग की बर्फ तेज़ी से पिघल रही है।

- ◆ गर्मी की लहर ने पूरे यूरोप में तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया।
- ◆ वर्ष 2003 में हिमनद अत्यधिक तेजी से पिघले थे, इस दौरान पूरे स्विट्जरलैंड में 3.8% ग्लेशियर पिघल गए थे।
- अभूतपूर्व आल्प्स ग्लेशियर का पिघलना:
 - ◆ ग्लेशियर के पिघलने की सीमा उस ऊँचाई पर निर्भर करती है जिस पर यह स्थित है, ग्लेशियर का ढाल जितनी तीव्र होगी वह उतना ही अधिक मलबे से ढका होता है।
 - ◆ स्विट्जरलैंड में इन हिमनदों के पिघले जल का उपयोग जल विद्युत के लिये किया जाता है।
 - ऑस्ट्रियाई ग्लेशियर भी वर्ष 2022 में 70 वर्षों की तुलना में अधिक पिघल गए हैं, इसलिये यह स्पष्ट है कि वर्ष 2022 में हिमनद का पिघलना व्यापक रहा है।
 - ◆ इसका एक परिणाम यह है कि ग्लेशियरों के पिघलने से सूखे की अवधि में कम वर्षा की स्थिति में जल की कमी की पूर्ति करने के साथ ही देश की ऊर्जा आपूर्ति में भी मदद मिलती है।
 - ◆ पिघलते ग्लेशियरों के कारण पहाड़ों में 1,000 से अधिक नई झीलें निर्मित हुई हैं।
 - ◆ इस साल पहली बार पर्माफ्रॉस्ट जो चट्टानों को एक साथ बाँधे रखती है पिघल रही है और लगातार चट्टानों का अपरदन हो रहा है।
- संबंधित देश:
 - ◆ आल्प्स फ्राँस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेंगोविना, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया तथा अल्बानिया का हिस्सा है।
 - ◆ केवल स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया को ही 'दू अल्पाइन' देश माना जा सकता है।
- महत्वपूर्ण चोटियाँ:
 - ◆ 'मोंट ब्लांक' (Mont Blanc) आल्प्स और यूरोप की सबसे ऊँची चोटी है जो समुद्र तल से 4,804 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह ग्रेयन आल्प्स में फ्राँस, स्विट्जरलैंड और इटली में स्थित है।
 - ◆ मोंटे रोजा (Monte Rosa) एक 'मैसिफ' (पहाड़ों का एक संयुक्त समूह) है, जिसमें कई चोटियाँ हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी डुफोर्स्पित्ज (Dufourspitze) की ऊँचाई 4,634 मीटर है, जिसके स्विट्जरलैंड की सबसे ऊँची चोटी होने का दावा किया जाता है।
 - ◆ डोम जो मोंटे रोजा के पास स्थित है, 4,545 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और इसे अपने सीधे मार्गों के कारण आल्प्स में 'सुगम' ऊँची चोटियों में से एक के रूप में जाना जाता है।
 - ◆ अन्य प्रमुख चोटियाँ लिस्कम, वीशोर्न, मैटरहॉर्न, डेंट ब्लैंच, ग्रैंड कॉम्बन आदि हैं।

आल्प्स:

- विषय:
 - ◆ आल्प्स पर्वत अल्पाइन ऑरोजेनी (पर्वत-निर्माण घटना) के दौरान उभरा, यह घटना लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी जो मेसोज़ोइक युग (Mesozoic Era) के पास आने के दौरान घटित हुई।
 - ◆ आल्प्स ऊबड़-खाबड़ और ऊँची शंक्वाकार चोटियों से निर्मित एक वलित पर्वत शृंखला है।
 - ◆ यह पश्चिमी यूरोप के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे प्रमुख है। जो लगभग 750 मील लंबी और 125 मील से अधिक ऊँड़ी है जिसकी सबसे ज्यादा ऊँड़ाई जर्मनी के गार्मिश-पार्टेनकिर्चेन क्षेत्र तथा वेरोना, इटली के मध्य है, आल्प्स पर्वत शृंखला 80000 वर्ग मील से अधिक के क्षेत्र को कवर करती है।
 - ◆ आल्प्स पर्वत शृंखला पूरब, उत्तर-पूर्व में विएना, ऑस्ट्रिया की ओर मुड़ने से पहले उत्तर में नीस, फ्राँस के पास उपोष्णकटिबंधीय भूमध्यसागरीय तट से जिनेवा झील तक फैली हुई है जहाँ यह डेन्यूब नदी (Danube River) को छूते हुए उससे लगे मैदानी भागों में मिल जाती है।

- ◆ अपने चापाकार आकार के कारण आल्प्स यूरोप के पश्चिमी समुद्री तट की जलवायु को फ्राँस, इटली और बाल्कन क्षेत्र (Balkan Region) के भूमध्यसागरीय क्षेत्रों से अलग करता है।

संबंधित देश:

- ◆ आल्प्स फ्राँस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेंगोविना, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया तथा अल्बानिया का हिस्सा है।
- ◆ केवल स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया को ही 'दू अल्पाइन' देश माना जा सकता है।

महत्वपूर्ण चोटियाँ:

- ◆ 'मोंट ब्लांक' (Mont Blanc) आल्प्स और यूरोप की सबसे ऊँची चोटी है जो समुद्र तल से 4,804 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह ग्रेयन आल्प्स में फ्राँस, स्विट्जरलैंड और इटली में स्थित है।
- ◆ मोंटे रोजा (Monte Rosa) एक 'मैसिफ' (पहाड़ों का एक संयुक्त समूह) है, जिसमें कई चोटियाँ हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी डुफोर्स्पित्ज (Dufourspitze) की ऊँचाई 4,634 मीटर है, जिसके स्विट्जरलैंड की सबसे ऊँची चोटी होने का दावा किया जाता है।
- ◆ डोम जो मोंटे रोजा के पास स्थित है, 4,545 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और इसे अपने सीधे मार्गों के कारण आल्प्स में 'सुगम' ऊँची चोटियों में से एक के रूप में जाना जाता है।
- ◆ अन्य प्रमुख चोटियाँ लिस्कम, वीशोर्न, मैटरहॉर्न, डेंट ब्लैंच, ग्रैंड कॉम्बन आदि हैं।

गरुड़-VII

भारतीय वायु सेना (IAF) और फ्राँसीसी वायु तथा अंतरिक्ष बल (FASF) जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर 'गरुड़ VII' नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

- भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है।

गरुड़-VII:

- परिचय:
 - ◆ गरुड़ VII भारत और फ्राँस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का सातवाँ संस्करण है, जो दो वर्ष के अंतराल पर हो रहा है।
 - पहला, तीसरा और पाँचवाँ संस्करण भारत में क्रमशः वर्ष 2003, 2006 और 2014 में वायु सेना स्टेशनों ग्वालियर, कलाईकुंडा और जोधपुर में आयोजित किये गए थे।
 - ◆ इस अभ्यास में FASF चार राफेल लड़ाकू विमान A-330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट (MRTT) विमान और 220 कर्मियों की एक टुकड़ी के साथ भाग लेगा।

- ◆ IAF Su-30 MKI, राफेल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस और जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ-साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) एवं Mi-17 हेलीकॉप्टर इसमें भाग ले रहा है।
- ◆ IAF के दल में लड़ाकू विमान में ईंधन भरने वाले विमान, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) और एयरबोर्न अलर्ट वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) जैसी लड़ाकू विमान भी शामिल होंगी।
- महत्व:
 - ◆ यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए परिचालन क्षमता और अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।
 - ◆ इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और FASF की भागीदारी से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा पेशेवर बातचीत, अनुभवों के आदान-प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

अन्य रक्षा अभ्यास:

- वरुण - नौसेना अभ्यास
- डेजर्ट नाइट-21 - वायु अभ्यास
- शक्ति - सैन्य अभ्यास

इज्जरायल-लेबनान: समुद्री सीमा समझौता

हाल ही में इज्जरायल और लेबनान ने एक यू.एस. ब्रोकर्ड मैरीटाइम बॉर्डर डील पर हस्ताक्षर किये, जो तकनीकी रूप से युद्ध में संलिप्त पड़ोसियों द्वारा अपतटीय गैस निष्कर्षण का मार्ग प्रशस्त करता है।



समझौता:

- ◆ पृष्ठभूमि:


- ◆ लेबनान और इज्जरायल वर्ष 1948 में इज्जरायल के निर्माण के बाद से आधिकारिक तौर पर युद्ध में रहे हैं और दोनों देश भूमध्य सागर के लगभग 860 वर्ग किलोमीटर (330 वर्ग मील) पर दावा करते हैं।
- ◆ इस क्षेत्र में अपतटीय गैस क्षेत्रों पर इज्जरायल और लेबनान के प्रतिस्पर्द्धी दावों के बीच एक दशक पुराना तनाव रहा है, जिसमें करिश गैस क्षेत्र और काना, एक संभावित गैस क्षेत्र का हिस्सा शामिल है।
- इज्जरायल द्वारा विकसित किये जा रहे करिश गैस क्षेत्र को ईरान द्वारा समर्थित लेबनान के शक्तिशाली राजनीतिक और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से खतरा था। दोनों देशों ने वर्ष 2011 में भूमध्य सागर में अतिव्यापी सीमाओं की घोषणा की थी।
- ◆ चूँकि दोनों देश तकनीकी रूप से युद्ध में रहे हैं, इसलिये संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थता करने के लिये कहा गया था।
- ◆ इज्जरायल द्वारा दो गैस क्षेत्रों की खोज के बाद इस मुद्दे ने महत्व प्राप्त किया, जो इसे ऊर्जा निर्यातक में बदलने में मदद कर सकता है।
- परिचय:
 - ◆ यह पूर्वी भूमध्य सागर में उस क्षेत्र के क्षेत्रीय विवाद को हल करता है जहाँ लेबनान प्राकृतिक गैस की खोज करना चाहता है।
 - ◆ यह गैस क्षेत्र दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा पर स्थित है और यह समझौता दोनों देशों को गैस से रॉयलटी प्राप्त करने की अनुमति देगा।
 - ◆ सौदे के तहत इज्जरायल को करिश क्षेत्र का पता लगाने का पूरा अधिकार प्राप्त है।
 - ◆ लेबनान को निकटवर्ती काना क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त है और यह इज्जरायल को रॉयलटी का हिस्सा देने की अनुमति देने के लिये सहमत हो गया है।
 - ◆ यह पहली बार लेबनानी और इज्जरायली जल के बीच सीमा निर्धारित करता है, जिसे लाइन 23 के रूप में संदर्भित किया जाता है।
 - ◆ यह समझौता इज्जरायल और लेबनान के बीच साझा भूमि सीमा को नहीं छूता है, जो अभी भी विवादित है।
 - इस सीमा को ब्लू लाइन भी कहा जाता है, ऐसी सीमा जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से इज्जरायल के हटने के बाद खोंची गई थी।
- महत्व:
 - ◆ इस समझौते से लेबनान में इज्जरायल और हिजबुल्लाह आतंकवादियों के बीच संघर्ष के तत्काल खतरे के टालने की भी उम्मीद है।

- ◆ यह समझौता दोनों देशों के लिये ऊर्जा और आय के नए स्रोत पैदा करेगा, विशेष रूप से यह लेबनान के लिये महत्वपूर्ण है, जो कि ऊर्जा एवं वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।
- ◆ यह **यूकेन पर रूसी आक्रमण** के कारण ऊर्जा की कमी के बीच यूरोप को गैस का संभावित नया स्रोत प्रदान कर सकता है।

विश्व दृष्टि दिवस

विश्व दृष्टि दिवस प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के दूसरे गुरुवार को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।

- अंधेपन और दृष्टि हीनता के मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये इस वर्ष 13 अक्तूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया।




विश्व दृष्टि दिवस:

- इतिहास:
 - ◆ यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में लायंस क्लब इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के साइटफर्स्ट (SightFirst) अभियान के तहत मनाया गया था।
 - ◆ तब से इसे विज्ञन 2020 द राइट टू साइट (V2020) योजना में एकीकृत कर लिया गया है।
 - वर्ष 1999 में शुरू की गई V2020 योजना को **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के सहयोग से इंटरनेशनल एंजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस (IAPB) द्वारा समन्वित किया गया है।
- वर्ष 2022 हेतु थीम: 'अपनी आँखों से प्यार करें'।
- महत्व:
 - ◆ यह दिवस काफी महत्वपूर्ण है, दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग ऐसे हैं जो ठीक से देख नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास चश्मे तक पहुँच की सुविधा नहीं है। इनमें से एक अरब लोग निवारण किये जा सकते योग्य दृष्टि दोष से पीड़ित हैं।

- ◆ दृष्टि हीनता दैनिक व्यक्तिगत गतिविधियाँ, स्कूली शिक्षा और कार्य, दैनिक दिनचर्या एवं सामाजिक मेलमिलाप व वार्तालाप जैसे जीवन के हर पहलू पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती हैं।

दृष्टि संबंधी विभिन्न दोष क्या हैं?


- मायोपिया या निकट-दृष्टि दोष:
 - ◆ इस स्थिति में व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता।
 - ◆ इसमें दूर की वस्तुएँ धुँधली दिखाई देने लगती हैं और व्यक्ति उन्हें देखने में असहज महसूस करता है।
 - ◆ मायोपिया तब होता है, जब आँख की पुतली लंबी हो जाती है। इससे जो रोशनी आँखों में प्रवेश करती है वह ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के थोड़ा आगे फोकस होते हैं।
 - ◆ अवतल लेंस का उपयोग करके मायोपिक नेत्र दोष को ठीक किया जा सकता है।
- हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष:
 - ◆ हाइपरमेट्रोपिया को आमतौर पर दूर दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है और इसके उपचार के लिये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
 - ◆ इस स्थिति में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता।
 - ◆ आमतौर पर इस विकार से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को तिरछी नज़र से देखता है।
 - ◆ हाइपरमेट्रोपिया तब होता है जब पास की वस्तु से प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं।



जरा दृष्टि दोष (Presbyopia):


- ◆ इसमें आस-पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का क्रमिक नुकसान हो जाता है।

- ◆ प्रेसबायोपिया के लक्षण आमतौर पर 40 साल की उम्र के आसपास शुरू होते हैं और 65 साल तक ये लक्षण गंभीर हो जाते हैं।
- ◆ इस रोग के निवारण के लिये द्विफोकल लेंस (Bifocal Lens) का उपयोग किया जाता है जिसमें दोनों प्रकार के लेंस होते हैं- उत्तर और अवतल।



● मोतियाबिंद:

- ◆ इसमें किसी व्यक्ति की आँख का लेंस उत्तरोत्तर धुँधला होता जाता है जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि, धुँधली हो जाती है। इसका इलाज सर्जी द्वारा किया जा सकता है।
- ◆ मोतियाबिंद में व्यक्ति के नेत्र के लेंस के ऊपर एक झिल्ली (या अपारदर्शी हो जाना) बन जाती है। मोतियाबिंद से आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगती है।



कालानमक चावल

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने उत्तर प्रदेश में कालानमक चावल की दो नई बौनी किस्मों, पूसा नरेंद्र कालानमक 1638 और पूसा नरेंद्र कालानमक 1652 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो दोगुनी उपज देती हैं।

- यह पारंपरिक किस्म में कम उपज की समस्या का समाधान करेगा।



KALANAMAK RICE

कालानमक चावल:

- परिचय:
 - ◆ कालानमक धान की एक पारंपरिक किस्म है जिसमें काली भूसी और तेज सुगंध होती है।
 - ◆ इसे श्रावस्ती के लोगों के लिये 'भगवान बुद्ध का उपहार' माना जाता है जब उन्होंने ज्ञान के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया था।
 - इसे 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना के तहत सिद्धार्थनगर के ओडीओपी उत्पाद के रूप में सम्मानित किया गया है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित एक आकांक्षी ज़िला है।
 - ◆ यह उत्तरपूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 11 ज़िलों और नेपाल में उगाया जाता है।
 - ◆ यह भैंगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रणाली के तहत संरक्षित है।
- कालानमक चावल से किसानों को लाभ:
 - ◆ प्राकृतिक खेती: कालानमक चावल मुख्य रूप से उर्वरक या कीटनाशक अवशेषों का उपयोग किये बिना उगाया जाता है जो इसे फसल उत्पादन के लिये एकदम सही बनाता है।
 - ◆ लागत प्रभावी कारक: चूँकि कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिये इसकी लागत कम है और उत्पादकों को पैसे की बचत होती है।
- कालानमक चावल के स्वास्थ्य लाभ:
 - ◆ कालानमक चावल एंथोसायनिन की तरह एक एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है, जो हृदय रोग की रोकथाम और त्वचा की देखभाल में सहायता करता है।
 - ◆ कालानमक चावल में जिंक और आयरन जैसे बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। नतीजतन, इस चावल को खाने से जिंक और आयरन की कमी से होने वाली बीमारी से भी बचाव होता है।
 - ◆ ऐसा दावा किया जाता है कि नियमित रूप से कालानमक चावल खाने से अल्जाइमर रोग की रोकथाम में मदद मिल सकती है।

- ◆ कालानमक चावल शरीर को मजबूत बनाने और गैल्वनाइज करने में मदद कर सकता है, साथ ही रक्तचाप, मधुमेह एवं त्वचा की क्षति को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।
- पारंपरिक विविधता संबंधी मुद्दा:
 - ◆ कालानमक धान की पारंपरिक किस्म के साथ समस्या यह है कि यह लंबा होता है और लॉजिंग के लिये प्रवण है, जो अनाज के गठन और गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करता है।
 - ◆ लॉजिंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें अनाज के गठन के कारण पौधे का शीर्ष भारी हो जाता है, ताकि कमज़ोर हो जाता है और पौधा जमीन पर गिर जाता है।

राष्ट्रीय एकता दिवस



IRON MAN OF INDIA
[31 OCTOBER 1875 - 15 DECEMBER 1950]

**सरदार
वल्लभ
भाई पटेल**

परिचय

- ◆ भारत के पहले गृहमंत्री तथा उप-प्रधानमंत्री
- ◆ बारदाली की महिलाओं द्वारा 'सरदार' की उपाधि दी गई

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का दृष्टिकोण

- ◆ इनके जन्मदिन को **राष्ट्रीय एकता दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- ◆ इनकी मृत्यु में गुजरात में वर्ष 2018 में 'स्टैचू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया गया।

संविधान सभा की सामिनियाँ जिनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की

- ◆ मूल अधिकारों पर सलाहकार समिति
- ◆ अत्यसंख्यकों और जनजातीय एवं वर्चित क्षेत्रों पर समिति
- ◆ प्रांतीय गठन समिति

प्रमुख योगदान

- ◆ खेड़ा (1918) तथा बारदाली (1928) आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ एकीकृत किया।
- ◆ कांग्रेस के 46 वें अधिवेशन (मार्च 1931) की अध्यक्षता करते हुए गांधी-इराबिन समझौते की पुष्टि का आवान किया।
- ◆ इन्हें 'भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत' के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की।
- ◆ इन्होंने लगभग 565 वेशी रियासियों का भारतीय संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की जाना गया।

राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 पर भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर याद करते हुए कहा कि इन्होंने अपनी दूरदर्शिता से एक मजबूत और एकजुट भारत के सपने को साकार किया।

राष्ट्रीय एकता दिवस

- भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं।

- ◆ इस दिन को मनाने के पीछे का कारण लोगों को एकजुट करना और समाज के उत्थान के लिये उनके विचारों से अवगत कराना है।
- ◆ इसे पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था।
- इस दिन सरदार पटेल के राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिये 'रन फॉर यूनिटी (Run For Unity)' जैसे विभिन्न आयोजन किये जाते हैं।
- वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के सम्मान में गुजरात में **स्टैचू ऑफ यूनिटी** का अनावरण किया था।

स्टैचू ऑफ यूनिटी:

- स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊँची (182 मीटर) मूर्ति है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा (Spring Temple Buddha statue) से 23 मीटर ऊँची तथा अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी (93 मीटर लंबा) की ऊँचाई की लगभग दोगुनी है।
- जनवरी 2020 में इसे **शंघाई सहयोग संगठन** में आठ अजूबों में शामिल किया गया था।

सरदार वल्लभभाई पटेल:

- **परिचय:**
 - ◆ सरदार पटेल का जन्म 31 अक्तूबर, 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था।
 - ◆ वे भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री थे।
 - ◆ भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने (एक भारत) तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
 - उन्होंने श्रेष्ठ भारत (अग्रणी भारत) बनाने के लिये भारत के लोगों से एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया।
 - यह विचारधारा अभी भी **आत्मनिर्भर भारत** पहल में परिलक्षित होती है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है।
 - ◆ आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के कारण उन्हें 'भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत' के रूप में भी याद किया जाता है।
- **संविधान निर्माण में भूमिका:**
 - ◆ उन्होंने भारत की संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया, अर्थात्:
 - ◆ **मौलिक अधिकारों** पर सलाहकार समिति।
 - ◆ **अल्पसंख्यकों** और **जनजातीय** एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति।
 - ◆ प्रांतीय संविधान समिति।
- **प्रमुख योगदान:**
 - ◆ उन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और गुजरात एवं उससे बाहर महिला मुक्ति के लिये बड़े पैमाने पर काम किया।

- ◆ उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खेड़ा सत्याग्रह (वर्ष 1918) और बारदोली सत्याग्रह (वर्ष 1928) में किसान हित को एकीकृत किया।
 - बारदोली की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि दी, जिसका अर्थ है 'प्रमुख या नेता'।
- ◆ वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह (प्रार्थना और उपवास आंदोलन) के दौरान सरदार पटेल ने तीन महीने कैदियों की सेवा की।
- ◆ मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्सेस के कराची अधिवेशन (46वें सत्र) की अध्यक्षता की, जिसे गांधी-इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिये बुलाया गया था।
- रियासतों का एकीकरण:
 - ◆ सरदार पटेल ने लगभग 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारत राज्य में शामिल होने के खिलाफ थीं।
 - सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिये अथक प्रयास किया लेकिन जहाँ भी आवश्यक हो, साम, दाम, दंड और भेद के तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं किया।
 - ◆ उन्होंने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद की रियासतों को जोड़ने के लिये बल का प्रयोग किया था, ये दोनों अपने-अपने राज्यों का भारत संघ के साथ विलय नहीं होने देना चाहते थे।
 - ◆ सरदार वल्लभभाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ-साथ रियासतों का बिखराव और भारत के बाल्कनीकरण को रोका।
 - ◆ सरदार वल्लभभाई पटेल ने रियासतों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ एकजुट किया, जिससे भारत को खंडित होने से रोका गया।
 - उन्हें भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और रियासतों के भारतीय संघ के साथ गठबंधन करने हेतु राजी करने के लिये 'भारत के लौह पुरुष' के रूप में जाना जाता है।
 - देहांत:
 - ◆ 15 दिसंबर, 1950 को बॉम्बे में।

सरस फूड फेस्टिवल-2022

हाल ही में **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** की महिलाओं द्वारा तैयार किये गए पारंपरिक और घर में बने हस्तशिल्प, पैंटिंग, खिलौने आदि को बढ़ावा देने के लिये नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल, 2022 का आयोजन किया गया।

सरस फूड फेस्टिवल:

- यह बड़े पैमाने पर महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम '**राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**' के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ इस उत्सव में भाग ले रही हैं।

- यह आयोजन महिला स्वयं सहायता समूहों को भोजन बनाने के क्षेत्र में अपने कौशल का प्रदर्शन करने और लोगों को हमारे देश की खाद्य संस्कृति से परिचित कराने का अवसर प्रदान करेगा।
 - ◆ ये एसएचजी महिलाएँ ग्रामीण उत्पाद बनाने और अपने राज्यों के पारंपरिक व्यंजन तैयार करने में कुशल हैं।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार सरस उत्पादों के बेहतर और अधिक प्रभावी विपणन के लिये ई-कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च किया।
 - ◆ लगभग 8 करोड़ 62 लाख महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं। 97 प्रतिशत ब्लॉकों में उनकी उपस्थिति है, जबकि उनमें से 85 प्रतिशत सीधे मंत्रालय के नेटवर्क से जुड़े हैं।
- ई-कॉमर्स पोर्टल के ज़रिये सालाना करीब 25 प्रतिशत बिक्री महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
- यह मंत्रालय विपणन की पहुँच बढ़ाने के लिये सभी राज्यों की राजधानीयों, प्रमुख शहरों और महानगरों, हवाई अड्डों तथा रेलवे स्टेशनों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सरस स्टॉल स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगा।

स्वयं सहायता समूह (SHGs):

- परिचय:
 - ◆ स्वयं सहायता समूह (SHG) कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपने रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिये स्वेच्छा से एक साथ आते हैं।
 - ◆ सामान्यतः एक ही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह (SHG) कहलाता है, जिसके सदस्य एक-दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं।
 - ◆ SHG स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिये 'स्वयं सहायता' (Self-Employment) की धारणा पर भरोसा करता है।
- उद्देश्य:
 - ◆ रोजगार और आय सुजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों तथा हाशिये पर पड़े लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करना।
 - ◆ सामूहिक नेतृत्व और आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षों को हल करना।
 - ◆ बाजार संचालित दरों पर समूह द्वारा तय की गई शर्तों के साथ संपादिक्त मुक्त ऋण (Collateral Free Loans) प्रदान करना।
 - ◆ संगठित स्त्रीों से उधार लेने का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों के लिये सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करना।
 - गरीब लोग अपनी बचत को बैंकों में जमा करते हैं। बदले में उन्हें अपनी सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने हेतु कम ब्याज दर के साथ ऋण तक आसान पहुँच प्राप्त होती है।

ईपिड फायर

विश्व खाद्य दिवस

वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के स्थापना दिवस की याद में प्रत्येक वर्ष 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी की समाप्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने खाद्य उत्पादन और खपत में बदलाव के तरीकों पर चर्चा करने के लिये पहले खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह दिवस वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के लिये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस विश्व खाद्य कार्यक्रम (जिसे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था) और कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष जैसे संगठनों द्वारा भी मनाया जाता है। यह सतत विकास लक्ष्य 2 (SDG 2) यानी ज़ीरो हंगर पर ज़ोर देता है। इसने पिछले दशकों में कुपोषण के खिलाफ भारत के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके मार्ग में कई बाधाएँ थीं। कम उपर्युक्त में गर्भावस्था, शिक्षा और जानकारी की कमी, पीने के पानी तक अपर्याप्त पहुँच, स्वच्छता की कमी आदि कारणों से भारत वर्ष 2022 तक “कुपोषण मुक्त भारत” के अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने में पिछड़ रहा है, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत की गई है। विश्व खाद्य दिवस, 2022 की थीम: किसी को भी पीछे न छोड़ें (Leave No One Behind) है।

गुजरात में आयुष्मान कार्ड का वितरण

प्रधानमंत्री ने 17 अक्तूबर, 2022 को गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के तहत गुजरात में सभी लाभार्थियों को उनके घर पर पचास लाख रुपयोग मुद्रित आयुष्मान कार्ड वितरित किये गए। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोदी ने वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम योजना शुरू की थी। यह योजना गरीब नागरिकों को बीमारी के इलाज में होने वाले भयावह खर्च से बचाने के लिये लाई गई थी। वर्ष 2014 में इस योजना में उन परिवारों को भी शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय चार लाख रुपए तक है। बाद में इस योजना में कई अन्य समूहों को भी शामिल किया गया और इसका नाम मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना हो गया। योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष पाँच लाख रुपए तक की कवरेज दी गई थी। वर्ष 2019 में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य को आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना योजना के साथ जोड़ दिया।

विश्व आघात दिवस

यह प्रतिवर्ष 17 अक्तूबर को मनाया जाता है। सबसे नाजुक क्षणों के दौरान जीवन को बचाने और सुरक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी एवं महत्वपूर्ण उपायों को अपनाने के लिये मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार विश्वभर में मृत्यु एवं विकलांगता का प्रमुख कारण आघात है। आघात का अर्थ “किसी भी तरह की शारीरिक एवं मानसिक चोट हो सकती है”। इस तरह की चोटों के कारणों की कई वजह जैसे कि सड़क दुर्घटना, आग, जलना, गिरना, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएँ और हिंसक कृत्य आदि हो सकते हैं इन सभी कारणों के मध्य विश्वभर में आघात का प्रमुख कारण सड़क यातायात दुर्घटना है। भारत में हर छह मिनट पर एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना के कारण मौत का शिकार हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन हादसों से बचने के लिये यदि वाहन चालक सिर्फ ट्रैफिक नियम का पालन करें तो इसमें 60 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। देश में प्रतिवर्ष दस लाख लोग हेड इंजरी के शिकार होते हैं, जिनमें से 75 से 80 फ्रीसदी लोगों में सड़क दुर्घटना के कारण होती है। हेड इंजरी के शिकार 50 फ्रीसदी लोग मर जाते हैं जिसमें से 25 फ्रीसदी लोग विकलांग हो जाते हैं। इस विषय में कुछ सुरक्षात्मक एवं सावधानी तथा जागरूकता संबंधी उपाय किये जा सकते हैं साथ ही व्यक्ति द्वारा स्वयं से किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने की अपेक्षा की जाती है। वैसे, इस प्रकार की स्थिति में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल कर तथा जल्द से जल्द पर्याप्त सहायता प्राप्त करना इसकी पहली शर्त है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर उचित चिकित्सा देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

डेफएक्सपो 2022

डेफएक्सपो (रक्षा प्रदर्शनी) का 12वाँ संस्करण 18 अक्तूबर से गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू हो रही है। इस अवसर पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केन्द्र में कई संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठियों का आयोजन अग्रणी उद्योग परिसंघों, विचार मंचों, भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, सेना मुख्यालयों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), गुणवत्ता महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय और राज्य सरकार करेंगी। प्रदर्शनी का आयोजन दो वर्ष में एक बार किया जाता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और उद्योग, सशस्त्र बलों के लिये रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। पाँच दिन की यह प्रदर्शनी 22 अक्तूबर तक चलेगी। इस बार का डेफएक्सपो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। यह रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की क्षमता को प्रदर्शित

करेगा। भारत एक समय रक्षा उत्पादों का बड़ा आयातक था, लेकिन अब वह रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाले विश्व के 25 शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी में इस बार 1136 कंपनियाँ भाग लेगी।

किसान सम्मान सम्मेलन 2022

प्रधानमंत्री मोदी ने 17 अक्तूबर को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना- एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कृषि स्टार्टअप कॉन्वलेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने उर्वरक पर एक ई-पत्रिका 'इंडियन एज' का भी विमोचन किया। साथ ही उन्होंने स्टार्टअप प्रदर्शनी परेलियन का भ्रमण कर वहाँ प्रदर्शित उत्पादों का अवलोकन किया।

खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का आईजी स्टेडियम 20 से 23 अक्तूबर, 2022 तक होने वाली पहली 'खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग' की मेजबानी करेगा। यह लीग जो कि 4 ज्ञान की महिला जूडो खिलाड़ियों के लिये एक राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट है, का आयोजन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा इस आयोजन और जामीनी स्तर पर जूडो के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये 1.74 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। 31 भार वर्गों में इस टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 24.43 लाख रुपए है। यह टूर्नामेंट चार आयु समूहों में आयोजित किया जा रहा है- सब जूनियर (12-15 वर्ष), कैडेट (15-17 वर्ष), जूनियर (15-20 वर्ष) और सीनियर (20 वर्ष और उससे अधिक)। 31 भार वर्गों में शीर्ष 7 जूडो खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल, 2022 की रजत पदक विजेता तूलिका मान के साथ-साथ विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता व इतिहास रचने वाली लिथोई चनमबाम टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में कुल 496 जूडो खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस राष्ट्रीय लीग के लिये प्रतियोगियों का चयन उनकी रैंकिंग और उनके संबंधित क्षेत्रों यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम में प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

बुकर पुरस्कार 2022

17 अक्तूबर, 2022 को लंदन में एक समारोह के दौरान श्रीलंका के

लेखक शेहान करुणातिलका (Shehan Karunatilaka) को प्रतिष्ठित 'बुकर पुरस्कार', 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास 'द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा' (The Seven Moons of Maali Almeida) के लिये प्रदान किया गया है। 47 वर्षीय करुणातिलका श्रीलंका के दूसरे उपन्यासकार हैं, जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 1992 में माइकल ओन्डाट्से को यह पुरस्कार उनके उपन्यास 'द इंग्लिश पेशेंट' के लिये मिला था। बुकर पुरस्कार, 2022 के जूरी के अध्यक्ष नील मैकग्रेगर ने कहा कि 'द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा' में लेखक की महत्वाकांक्षा का दायरा और इसके कथानक को प्रस्तुत करने का तरीका प्रशंसनीय है। 'सॉर्ट ऑफ बुक्स' द्वारा प्रकाशित 'द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा', गृहयुद्ध से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही की जाँच के बीच में मृत्यु के बाद के जीवन की पड़ताल करती है। बुकर पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के साहित्य हेतु प्रदान किया जाता है। लेखक को पुरस्कार स्वरूप 50 हजार पाउंड की धनराशि प्राप्त होती है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस तीन दिन (19-21 अक्तूबर) की भारत यात्रा पर 19 अक्तूबर, 2022 को मुंबई पहुँचे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतेरस ने मुंबई के ताज पैलेस होटल में 26/11 के आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धार्जनीलि अर्पित किया। गुतेरस 20 अक्तूबर को गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री के साथ मिशन लाइफ पुस्तिका, लोगों और टैगलाइन का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतेरस के साथ द्विपक्षीय चर्चा में वैश्विक मुद्दों, जी-20 देशों के सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता सहित संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भारत के पहले सौर ऊर्जा गाँव मोढेरा का दौरा भी करेंगे। वे मोढेरा के सूर्य मंदिर भी जाएंगे। गुतेरस की जनवरी 2022 में दूसरी बार अपना पदभार संभालने के बाद यह पहली भारत यात्रा है। इससे पहले वे अक्तूबर 2018 में भारत की यात्रा पर आए थे।

दिव्यांगजनों के लिये 'सामाजिक अधिकारिता शिविर'

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ADIP योजना के तहत 'दिव्यांगजनों' को सहायता उपकरण वितरित करने हेतु एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा एलिम्को, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग के सहयोग से 17 अक्तूबर को राजस्थान में अलवर शहर में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये चर्चनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों की सेवा करके

उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया है, जो अब दिव्यांगों की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 करने का प्रावधान देता है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजनों का आरक्षण 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस

प्रतिवर्ष 20 अक्तूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस (World Osteoporosis Day) के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान और उपचार के लिये वैश्विक जागरूकता के प्रसार के प्रति समर्पित है। WOD का उद्देश्य बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य पेशेवरों, नीति निर्माताओं एवं आमजन तक पहुँच बनाकर ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर (अस्थि-भंग) की रोकथाम को वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाना है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, 2022 का विषय “स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ” है। यह विषय समस्त आयु वर्ग में अस्थियों के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये विशेष कार्य (व्यायाम) करने तथा वयस्क जीवन (प्रौढ़ जीवन) में ऑस्टियोपोरोसिस व फ्रैक्चर (अस्थि-भंग) के ज्ञानिम को कम करने पर केंद्रित है। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसायटी ने 20 अक्तूबर, 1996 को ‘विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस’ की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने वर्ष 1997 में इस दिवस का समर्थन किया, तब से WOD पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अस्थिसुषिरता या ऑस्टियोपोरोसिस एक अस्थि-रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण अस्थियों के ऊतकों की खराबी है। इस रोग में अस्थियाँ नाजुक एवं कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप रीढ़ की हड्डी विशेषकर कूल्हे एवं कलाई के फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है।

14वाँ जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने 19 अक्तूबर, 2022 को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय युवाओं के विकास के लिये 14वें जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम सात दिनों तक चलेगा। इसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं को देश की भव्य सांस्कृतिक धरोहर से अवगत करना है ताकि वे विविधता में एकता के सिद्धांत को भलिभाँति समझ सकें। इसका उद्देश्य इन युवाओं को देश की विकास गतिविधियों और औद्योगिक विकास से भी अवगत करना है। इस कार्यक्रम में वामपंथी आतंकवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा एवं राजनंदगाँव, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा बिहार के जमुई ज़िले से 18-22 वर्ष आयु के चुनिंदा 220 युवा भाग ले रहे हैं।

भारत में ई-20 फ्लेक्स ईंधन की आपूर्ति का भविष्य

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बताया गया है कि देश में फ्लेक्स-फ्लूल इंजन वाले वाहनों के उत्पादन को बढ़े पैमाने पर विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत ईंधन की आपूर्ति के अगले वर्ष अप्रैल में शुरू किये जाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 19 अक्तूबर को नई दिल्ली में जैविक ईंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-सत्र भविष्य पर चर्चा की। इस कार्यक्रम के तहत फ्लेक्स-फ्लूल ई10 और ई20 वाहनों की बिक्री के लिये वाहन उद्योग को एक व्यवहार्य व्यावसायिक प्रस्ताव बनाने, वर्ष 2025 तक पेट्रोल के साथ ई20 सम्मिश्रण सुनिश्चित किये जाने से देश को प्रतिवर्ष लगभग 30000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने, जैव ईंधन बेचने वाले पेट्रोल पंपों की संख्या 2016-17 के 29897 से लगभग तीन गुना बढ़कर 2021-22 में 67641 होने आदि पर चर्चा की गई। सरकार द्वारा पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से पाँच वर्ष कम करके वर्ष 2025 कर दिया गया है।

स्मृति दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष उन पुलिसकर्मियों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिये 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस (Police Commemoration Day) मनाया जाता है, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए जीवन दांव पर लगा दिया। ध्यातव्य है कि यह दिवस वर्ष 1959 में हुई एक घटना की याद में मनाया जाता है, जब लद्दाख में चीन की सेना द्वारा किये गए हमले में 10 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तभी से प्रत्येक वर्ष 21 अक्तूबर को शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया था। दिल्ली स्थित इस राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में सभी केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के 34,844 पुलिसकर्मियों को याद किया गया है, जिन्होंने वर्ष 1947 के बाद से इयूटी पर रहते हुए अपनी जान गँवाई है।

AFC एशिया कप 2023

भारत ने कतर में होने वाले AFC एशिया कप 2023 के लिये क्वालीफाई कर लिया है। भारत और सऊदी अरब ने एशियाई फुटबॉल महासंघ-(Asian Football Confederation-AFC) के तहत आयोजित होने वाले एशिया कप के वर्ष 2027 संस्करण की मेज़बानी की मांग की है। वर्तमान चैंपियन कतर वर्ष 2027 के AFC एशिया कप की मेज़बानी करने का इच्छुक था, लेकिन उसे वर्ष 2023 संस्करण के लिये मेज़बान घोषित किया गया है। एशियाई फुटबॉल महासंघ (Asian Football Confederation-AFC) एशिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 8 मई,

1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। अधिक भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) एक राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना वर्ष 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी। एक महासंघ के रूप में यह देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। AIFF एशियाई फुटबॉल महासंघ (AFC) के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो एशिया में फुटबॉल का प्रबंधन करता है।

विश्व आयोडीन अल्पता दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 अक्तूबर को दुनिया भर में 'विश्व आयोडीन अल्पता दिवस' का आयोजन किया जाता है। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) 1980 के दशक से 'राष्ट्रीय नमक आयोडीनीकरण' कार्यक्रम के माध्यम से आयोडीन की कमी के प्रभावों को रेखांकित करने हेतु काम कर रहा है। यूनिसेफ ने 'इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर' (ICCIDC) के साथ मिलकर कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रणनीति बनाई है और यह 66 प्रतिशत घरों में आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने में सक्षम रहा है। आयोडीन एक खनिज पदार्थ है जो आमतौर पर समुद्री भोजन, डेयरी उत्पादों, अनाज और अंडे में पाया जाता है। दुनिया भर में आयोडीन की कमी एक गंभीर समस्या है। वैश्विक स्तर पर 2 बिलियन लोग आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के खतरे में हैं। आयोडीन की कमी को रोकने के लिये इसे घरेलू नमक में मिलाया जाता है। भारत में वर्ष 1992 में मानव उपभोग के लिये आयोडीन युक्त नमक को अनिवार्य किया गया था। इस अनिवार्यता को वर्ष 2000 में थोड़ी ढील दी गई परंतु वर्ष 2005 में इसे फिर से लागू कर दिया गया।

भर्ती अभियान-रोजगार मेला

प्रधानमंत्री 22 अक्तूबर, 2022 को 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान- रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम बीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न होगा। रोजगार मेले के पहले चरण में 75 हजार से अधिक चयनित लोगों को नियुक्ति-पत्र सौंपे जाएंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं जन कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्रालयों एवं विभागों में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरा जाएगा। देश भर से चयनित नए कर्मी केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों एवं विभागों में शामिल किये जाएंगे। इन्हें वर्ग-क, ख और ग, के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी, उप निरीक्षक, कॉन्सटेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक तथा एमटीएस शामिल हैं। मंत्रालय एवं विभाग, मिशन मोड में इस भर्ती अभियान के तहत कर्मियों का सीधे चयन करेंगे अथवा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष

भारत वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने की तैयारी कर रहा है। 21 अक्तूबर, 2022 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि मंत्री ने बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय कार्य और सहयोग मंत्री लिमोगेंग क्वापे से बातचीत की। भारत की यात्रा पर आए डॉक्टर क्वापे ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग पर जोर दिया। विदित है कि मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, जिसके तहत वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण एवं स्वास्थ्य लाभ तथा इसकी खेती हेतु उपयुक्तता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो आदि शामिल हैं। अप्रैल 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भूख को मिटाने और दुनिया भर में कुपोषण के सभी प्रकारों की रोकथाम की आवश्यकता को मान्यता देते हुए वर्ष 2016 से 2025 तक की अवधि को 'पोषण पर संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई दशक' घोषित किया।

वाणिज्यिक उपग्रह LVM-3

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- ISRO 23 अक्तूबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पहला समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह LVM-3 लॉन्च करेगा। ISRO की वाणिज्यिक अंतरिक्ष कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड- NSIL के लिये ऐतिहासिक महत्व की साबित होगी। ISRO ने वनवेब- LEO ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु ब्रिटेन के नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन के साथ दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये हैं। यह प्रक्षेपण ISRO के सबसे भारी लॉन्चर LVM-3 से होगा। वनवेब एक वैश्विक संचार नेटवर्क है, जिसे अंतरिक्ष से संचालित किया जाएगा और इससे सरकार, व्यापार एवं समुदायों के लिये कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। अनुबंध के अंतर्गत LVM-3 से 36 उपग्रह पृथकी की कक्षा में छोड़े जाएंगे। ISRO के अनुसार, प्रक्षेपण संबंधी सभी उपकरण एकत्रित कर लिये गए हैं और इनकी अंतिम जाँच की जा रही है।

7वाँ आयुर्वेद दिवस

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23 अक्तूबर, 2022 को 7वाँ आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस "हर दिन हर घर आयुर्वेद" की थीम के साथ मनाया गया ताकि आयुर्वेद के लाभों का व्यापक और जमीनी स्तर पर समुदायों के बीच प्रचार किया जा सके। यह एक प्राचीन ज्ञान है और हमारी शोध परिषदें आयुष क्षेत्र में प्रभावशाली शोध कार्य कर रही हैं। हर दिन हर घर आयुर्वेदिक कैंपिंग का उद्देश्य आयुर्वेद को जन-जन तक पहुँचाना है। आयुष मंत्रालय ने देश में स्वास्थ्य की आयुष प्रणाली को गति प्रदान की है और अब आयुर्वेद को 30 देशों में मान्यता

प्राप्त हो चुकी है। आयुष का वर्तमान रन्जोवर 18.1 अरब डॉलर है। क्षमता निर्माण के माध्यम से जनजातीय संस्कृति विरासत को संरक्षित करते हुए जनजातीय विकास के दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग, समन्वयन और संयोजन हेतु आयुष मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। इस अवसर पर 'द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया', 'द आयुर्वेदिक फॉर्म्युलारी ऑफ इंडिया' पुस्तक का विमोचन किया गया। औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये आयुष मंत्रालय द्वारा अश्वगंधा- एक स्वास्थ्य प्रवर्तक पर एक प्रजाति-विशिष्ट राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया गया।

विश्व पोलियो दिवस

पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर को विश्व पोलियो दिवस (World Polio Day) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत एक दशक पहले रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस (Poliomylitis) के खिलाफ टीका विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले जोनास साल्क के जन्म दिवस के अवसर पर की गई थी। वैश्विक स्तर पर रोग की स्थिति की निगरानी वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (Global Polio Eradication Initiative-GPEI) द्वारा की जा रही है। वर्ष 2022 के लिये इसकी थीम है- "विश्व पोलियो दिवस 2022 और उसके बाद: माताओं एवं बच्चों के लिये एक स्वस्थ भविष्य (World Polio Day 2022 and Beyond: A healthier future for mothers and children)"।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

24 अक्तूबर, 202 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का 61वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। जात हो कि 'भारत-तिब्बत सीमा पुलिस' (ITBP) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ITBP की स्थापना 24 अक्तूबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा रक्षक पुलिस बल है, जिसके पास ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अभियानों के संचालन की विशेषज्ञता है। वर्तमान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जंचेप ला तक 3488 किलोमीटर की भारत-चीन सीमा की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को नक्सल विशेषी अभियानों और अन्य आंतरिक सुरक्षा मुद्दों जैसे मामले में भी तैनात किया जाता है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना प्रारंभ में 'केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल' (CRPF) अधिनियम, 1949 के तहत की गई थी। हालाँकि संसद ने 'भारत-तिब्बत सीमा पुलिस' अधिनियम वर्ष 1992 में लागू किया और वर्ष 1994 में इसके संबंध में नियम बनाए गए। अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: असम राइफल्स (AR), सीमा

सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) तथा सशस्त्र सीमा बल (SSB)।

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक

ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया है। वह ब्रिटेन के पहले एशियाई मूल के प्रधानमंत्री होंगे। सर ग्राहम ब्रैडी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। ऋषि सुनक ने वर्ष 2015 में 35 वर्ष की उम्र में पहली बार संसद का चुनाव जीता। मात्र सात वर्षों के राजनैतिक कॅरियर में वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वे भारत के विख्यात उद्योगपति और इंफोसिस कंपनी के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उन्होंने अक्षता मूर्ति से वर्ष 2009 में शादी की थी। वह बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे। वर्ष 2015 से सुनक यॉर्कशर के रिचर्मंड से कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद चुने गए थे। भारतीय मूल के उनके परिजन पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आए थे। वर्ष 1980 में सुनक का जन्म हैंपशर के साउथहैम्पटन में हुआ था और उनकी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल विंचेस्टर कॉलेज में हुई। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए की पढ़ाई भी की।

गुजराती नववर्ष बेस्तू वर्ष

गुजराती नववर्ष यानी बेस्तू वर्ष 26 अक्तूबर, 2022 को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में गुजराती समुदाय पारंपरिक आस्था और उत्साह के साथ नववर्ष मनाता है। गुजराती नववर्ष- विक्रम संवत् 2079 की शुरुआत 26 अक्तूबर से हो रही है। गुजरात में दीवाली नए साल के आगमन को चिह्नित करती है। बेस्तू वर्ष को गुजरात राज्य में खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुजराती नया साल दीवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यह कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर आता है। चंद्र चक्र पर आधारित भारतीय कैलेंडर के अनुसार, वर्ष का पहला महीना कार्तिक होता है और गुजरात में नया साल कार्तिक (एकम) के पहले उज्ज्वल दिन पर आता है। यह दिन नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत को भी चिह्नित करता है। गुजरात में नए साल को शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोग अपने पुराने बहीखाता बंद कर देते हैं और नए बहीखातों की शुरुआत करते हैं। गुजराती नववर्ष हिंदू त्योहार गोवर्धन पूजा या अनकूट पूजा के साथ मेल खाता है जो भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है।

नेरल-माथेरान टॉय ट्रेन

मावल लोकसभा क्षेत्र में ठंड के मौसम में पर्यटन स्थल नेरल-माथेरान (Neral-Matheran) के बीच चलने वाली नेरल-माथेरान टॉय ट्रेन (छोटी ट्रेन), जो कि दुर्घटना के कारण बंद कर दी गई थी, फिर से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में नेरल-

माथेरान टॉय ट्रेन सेवा फिर से शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस ट्रेन के शुरू होने से स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। माथेरान जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। पर्यटक 'टॉय ट्रेन' के जरिये यहाँ यात्रा करते हैं। सहावती पर्वत शृंखला के बीच नेरल से माथेरान तक 21 किमी की दूरी यह ट्रेन लगभग 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है। 'टॉय ट्रेन' सेवा पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों के लिये भी एक प्रमुख साधन है।

श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की 150वीं जयंती

आचार्य विजय वल्लभ श्वेतांबर धारा के संत थे। उनका जन्म गुजरात के बड़ोदा में संवत् 1870 में हुआ मगर वे अधिकांश समय पंजाब में रहे। वे खादी वस्त्र पहनते थे और आजादी के समय हुए खादी सुवर्देशी अंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। देश के विभाजन के समय पाकिस्तान के गुजरावाला में उनका चर्तुमास था, लेकिन वे सितंबर 1947 में पैदल ही भारत लौट आए, साथ ही उन्होंने अपने अनुयायियों का भी पुर्वावास सुनिश्चित किया। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा की अपनी शिक्षा के साथ ढूढ़ बने रहे। स्वतंत्रता पश्चात् वर्ष 1954 में बंबई में उनका देहांत हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिये 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई थी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र आदि प्रांतों में उन्होंने 67 वर्षों के दौरान अनेकों पैदल यात्राएँ कीं। इस दौरान उन्होंने आचार्य महावीर जैन विश्वविद्यालय समेत अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अनेक ग्रन्थों के साथ-साथ छंद कविताओं की भी रचना की। जैन संप्रदाय के उत्थान और उसकी शिक्षाओं को फैलाने के अपने कार्यों के लिये उन्हें 'युग प्रधान' भी कहा जाने लगा।

संयुक्त राष्ट्र का 27वाँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगले माह

संयुक्त राष्ट्र का 27वाँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 6-18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन अफ्रीका में पाँचवीं बार आयोजित होगा। इस सम्मेलन में 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का केंद्रीय बिंदु "जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम" होगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मानना है कि अफ्रीका जलवायु परिवर्तन से विश्व के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में है। इस सम्मेलन में और तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें उत्पर्जन कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, तकनीकी सहायता और विकासशील देशों को जलवायु गतिविधियों के लिये आर्थिक मदद करना शामिल है। साथ ही इस दौरान पिछले सम्मेलन के लंबित एवं महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया जाएगा तथा कोयले के उपयोग को कम करने की प्रतिबद्धता पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

भारतीय सेना का 76वाँ इन्फैंट्री दिवस

भारतीय सेना की सबसे बड़ी युद्धक शाखा इन्फैंट्री के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिये प्रतिवर्ष 27 अक्तूबर को इन्फैंट्री दिवस मनाया जाता है। राष्ट्र के लिये इस दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि वर्ष 1947 में आज ही के दिन भारतीय सेना के इन्फैंट्री सैनिकों (पैदल सैनिकों) का पहला सैन्य दस्ता श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उत्तरा था। इन इन्फैंट्री सैनिकों ने आक्रमणकारियों को श्रीनगर के बाहरी इलाके से वापस खदेड़ दिया था और पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबायली आक्रमण से जम्मू-कश्मीर राज्य की रक्षा की थी। वर्ष 2022 के इन्फैंट्री दिवस समारोह में राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन्फैंट्री के नायकों को सम्मान प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 27 अक्तूबर को एक 'पुष्टांजलि' समारोह का आयोजन हुआ। इन्फैंट्री के सैनिकों के लिये दिये गए अपने संदेश में इन्फैंट्री के महानिदेशक ने सैनिकों से बहादुरी, बलिदान और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण की भावना के साथ अपने आप को समर्पित करने एवं राष्ट्र की एकता तथा संप्रभुता की रक्षा करने के संकल्प में अजय बने रहने का आह्वान किया।

अंतर्राष्ट्रीय एनीमेशन दिवस

प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 28 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनीमेशन दिवस (International Animation Day) के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस एनीमेशन की कला का उत्सव मनाने एवं एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियों के एनिमेटेड आर्ट को पहचान प्रदान करने के लिये मनाया जाता है। वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन (ASIFA) जो UNESCO का सदस्य है, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनीमेशन दिवस (IAD) की घोषणा की गई थी। यह दिन पेरिस में 28 अक्तूबर, 1892 में एमिल रेनॉड के थियेटर ऑप्टीक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन (ASIFA) एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में एनेसी, फ्रांस में कनाडा के प्रसिद्ध एनिमेटर नॉर्मन मैकलारेन द्वारा की गई थी।

विश्व सोरायसिस दिवस

प्रतिवर्ष 29 अक्तूबर को विश्व सोरायसिस दिवस (World Psoriasis Day) मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन (IFPA) द्वारा वर्ष 2004 में सोरायसिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस से प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये इस दिवस को चिह्नित किया गया था। विश्व सोरायसिस दिवस, 2022 की थीम "Uniting for action" है। वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने सोरायसिस के विषय में जागरूकता के महत्व को पहचानते हुए 29 अक्तूबर को इस दिवस के आयोजन के प्रस्ताव को

अपनाया था। विदित है कि 'सोरायसिस' अतिसक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होने वाला रोग है। जहाँ एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली 30 दिनों के भीतर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, वहाँ सोरायसिस रोगियों के शरीर में 2-3 दिनों के भीतर नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस

प्रतिवर्ष 29 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस (International Internet Day) मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिये चिह्नित किया गया है। यह दिवस पहले ई-संदेश भेजने का प्रतीक है, जिसे वर्ष 1969 में एक संगणक से दूसरे संगणक में स्थानांतरित किया गया था। उस वक्त इंटरनेट का नाम ARPANET था, जिसका अर्थ "एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क" है। 29 अक्तूबर, 1969 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स में एक प्रोग्रामर छात्र चार्ली क्लाइन (Charley Kline) ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक संदेश 'एलओ (LO)' ब्रॉडकास्ट किया था। दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को मनाने के लिये 29 अक्तूबर, 2005 को पहला इंटरनेट दिवस मनाया गया था।

फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0

आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली तथा इसके क्षेत्रीय केंद्रों- मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा सवाई माधोपुर में "आजादी के 75 साल, फिटनेस रहे बेमिसाल" विषय पर "फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0" का आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ में संग्रहालय-कर्मियों और विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिये पैदल चलने और दौड़ने की आदत डालने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर, 2022 को शुरू हुआ और इसका समाप्त 31 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया में एकता दौड़ के साथ होगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ आम लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु समर्पित है।

शिकायत अपीलीय समितियों का गठन

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के समाधान के लिये तीन महीने के अंदर शिकायत अपीलीय समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा है। इसके लिये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थता दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नीति संहिता) नियम-2021 में संशोधन के लिये अधिसूचना जारी की है। इस प्रकार गठित प्रत्येक शिकायत अपीलीय

समिति में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें प्रावधान किया गया है कि शिकायत अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति फैसला मिलने के 30 दिनों के अंदर समिति में अपील कर सकता है। यह समिति विवादों के निपटान के लिये ऑनलाइन समाधान तंत्र भी अपनाएगी।

राष्ट्रीय एकता दिवस

प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' (National Unity Day) के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 31 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्तूबर, 1875 को गुजरात के नाडियाड (Nadiad) शहर में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात देश की सभी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1928 में गुजरात के बारडोली में किसान आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें 'सरदार' (नेता या प्रमुख) की उपाधि प्रदान की। उन्हें 'भारतीय नागरिक सेवाओं के संरक्षक संत' (Patron Saint of India's civil services) के रूप में भी जाना जाता है। सरदार बल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री बने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को 'लौह पुरुष' की उपाधि प्रदान की। वर्ष 1991 में उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि 31 अक्तूबर, 2018 को भारत सरकार द्वारा गुजरात के बडोदरा में नर्मदा नदी के टट पर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue Of Unity) का अनावरण किया गया जो कि 182 मीटर (597 फीट) की ऊँचाई के साथ विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है।

गोवा समुद्री संगोष्ठी (गोवा मेरीटाइम सिम्पोजियम- GMS) 2022

गोवा समुद्री संगोष्ठी (GMS) का चौथा संस्करण गोवा में नौसेना युद्ध कॉलेज (NWC) द्वारा 31 अक्तूबर से 1 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इस संगोष्ठी के प्रतिभागियों में कैटेन/नौसेनाओं के कमांडर अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारी/भारत के अलावा मित्र देशों जैसे बांगलादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मारीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका तथा थाईलैंड के समुद्री बल शामिल हैं। वर्ष 2016 में भारतीय नौसेना द्वारा संकलिप्त एवं स्थापित, GMS भारत और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के प्रमुख समुद्री देशों के बीच सहयोगात्मक सोच, सहयोग व आपसी समझ को बढ़ावा देने हेतु एक मंच है। इस संगोष्ठी का आयोजन नौसेना युद्ध कॉलेज, गोवा द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है तथा अब तक इस कार्यक्रम के तीन संस्करण आयोजित किये जा-

चुके हैं। संगोष्ठी का उद्घाटन नेवल वॉर कॉलेज के कमांडेंट द्वारा किया जाएगा। इसका विषय 'समुद्री क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' के विचार और समुद्री सुरक्षा के पाँच सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि हमारे क्षेत्र की समृद्धि हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों के साथ जुड़ी हुई है।

स्वतंत्रता सेनानी पसुप्पोन मुथुरामलिंग थेवर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पसुप्पोन मुथुरामलिंग थेवर को उनकी गुरु पूजा के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु पूजा को प्रत्येक वर्ष 30 अक्तूबर को पसुप्पोन मुथुरामलिंगा थेवर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी-सह-आध्यात्मिक नेता थे। उन्हें मुकुलथोर समुदाय के बीच एक देवता के रूप में देखा जाता है, यह कल्लर, मरावर और अहंबादियार नामक समुदायों में से एक है।

मुकुलथोर समुदाय के लोग अभी भी प्रसाद चढ़ाते हैं जैसा कि मंदिरों में देवताओं के लिये उनकी जयंती और गुरु पूजा समारोहों पर किया जाता है। उन्होंने पारंपरिक हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह 'वर्णाश्रम' का समर्थन करता था। उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुले तौर पर धार्मिक अंधविश्वासों और संकीर्ण सोच की निंदा की। समाजवादी और सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी होने के नाते उन्होंने वर्ष 1952 से अखिल भारतीय फॉर्मर्ड ब्लॉक (AIFB) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह AIFB के राष्ट्रीय संसदीय क्षेत्र के लिये तीन बार चुने गए। उनका जन्म 30 अक्तूबर, 1908 को तमிலनாடு के रामनाथपुरम ज़िले के पसुप्पोन में हुआ था। 30 अक्तूबर, 1963 को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया।